VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अक्टूबर - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 6

1.2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019....7

1.3. अप्रचलित कानूनों का निरसन 9

1.4. टू चाइल्ड पॉलिसी....10

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 13

2.1. द्वितीय भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 13

2.2. भारत-बांग्लादेश....15

2.3. नेपाल और चीन द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर....17

2.4. भारत-सऊदी अरब 19

2.5. गुट-निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन....21

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 24

3.1. डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020....24

3.2. व्यापार पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की रिपोर्ट 25

3.3. वैश्विक मूल्य श्रृंखला....28

3.4. गैर-प्रशुल्क उपाय....30

3.5. विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा 32

3.6. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019....32

3.7. राज्य वित्त....33

3.8. शहरी सहकारी बैंक 35

3.9. दूरसंचार क्षेत्र में संकट की स्थिति 38

3.10. रेलवे में निजी अभिकर्ताओं को सम्मिलित करना 40

3.11. रणनीतिक विनिवेश की नई प्रक्रिया....41

3.12. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी....42

3.13. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 43

3.14. स्व-रोजगार....45

3.15. गिग इकॉनमी हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना 46

3.16. 20वीं पशुधन गणना....48

VISION IAS

3.17. विद्युत खरीद समझौता 49
3.18. प्रकाश पोर्टल 50
4. सुरक्षा (Security) **52**
4.1. नागा शांति वार्ता 52
4.2. भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा 54
5. पर्यावरण (Environment) **56**
5.1. भारत में जल का मूल्य निर्धारण 56
5.2. कार्बन मूल्य निर्धारण 58
5.3. बीज विधेयक, 2019 का मसौदा 61
5.4. हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के लिए प्रोटोकॉल 63
5.5. भारी धातु विषाक्तता 64
5.6. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना 65
5.7. अक्षमता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश 67
5.8. शहर और जलवायु परिवर्तन 69
5.9. अरब सागर में एक साथ दो चक्रवात 70
5.10. आकस्मिक समतापमंडलीय तापन 71
5.11. भारत की प्रथम ई-अपशिष्ट क्लिनिक 72
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) **74**
6.1. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 74
6.2. चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रिशन: स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 75
6.3. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 77
6.4. WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति 79
6.5. स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 82
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **83**
7.1. फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 83
7.2. रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 83
7.3. भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 84
7.4. नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट 85
7.5. एज कंप्यूटिंग 86
7.6. जियोटेल 87

VISION IAS

7.7. जैमिनी 88
7.8. माइक्रोबियल फ्यूल सेल 89
7.9. पोलियो 90
7.10. वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 91
7.11. लिम्फेटिक फाइलेरिया 93
8. संस्कृति (Culture) **95**
8.1. मामल्लपुरम 95
8.2. टीपू सुल्तान 95
8.3. मुहम्मद इक़बाल 96
8.4. असमी भाओना 97
8.5. नोबेल पुरस्कार 98
8.6. उर्दू 98
9. नीतिशास्त्र (Ethics) **100**
9.1. नैतिक आचरण के स्रोत के रूप में विधि 100
10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Short) **102**
10.1. निर्वाचन आयोग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री की निरर्हता अवधि पांच वर्ष घटाई 102
10.2. जन सूचना पोर्टल 102
10.3. तुर्की का सीरियाई कुर्द लड़ाकों पर हमला 102
10.4. भाषण चार द्वीप 103
10.5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव 103
10.6. अल बगदादी 103
10.7. वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑउटलुक, 2019 103
10.8. भारत-22 ETF 104
10.9. CBDT ने 300वें अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए 104
10.10. 'फेसलेस' ई-निर्धारण योजना एवं राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र 104
10.11. एल2प्रो इंडिया 104
10.12. उपभोक्ता एप 105
10.13. स्वीकृति विकास निधि 105
10.14. टेक्सागर 105
10.15. सैन्य अभ्यास 105

VISION IAS

10.16. केप टाउन समझौता....106
10.17. सारस विमान....106
10.18. ग्रीन पटाखे....106
10.19. मोजेक अभियान....107
10.20. एंथ्रोपोजेनिक खनिज....107
10.21. भारत में एशिया का सबसे प्राचीन बांस प्राप्त हुआ....107
10.22. भारत का स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग....107
10.23. तस्मानियाई बाघ....108
10.24. विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली चींटी....108
10.25. हाई माउंटेन समिट....108
10.26. डीम्ड वन....108
10.27. पर्यटन पर्व 2019....109
10.28. मोबाइल ऐप एम-हरियाली....109
10.29. कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु....109
10.30. यूथ को:लैब....109
10.31. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव....110
10.32. क्यू. एस. भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग....110
10.33. वयोश्रेष्ठ सम्मान....110
10.34. द गांधियन चैलेंज....111
10.35. गैर-उपनगरीय एवं उपनगरीय स्टेशनों का स्वच्छता आकलन-2019....111
10.36. ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-2019....111
10.37. शनि के नए उपग्रहों (चंद्रमाओं) की खोज....111
10.38. थर्टी मीटर टेलीस्कोप....112
10.39. स्पेक्ट्रोस्कोपी....112
10.40. इलास्टोकलोरिक प्रभाव....112
10.41. 'डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति'....113
10.42. खोन रामलीला....113

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 114

11.1. राष्ट्रीय पेंशन योजना....114

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम

{Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" में सरकार द्वारा किए गए **संशोधनों को बरकरार रखा** है।

पृष्ठभूमि

- मार्च 2018 में उच्चतम न्यायालय ने **सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद** में "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" के कुछ प्रावधानों के **दुरुपयोग को रोकने हेतु**, इस अधिनियम को प्रभावहीन बना दिया था।
    - **अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail):** उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पूर्व कुछ सुरक्षा प्रावधानों को प्रस्तावित किया था, जिसमें अग्रिम जमानत की अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि वर्ष 1989 के इस कानून के तहत मामला दर्ज करने से पूर्व इस तथ्य की "प्रारंभिक जांच" की जानी चाहिए कि क्या शिकायत "दुर्भावना से ग्रसित या प्रायोजित" तो नहीं है?
    - **प्राथमिकी (FIR):** किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए और न ही बिना आरंभिक जांच के अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी केवल ऐसी स्थिति में ही की जानी चाहिए जब "विश्वसनीय" जानकारी और पुलिस अधिकारी के पास अपराध किए जाने के संबंध में "विश्वास-योग्य कारण" उपलब्ध हों।
    - **अनुमति:** प्रारंभिक जांच करने और मामला दर्ज किए जाने पर भी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तथा किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी उसके नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है।
- न्यायालय के इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ और हिंसा की भी कुछ घटनाएँ घटित हुईं। परिणामस्वरूप सरकार को उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था। अगस्त 2018 में **केंद्र सरकार ने, इस अधिनियम में संशोधन कर अग्रिम जमानत के प्रावधान पर पुनः प्रतिबंध आरोपित करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन कर दिया था।**
    - **प्रारंभिक जांच करने और अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं** को अप्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम में एक नई धारा 18A अंतःस्थापित की गई।
    - यह भी प्रावधान किया गया है कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में, **इस अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का ही अनुपालन किया जाएगा।**
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में **वर्ष 2018 में सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।**
    - अपने हालिया निर्णय के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2018 में दिए गए अपने दो दिशा-निर्देशों को उलटते हुए **इस कानून की पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया है।** उल्लेखनीय है कि मार्च 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दो दिशा-निर्देश दिए गए थे:
        - गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं; एवं
        - इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व उचित जांच।

निर्णय का औचित्य

- **दुरुपयोग की संभावना:** SCs/STs समुदाय के सदस्यों द्वारा एक वर्ग के रूप में इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने की संभावना कम ही है।
- **फर्जी रिपोर्ट में जाति को संबद्ध करना:** फर्जी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की जाति इसका कारण है। मानवीय अवगुण को इसका कारण माना जा सकता है न कि जाति को। इस प्रकार के कृत्यों के लिए जाति उत्तरदायी नहीं है।
    - रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ऐसे तर्क सही नहीं हैं और इससे उच्च जातियों को लाभ प्राप्त होगा, जिनकी शिकायतें बिना किसी जाँच के दर्ज की जा सकती हैं।
- **संरक्षणात्मक भेदभाव (Protective discrimination):** पूर्व के दिशा-निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत दमित (down-trodden) वर्गों के पक्ष में प्रदत्त संरक्षणात्मक भेदभाव की अवधारणा के विरुद्ध थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत अस्वीकार्य थे।

VISION IAS

- **पहले से ही शिकायतों का कम दर्ज होना:** SC और ST समुदायों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून सामाजिक वास्तविकताओं, उनके द्वारा वर्तमान में भी सामना किए जाने वाले भेदभावों और ऐसी परिस्थितियां जो उन्हें प्रथमत: शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित करती हैं आदि से व्युत्पन्न हुए हैं।
- **SC/ST के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के संबंध में किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, उनकी स्थिति सुभेद्य बनी हुई है। वे विभिन्न अपराधों, तिरस्कार, अपमान और उत्पीड़न का सामना करते हैं।
    - समस्या का मूल कारण यह है कि कठोर कानून होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के विरुद्ध अत्याचार निरंतर जारी हैं।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- वर्ष 1955 में, SC एवं ST समुदाय के लोगों के मौलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act)** को अधिनियमित किया गया था। इसके बावजूद भी उनके विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएँ जारी रहीं। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा वर्ष 1989 में एक सशक्त अत्याचार निवारण अधिनियम (PoA Act) अधिनियमित किया गया।
- इस अधिनियम के तहत SC/ST के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा **SC/ST समुदाय के लोगों के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचार संबंधी अपराधों को रोकने** के प्रावधान किए गए हैं।
- यह **अस्पृश्यता के अंत (अनुच्छेद 17)** और **समता के अधिकार (अनुच्छेद 14, 15)** को प्रोत्साहित करता है।
- यह ऐसे अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए **विशेष न्यायालयों की स्थापना** का प्रावधान करता है।
- यह केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु **नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।**
- इस अधिनियम के तहत SC और ST समुदाय के लोगों के आत्म-सम्मान को क्षति पहुँचाने; उन्हें आर्थिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित करने तथा भेदभाव, उत्पीड़न व विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग आदि से संबंधित अपराधों को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कृत्यों से संबंधित **22 अपराधों को सूचीबद्ध** किया गया है।
- इस अधिनियम को **संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है,** जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत जूतों की माला पहनाना आदि जैसे अन्य अत्याचारपूर्ण कृत्यों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त इस संशोधन के माध्यम से 'पीड़ितों और गवाहों' के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, लोक सेवकों द्वारा 'जानबूझकर की गई लापरवाही' को परिभाषित किया गया तथा संभावित अपराधों को समाविष्ट करने जैसे अन्य प्रावधान समाविष्ट किए गए।

1.2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019

(NCRB Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau: NCRB), द्वारा वर्ष 2017 के अपराध से संबंधित आंकड़े जारी किए गए।

मुख्य निष्कर्ष

- **पंजीकृत मामलों में वृद्धि:** पंजीकृत मामलों की संख्या में वर्ष 2016 की तुलना में 3.6% की वृद्धि हुई है।
- **राज्य के विरुद्ध अपराध:** "राज्य के विरुद्ध अपराध" के रूप में दर्ज मामलों में 30% की वृद्धि हुई है।
    - राज्य के विरुद्ध अपराध {भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 121, 121A, 122, 123 और 124A के तहत} तथा विभिन्न समूहों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने वाले अपराधों (IPC की धारा 153A एवं 153B के तहत) को 'राज्य के विरुद्ध अपराध' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:** महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या वर्ष 2017 में 3,886 प्रति मिलियन हो गई, जबकि वर्ष 2016 में यह संख्या 3,793 थी।
    - इस मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान (56,011 मामले) पर और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर रहा।

- **साइबर अपराध:** भारत में वर्ष 2017 में साइबर अपराध से संबंधित 21,796 मामले (वर्ष 2016 की तुलना में 77% की वृद्धि) दर्ज किए गए।
    - देश भर में, वर्ष 2017 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 1.7 साइबर अपराध दर्ज किए गए थे।
    - वर्ष 2017 की NCRB रिपोर्ट के अंतर्गत साइबर ब्लैकमेलिंग, साइबर स्टॉकिंग और भ्रामक समाचारों के प्रसार आदि जैसे नए अपराधों को सम्मिलित किया गया है।
- **बच्चों के विरुद्ध अपराध:** बच्चों के विरुद्ध अपराधों में वर्ष 2017 में लगभग 28% की वृद्धि हुई। इस मामले में, उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, जहां ऐसे मामले की संख्या में वर्ष 2016 की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध:** देश भर में, वर्ष 2017 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के 43,203 मामले (IPC और SC/ST Act संबंधी मामलों सहित) दर्ज किए गए, जो वर्ष 2016 की तुलना में लगभग 6% अधिक हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

जेल सांख्यिकी 2017 (भारत): NCRB द्वारा हाल ही में जारी

- **जेलों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी:** राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की कुल संख्या वर्ष 2015 के 1,401 से घटकर वर्ष 2017 में 1,361 हो गई, जो वर्ष 2015-2017 के दौरान 2.85% कमी को दर्शाता है।
- **जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या:** NCRB की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कुल 1,361 जेलों में वर्ष 2017 के अंत तक 4.50 लाख कैदी थे। ज्ञातव्य है कि यह संख्या सभी जेलों की कुल क्षमता की तुलना में लगभग 60,000 अधिक है।
    - सभी राज्यों की तुलना में कैदियों को समायोजित करने की उच्चतम क्षमता होने के बावजूद, **उत्तर प्रदेश** की जेलों में कैदियों की अधिकता की समस्या सर्वाधिक है।
- **जेलों में मृत्यु:** वर्ष 2015-17 के दौरान जेलों में होने वाली मृत्युओं की संख्या में 5.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **विचाराधीन कैदी:** वर्ष 2015-17 के दौरान विचाराधीन कैदियों की संख्या में 9.4% की वृद्धि हुई है।

NCRB के रिपोर्ट से संबद्ध मुद्दे

- **आंकड़ों की विश्वसनीयता:** NCRB की रिपोर्ट में प्रकाशित आकड़ों को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की पुलिस और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों / CAPFs / CPOs के आंकड़ों से प्राप्त किया गया है। NCRB द्वारा इन आंकड़ों को केवल संकलित और संगठित करके रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के प्रकाशन में 2 वर्ष का विलंब हुआ है।
- **मामलों की अपूर्ण रिपोर्टिंग (Underreporting of cases):** एक ही प्राथमिकी (FIR) में दर्ज किए गए कई अपराधों में से केवल जघन्य अपराधों (अधिकतम सजा) को ही इस रिपोर्ट के तहत दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए, बलात्कार के साथ-साथ हत्या जैसे मामले को केवल हत्या के मामले के रूप में ही दर्ज किया जाता है तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम को जब दहेज हत्या (IPC की धारा 304B) के साथ लागू किया जाता है तब इसे केवल दहेज हत्या के रूप में ही दर्ज किया जाता है।
- **सामाजिक-आर्थिक कारकों को दर्ज न किया जाना:** NCRB के आंकड़ों में सामाजिक-आर्थिक कारकों या अपराधों के कारणों को दर्ज नहीं किया जाता है।
- **अन्य आंकड़ों की अनुपस्थिति:** NCRB की इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की गयी हत्या), ऑनर किलिंग (खाप पंचायतों द्वारा निर्देशित हत्या), प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या और धार्मिक कारणों से की जाने वाली हत्याओं से संबंधित आंकड़ों को दर्ज नहीं किया गया है।
    - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मॉब लिंचिंग और पत्रकारों पर हमलों जैसे कुछ अपराधों से संबंधित NCRB द्वारा संग्रहित आंकड़े "अविश्वसनीय" हैं तथा उनकी "परिभाषा भी अस्पष्ट" है।

NCRB के बारे में

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत (repository) के रूप में की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से संबद्ध करने में खोजकर्ताओं को सहायता प्राप्त हो सके। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) तथा गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (1985) की अनुशंसा के आधार पर की गई थी।

VISION IAS

NCRB के उद्देश्य

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराधियों एवं अपराध से संबंधित सूचनाओं के लिए क्लीयरिंग हाउस (समाशोधन गृह) के रूप में कार्य करना, जिससे कि अन्वेषकों एवं अन्य लोगों को अपराध से जुड़े अपराधियों को लिंक करने में सहायता मिल सके।
- भारत में पुलिस थाना रिकॉर्ड का संदर्भ लिए बिना संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थाओं, न्यायालयों एवं वकीलों को अंतरराज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित सूचना का संचय, समन्वय एवं आदान-प्रदान करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपराध से संबद्ध आंकड़ों का संग्रह एवं संसाधन करना।
- विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड सहित दोष-सिद्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हेतु राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना।

निष्कर्ष

- किसी राजनीतिक प्रणाली में, इन आंकड़ों का महत्व निर्विवाद है। भारत में अपराध से संबंधित आँकड़ों के लिए प्रमुख संदर्भ दस्तावेज़ होने के कारण, ये आंकड़े साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही, यह भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों, अपराध विशेषज्ञों और आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित अधिकारियों को विचार-विमर्श करने का एक मंच भी प्रदान करेगा। हालांकि, आपराधिक न्याय से संबंधित मुद्दों के अधिक सटीक और प्रभावी समाधान प्राप्त करने हेतु, NCRB को इन रिपोर्टों की सटीकता, विश्वसनीयता एवं व्यापकता सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने चाहिए।

1.3. अप्रचलित कानूनों का निरसन

(Repeal of Obsolete Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा "अप्रासंगिक" हो चुके अनेक पुराने केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।

अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के कारण

- जब किसी **कानून की विषय-वस्तु अप्रचलित हो चुकी होती है** तथा उक्त विषय-वस्तु को प्रशासित करने की और अधिक आवश्यकता नहीं होती है।
- जब किसी **कानून का उद्देश्य पूर्ण हो चुका** होता है और वर्तमान में उसकी आवश्यकता नहीं है।
- जब एक ही **विषय-वस्तु के विनियमन** हेतु कोई नया कानून या विनियमन विद्यमान है।
- कई ऐसे कानून हैं जो एक **विशिष्ट समूह के लिए अपमानजनक** होते हैं।

कानूनों को निरस्त करने से संबंधित मुद्दे

- **अप्रचलित कानूनों की पहचान:** रामानुजम समिति के अनुसार, 15 अक्टूबर 2014 तक 2,781 केंद्रीय अधिनियम अस्तित्व में थे। इतनी व्यापक संख्या में कानूनों की विद्यमानता पहचान के कार्य को कठिन बना देती है। हालांकि, अनेक प्रयासों के बावजूद, कई अप्रचलित कानून अभी भी अस्तित्व में हैं।
- **समय की बर्बादी:** ऐसे मामले कदाचित ही प्रकट हुए हैं जब किसी कानून को पूर्ण रूप से निरस्त किया गया हो। इसलिए, किसी कानून को निरसित करने हेतु उसके प्रत्येक खंड की जांच करने की आवश्यकता होती है, परिणामत: इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय की हानि होती है।
- **नागरिकों को सूचित करना:** सामान्य नागरिक के लिए यह पता लगाना कठिन होगा कि किस विशिष्ट अधिनियम या प्रावधान को निरस्त किया गया है अथवा नहीं। प्रत्येक निरसन एवं संशोधन विधेयकों की जाँच करके यह देखना होगा कि क्या निरस्त किया गया है। इससे लोगों के शोषण की संभावना बढ़ जाती है।

भारत में कानूनों का निरसन

- भारत में, किसी कानून को केवल विधायिका द्वारा निरस्त या संशोधित किया जा सकता है, जो उस विषय (केंद्र या कोई राज्य) पर कानून पारित करने के लिए सक्षम है।
- हाल ही में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2019 में चार निरसन अधिनियमों के माध्यम से 1,175 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।
  - यह **विधि-आयोग** और **रामानुजम समिति** की अनुसंशाओं पर आधारित है।
  - रामानुजम समिति का गठन सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा केंद्र सरकार के उन कानूनों की पहचान करने हेतु किया गया था, जिन्हें निरस्त किया जा सके।

VISION IAS

उठाए जाने वाले कदम

- **कानूनों को आवधिक रूप से निरसित करना:** सरकार को एक तंत्र स्थापित करना चाहिए जहां केंद्र, राज्य विधान-मंडल और नगरपालिका स्तर पर विधिनिर्माताओं द्वारा अप्रचलित कानूनों एवं विनियमों को अद्यतित, संशोधित व निरसित किया जा सके।
- **भावी कानूनों के लिए सनसेट क्लॉज:** सरकार को अप्रचलित कानूनों की आवधिक जांच सुनिश्चित करने हेतु भावी कानूनों के लिए "सनसेट क्लॉज" को शामिल करना चाहिए।
- **न्यायिक सक्रियता:** न्यायालय को 'अप्रचलन (desuetude)' की प्रथा को अपनाना चाहिए, अर्थात् एक ऐसा मानदंड जिसके तहत दीर्घ समय तक प्रयुक्त या लागू न किए गए कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएं।

निष्कर्ष

अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के प्रयासों का कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" और अपने समाज के लिए "ईज ऑफ़ लिविंग" को प्रोत्साहित कर सके।

1.4. टू चाइल्ड पॉलिसी

(Two-Child Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

असम मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी 2021 के उपरांत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी न देने का निर्णय लिया गया है।

संबंधित तथ्य

हाल ही में, उच्च सदन में प्रस्तुत किए गए एक गैर-सरकारी विधेयक, "**जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2019"** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्तियों को सांसद, विधायक या स्थानीय स्वशासन निकायों के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने से "निरर्ह" माना जाना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के पश्चात् **असम**, सरकारी नौकरियों हेतु दो बच्चों से संबंधित मानदंड (two-child norm) निर्धारित करने वाला **चौथा** राज्य बन जाएगा।
    - हालांकि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने के उपरांत इसे राजनीतिक कारणों से निरस्त कर दिया गया है।
- कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु किसी न किसी रूप में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया है।

टू चाइल्ड पॉलिसी के पक्ष में तर्क

- **सशक्त कार्य समूह (EAG) राज्यों** अर्थात् ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ओडिशा को छोड़कर, इन राज्यों में वर्ष 2021-41 के दौरान भारत में होने वाली कुल जनसंख्या वृद्धि का लगभग दो-तिहाई हिस्सा निवास करेगी।
- टू चाइल्ड पॉलिसी उसी प्रकार प्रजनन दर को तीव्रता से नियंत्रित करने में सहायता करेगी, जिस प्रकार चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के माध्यम से इसे नियंत्रित किया गया था।
- टू चाइल्ड पॉलिसी के तहत **सामाजिक एवं आर्थिक लाभों** से वंचित करने संबंधी प्रावधान, भावी माता-पिता को बच्चों की संख्या को सीमित रखने हेतु बाध्य कर सकता है ताकि वे नियमित रूप से लाभ प्राप्त करते रहें।

टू चाइल्ड पॉलिसी की सीमाएं

एक उचित प्रतिक्रिया से पूर्व जनसंख्या वृद्धि की गतिकी को समझना महत्वपूर्ण है। उच्च जनसंख्या वृद्धि के लिए निम्नलिखित दो प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं:

- **बड़े परिवारों की इच्छा रखने वाले गृहस्थ,** विशेष रूप से उन परिवारों में जिनकी कुल प्रजनन दर (2.1) प्रतिस्थापन स्तर से अधिक है।
- **पॉपुलेशन मोमेंटम** (यह जनसांख्यिकीय संक्रमण का एक परिणाम होता है, जो यह व्याख्या करता है कि प्रजनन दर में गिरावट होने के बावजूद भी जनसंख्या क्यों बढ़ती रहेगी), अर्थात्, 15-49 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या इस आयु वर्ग से बाहर होने वाले लोगों की तुलना में अधिक है। यह उच्च प्रजनन क्षमता के पूर्ववर्ती स्तरों का आयु-संरचना प्रभाव है।

इसके अतिरिक्त, हालिया जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति भी भारत में **जनसंख्या की धीमी वृद्धि** को प्रदर्शित कर रही है। **इस प्रवृत्ति का एक प्रमुख कारक 1980 के दशक के मध्य से भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) में हो रही निरंतर गिरावट है।** TFR, **56 प्रतिशत** की गिरावट के साथ वर्ष 1971 के 5.2 से घटकर वर्ष 2016 में 2.3 हो गई।

- 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (देश की 55 प्रतिशत जनसंख्या) में पहले से ही TFR 2.1 या इससे कम है।
- राष्ट्रीय स्तर पर TFR में तेजी से गिरावट जारी रहेगी तथा यह वर्ष 2021 तक प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (1.8) से कम रहेगी। वर्ष 2021 तक, केवल बिहार एकमात्र राज्य होगा जिसकी TFR (2.5) प्रतिस्थापन स्तर से अधिक होगी।

इस प्रकार, भारत की भावी जनसंख्या वृद्धि काफी हद तक पॉपुलेशन मोमेंटम एवं बढ़ती जीवन प्रत्याशा से प्रेरित होगी। पॉपुलेशन मोमेंटम को और अधिक कम करने हेतु विवाह की आयु को बढ़ाने, पहले बच्चे के जन्म में विलंब एवं दो बच्चों के मध्य उचित अंतराल सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

इसलिए, प्रजनन दर को सीमित करने के लिए बच्चों की संख्या पर सीमा आरोपित करना, अधिक प्रासंगिक उपाय नहीं है। यहां तक कि कुछ सीमा तक टू चाइल्ड पॉलिसी का अनुसरण कर रहे असम (TFR-2.3), ओडिशा (2.0) एवं उत्तराखंड (1.9) जैसे राज्यों की TFR, प्रतिस्थापन दर के बराबर या कुछ अधिक बनी हुई है।

- प्रजनन क्षमता के अतिरिक्त, टू चाइल्ड पॉलिसी का अनुसरण करने के समक्ष अन्य सीमाएं भी विद्यमान हैं:
    - भारत वर्ष **1994 के जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Population and Development)** का एक भागीदार तथा इसके प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन का एक हस्ताक्षर-कर्ता देश है। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने वर्ष 1996 में अपने लक्ष्य-आधारित परिवार नियोजन दृष्टिकोण को रद्द कर दिया था।
    - **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000)**, परिवार नियोजन के मामलों में स्वैच्छिक एवं सूचित विकल्प के लिए सरकार के संकल्प को दोहराती है।
    - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित जनसंख्या नीतियों पर राष्ट्रीय सेमिनार (2003) के घोषणा-पत्र में भी टू चाइल्ड पॉलिसी को प्रतिगामी कदम के तौर पर वर्णित किया गया एवं इसे स्वैच्छिक सूचित विकल्प, मानवाधिकार तथा राईट टू चाइल्ड के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला माना गया है।

टू चाइल्ड पॉलिसी की नीति का प्रभाव

- वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया था कि “पुत्र प्राप्ति की इच्छा” (son meta preference) की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप भारत में 21 मिलियन "अनिच्छित बालिकाओं” (unwanted girls) का जन्म हुआ है। टू चाइल्ड पॉलिसी मानदंड को अपनाने से लिंग चयन की प्रथा को बढ़ावा मिलेगा तथा जबरन बंध्याकरण कराने हेतु महिलाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। इससे जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों की गति धीमी हो सकती है।
- पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओडिशा एवं राजस्थान) में दो बच्चों से संबंधित मानदंडों के परिणामों को ज्ञात करने हेतु वर्ष 2001 से 2004 के मध्य किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इससे परित्याग एवं द्विविवाह, बालिका शिशुओं की मृत्यु एवं उपेक्षा, प्रसव पूर्व लिंग चयन के मामलों एवं कन्या भ्रूण के गर्भपात को बढ़ावा, बच्चों को गोद देना आदि जैसे मामलों में वृद्धि हुई है।
- यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के माता-पिता द्वारा इस नीति से छूट की मांग की जा सकती है। भारत में इन “छूट के दावों” को सत्यापित करने के लिए एक संवेदनशील नौकरशाही की आवश्यकता होगी, अन्यथा शक्तिशाली लोगों के लिए धोखेबाजी या भ्रष्टाचार करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह स्थिति हाशिए पर स्थित लोगों के शोषण को भी बढ़ावा दे सकती है।
- **तीसरे बच्चे के साथ भेदभाव:** यदि किसी दंपत्ति के तीसरे बच्चे का जन्म होता है और सरकार उस परिवार को सभी सहायता एवं सब्सिडी देना बंद करने का प्रावधान करती है, तो यह उपाय संविधान में प्रदत्त शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 एवं 51A), जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) तथा साथ ही बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के विपरीत होगा। इससे नागरिकों के दो समूहों का निर्माण होगा तथा यह संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार का भी उल्लंघन करेगा।
- पांच राज्यों में किए गए एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंचायत के निर्वाचनों में निरर्ह प्रत्याशियों की अधिसंख्या हेतु दो बच्चों से संबंधित मापदंड ही उत्तरदायी थे। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित थे। यह नीति 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना का भी उल्लंघन करती है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हाशिए पर स्थित समुदायों के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

निष्कर्ष

वर्ष 1974 में बुखारेस्ट में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन में, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री ने कहा था कि **"विकास सबसे अच्छा गर्भनिरोधक है"** तथा साथ ही, जनसंख्या नियंत्रण हेतु अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया था। हमें इस विचार को लागू करने तथा सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष परिणाम एक स्थिर जनसंख्या के रूप में परिलक्षित होगा।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. द्वितीय भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

(Second India-China Informal Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भारत और चीन के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

पृष्ठभूमि

- विगत एक दशक से, निम्नलिखित **तीन महत्वपूर्ण कारक** संघर्ष और सहयोग के संदर्भ में भारत-चीन संबंधों को आकार प्रदान कर रहे हैं:
  - प्रथम, वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के पश्चात् **परिवर्तित होती विश्व व्यवस्था एवं एशिया का उदय।**
  - द्वितीय, अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई मामलों के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधन हेतु **पश्चिमी राष्ट्रों की घटती क्षमता एवं प्रवृत्ति** ने भारत और चीन को नई व्यवस्था के सृजन हेतु प्रेरित किया है।
    - अतः वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने तथा नए शासन संस्थानों और मानदंडों को विकसित करने हेतु दोनों राष्ट्रों के मध्य समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई है।
  - तृतीय, **परिवर्तित होता दक्षिण-एशिया:** इसे चीन की उपमहाद्वीप के देशों सहित अपने परिधीय देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने वाली वर्ष 2013 एवं 2014 की नीतिगत घोषणाओं तथा अप्रैल 2015 में घोषित महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव' परियोजना और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में समझा जा सकता है।
- वर्ष 2017 तक उपर्युक्त तीनों कारकों ने भारत-चीन संबंधों को जटिलता प्रदान करने में अपना योगदान दिया, जिसे दोनों राष्ट्रों के मध्य सीमा विवाद व डोकलाम गतिरोध, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारतीय प्रयास तथा दक्षिण एशिया व हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति के संदर्भ में समझा जा सकता है।
- मूलतः यह, अप्रैल 2018 में दोनों राष्ट्रों के मध्य **वुहान** में आयोजित प्रथम **"अनौपचारिक शिखर सम्मेलन"** की पृष्ठभूमि थी, जहां दोनों पक्षों ने पारस्परिक संबंधों को विकृत होने से रोकने और एक नई कार्यप्रणाली को तैयार करने हेतु प्रयास करने का निर्णय लिया।
- **वुहान 1.0** वस्तुतः कुछ मानदंडों को स्थापित करने का एक प्रयास था, जो दोनों देशों में नीति निर्माताओं और नौकरशाहों के लिए दिशा-निर्देशों के एक नए समुच्चय के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसे निम्नलिखित **पांच स्तंभों** पर तैयार किया गया है:
  - **"भारत और चीन का एक-साथ उदय",** जहाँ स्वतंत्र विदेशी नीतियों के साथ ये दो प्रमुख शक्तियां एक वास्तविकता हैं।
  - वैश्विक शक्ति में निरंतर परिवर्तन को देखते हुए दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों को पुनः महत्व देना, जो **"स्थिरता हेतु एक सकारात्मक कारक"** बन गया है।
  - दोनों पक्ष **"एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने के महत्व"** को स्वीकार करते हैं।
  - शांतिपूर्वक सीमा का प्रबंधन करने हेतु दोनों पक्ष **"अपनी संबंधित सेनाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन"** प्रदान करेंगे।
  - दोनों पक्ष **"सामान्य हित के सभी मामलों पर अधिकाधिक परामर्श"** के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें एक वास्तविक "विकासात्मक साझेदारी" का निर्माण करना शामिल है।

वुहान से मामल्लपुरम तक - अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की ओर हितों का अभिसरण

- **भारत के हित:** भारत के लिए चीन के साथ संलग्नता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत को अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी देश के समकक्ष लाता है और एक व्यवस्था के अंतर्गत उन मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है जहां परिणाम संबंधी कोई दबाव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, यह चीन के साथ राजनयिक संबंधों में नवीनतम विकास को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिए, अत्यधिक तनावपूर्ण डोकलाम संकट के पश्चात् पिछले वर्ष आयोजित **वुहान शिखर सम्मेलन** से दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव में कमी आई तथा इसने एक अति संघर्षपूर्ण घटना के पश्चात् चीन-भारत संबंधों के परिचालन को प्रबंधित किया।
  - **मामल्लपुरम शिखर सम्मेलन** वस्तुतः चीन-भारतीय वार्ता को कश्मीर और पाकिस्तान पर तत्कालीन मुद्दे से विमुख करने का एक प्रयास भी था।
  - नई दिल्ली, अब चीन की अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी समीक्षा करता है तथा बीजिंग से भी पारस्परिकता की अपेक्षा करता है। चीन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी होने के साथ-साथ इसकी विदेश नीति के सम्मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। भारत, चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकता है तथा यह दोनों राष्ट्रों के मध्य बढ़ते शक्ति अंतराल से भी भिज्ञ है।

VISION IAS

- **चीन का हित:** यह चीन की दूरदर्शिता ही है कि वह संबंधों में अप्रत्याशित गिरावट से बचने के लिए भारत के साथ संलग्नता के महत्व को बल प्रदान करता है। निम्नलिखित कारक इसकी व्याख्या करते हैं:
    - **घरेलू स्तर पर**, चीन, हांगकांग में विरोध-प्रदर्शन, शिनजियांग के उइगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अशांति और दलाई लामा के पश्चात् तिब्बत में अशांति की संभावनाओं का सामना कर रहा है।
    - अमेरिका और चीन के मध्य **वर्तमान व्यापार युद्ध** चीन की विदेश नीति में संघर्षरत संबंधों को सीमित करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालेगा और संभवतः डालता है।
    - **अतः चीन को ऐसे भागीदारों की आवश्यकता है** जो इन चुनौतियों में से कुछ को दूर करने में सहायता कर सकें। इसके प्रमुख परंपरागत सहयोगी, रूस ने अत्यधिक सहायता नहीं की है क्योंकि वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्णतः एकीकृत नहीं है, साथ ही, रूस पश्चिमी राष्ट्रों के साथ चीन की भांति अलगाव का सामना भी कर रहा है।
    - **ठीक इसी समय, भारत, पश्चिमी राष्ट्रों के साथ साझेदारी में वैश्विक आर्थिक संरचना** को आकार प्रदान करने हेतु सुदृढ़ता और विश्वनीयता दोनों के साथ उभरती हुई आर्थिक शक्ति बना हुआ है। भारत ने प्रमुख शक्तियों के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने की क्षमता प्रदर्शित की है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों से संबंधित खतरों के बावजूद रूस के साथ S-400 समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने संबंधी निर्णय को, आगे बढ़ने के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।

मामल्लपुरम सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- **व्यापार:** इस सम्मेलन के दौरान, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग द्वारा व्यापार संबंधों में सुधार हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। दोनों देशों ने उन्नत व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों की प्राप्ति तथा दोनों के मध्य व्यापार को बेहतर ढंग से संतुलित करने के उद्देश्य से एक उच्च-स्तरीय आर्थिक एवं व्यापार वार्ता तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य भारत और चीन के मध्य एक 'विनिर्माण साझेदारी' का निर्माण करना है।
    - **महत्व:** दोनों देशों के मध्य वर्ष 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 95.54 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, परन्तु चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53 बिलियन डॉलर था। भारत के संदर्भ में यह घाटा किसी भी देश के सापेक्ष सर्वाधिक है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में इसके वर्तमान प्रारूप के तहत शामिल न होने के भारत के निर्णय के बावजूद व्यापार असंतुलन को कम करने का आश्वासन भी महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर कार्य करना:** दोनों नेताओं ने यह सहमति व्यक्त की कि एक नियम-आधारित और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षित, वित्तपोषित और समर्थन प्रदान करने वालों के विरुद्ध फ्रेमवर्क को विश्व भर में सुदृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
    - **महत्व:** भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा संयुक्त राष्ट्र में अनेक साझे हित हैं।
- **पीपल टू पीपल संपर्क:** दोनों राष्ट्रों के मध्य राजनयिक संबंधों के 70वें वर्ष का समारोह मनाने के लिए, वर्ष 2020 को इंडिया-चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपुल एक्सचेंज के वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। राष्ट्रों के मध्य सभ्यता संबंधों को मनाने के लिए, तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के मध्य एक 'सिस्टर-स्टेट रिलेशनशिप' स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
    - **महत्व:** दोनों देशों के पर्यटन और लोगों के मध्य संपर्क पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, अपितु इससे उनके मध्य विश्वास बनाए रखने में भी सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार के विश्वास-निर्माण के उपायों को स्थापित करने से रूढ़ियों की समाप्ति द्वारा लोगों को एकीकृत करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **चेन्नई कनेक्ट:** दोनों नेताओं ने इस प्रकार से मतभेदों को प्रबंधित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे **"किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को विवादित नहीं बनने देंगे"।**
    - **महत्व:** 'चेन्नई कनेक्ट' भविष्य की चर्चाओं हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों नेता "एक मैत्रीपूर्ण परिवेश में विचारों का गहनता से आदान-प्रदान" करने में संलग्न थे। इसने भारत व चीन के संदर्भ में इस प्रकार की 'अनौपचारिक बैठक' की अवधारणा की उपयोगिता को पुनः सुदृढ़ किया।
- **जम्मू और कश्मीर:** अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जा की समाप्ति से चीन-भारत संबंध पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और इसने एक हद तक वुहान शिखर सम्मेलन की भावना को विकृत किया है। हालांकि, **जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई।**
    - **महत्व:** यह दर्शाता है कि भारत अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ था और किसी अन्य राष्ट्र को भारत के आंतरिक मामलों के बारे में वार्ता करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। वार्ता में कश्मीर मुद्दे की अनुपस्थिति से यह भी ज्ञात होता है कि दोनों राष्ट्र कम से कम नेतृत्व स्तर पर आगे बढ़ने हेतु तैयार हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

- संक्षेप में, वुहान और मामल्लपुरम शिखर सम्मेलनों में स्वीकार किया गया कि भारत एवं चीन एक-दूसरे के 'विरोधी' नहीं हैं, अपितु एक बहुध्रुवीय विश्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। प्रमुख तथ्य यह है कि चीन, भारत की क्षमता की अवहेलना नहीं कर सकता है और शीत युद्ध के पश्चात् के दौर में 'सैन्य' संघर्षों को रोकने के लिए 'नियंत्रण एवं संतुलन' को अब एक वैध साधन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- हालाँकि, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की स्पष्ट सीमाएँ हैं, जैसा कि वुहान के पश्चात् से भारत को ज्ञात हुआ है। मामल्लपुरम में प्रदर्शित सभी चर्चाओं और प्रतीकात्मकता के बावजूद, महत्वपूर्ण परिणाम अस्पष्ट बने हुए हैं। यह दोनों राष्ट्रों की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त अलग-अलग विचारों में अभिव्यक्त होता है तथा साथ ही, सीमा विवाद और चीन-पाकिस्तान गठबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु अन्य राजनयिक मार्गों का भी एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए।

2.2. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई, जिसके दौरान सात प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम

- संयुक्त वक्तव्य के तहत सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी में वृद्धि, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग आदि जैसे विभिन्न अधिमानित सहयोगात्मक क्षेत्रों को रेखांकित किया गया।
- इस यात्रा के दौरान **सात प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप प्रदान किया गया,** जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - एक तटीय निगरानी प्रणाली उपलब्ध करवाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU);
  - भारत को वस्तुओं के निर्यात और भारत से वस्तुओं के आयात हेतु चट्टोग्राम व मोंगला बंदरगाहों के प्रयोग पर मानक परिचालन प्रक्रिया;
  - त्रिपुरा के 'सबरूम' कस्बे हेतु पेयजल आपूर्ति योजना के लिए भारत द्वारा फेनी नदी से जल की प्राप्ति पर एक समझौता ज्ञापन;
  - भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए प्रस्तावित लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट (LoCs) के क्रियान्वयन से संबंधित समझौता;
  - हैदराबाद विश्विद्यालय और ढाका विश्विद्यालय के मध्य MoU;
  - सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का नवीनीकरण; तथा
  - युवाओं से संबंधित मामलों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्व

भू-राजनीतिक महत्व-

- **पूर्वोत्तर की सुरक्षा:** बांग्लादेश, एक मित्र राष्ट्र के रूप में यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी भूमि का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाए। बांग्लादेश की कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों, यथा- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी:** उत्तर-पूर्वी राज्य स्थलरूद्ध क्षेत्र हैं तथा इस क्षेत्र से समुद्र तक पहुँचने हेतु बांग्लादेश के माध्यम से एक लघु मार्ग उपलब्ध हो सकता है। बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौता सामाजिक-आर्थिक विकास और पूर्वोत्तर भारत के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा।
- **दक्षिण-पूर्वी एशिया हेतु एक सेतु:** बांग्लादेश, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक स्वभाविक स्तंभ है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों के लिए एक 'सेतु' के रूप में कार्य कर सकता है। बांग्लादेश; BIMSTEC (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) और BBIN-MVA (बाग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल-मोटर व्हीकल एग्रीमेंट) जैसी पहलों का महत्वपूर्ण घटक है।
- **दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ता:** बांग्लादेश आर्थिक संवृद्धि और रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) के सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा:** बांग्लादेश सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट अवस्थित है। यह हिंद महासागर में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष और चरमपंथवाद का विरोध:** एक स्थिर, उदार और सहिष्णु बांग्लादेश, उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि को रोकने और साथ ही, चरमपंथवाद विरोधी प्रयासों, खुफिया जानकारी साझा करने तथा अन्य आतंकवाद-विरोधी प्रयत्नों में भारत की सहायता कर सकता है।
- **चीन का प्रति-संतुलन:** एक तटस्थ बांग्लादेश इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक प्रसार को नियंत्रित करेगा तथा चीन की स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स की नीति का विरोध करने में भारत की सहायता भी करेगा।

आर्थिक महत्व

- **व्यापार संबंध:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - भारत और बांग्लादेश के मध्य एक व्यापार सुविधाजनक समझौता हस्ताक्षरित है। इसके अतिरिक्त ये दोनों देश एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (Asia Pacific Trade Agreement: APTA), सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते (SAARC Preferential Trade Agreement: SAPTA) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area: SAFTA) पर समझौते के सदस्य भी हैं। ज्ञातव्य है कि ये समझौते व्यापार हेतु प्रशुल्क व्यवस्था को प्रबंधित करते हैं।
  - दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को लाभान्वित करने हेतु त्रिपुरा और मेघालय (प्रत्येक में दो-दो) में चार बॉर्डर हाट (सीमा पर स्थित बाजार) स्थापित किए गए हैं।
  - सीमा शुल्क और आव्रजन दस्तावेजों में कमी, 49 थल सीमा शुल्क स्टेशनों की स्थापना, एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण आदि सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं।
- **निवेश के अवसर:**
  - भारत से बांग्लादेश तक संचयी **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** वर्ष 2014 के 243.91 मिलियन डॉलर से दोगुना होकर दिसंबर 2018 में 570.11 मिलियन डॉलर हो गया।
  - भारतीय कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में दूरसंचार, औषध उद्योग, अधिक खपत वाली उपभोक्ता वस्तुओं और ऑटोमोबाइल आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया गया है।
- **कनेक्टिविटी:** भारत, अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल (Protocol on Inland Water Transit and Trade: PIWTT) के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय और अंत:क्षेत्रीय बॉर्डर कनेक्टिविटी हेतु जलमार्गों की क्षमता का दोहन करने के लिए बांग्लादेश की सहायता कर रहा है।
- **ऊर्जा:** रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, भारत एवं रूस के सहयोग से बांग्लादेश में स्थापित की जाने वाली एक परियोजना है। इसके तहत, भारत बांग्लादेश में कार्मिक प्रशिक्षण एवं परामर्श सहायता प्रदान करेगा तथा स्थल पर निर्माण और स्थापना संबंधी गतिविधियों में भाग लेगा व नॉन-क्रिटिकल सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
  - वर्तमान में भारत, बांग्लादेश को दैनिक आधार पर 660 मेगावाट विद्युत का निर्यात करता है।
- **रक्षा:** रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क समझौते के माध्यम से, भारत सामरिक और परिचालन अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी कर रहा है।
- **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी:** आपदा प्रबंधन, टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन, अंतर-सरकारी नेटवर्क आदि क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई उपग्रह {सार्क (SAARC) सैटेलाइट} प्रक्षेपित किया गया है।
  - भारत ने बांग्लादेश के साथ शिक्षा की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का भी विस्तार किया है।
- **विकास में सहयोग:** वर्तमान में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। भारत ने विगत 8 वर्षों में बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स (LOCs) प्रदान किए हैं।

सांस्कृतिक संबंध

- भारत और बांग्लादेश का एक साझा इतिहास एवं साझी विरासत है। लोगों के मध्य परस्पर व्यापक सम्पर्क विशेषतया सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और व्यापारिक संबंधों जैसे अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होंगे। इससे दोनों देशों के मध्य शत्रुता उत्पन्न करने वाले कारकों को नियंत्रित करने तथा विशेष रूप से विश्वास के अभाव (बांग्लादेश की यह मनोवृत्ति कि वह एक छोटा राष्ट्र है) का उन्मूलन करने में सहायता प्राप्त होगी।
- हाल ही में संपन्न बैठक में एक **संयुक्त घोषणा-पत्र** के तहत **महात्मा गांधी की जयंती (2019), बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (2020) की जन्म शताब्दी** और **बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के 50 वर्ष (2021) पूर्ण होने** का उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया गया।

VISION IAS

संबंधों में विद्यमान चुनौतियां

- **नदी विवाद:** भारत बांग्लादेश के साथ 54 सीमा-पार नदियों को साझा करता है। कुछ प्रमुख विवादों में अग्रलिखित शामिल हैं- तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा, बराक नदी पर प्रस्तावित तिपाईमुख जल-विद्युत परियोजना, गंगा नदी विवाद आदि।
- **अवैध अप्रवासी:** राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) में असम में रहने वाले 1.9 मिलियन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें वर्ष 1971 के पश्चात् असम में बसने वाले "बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। बांग्लादेश अपने मत पर कायम है कि 1971 के युद्ध के दौरान किसी भी प्रवासी द्वारा अवैध रूप से असम में प्रवास नहीं किया था और विवादास्पद NRC परस्पर संबंधों को कमजोर कर रहा है।
- **रोहिंग्या संकट:** बांग्लादेश में लगभग 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं। भारत ने रोहिंग्या संकट के समाधान हेतु **'ऑपरेशन इन्सानियत'** के तहत बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान की है, परन्तु बांग्लादेश द्वारा भारत से यह अपेक्षा की गई है वह एक मिलियन से अधिक रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन के लिए म्यांमार पर दबाव बनाए।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत-बांग्लादेश सीमा छिद्रिल प्रकृति की है, जो हथियारों, मादक द्रव्यों और लोगों एवं मवेशियों की तस्करी व दुर्व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करती है।
- **परियोजना क्रियान्वयन में विलंब:** वर्ष 2017 तक, भारत ने बांग्लादेश को लगभग 7.4 बिलियन डॉलर के तीन लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट्स प्रदान किए थे। हालाँकि, अभी तक कुल प्रतिबद्धताओं का 10% से भी कम का वितरण किया गया है।
  - साथ ही, BBIN-MVA पहल के कार्यान्वयन में भी विलंब हो रहा है।
- **चाइना फैक्टर:** चीन द्वारा बांग्लादेश को भारत के विकल्प के रूप में दक्षिण एशिया में पैठ बनाने हेतु एक रणनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में देखा जा रहा है।
  - चीन द्वारा बांग्लादेश में 25 ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा रहा है, साथ ही, इसके द्वारा बांग्लादेश के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चीनी सरकार द्वारा बांग्लादेश के प्रथम संचार उपग्रह बंगबंधु-1 के वित्त-पोषण में सहायता प्रदान की गई है।
  - बांग्लादेश जैसे लघु देश चाइना कार्ड का उपयोग, भारत के विरुद्ध अपनी सौदेबाजी क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं।
- **बढ़ता चरमपंथ:** बांग्लादेश में हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (HUJI), जमात-ए-इस्लामी और HUJI-B जैसे समूहों की उपस्थिति भारत विरोधी भावनाओं को प्रेरित करती है। इनका प्रचार सीमा पार तक प्रसारित हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत-बांग्लादेश संबंध विगत दशक में सहयोग के कई क्षेत्रों में विकास के साथ परिपक्व हुए हैं। हालांकि, जितनी शीघ्रता से मौजूदा चुनौतियां को हल कर लिया जाएगा, यह दोनों देशों के लिए उतना ही बेहतर होगा। **74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा** के पार्श्व में, भारत ने बांग्लादेश को NRC और जल-साझाकरण के मुद्दों के विषय में चिंतित न होने का आश्वासन दिया है। ज्ञातव्य है कि भू-अर्थशास्त्र (जियो-इकोनॉमिक्स) के स्थानांतरण के बावजूद भी बांग्लादेश के साथ सुदृढ़ संबंध आवश्यक हो गए हैं। बांग्लादेश अपनी बढ़ती आर्थिक सफलता और अपनी 8 प्रतिशत की संवृद्धि दर के साथ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करता है। भारत-बांग्लादेश संबंधों को **सहयोग, समन्वय** और **समेकन** के आधार पर आगामी स्तर तक ले जाने की सम्भावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के मध्य संबंधों की वर्तमान अवधि को **'सोनाली अध्याय'** (स्वर्णिम अध्याय) की संज्ञा प्रदान की है।

2.3. नेपाल और चीन द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर

(Nepal China Ink Road Connectivity Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन और नेपाल ने काठमांडू व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के मध्य सभी मौसमों में संचालन योग्य सड़क कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये अवसंरचना-निर्माण समझौते, दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के पश्चात् हस्ताक्षरित 20 दस्तावेजों के ही भाग थे।
  - वर्तमान सड़क नेटवर्क असुरक्षित है। इनका उचित रखरखाव भी नहीं हो पाता है तथा ये भूस्खलन के प्रति प्रवण भी हैं।
- दोनों देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन पर सहमति व्यक्त की है। इन्हें अब वर्ष 2018 में घोषित **ट्रांस-हिमालयन मल्टीडायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क** के तहत विकसित किया जाएगा।

चीन के साथ नेपाल की बढ़ती निकटता के कारण

- **भारत पर निर्भरता:** अपनी भौगोलिक बाधाओं के कारण, नेपाल ने स्वयं को भारत पर बहुत अधिक निर्भर पाया है, जिसके कारण इसे निर्यात वृद्धि हेतु कभी भी तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
  - बाजारों में कम कीमत वाले भारतीय उत्पादों की अत्यधिक उपलब्धता के कारण स्थानीय उत्पाद उनके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते हैं, परिणामतः स्थानीय उद्यम विकसित होने में विफल रहे हैं।
- भारत द्वारा गैर-प्रशुल्क बाधाओं के अधिरोपण और मानक अवसंरचना के अभाव ने भारत के प्रति नेपाल के असंतोष में वृद्धि की है।
- **भारत के बारे में नकारात्मक धारणा:** यह धारणा निम्नलिखित घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई है -
  - संधि-आधारित असमान व्यवहार, भारत के प्रति नेपाल की नकारात्मक धारणा का एक कारण रहा है तथा साथ ही, दोनों के मध्य खुली सीमा का होना सदैव विवाद का महत्वपूर्ण विषय रहा है।
  - नेपाल में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भारत की ओर से होने वाला विलंब, चीन द्वारा सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए, महाकाली समझौते का कार्यान्वयन दो दशक से अधिक समय के पश्चात् अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है।
  - सीमा-अतिक्रमण संबंधी शिकायतों, जलप्लावन (inundation) संबंधी शिकायतों आदि के प्रति अनुक्रिया करने की भारत की अनिच्छा।
- **चीन से संभावित लाभ:** नेपाल को चीन की आवश्यकता, चीन-नेपाल संबंध में किसी भी संभावित चुनौतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
  - बुद्ध की जन्मस्थली, लुम्बिनी और प्रसिद्ध पोखरा घाटी में चीनी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नेपाल, चीन के रेलवे को एक अवसर के तौर पर देखता है।
  - रेलवे संपर्क, नेपाल की समग्र आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है।
- **वैचारिक आधार:** नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा चीन का पक्ष लेने के साथ-साथ निरंतर भारत का विरोध किया गया है। वर्तमान में नेपाली कांग्रेस द्वारा भी चीन का समर्थन किया जा रहा है।

भारत के पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव

- **पाकिस्तान:** चीन, CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) पर कार्य कर रहा है, जो पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र से भी होकर गुजरता है। साथ ही, ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन की उपस्थिति विद्यमान है।
- **बांग्लादेश:** चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सदस्य के रूप में, बांग्लादेश में हाल के दिनों में चीनी निवेश के प्रवाह में वृद्धि हुई है। हथियारों के आयात के लिए चीन, बांग्लादेश का शीर्ष स्रोत बना हुआ है। साथ ही, चटगांव बंदरगाह पर भी चीन की उपस्थिति विद्यमान है।
- **श्रीलंका:** हाल ही में, चीन ने श्रीलंकाई नौसेना को एक युद्धपोत सौंपा है। साथ ही, इसने चीन निर्मित घुसपैठ रोधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किए हैं। हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति है।
- **मालदीव:** मालदीव के कुल ऋण में चीन का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है। मालदीव ने भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही, चीन को कई प्रमुख द्वीपों को पट्टे पर देने हेतु मालदीव ने अपने कानूनों में परिवर्तन किया है और बीजिंग को मकुनुधू (Makunudhoo) में एक पर्यवेक्षण वेधशाला बनाने की अनुमति प्रदान की है, जो भारत की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है।
- **म्यांमार:** दोनों देशों के मध्य एक व्यापक सामरिक समन्वय साझेदारी है। कोकोस द्वीप पर चीन की उपस्थिति है।

भारत के लिए संभावित निहितार्थ

- **बफर स्टेट का क्षरण:** अतीत में नेपाल ने भारत-चीन टकराव की स्थिति में भारत का पक्ष लेने के संबंध में अनिच्छा व्यक्त की है। ऐसे में यह अनिश्चित है कि भविष्य में भारत-चीन युद्ध की स्थिति में, नेपाल 1950 की संधि (साथ ही उत्तरवर्ती संधियों) की मूल भावना के अनुरूप भारत का पक्ष लेगा या नहीं।
- **भूटान सहित अन्य पड़ोसियों पर प्रभाव:** भूटान भी भारत और चीन के संदर्भ में समान परिस्थितियों का सामना कर रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से नेपाल के जुड़ने से भारत और अन्य राष्ट्रों के लिए इससे अप्रभावित रहना अत्यधिक कठिन प्रतीत हो रहा है।
- **क्षेत्रीय समूहों पर प्रभाव:** चीन-नेपाल संबंधों में वृद्धि BIMSTEC (बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) जैसे क्षेत्रीय समूहों (जिसमें नेपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है) के प्रयासों की सफलता को बाधित कर सकता है।

आगे की राह

- नेपाल, भारत पर अपनी निर्भरता को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। नेपाल के लिए भारत की महत्ता अनेक अर्थों में बनी हुई है और भविष्य में भी बनी रहेगी। हालाँकि, चीन के साथ नेपाल की संलग्नता को न्यूनतम रखने की भारत की रणनीति अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

VISION IAS

- भारत द्वारा नेपाल के साथ नई आर्थिक, विकासात्मक और अवसंरचना संबंधी पहलें आरंभ की जानी चाहिए जो न केवल नेपाल के नागरिकों को भौतिक लाभ प्रदान करेगी, अपितु नेपाल की चीन के साथ संलग्नता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सुभेद्यताओं को भी संबोधित करेगी।

2.4. भारत-सऊदी अरब

(India Saudi Arabia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब की यात्रा की गयी। भारतीय प्रधानमंत्री ने 29 से 31 अक्टूबर तक रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) में भाग लिया।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- एक **रणनीतिक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council: SPC)** की स्थापना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि भारत सऊदी अरब के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। SPC में निम्नलिखित दो समानांतर प्रभाग होंगे:
  - **राजनीतिक, सुरक्षा, संस्कृति और समाज;** जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की जाएगी; तथा
  - **अर्थव्यवस्था और निवेश;** जिसकी अध्यक्षता भारत के वाणिज्य मंत्री एवं सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- दोनों देशों द्वारा स्वापक पदार्थों की तस्करी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, सुरक्षा सहयोग आदि जैसे मुद्दों से संबंधित **12 समझौता ज्ञापनों (MoUs)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **संयुक्त वक्तव्य** के माध्यम से दोनों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सभी रूपों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसे जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत के निर्णय को **सऊदी अरब के मौन समर्थन** के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) क्या है?

- यह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा **सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने** और पेट्रोलियम उत्पादों पर इसकी निर्भरता को कम करने हेतु प्रारम्भ की गई एक पहल है।
- FII वस्तुतः वैश्विक समृद्धि और विकास के संचालन में निवेश की भूमिका पर चर्चा करने हेतु **नीति निर्माताओं, निवेशकों और वैश्विक विशेषज्ञों** को एकजुट करता है।
- इस वर्ष, भारतीय प्रधानमंत्री ने FII में **"व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया?" (भारत के लिए आगे क्या है?)** विषय को संबोधित किया।
- FII को व्यापक रूप से **"दावोस इन द डेजर्ट"** (रेगिस्तान में दावोस) के रूप में वर्णित किया जा रहा है। यह अनौपचारिक संज्ञा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से व्युत्पन्न हुई है, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न होता है तथा जहाँ विश्व के गणमान्य व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के निपटान हेतु विभिन्न एजेंडे पर चर्चा करते हैं एवं उन्हें आकार प्रदान करते हैं।

सऊदी अरब का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - सऊदी अरब, भारत हेतु कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (कुल आयात का लगभग 18% सऊदी अरब से) देश है। भारत अपनी LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) आवश्यकताओं के लगभग 32% का आयात भी सऊदी अरब से ही करता है।
  - हाल ही में, सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी **अरामको (ARAMCO) {संयुक्त अरब अमीरात के ADNOC (अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी) के साथ साझेदारी में}** ने **महाराष्ट्र की रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रो-रसायन परियोजना** में साझेदार होने का निर्णय लिया है। इस संयुक्त परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - इसका तात्पर्य भारत में तेल और गैस परियोजनाओं के अनुप्रवाह (तेल और गैस एवं इसके उत्पादों का परिष्करण, वितरण व विपणन) में निवेश के साथ **एक विशुद्ध तेल क्रेता-विक्रेता संबंध** से एक **घनिष्ट रणनीतिक साझेदारी का विकसित** होना है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप **ईरान से तेल खरीदने में भारत की असमर्थता** को देखते हुए, यह ऊर्जा संबंध महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश**
  - वर्ष 2018-19 में दोनों देशों के मध्य कुल **द्विपक्षीय व्यापार लगभग 34 बिलियन डॉलर का रहा।** भारत सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब से होने वाले निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार है।
  - दोनों देशों ने वर्ष 2006 में द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन समझौते तथा **दोहरा कराधान परिहार समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए थे।

- सऊदी अरब ने **भारत** में पेट्रोरसायन, अवसंरचना और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रकों में **लगभग 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने** की इच्छा व्यक्त की है।
- भारत **वर्ष 2024 तक तेल और गैस अवसंरचना में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने** की योजना बना रहा है तथा भारत इस योजना में सऊदी अरब से निवेश की अपेक्षा कर रहा है।
- सऊदी अरब ने भारत को **'विज़न 2030'** के तहत अपने 8 रणनीतिक साझेदार देशों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। सऊदी अरब का विज़न 2030 तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने और देश की अर्थव्यवस्था को विविधिकृत करने की एक योजना है।

- **सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध**
  - पश्चिम एशिया में कार्यरत 11 मिलियन भारतीयों में से, 2.6 मिलियन भारतीय सऊदी अरब में कार्यरत हैं।
  - भारत, सऊदी अरब से विदेशी प्रेषण (वार्षिक रूप से 11 बिलियन डॉलर तक) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है।
  - भारत और सऊदी अरब ने सऊदी अरब में **रुपे (RuPay) कार्ड** का शुभारंभ करने हेतु इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे खाड़ी देशों में रहने वाले 2.6 मिलियन भारतीय और हज एवं उमरा तीर्थयात्री भी लाभान्वित होंगे।
  - भारत में **विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी** (इंडोनेशिया और पाकिस्तान के पश्चात्) निवास करती है। इस्लाम धर्म से संबंधित दो प्रमुख पवित्र स्थलों (मक्का और मदीना) का संरक्षक होने के कारण सऊदी अरब, भारत के रणनीतिक आकलनों में महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - वर्ष 2019 में **हज कोटा** में 24,975 की वृद्धि की गई, जिससे वर्ष 2019 में 2,00,000 भारतीय हज तीर्थयात्रा करने में सक्षम हुए।
- **सामरिक और सुरक्षा सहयोग**
  - जहाँ **दिल्ली घोषणा-पत्र (2006)** द्वारा आतंकवाद-विरोधी कार्यवाहियों पर सहयोग की आधारशीला रखी गयी, वहीं **रियाद घोषणा-पत्र (2010)** के माध्यम से साझेदारी को सामरिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया तथा अंतरिक्ष एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु संबंधों को विविधता प्रदान की गई।
  - प्रमुख निवेशकों में से एक होने के कारण, सऊदी अरब **पाकिस्तान** को अपनी भारत विरोधी विदेश नीति को त्यागने हेतु बाध्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, पुलवामा में आत्मघाती हमले के पश्चात्, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - दोनों देश द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के ढांचे के माध्यम से आतंकवाद से निपटने और खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण तथा सीमापारीय अपराधों से निपटने में सहयोग को सुदृढ़ कर रहे हैं। रियाद ने भी कई संदिग्ध आतंकियों को भारत में प्रत्यर्पित किया है।
  - हालिया यात्रा में, दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र एवं खाड़ी क्षेत्र में जलमार्गों पर संकट और खतरों (जिससे दोनों देशों के हित प्रभावित हो सकते हैं) से सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु द्विपक्षीय संलग्नता के महत्व पर सहमत हुए हैं।
  - भारत और सऊदी अरब अगले वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में अपने **प्रथम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** का आयोजन करेंगे।
- **वैश्विक सहयोग**
  - भारत और सऊदी अरब असमानता को कम करने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G-20 के अंतर्गत मिलकर कार्य कर रहे हैं।
  - दोनों देश यूनाइटेड नेशंस काउन्टर टेररिज्म सेंटर में सहयोग करते हैं।

भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां

- **सऊदी-पाकिस्तान संबंध:** पाकिस्तान सऊदी अरब का "ऐतिहासिक सहयोगी" रहा है। सऊदी अरब को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से व्यापक सैन्य एवं राजनीतिक समर्थन प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान को उसकी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय उत्प्रेरण प्राप्त होता है। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के मध्य यह संबंध धार्मिक संदर्भ के कारण भी प्रोत्साहित होता है।
- **आतंकवाद का वैचारिक समर्थन:** सऊदी अरब पर विश्व भर में वहाबी इस्लामी समूहों को धन उपलब्ध करवाने का आरोप लगाया जाता है, जिससे अंततः भारत के विरुद्ध कार्य करने वाले आतंकवादी समूहों को भी वित्तीय साधन प्राप्त हो जाते हैं।
- **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता:** दोनों राष्ट्रों के मध्य सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता पश्चिम एशिया को अस्थिर तथा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को प्रभावित कर रही है। ईरान में अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत को दोनों देशों के मध्य संबंधों में अतिसंतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की आक्रामक विदेश नीति:** यह क्षेत्रीय स्थिरता को अत्यधिक क्षति पहुंचा रही है, जबकि इस क्षेत्र में स्थिरता भारत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
  - **सीरिया** में, विद्रोहियों के लिए सऊदी समर्थन ने शासन को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे इस्लामिक स्टेट के उदय को बल मिला।
  - **यमन** में, युद्ध ने चरमपंथ के विकास हेतु परिस्थितियों का सृजन करते हुए अराजकता और मानवता के विध्वंस का प्रसार किया है।

VISION IAS

- **द्विपक्षीय मुद्दे:** सऊदी अरब में भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए कार्य करने की निकृष्ट परिस्थितियाँ एक प्रमुख द्विपक्षीय चिंता का विषय रही हैं। प्रतिबंधात्मक वीजा और पारिश्रमिक नीतियां, कठोर श्रम कानून, मानवाधिकारों का अभाव तथा न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों के शोषण के अनेक मामले सामने आए हैं।
    - वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, सऊदी अरब ने विभिन्न श्रम सुधारों की घोषणा की थी, जैसे- घरेलू श्रमिकों के लिए एक एकीकृत मानक अनुबंध, दुर्व्यवहार के विरुद्ध महिला घरेलू श्रमिकों की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, श्रम वर्गीकरण के लिए नया प्रारूप आदि।

भारत की पश्चिम एशिया नीति

- शीत युद्ध के पश्चात्, भारत ने इस क्षेत्र में प्रभुत्व के तीन केंद्रों, यथा- सऊदी अरब, इज़राइल और ईरान के लिए अपने दृष्टिकोण को सफल रीति से वृहद पैमाने पर संतुलित किया है, ताकि उनमें से कोई भी एक-दूसरे के साथ संबंधों के संचालन में भारत की आलोचना न कर सके।
- इस हेतु उत्तरदायी कारण वर्ष 2005 में अपनाई गयी भारत की **लुक वेस्ट पॉलिसी** रही है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
    - **धर्मनिरपेक्ष और गुटनिरपेक्ष नीति:** क्षेत्र के प्रति भारत की नीति को इस क्षेत्र के धार्मिक (मुस्लिम और यहूदी) तथा सांप्रदायिक (शिया-सुन्नी) संघर्षों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा आकार प्रदान किया जाएगा।
    - **विभिन्न स्तरों पर कूटनीति:** सरकार से सरकार (गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट: G2G) के संबंधों को रेखांकित करने वाली कूटनीतिक प्रतिबद्धता जीवंत व्यवसाय से व्यवसाय (बिज़नेस-टू-बिज़नेस: B2B) और पीपल टू पीपल (P2P) संपर्कों की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
    - **भारत का गैर-वैचारिक नीति की ओर बढ़ना:** मध्य पूर्व में त्वरित परिवर्तनों ने भारत को अपनी मध्य पूर्व नीति को पुनर्विलोकित करने के लिए विवश किया जो अरब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सोवियत मित्रता पर आधारित थी। भारत को न केवल अमेरिकी वर्चस्व के साथ तालमेल स्थापित करना था, बल्कि इस क्षेत्र में बढ़ते रूढ़िवाद के साथ भी संबद्ध होना था। व्यावहारिक रूप में इसका तात्पर्य ऐसी नीति को तैयार करना था जो **राजनीतिक वाक्पटुता की तुलना में आर्थिक गणना** से अधिक प्रेरित हो।
    - **सामुद्रिक कूटनीति पर प्रमुख बल:** वर्तमान में पश्चिम एशियाई देशों के चतुर्दिक अवस्थित सागरों द्वारा भारत को प्रदत्त ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के कारण इन सागरों का लुक वेस्ट पॉलिसी में अत्यधिक महत्व हो गया है।

आगे की राह

- चूँकि सऊदी अरब अपनी अति-रूढ़िवादी छवि को त्यागने और एक अधिक खुली एवं उदारवादी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास कर रहा है, अतः इस संदर्भ में भारत को एक प्रमुख सहयोगी व बाजार के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत को पश्चिम एशिया में अपने संतुलनकारी कार्य को जारी रखने की आवश्यकता है जो इसे सऊदी अरब, ईरान और इजरायल (इस क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ संघर्षरत) के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की सुविधा प्रदान करता है।
- साथ ही यदि भारत पश्चिम एशिया में **क्षेत्रीय विघटनों और संघर्षों से दूरी बनाए रखता है तो** उसे इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और भू-रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढाने में सहायता प्राप्त होगी।

2.5. गुट-निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन

(Non-Aligned Movement Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने **अजरबैजान के बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के 18वें शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

संबंधित तथ्य

- **शिखर सम्मेलन की थीम:** 'समकालीन विश्व की चुनौतियों के प्रति ठोस और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडुंग सिद्धांतों को परिपुष्ट करना' (Upholding the Bandung Principles to ensure concerted and adequate response to the challenges of contemporary world)
- यह **लगातार दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया है,** जो भारत के एक गुटनिरपेक्ष देश से संभावित बहु-गुट समर्थक देश की ओर रूपांतरण को चिन्हित करता है। ज्ञातव्य है कि इसे वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में **NAM की प्रासंगिकता के ह्रास** के रूप में देखा जा रहा है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का उद्भव शीत युद्ध के दौरान उन राष्ट्रों के एक संगठन के रूप में हुआ था, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ औपचारिक रूप से स्वयं को संबद्ध करने की बजाय स्वतंत्र या तटस्थ रहने के दृष्टिकोण का समर्थन किया था।

- वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में इस आंदोलन की आधारशीला रखी गई थी। इस सम्मेलन में ही NAM के प्रयासों को निर्देशित करने वाले **"बांडुंग के दस सिद्धांतों"** को प्रतिपादित किया गया था ।
- भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया के नेतृत्व में NAM की स्थापना की गई तथा इसका **प्रथम सम्मेलन वर्ष 1961 में (बेलग्रेड)** आयोजित किया गया था।
- **वर्ष 2018 तक इसमें 120 सदस्य सम्मिलित थे**, जिसमें अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 तथा यूरोप के 2 देश (बेलारूस व अजरबैजान) शामिल हैं। 17 राष्ट्रों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को NAM में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- **NAM के प्रमुख सिद्धांत: गुटनिरपेक्षता की नीति** पंचशील के पांच सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हैं:
    - एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान;
    - एक-दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप;
    - परस्पर गैर-आक्रामकता;
    - समानता और परस्पर लाभ; तथा
    - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आर्थिक सहयोग।

बांडुंग के दस सिद्धांत

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित इसके उद्देश्यों एवं सिद्धांतों तथा मूल मानव अधिकारों का सम्मान करना।
2. प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।
3. सभी नृजातीय समूहों और सभी राष्ट्रों (लघु एवं बड़े दोनों) के मध्य समानता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करना।
4. किसी देश के आंतरिक मामलों में गैर-व्यवधान या अहस्तक्षेप।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्येक राष्ट्र के आत्म संरक्षण के अधिकार का सम्मान।
6. किसी भी महाशक्ति के विशिष्ट हितों के लाभ हेतु सामूहिक सुरक्षा समझौतों (collective defence pacts) का उपयोग न करना तथा किसी भी देश द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध दबावों का प्रयोग न करना।
7. किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग करने या आक्रमण करने या आक्रमण करने की धमकी देने का कार्य न करना।
8. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
9. परस्पर हितों और सहयोग का संवर्धन।
10. न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान।

क्या NAM की प्रासंगिकता का ह्रास हो रहा है?

पक्ष में तर्क

- NAM को उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की विचारधारा के विरोधी गठबंधन के तौर पर देखा जाता रहा है। ऐसे में, शीत युद्ध की समाप्ति और बदलती वैश्विक व्यवस्था के साथ NAM की प्रासंगिकता का ह्रास हो रहा है।
- भारत सहित NAM के कई सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु पूंजी उपलब्ध करवाने एवं प्रौद्योगिकी व बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने तथा विशाल बाजारों की प्राप्ति हेतु **विकसित विश्व के साथ अपनी संलग्नता को सुदृढ़ कर रहे हैं।** इससे देशों को एक साथ लाने हेतु NAM के प्रभावी एजेंडा का दायरा संकुचित होता है।
- हाल के वर्षों में NAM की विश्वसनीयता में कमी आई है, क्योंकि इसे निरर्थक वार्ता मंच का दर्जा पुनः प्रदान किया गया है। इसका कारण यह है कि **NAM समस्याओं और खतरों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में असमर्थ रहा है, जिससे विकासशील विश्व के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ है।**
- साथ ही, विकासशील देशों की शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक नीतियों पर **सदस्यों के मध्य अल्प सहमति** विद्यमान है।
- वैकल्पिक मंच, जैसे- BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका), IBSA (भारत, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और G20 आदि का उदय अतिव्यापी एजेंडों के साथ हुआ है, जो NAM की आवश्यकता तथा दायरे को कम करते हैं।

विपक्ष में तर्क

- गुटनिरपेक्षता का दर्शन और विचारधारा **रणनीतिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता** पर बल देती है, तथा "गुटनिरपेक्ष आंदोलन" विकासशील विश्व के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है। ये सिद्धांत सदैव प्रासंगिक रहेंगे।

VISION IAS

- NAM को **नव स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्रों हेतु नीतिगत स्वायत्तता के लिए** एक मंच प्रदान करने हेतु सृजित किया गया था, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है।
- **विकासशील देश सम्मिलित रूप से अत्यधिक विशेषताओं को साझा करते हैं तथा समान अनुभव और साझा आकांक्षाएं रखते हैं,** यहां तक कि वे विविध लोगों, परिस्थितियों एवं विकास के स्तरों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। NAM एक विशाल समूह है, जो इस प्रकार की चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं को आकार प्रदान कर सकता है, जैसा कि इसने अतीत में किया है। NAM अपने सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मुद्दों पर एक-दूसरे से भेंट करने एवं चर्चा करने हेतु **एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।**

आगे की राह

- विश्व अब पूर्वावस्था से कहीं अधिक अन्तर्सम्बद्ध और परस्पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, आतंकवाद, चरमपंथ, निर्धनता, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति आदि ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका सामना केवल एक साथ मिलकर किया जा सकता है, न कि तब जब विश्व विभाजित स्थिति में हो। इसके लिए दबाव के बजाय सहयोग की आवश्यकता है। संक्षेप में, प्रभावी बहुपक्षवाद ही एकमात्र समाधान बना हुआ है। NAM वह समाधान हो सकता है।
- भारत ने NAM की आवश्यकता को बदलते समय और सुधार के अनुरूप बनाए रखने तथा वर्तमान व्यवस्था एवं कार्य करने की पद्धतियों को पुनर्विलोकित करने का आह्वान किया है। यह NAM को एक सकारात्मक और अग्रगामी तथा केंद्रित एजेंडा बनाने की अनुमति प्रदान करेगा।
- NAM द्वारा किसी भी विचारधारा या राष्ट्रों के पक्ष में या उनके विरुद्ध दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। बल्कि, NAM को विभिन्न क्षेत्रकों की विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे- आतंकवाद से निपटना, वैश्विक शासन सुधार, सतत विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग।
- उल्लेखनीय है कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था के लिए एक NAM जैसे लोकतांत्रिक, प्रभावी, सुनम्य, विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रतिनिधित्वकारी तथा बहुपक्षीय संगठन की आवश्यकता है।

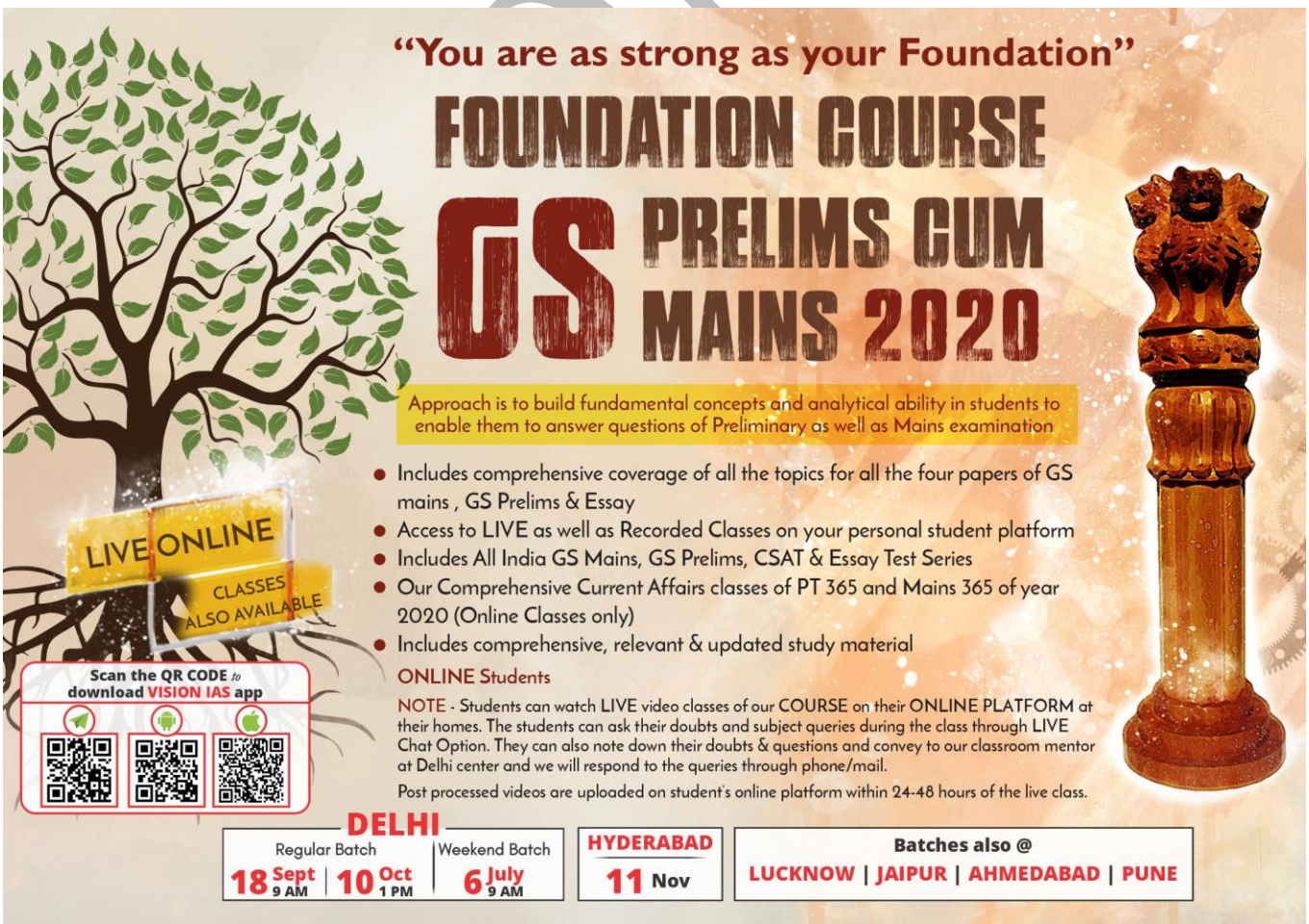

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020

(Doing Business Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक समूह के एक प्रमुख प्रकाशन, "डूइंग बिज़नेस 2020" रिपोर्ट को जारी किया गया।

डूइंग बिज़नेस (DB) परियोजना

- डूइंग बिज़नेस 2020 वस्तुतः व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने और इन्हें बाधित करने वाले विनियमों का परीक्षण करने वाली वार्षिक अध्ययनों की श्रृंखला में **17वीं रिपोर्ट** है।
- **व्यावसायिक गतिविधियों के 12 क्षेत्रों** में विनियमों में परिवर्तनों का प्रलेखन करके, डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, दक्षता को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विनियमनों का विश्लेषण करती है।

- **डूइंग बिज़नेस द्वारा एकत्रित आंकड़े, सरकार के संबंध में निम्नलिखित तीन प्रश्नों को संबोधित करते हैं:**
  - कब सरकारें अपने निजी क्षेत्रक का विकास करने के दृष्टिकोण से विनियमों में परिवर्तन करती हैं?
  - सुधारवादी सरकारों की विशेषताएँ क्या हैं?
  - आर्थिक या निवेश गतिविधि के विभिन्न पहलुओं पर विनियामकीय परिवर्तनों के क्या प्रभाव हैं?
- भारत ने अपनी **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग** में सुधार करते हुए वर्ष 2016 के 130वें स्थान की तुलना में वर्ष 2020 में 63वां स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाया है।

डूइंग बिज़नेस संकेतकों को सम्मिलित करने की भारत की रणनीति

भारत ने आर्थिक एवं व्यावसायिक सुधार रणनीतियों के एक प्रमुख घटक के रूप में डूइंग बिज़नेस संकेतकों को अपनाया है। वर्ष 2020 की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, डूइंग बिज़नेस संकेतकों (वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग के साथ) के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित सुधारों को प्रलेखित करती है:

- **व्यवसाय आरंभ करना (Starting a Business) (रैंक-136):** भारत ने **SPICe (कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा)** प्रपत्र, संस्था के बहिर्नियम (memorandum of association) और संस्था के अंतर्नियम (articles of association) के लिए फाइलिंग शुल्क समाप्त करके व्यवसाय आरंभ करना सरल बनाया है।
  - भारत ने मूल्य वर्धित कर को भी GST (वस्तु एवं सेवा कर) से प्रतिस्थापित कर दिया है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र है।
- **निर्माण संबंधी अनुमतियां प्रदान करना (Dealing with Construction Permits) (रैंक-27):** भारत ने व्यावसायिक प्रमाणन आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाकर प्रक्रिया को सुचारू बनाया है तथा निर्माण परमिट प्राप्त करने के समय और लागत में कमी की है। साथ ही, भारत ने दशकीय दायित्व और बीमा आरंभ करके निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार किया है।
- **विदेशों से व्यापार (Trading across Borders) (रैंक-68):** भारत ने निकासी पश्चात् अंकेक्षण की प्रक्रिया को अपनाकर, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर व्यापार हितधारकों को एकीकृत कर, पत्तन अवसंरचना का उन्नयन कर, कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति में वृद्धि कर विदेशों से व्यापार को सरल बनाया है।

- **ऋणशोधन अक्षमता का समाधान (Resolving Insolvency) (रैंक-52):** भारत ने व्यवहार में पुनर्गठन (reorganization) कार्यवाहियों को बढ़ावा देकर ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करना सरल बनाया है। भारत ने असंतुष्ट ऋणदाताओं (creditors) को पुनर्गठन के अंतर्गत उतना प्राप्त करने की अनुमति न देकर जितना वे परिसमापन (liquidation) पर प्राप्त करते, ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करना अधिक कठिन बना दिया है।

ऋणशोधन अक्षमता का समाधान: भारत की केस स्टडी: डूइंग बिज़नेस 2020 रिपोर्ट, भारत को ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करने वाली पुनर्गठन प्रक्रियाओं के सफल कार्यान्वयन के उदाहरण के रूप में उद्धृत करती है।

- भारत ने वर्ष 2016 में ऋणशोधन अक्षमता व्यवस्था **{ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)}** का शुभारंभ किया था। इसके अस्तित्व में आने के उपरांत, 2,000 से अधिक कंपनियों ने इस नए कानून का उपयोग किया है।
- IBC की पश्चातवर्ती अवधि में, व्यवहार्य कंपनियों के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया अत्यंत सरल हो गयी है। डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट के अनुसार, इसके कारण डॉलर पर वसूली दर 27 सेंट्स से बढ़कर 72 सेंट्स हो गई है।
- भारत द्वारा IBC के सफल कार्यान्वयन का विशेष महत्व है, क्योंकि ऋणशोधन अक्षमता का समाधान विश्व भर में सबसे कम सुधार वाला क्षेत्र है।

अन्य हालिया सुधार

- **करों का भुगतान (Paying Taxes) (रैंक-115):** भारत ने कई अप्रत्यक्ष करों को संपूर्ण देश के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर अर्थात् GST से प्रतिस्थापित कर करों का भुगतान करना सरल बनाया है। हाल ही में, भारत ने निगम कर की दर और नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि योजना की दर में कमी करके करों का भुगतान करना आसान बनाया है।
- **ऋण प्राप्ति (Getting Credit) (रैंक-25):** भारत ने अपने ऋणशोधन अक्षमता कानून में संशोधन करके ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ बनाया है। सुरक्षित ऋणदाताओं को अब ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाहियों के दौरान अन्य दावेदारों की तुलना में निरपेक्ष प्राथमिकता दी जाती है।
- **विद्युत का कनेक्शन प्राप्ति करना (Getting Electricity) (रैंक-22):** दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने लो वोल्टेज वाले कनेक्शनों के लिए प्रभार में कमी की है। बाह्य कनेक्शन संबंधी कार्य के लिए सुविधाप्रदाता द्वारा लिए जाने वाले समय में कमी करके दिल्ली में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना आसान बनाया गया।

उपर्युक्त सुधारों का कार्यान्वयन कर, **भारत निरंतर तीसरे वर्ष ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार लाने वाली 10 अर्थव्यवस्थाओं** में शामिल रहा है।

निष्कर्ष

- जहां सुधार प्रभावशाली हैं और विगत कुछ वर्षों में समग्र रैंकिंग में भारत की प्रगति भी उल्लेखनीय है, वहीं तथ्य यह भी है कि भारत अभी भी वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में अपने प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर चीन से पीछे है, जो 31वें स्थान पर है।
- भारत अभी भी "व्यवसाय आरंभ करने" (रैंक-136)', "अनुबंध प्रवर्तित करने" (Enforcing contracts) (रैंक-163) और "संपत्ति पंजीकरण" (Registering property) (रैंक-154) जैसे प्रमुख संकेतकों पर पीछे है।
- भारत ने शीर्ष 50वीं रैंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत को बेहतर अनुबंध प्रवर्तन तथा भूमि प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधारों पर कार्य करना चाहिए, जिनमें भारत काफी निचले स्थान पर है और जहां सुधार की अत्यधिक संभावना है।
- इसके अतिरिक्त, संघीय राजव्यवस्था को देखते हुए, यहां से भावी रैंकिंग में और सुधार इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि केंद्र अपनी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राज्यों को समझाने में कितना सक्षम है।

3.2. व्यापार पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की रिपोर्ट

(Report of the High-Level Advisory Group on Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, डॉ. सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में गठित व्यापार और नीति पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पृष्ठभूमि

वैश्विक परिवेश का आंकलन करने और निम्नलिखित हेतु अनुशंसाएँ करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2018 में एक उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह (HLAG) का गठन किया गया था:

- वैश्विक पण्य वस्तुएं (merchandise) एवं सेवा व्यापार के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी और महत्ता को बढ़ावा देना;
- महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का प्रबंधन करना; तथा
- नए युग के नीति निर्माण को मुख्यधारा में लाना।

समिति की रिपोर्ट

HLAG ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारतीय व्यापार के प्रदर्शन का परीक्षण करके भारत की ऐतिहासिक आर्थिक एवं व्यापार नीति की चुनौतियों के आलोक में अनुशंसाएं की हैं।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

- **वैश्विक आर्थिक चुनौतियां:** मंद होती वैश्विक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में तथा **चीन-अमेरिकी आर्थिक संघर्ष** और **विकसित विश्व में बढ़ते संरक्षणवाद** के कारण संकुचित आर्थिक नीतियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना रहेगा।
- **प्रतिस्पर्द्धा:** वैश्विक बाजार अत्यंत प्रतिस्पर्धी बन गया है। चीन, दक्षिण कोरिया, ASEAN के कुछ औद्योगिक राष्ट्रों और कई अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित नीतिगत दृष्टिकोण का अनुसरण करके अनेक उत्पादों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर ली है।
- **मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति:** 1990 के दशक के मध्य से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। वर्तमान समय में, वैश्विक मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए घटकर लगभग 2% और अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 3 से 4% के मध्य रह गई है। साथ ही समग्र मुद्रास्फीति में भी कमी होगी।
- **विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार:** विश्व व्यापार में एक प्रमुख घटनाक्रम के तौर पर वर्ष 2008 के महान वित्तीय संकट (Great Financial Crisis: GFC) के उपरांत व्यापार की मात्रा (trade volumes) और व्यापार के मूल्य (trade values) में होने वाली वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज हुई है।
- इस प्रकार, भारत विश्व में एक अत्यंत भिन्न बाह्य व्यापारिक परिवेश का सामना कर रहा है। चूंकि, भारत अपनी बाह्य संलग्नताओं से पर्याप्त लाभान्वित हुआ है, अतः ऐसे में एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है, जिसे प्रभावी नीतियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

भारत के व्यापार प्रदर्शन का अवलोकन

- वर्ष 2003-2017 की अवधि के दौरान, सभी क्षेत्रकों (यथा- कृषि, विनिर्मित वस्तुओं, पण्य वस्तुओं, सेवाओं और अन्य व्यापारिक मदों) में भारत का **वैश्विक निर्यात में स्थान पूर्व की तुलना में वर्तमान समय (2012 और 2017 के मध्य) में कम हुआ है।**
  - हालांकि, विश्व व्यापार में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ रही है (यद्यपि धीरे-धीरे), क्योंकि हमारी संवृद्धि दर वैश्विक औसत से अधिक है।
- भारत में समग्र अर्थव्यवस्था (विश्व में तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाले राष्ट्रों के सापेक्ष GDP संवृद्धि दर) और निर्यात वृद्धि (वर्ष 2011 के पश्चात्, कुछ सीमा तक नीचे की ओर) के प्रदर्शन में विचलन विद्यमान है। इस विचलन का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अभी भी सरकार के स्तर पर और बाह्य स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- **संरक्षणवादी नीतियां:** संरक्षणवाद केवल प्रशुल्क वृद्धि में ही परिलक्षित नहीं हो रहा है, बल्कि अन्य उपायों में भी यह दृष्टिगत है, जैसे- तकनीकी विनियमों को प्रोत्साहन और अंगीकरण, मात्रात्मक प्रतिबंधों का निरंतर आरोपण, गैर-प्रशुल्क बाधाओं का अंगीकरण, व्यापार समझौतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था खोलने के संबंध में अत्यधिक शर्तों का आरोपण, भेदभाव-पूर्ण क्षेत्रीय घरेलू नीतियां आदि।
- **अवास्तविक निर्यात लक्ष्य:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) के आंकड़ों के अनुसार, **वर्ष 2017 में वैश्विक पण्य वस्तुओं (व्यापारिक वस्तुएं) के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% और सेवाओं में 3.4% थी।** वैश्विक निर्यात में समग्र निर्यात हिस्सेदारी में न्यूनतम वृद्धि की प्रवृत्ति ही रही है और यह वर्ष 2010 के पश्चात् से 2% से 2.1% के मध्य स्थिर बनी हुई है।
  - इस पृष्ठभूमि में, **वर्ष 2025 तक भारत का निर्यात दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य अवास्तविक प्रतीत होता है।**

निर्यात प्रदर्शन के समष्टिगत निर्धारक (Macro Determinants of Export Performance)

- **मानसिकता:** दीर्घकाल तक भारत ने **संरक्षणवादी आयात प्रतिस्थापन नीति** का पालन किया और काफी समय पश्चात् अर्थात् 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत बनाया। व्यापार को सुगम बनाने वाले सुधारों के अभाव एवं विरासत के बोझ ने पुरानी मानसिकता को और अधिक प्रेरित किया तथा उसे बनाए रखा है।
- **घरेलू पूंजी की उच्च लागत:** विगत वर्षों के दौरान वास्तविक नीतिगत दरें (औसतन प्रति वर्ष 2-3% से अधिक) भारत में अभी तक पर्यवेक्षित सर्वाधिक दर हैं और यह **HLAG द्वारा प्रतिदर्श हेतु चयनित 66 देशों में उच्चतम हैं।**
- इसके विपरीत, विश्व में माध्यक वास्तविक दर (median real rate) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक रूप से लगभग 0.8% प्रति वर्ष और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए कुछ सीमा तक कम बनी रही है।
- **प्रभावी निगम कर दरों का उच्च स्तर:** 20 वृहत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, **भारत चौथी सर्वाधिक निगम कर भुगतान वाली अर्थव्यवस्था है।** वियतनाम के मामले में 62% और बांग्लादेश के मामले में 66% की प्रतिधारण दर (retention rate) की तुलना में भारत में प्रतिधारित उपार्जन (retained earnings) (मजदूरी और करों के भुगतान के पश्चात्) आय का 44% है।

- **श्रम कानून और फर्म का आकार:** धीमी निर्यात संवृद्धि का एक बहुत ही संभावित निर्धारक हमारे श्रम कानून हैं, जो फर्म के आकार में विस्तार के समक्ष बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रम कानूनों को और अधिक उदार बनाने से फर्मों (विशेष रूप से श्रम गहन फर्म) को उचित अनुपात में अपने आकार को विस्तृत करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **संरक्षणवाद और सीमा प्रशुल्क:** दो दशकों से अधिक समय तक, प्रशुल्क काफी सीमा तक अल्प और स्थिर बने रहे। हालाँकि, वर्ष 2017 में भारत के औसत MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) प्रशुल्क में वृद्धि हुई। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में तथा उसके उपरांत प्रशुल्क में और अधिक वृद्धि हुई है।
- **जागरूकता: राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना** (National Trade Facilitation Action Plan) को संचालित किया जा रहा है, परन्तु क्या कार्यान्वयन योजना के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं, इस विषय में हितधारकों को संभवतया पूर्ण जानकारी नहीं है।

अतीत से सीख और HLAG की प्रमुख अनुशंसाएं

- **प्रौद्योगिकी:** प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास (विशेष रूप से बढ़ती डिजिटल सामग्री) ने विनिर्माण क्षेत्र को गहन रूप से प्रभावित किया है। भविष्य में वस्तुओं के निर्यात की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धा पर इसका और अधिक प्रभाव होगा।
  - **HLAG की अनुशंसा:** बिग डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 आदि का लाभ उठाया जाना चाहिए। कई विनिर्मित उत्पादों हेतु निर्यात बाजार में अपनी यथेष्ट हिस्सेदारी बनाए रखने या बढ़ाने के लिए निर्यातकों को आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और तकनीकी ज्ञान के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
    - नीतिगत परिचालन को अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की तकनीक का पूर्णतया समावेश करना चाहिए।
- **महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता:** महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रोत्साहन का तात्पर्य निगम कर की अल्प दर से है।
  - **HLAG की अनुशंसा:** 18% की प्रभावी निगम कर की दर (हमारे अधिकांश प्रतियोगी राष्ट्रों में यह 15-20% के लगभग है) की प्राप्ति के लिए **भारत को निगम कर की दर में कटौती करके इसे 22% (विभिन्न छूटों सहित) तक करना चाहिए।**
    - **पूंजी लागत** (cost of capital) को कम कर इसे OECD (आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन) के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों के औसत तक लाया जाए।
    - **EXIM बैंक और ECGC का पूँजी आधार बढ़ाना:** वर्ष 2022 तक अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये प्रदान कर EXIM बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक) और 350 करोड़ रूपये प्रदान कर ECGC (निर्यात ऋण गारंटी निगम) का पूंजीगत आधार बढ़ाया जाए।
- **सुशासन:** साक्ष्य-आधारित व्यापार नीति निर्माण, बेहतर प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा प्रभावी संस्थागत तंत्र जैसे सुशासन के कुछ पहलुओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
  - **HLAG की अनुशंसा:** व्यापक निर्यात रणनीति के निर्माण के लिए **बिग डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग किया जाना चाहिए। निवेश संवर्धन अभिकरण (**इन्वेस्ट इंडिया ++**) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और एक व्यापार संवर्धन संगठन (Trade Promotion Organisation: TPO) का सृजन किया जाना चाहिए।
- **चैंपियन क्षेत्रकों को चिन्हित करना:** अवसंरचनात्मक न्यूनता की चुनौतियों के निवारण हेतु, सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है। हालांकि, इस संदर्भ में कई संसाधनगत अवरोध मौजूद हैं।
  - **HLAG की अनुशंसा:** सेवा निर्यात विविधीकरण रणनीति को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित **12 चैंपियन सेवा क्षेत्रक**, इस दिशा में कदम उठाने हेतु एक प्रारंभिक बिंदु होंगे। इन सेवा क्षेत्रकों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात, रोजगार और अन्य आर्थिक परिणामों को बढ़ाने की व्यापक संभावना है। HLAG ने कुछ क्षेत्रक विशिष्ट अनुशंसाएं भी की हैं।

12 चैंपियन क्षेत्र: सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (IT & ITeS); पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ; चिकित्सा मूल्य यात्रा (मेडिकल वैल्यू ट्रैवल); परिवहन और संभारतंत्र सेवाएं; लेखांकन और वित्त सेवाएँ; श्रव्य-दृश्य सेवाएं; विधिक सेवाएं; संचार सेवाएं; निर्माण और संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं; पर्यावरणीय सेवाएं; वित्तीय सेवाएं; एवं शिक्षा सेवाएं।

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVC) और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (Regional Value Chains: RVC) में संबंध:** भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (वैश्वीकृत विश्व में औद्योगिक उत्पादन का नया प्रतिमान) को पूर्णत: अपनाने के क्रम में पीछे है। सरकार या उद्योग में किसी भी स्तर पर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के संबंध में जागरूक और समन्वित प्रयासों का अभाव रहा है।
  - **HLAG की अनुशंसा:** वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएँ वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार और निवेश के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण को आवश्यक बनाती हैं।
    - तेजी से विकसित होती वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारतीय निर्यातकों को संबद्ध करने के लिए सामान्यत: **निम्न और सरलीकृत प्रशुल्क रणनीति** को अपनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- RVCs और GVCs द्वारा उपलब्ध अवसरों का दोहन करने के लिए (लाभ के संदर्भ में) क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (Regional Trade Agreements: RTAs) का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- जिन उत्पादों और खंडों में भारतीय फर्में GVCs में एकीकृत हो सकती हैं, उन्हें चिन्हित करना तथा एकीकरण को बाधित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना, निर्यात रणनीति को तैयार करने के लिए अत्यंत प्रभावी होंगे।

- **भारत और विश्व व्यापार संगठन:** विकास और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अंतःक्रिया को ध्यान में रखते हुए **भारत को अपनी समग्र रणनीतिक दृष्टि के एक भाग के रूप में विश्व व्यापार संगठन का उपयोग करना चाहिए।**
  - **HLAG की अनुशंसा:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लाने (विशेष रूप से WTO से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के एजेंडे, जिसका भारत को अनुगमन करने की आवश्यकता है पर एक राष्ट्रीय आधिकारिक चिंतन के विकास और प्रसार) हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाना चाहिए।
- **भारत और RTAs {या मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements: FTAs):** भारत की विदेश व्यापार नीति में RTAs (या FTAs) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अतः भारत के दीर्घकालिक हित में एक व्यापक तथापि चयनात्मक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
  - **HLAG की अनुशंसा:** संपूरकता और दीर्घकालिक संधारणीयता के आधार पर **चिन्हित FTAs पर वार्ता के लिए एक पांच वर्षीय कार्यक्रम का आरंभ किया जाना चाहिए।** साथ ही, इस वार्ता प्रक्रिया में चयनित उद्योगों को भी संबद्ध किया जाना चाहिए।

3.3. वैश्विक मूल्य श्रृंखला

(Global Value Chains)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने **"वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के युग में विकास हेतु व्यापार (Trading for Development in the Age of Global Value Chains)"** नामक शीर्षक से विश्व विकास रिपोर्ट जारी की है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) क्या है?

- मूल्य श्रृंखला "किसी उत्पाद को उसकी संकल्पना से लेकर उसके अंतिम उपयोग और अन्य उपयोग हेतु फर्मों एवं श्रमिकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला" को संदर्भित करती है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जैसे- वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन और उनकी आपूर्ति, वितरण एवं बिक्री पश्चात् गतिविधियां इत्यादि।
- जब मूल्य श्रृंखला विभिन्न देशों में विभिन्न फर्मों के मध्य वितरित होती है, तो इसका अर्थ होता है कि ये गतिविधियां विभिन्न देशों के मध्य विभाजित हैं। वह परिघटना जिसमें मूल्य श्रृंखला विश्व भर में विस्तृत होती हैं, GVC कहलाती है।
  - उदाहरण के लिए, इटली, जापान और मलेशिया से आयातित पुर्जों के माध्यम से फिनलैंड में असेंबल होने वाली बाइक तथा उसे मिस्र में निर्यात किया जाना एक GVC है।
- वर्तमान में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की **विश्व भर में लगभग 50 प्रतिशत व्यापार** में हिस्सेदारी है।

GVC क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अति-विशेषीकरण (Hyper-specialisation):** GVC से अति-विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है। जटिल उत्पादन प्रक्रिया को समाप्त कर, GVC देशों को उत्पादन के विशिष्ट अवयवों या कार्यों में विशेषीकृत होने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे- चीन का "बटन टाउन", जहां सैकड़ों कारखानों द्वारा विश्व के 60 प्रतिशत से अधिक सभी प्रकार के बटनों का उत्पादन किया जाता है।
- **उत्पादकता का लाभ:** जहाँ परंपरागत व्यापार के अंतर्गत केवल तैयार उत्पादों का ही निर्यात किया जाता था, वहीं GVC व्यापार के अंतर्गत, मध्यवर्ती आगतों का भी निर्यात किया जा रहा है और घरेलू फर्मों को उच्च गुणवत्ता वाले या कम महंगी विविध प्रकार की मध्यवर्ती

आगतों तक अधिक से अधिक पहुंच प्राप्त हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि GVC भागीदारी के स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि से औसत उत्पादकता में लगभग 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

- **GVC प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का वाहक है:** परंपरागत व्यापार के विपरीत, जिसमें विभिन्न देशों की फर्में परस्पर प्रतिस्पर्धा करती हैं, GVC विभिन्न फर्मों का एक नेटवर्क होता है, जिनके साझा लक्ष्य होते हैं। GVC में विभिन्न फर्मों के मध्य दीर्घकालिक संबंध स्थापित होता है। GVC की यह प्रकृति उसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य श्रृंखला के साथ तकनीक सहभाजन के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली वाहक बनाती है।
- **बेहतर रोजगार:**
  - विभिन्न फर्मों के मध्य परस्पर संबंधों के माध्यम से, GVC **कार्य करते हुए सीखने** (ऑन-द-जॉब लर्निंग) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। GVC के भीतर **नियोक्ता-प्रायोजित प्रशिक्षण कौशल विकास** के लिए एक प्रभावी तंत्र हो सकता है।
  - GVC पूंजी-गहन उत्पादन को बढ़ावा देता है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन और पुर्जों की परिशुद्धता संभव बनाता है। इससे गुणवत्तायुक्त रोजगारों का सृजन होता है तथा निर्यात में अत्यधिक वृद्धि के कारण रोजगार में समग्र वृद्धि भी होती है। GVC, विभिन्न देशों के श्रमिकों को कम उत्पादक कार्यों से अधिक उत्पादक रोजगार में संलग्न होने की अनुमति प्रदान करता है।

GVC से संबंधित चिंताएं

- **GVC सहभागिता से प्राप्त होने वाले लाभ देशों के मध्य और देशों के भीतर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं।** पूंजी और श्रम के वितरण, कुशल और अकुशल श्रमिकों के साथ-साथ पुरुष एवं महिला श्रमिकों के मध्य तथा देशों के भीतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं।
- **देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियों का समकालिक होना:** जब किसी देश का उत्पादन अपने व्यापारिक सहभागियों की आगतों पर निर्भर हो जाता है, तो अन्य देशों की आर्थिक स्थिति उसकी घरेलू गतिविधि को प्रभावित करती है। इसके परिणामस्वरूप सीमा-पार आर्थिक आघातों का प्रभाव प्रसारित हो सकता है।
- **GVC व्यापार और संवृद्धि के लिए संरक्षणवाद की लागत को बढ़ाता है।** GVCs, व्यापक रूप से व्यापार बाधाओं से प्रभावित होता है।
- **GVC के अंतर्गत नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति में कीमतों में वृद्धि हो जाती है:** GVC में, व्यापार नीति में आकस्मिक रूप से अनिश्चितता के बढ़ने से लागत में वृद्धि हो सकती है क्योंकि फर्मों द्वारा अनिश्चितता के समाधान होने तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार करने के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** GVC के परिणामस्वरूप समग्र रूप से अपशिष्ट और नौपरिवहन में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि कई देशों में व्यापार की लागत में कमी हो रही है, जबकि पर्यावरणीय नियमों को कठोर बनाया जा रहा है। अत: इन नए पर्यावरणीय विनियमों के कारण प्रदूषक उत्पन्न करने वाले विनिर्माताओं द्वारा अपनी गतिविधियों को उन देशों में स्थानांतरित किया जा सकता है जहाँ पर्यावरणीय विनियम कम कठोर हैं (अर्थात् **पल्यूशन हेवेंस** का मार्ग प्रशस्त होगा), जैसे- विकासशील देशों में प्लास्टिक अपशिष्ट की डंपिंग करना।
  - हालांकि, GVC उत्पादन तकनीकों में सुधार को भी बढ़ावा दे सकता है। देशों के मध्य **ज्ञान के साझाकरण** और **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण,** अधिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास या उनके तीव्र अनुप्रयोग को संभव बना सकता है।

GVC से देशों को कैसे लाभ मिल सकता है?

- देशों को अत्यधिक विनिमय दरों (ओवरवैल्यूड एक्सचेंज रेट्स) एवं प्रतिबंधात्मक नियमों का त्याग करते हुए, निवेश बाधाओं को समाप्त कर और श्रम की प्रतिस्पर्धी कीमत सुनिश्चित कर, तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर, आपूर्ति अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान कर और SMEs (लघु और मध्यम उद्यमों) के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण में सहायता कर; **घरेलू SMEs और GVC आधारित फर्मों के मध्य संबंधों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- GVCs, वस्तुओं की तीव्र और अनुमानित आवाजाही पर निर्भर करता है। GVC के मध्य व्यापार की जाने वाली कई वस्तुओं की एक दिन की देरी 1 प्रतिशत से अधिक प्रशुल्क आरोपण के समान होती है। सीमा शुल्क और सीमा पर व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार करना, परिवहन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बंदरगाह संरचना एवं शासन में सुधार करना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कनेक्टिविटी में सुधार करना आदि, ये सभी रणनीतियां समय एवं अनिश्चितता से संबंधित व्यापार लागतों को कम कर सकती हैं।
- GVC का विकास **फर्मों के नेटवर्क के लचीले गठन** पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुबंध का प्रवर्तन, स्थिर और पूर्वानुमेय कानूनी व्यवस्थाएं, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रीय प्रमाणीकरण और परीक्षण क्षमता का सुदृढ़ीकरण आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **विकासशील देशों को GVC सहभागिता के लाभों को समाज में प्रसार करने हेतु नीतियां बनानी** चाहिए। महिलाओं को बच्चों की देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने, युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, छोटे धारकों की सहायता करने (जैसे- विस्तारित सेवाओं और वित्त तक पहुंच प्रदान करना) आदि के माध्यम से समावेशन सुनिश्चित हो सकेगा।
- **पर्यावरण और कार्य की स्थितियों के संबंध में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।** अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मानकीकरण से घटिया उत्पादन पद्धतियों को उजागर किया जा सकेगा और फर्में इसमें सुधार करने के लिए प्रेरित होंगी।

3.4. गैर-प्रशुल्क उपाय

(Non-Tariff Measures)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रकाशित "एशिया-प्रशांत व्यापार और निवेश रिपोर्ट 2019" के अनुसार, विगत दो दशकों के दौरान **गैर-प्रशुल्क उपायों** में **वृद्धि** हुई है।
- यह रिपोर्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा प्रकाशित की गई है।

गैर-प्रशुल्क उपाय (Non-Tariff Measures: NTM) क्या हैं?

- **NTM** सामान्य सीमा शुल्क से भिन्न नीतिगत उपाय होते हैं जिनके संभावित रूप से वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यापार की मात्रा या कीमतों या दोनों में परिवर्तन हो सकता है।
- NTM को व्यापक रूप से **तकनीकी उपायों** {(सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों, व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (TBT) आदि} और **गैर-तकनीकी उपायों** में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें आगे **कठोर उपायों** (जैसे- कीमत और मात्रा नियंत्रण उपाय), **रक्षोपायों** (जैसे- डंपिंग रोधी शुल्क) और अन्य उपायों जैसे कि व्यापार संबंधी वित्त एवं निवेश उपायों में वर्गीकृत किया जाता है।

NTM के प्रकार

- **सैनिटरी और फाइटोसैनेटरी (SPS) उपाय:** खाद्य पदार्थों में विद्यमान संदूषकों या रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से मानव या पशु जीवन को होने वाले जोखिमों से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय।
- **व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाएं (Technical Barriers to Trade: TBT):** पर्यावरणीय और संधारणीय मानकों से संबंधित तकनीकी विनियमों एवं प्रक्रियाओं को संदर्भित करने वाले उपायों को TBT के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उदाहरणार्थ- लेबलिंग आवश्यकताएं (जैसे- रेफ्रीजरेटरों पर उनके आकार, वजन और विद्युत खपत का स्तर दर्शाने वाला लेबल)।
- **लाइसेंसिंग, कोटा, निषेध और मात्रा-नियंत्रण:** आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करने वाले उपाय।
- **कीमत नियंत्रण उपाय:** आयातित वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित या प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत उपाय। उदाहरणार्थ- अनावश्यक वस्तुओं के आयात में कटौती करने के लिए स्वर्ण जैसी कीमती धातुओं पर आरोपित न्यूनतम आयात मूल्य।
- **निर्यात संबंधी उपाय:** निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यातकर्ता देश की सरकार द्वारा लागू किए गए उपाय, जैसे- सांस्कृतिक विरासत की वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध है।
- **पात्रता पर भौगोलिक प्रतिबंध:** विदेशों से डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध।
- **आकस्मिक व्यापार सुरक्षात्मक उपाय (Contingent Trade Protective Measures):** बाजार में आयात के विशेष प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए लागू किए गए उपाय। जैसे- डंपिंग-रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty) आदि।

गैर-प्रशुल्क उपाय और गैर-प्रशुल्क बाधाएं

- NTM को प्राय: गलती से गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTB) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- दोनों के मध्य अंतर यह है कि NTM के अंतर्गत NTB की तुलना में उपायों का एक व्यापक समुच्चय सम्मिलित होता है, जिसे सामान्यत: केवल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में सरकारों द्वारा आरोपित भेदभावपूर्ण गैर-प्रशुल्क उपायों के रूप में देखा जाता है।
- इस संशय का कारण यह है कि अतीत में अधिकांश NTMs मुख्य रूप से कोटा या स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध के रूप में विद्यमान थे। इन उपायों की प्रकृति प्रतिबंधात्मक होती थी, जो यह स्पष्ट करते हैं कि क्यों "बाधा (barrier)" शब्द का उपयोग किया जाता था।
- वर्तमान में, नीतिगत हस्तक्षेपों को कई रूपों में लागू किया जाता है और इसलिए उन्हें "बाधाओं" के बजाय "उपायों" के रूप में संदर्भित करना बेहतर है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 'उपाय' आवश्यक रूप से कल्याण या व्यापार को कम करने वाले नहीं होते हैं।

VISION IAS

NTM के सकारात्मक प्रभाव

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रभाव:** कुछ NTM प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्म को व्यापार के स्थान पर FDI प्राप्त करने हेतु प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी खरीद संबंधी प्रतिबंध और स्थानीय सामग्री आवश्यकताएँ (Local Content Requirements :LCR) फर्म को FDI की ओर आकर्षित कर सकती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास:** WTO के SPS और TBT समझौतों का उद्देश्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों तथा व्यापार सुगमता से संबंधित नीतिगत लक्ष्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सहायता करना है।
- **मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा:** हाल ही में, **अवैध, असूचित और अनियमित** मत्स्यन को विनियमित करने में श्रीलंकाई सरकार की निरंतर विफलता के कारण यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उनके समुद्री खाद्य उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है। हालांकि, आरंभ में इससे आय में गिरावट हुई, लेकिन इन प्रतिबंधों ने समुद्री संसाधनों के संरक्षण में सहायता की और संधारणीय मत्स्यन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।

गैर-प्रशुल्क उपायों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां

- **अति-विनियमन:** प्राय: गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंध एवं सुरक्षा मानक, बहुपक्षीय रूप से स्वीकार्य मानदंडों से अधिक हो जाते हैं और ये निर्धन राष्ट्रों के लिए विशेष चिंता का विषय बन जाते हैं क्योंकि इन देशों के उत्पादक प्राय: इनका अनुपालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं।
- **विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDCs) के विरूद्ध पक्षपातपूर्ण:** व्यवहार में, SPS और TBT संबंधी उपायों की अधिक अनुपालन लागत ने विकासशील देशों को श्रम लागत और अधिमान्य पहुंच के सन्दर्भ में प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को कम किया है।
- **उपलब्धता को कम करना:** कुछ NTM का विभिन्न SDGs (संधारणीय विकास लक्ष्यों) के लिए प्रासंगिक वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच पर नकारात्मक प्रभाव होता है। उदाहरणार्थ- IPRs के पूर्ण अनुपालन ने दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों (जैसे- अनिवार्य लाइसेंसिंग और पेटेंट की एवरग्रीनिंग संबंधी विवाद), नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे- भारत और अमेरिका के मध्य सौर पैनल विवाद) और जल दक्षता लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों एवं वस्तुओं तक पहुंच के समक्ष बाधाएं उत्पन्न की हैं।
- **पारदर्शिता की कमी:** व्यापार नीति संबंधी उपायों के आंकडों के अभाव के कारण कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी परिलक्षित होती है, जिन्हें प्रशुल्कों के विपरीत, परिमाणित नहीं किया जा सकता है और ये प्राय: कानूनी एवं नियामकीय दस्तावेजों में उलझे होते हैं।

आगे की राह

- **विनियामकीय अंकेक्षण:** अनावश्यक NTM को समाप्त करने हेतु उसकी समीक्षा करने, वर्तमान और भविष्य के उपायों की अभिकल्पना में सुधार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपालन करने वाले व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, विभिन्न राष्ट्रों को नियामकीय अंकेक्षण करना चाहिए।
- **व्यापार सुगमता: NTM के उन्मूलन** की दिशा में उपाय करना, जैसे- WTO का **व्यापार सुविधा समझौता (Trade Facilitation Agreement: TFA),** जो NTM की लागत को कम कर सकते हैं।
    - **मानक और समनुरूपता उपाय** जैसे कि तकनीकी विनियमों में समरूपता, मानकों में सामंजस्य, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण आदि।
    - उन्नत **डिजिटल व्यापार सुगमता उपाय,** जैसे कि SPS और मूल प्रमाणपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्गमन एवं आदान-प्रदान। उदाहरणार्थ- इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन (IPPC) द्वारा SPS ई-प्रमाणन के लिए IPPC ईफाइटो सोल्यूशन विकसित किया है।
    - एक ही स्थान पर सभी व्यापार-संबंधी कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार पोर्टलों की स्थापना करने से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- **अवसंरचना संबंधी अंतराल को कम करना:** मानकों और प्रत्यायन की पारस्परिक मान्यता व समर्थित गुणवत्तायुक्त अवसंरचना की उपलब्धता (जैसे- SPS परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन प्रणाली आदि) बढ़ाने से व्यापार लागत एवं अनुपालन प्रयासों के दोहराव में कमी हो सकती है।
- **क्षेत्रीय प्रयास:** क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं प्रसंस्करण समय और विवाद निपटान में लगने वाले समय को कम कर सामंजस्यपूर्ण उपयुक्त उपायों के साथ व्यापार समझौतों के माध्यम से NTM का त्वरित समाधान कर सकती हैं।
    - ASEAN के पास एक ऐसा तंत्र विद्यमान है जो मुख्य रूप से NTM की लागत को कम करने वाले उपायों पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष

NTM अंतर्निहित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक नहीं हैं अर्थात् NTM सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। साथ ही, NTM के वैश्विक स्तर पर प्रसार का अर्थ है कि वर्तमान में NTM, सामान्य सीमा शुल्कों की तुलना में व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण

अवरोधक हैं। कई मामलों में, जानबूझकर व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए प्रशुल्कों के बदले में NTM का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जा सकता है, जिसमें NTMs को NTBs के रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं। नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौती इनके सकारात्मक (इच्छित) प्रभावों और इनसे जुड़े व्यापारियों (एवं अंततः उपभोक्ताओं) की लागत के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करना है।

3.5. विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा

(Developing Country Status in WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्तमान और भविष्य के व्यापार समझौतों में विकासशील देशों हेतु **विशेष एवं विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment: S&DT) को नकारने की मांग करने वाले** अमेरिकी राष्ट्रपति के ज्ञापन को अस्वीकार करने के लिए भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत 51 देशों को संगठित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि **दक्षिण कोरिया** द्वारा अपनी वर्धित वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण भविष्य की वार्ताओं में WTO द्वारा विकासशील देशों के लिए आरक्षित विशेष व्यवहार की मांग **नहीं** की जाएगी।

विकासशील देश का दर्जा निर्धारित करने संबंधी मानदंड

- WTO द्वारा **विकासशील देश का दर्जा निर्धारित करने हेतु कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं** की गई है, जिससे सदस्य किन्हीं विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना स्वयं के लिए विकासशील देश का दर्जा घोषित कर सकते हैं।
- हालांकि, अन्य सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के विरुद्ध इस संबंध में एक सदस्य देश के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
- विकासशील देश 'S&DT' को प्राप्त करने के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि S&DT को WTO द्वारा अपने नियमों में निर्धारित किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि अपने आपको विकासशील देश घोषित करने वाला WTO का एक सदस्य देश, कुछ विकसित सदस्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली अधिमान्यता की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences: GSP) जैसी एकपक्षीय अधिमान्यता वाली योजनाओं से स्वत: ही लाभान्वित नहीं होगा। व्यवहार में, अधिमान्यता देने वाला देश विकासशील देशों की सूची निर्धारित करता है जो अधिमान्यताओं से लाभान्वित होंगे।

विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)

- यह विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला एक प्रावधान है और यह विकसित देशों को WTO के अन्य सदस्यों की तुलना में विकासशील देशों के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, इन विशेष प्रावधानों में विकासशील देशों के लिए, व्यापार करने के अवसर बढ़ाने हेतु WTO के विभिन्न समझौतों, प्रतिबद्धताओं एवं उपायों को कार्यान्वित करने के लिए और अधिक समय प्रदान करना सम्मिलित है।
- **विकसित और विकासशील सदस्यों के मध्य विकास के असमान स्तर के कारण** सभी विकासशील सदस्यों को S&DT का दर्जा प्रदान किया गया है।
- WTO के दोहा घोषणा-पत्र में, सदस्य राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी कि S&DT से संबंधित सभी प्रावधान WTO के समझौतों का अभिन्न अंग हैं और इन प्रावधानों की इन्हें सुदृढ़ बनाने एवं अधिक प्रभावी व परिचालनीय बनाने की दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए।
  - **दिसंबर 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** द्वारा S&DT के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए क्रियाविधि स्थापित की गई थी।
- **S&DT की प्रासंगिकता:** यह विकासशील सदस्यों को, विश्व व्यापार और इसके शासी संगठनों पर हावी एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक प्रभावित करने में सक्षम विकसित देशों का पक्ष लेने वाली कठोर नीतियों और संपन्न राष्ट्रों के साथ संधियों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **समस्या:** स्व-चयन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, **सदस्यों के मध्य विकासशील देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा** मिलता है। यह देखा जा रहा है कि कई उन्नत देशों ने भी विकासशील देश का दर्जा प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए, विश्व में छठा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश **कतर** को विकासशील देश का दर्जा प्राप्त है।

3.6. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019

(Global Competitiveness Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)** द्वारा 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, 2019 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 4.0 {(Global Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0)} प्रस्तुत किया गया है।

VISION IAS

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 4.0

- वर्ष 2018 से, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट द्वारा **GCI 4.0 कार्य-प्रणाली** का उपयोग किया जा रहा है। GCI 4.0 **"दीर्घकालिक विकास के लिए क्या महत्व रखता है"** के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- GCI 4.0 फ्रेमवर्क को उत्पादकता के 12 मुख्य चालकों या स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें आगे 4 वृहत श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

मुख्य निष्कर्ष

- **रैंकिंग: अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बन गया है। दक्षिण एशिया** में, भारत (68) के पश्चात् श्रीलंका (84), बांग्लादेश (105), नेपाल (108) और पाकिस्तान (110) को स्थान प्राप्त हुआ है। चीन का स्थान विगत वर्ष के समान 28वां ही बना हुआ है।
  - अपेक्षाकृत स्थिर स्कोर के बावजूद भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गयी है, **जिसका मुख्य कारण पूर्व में निम्न रैंकिंग वाले कई देशों द्वारा अपनी रैंकिंग में अपेक्षाकृत तेजी से सुधार करना रहा है।**

HOW INDIA HAS FARED

OVERALL RANKING IN GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

63	58	68
2017	2018	2019

RANKING ACROSS PARAMETERS

2018		2019
47	Institutions	59
63	Infrastructure	70
117	ICT adoption	120
49	Macro-economic stability	43
108	Health	110
96	Skills	107
110	Product market	101
75	Labour market	103
35	Financial system	40
3	Market size	3
58	Business dynamism	69
31	Innovation capability	35

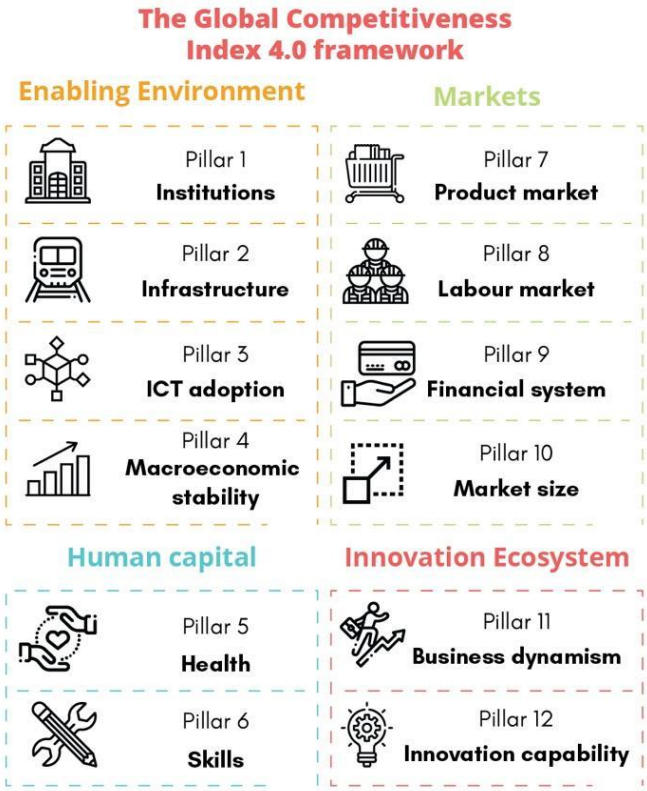

3.7. राज्य वित्त

(State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI द्वारा **"राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन (State Finances: A Study of Budgets)"** नामक शीर्षक से राज्य स्तरीय बजटों का वार्षिक अध्ययन जारी किया है। इसमें राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

रिपोर्ट में राज्य वित्त के विश्लेषण से निष्कर्षित निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है:

- वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit: GFD), **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत** की सीमा के भीतर रहा है।
- अत्यल्प राजस्व अधिशेष (Marginal Revenue Surplus) (विगत तीन वर्षों में राजस्व घाटे की स्थिति के विपरित) के बावजूद वर्ष 2019-20 के लिए बजट में राज्यों ने अपने समेकित GFD का लक्ष्य GDP के 2.6% के स्तर पर निर्धारित किया है।

- राज्यों का बकाया ऋण विगत पाँच वर्षों के दौरान GDP के 25% तक बढ़ गया है, जो उनकी मध्यावधिक स्थिरता के लिए एक चुनौती है।
- **प्रतिबद्ध व्ययों (Committed expenditures)** की प्रवृत्ति वृद्धिमान है, जो ब्याज और पेंशन भुगतान से प्रेरित है।
- **सशर्त हस्तांतरणों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है,** जबकि शर्त रहित या सामान्य प्रयोजन वाले हस्तांतरणों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को **अधिक वित्तीय स्वायत्तता** प्राप्त हो रही है।

राज्य वित्त को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **बाजार उधारियों में वृद्धि का प्रभाव:** वर्ष 2014-15 से, राज्यों ने उत्तरोत्तर बाजार से धन उधार लिया है, जिससे व्यवसायों के लिए निवेश करने हेतु फंड की उपलब्धता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, इससे निजी क्षेत्र के लिए ऋण की लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि अब अधिक संख्या में देनदारों (ऋणी) द्वारा समान राशि की मांग की जा रही है।
- **बढ़ते राजकोषीय घाटे और GDP-ऋण अनुपात का प्रभाव:** राज्य सरकारों का वित्त न केवल भारत की GDP संवृद्धि और रोज़गार सृजन के लिए, बल्कि इसकी **समष्टि आर्थिक स्थिरता (macro economic stability)** के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यदि राज्यों के लिए राजस्व जुटाना कठिन हो जाएगा, तो बढ़ते GDP-ऋण अनुपात से ऐसा दुष्चक्र आरंभ हो सकता है, जिसमें राज्यों को अपने निवासियों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपलब्ध कराने वाली नई परिसंपत्ति सृजित करने पर अपना राजस्व व्यय करने के बजाय **ब्याज भुगतान के लिए अधिक भुगतान करना** पड़ सकता है।
    - 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे (राज्य GDP का 3 प्रतिशत) और GDP-ऋण अनुपात (25 प्रतिशत), दोनों का विवेकपूर्ण स्तर निर्धारित किया था, जिसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
- **रोज़गार:** राज्यों द्वारा अब केंद्र सरकार की तुलना में डेढ़ गुना अधिक व्यय किया जा रहा है और केंद्र की तुलना में पांच गुना अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राज्य न केवल केंद्र की तुलना में भारत की GDP को निर्धारित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, बल्कि वे अपेक्षाकृत बड़े रोजगार सृजक भी हैं।

राज्यों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित समस्याएं

- **राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति:** यद्यपि, राज्य सरकारों ने नियमित रूप से GDP के 3 प्रतिशत (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया है, तथापि इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा **अपने व्ययों में कमी** (मुख्यत: सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए) और बाजार से अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करना रहा है।
    - वर्ष 2017-19 के दौरान राज्यों के समग्र बजट में इसी कमी के कारण आर्थिक गिरावट (economic slowdown) से निपटने में समस्या आई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015 के 22 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019 में ऋण-GDP का समग्र स्तर बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है।
- **व्यय की गुणवत्ता: विकास संबंधी व्यय का अतार्किक उपयोग** यह इंगित करता है कि **उच्च राजस्व व्यय** (कुल व्यय के 80 प्रतिशत से अधिक) और **निम्न पूंजीगत व्यय** के संयोजन द्वारा व्यय के तार्किक उपयोग के साथ समझौता किया गया है।
- **लोकलुभावनवाद:** राजनीतिक वर्ग में राजकोषीय नीति को अत्यधिक प्रसरणशील बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे भावी सरकार पर राजकोषीय भार में वृद्धि होती है और इस प्रकार, इसके दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जैसे- किसानों का ऋण माफ करना।
- **केंद्र और राज्यों के लिए एकसमान राजकोषीय समेकन नियमों का अभाव:**
    - विभिन्न उपकर और अधिभार (जिनमें राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है), समग्र विभाज्य राजस्व हिस्सेदारी को असंगत बना रहे हैं। यह राजकोषीय संघवाद और वित्तीय हस्तांतरण प्रक्रिया की भावना के विरूद्ध है।
    - अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्य सरकार के लिए बाजार उधारी पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित किया गया है, जबकि केंद्र के लिए इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।
    - राज्यों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में कई अवरोधों का सामना करना पड़ता है क्योंकि RBI द्वारा उनके घाटे पर नियंत्रण रखा जाता है और यह केंद्र की स्वीकृति के बिना राज्य की ओर से कोई बंधपत्र (bond) जारी नहीं कर सकता है।
- **GST का प्रभाव:** GST ढांचे के लागू होने के साथ, राज्यों की राजस्व स्वायत्तता में काफी कमी हुई है, क्योंकि कर दरों के संबंध में निर्णय लेने की राज्यों की शक्ति कम हो गई है। साथ ही, IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) और अनुदानों के हस्तांतरण के संबंध में भी अनिश्चितता बनी रहती है।
- **कमजोर कराधान प्रणाली:** उदाहरण के लिए, कई राज्यों द्वारा संपत्ति कर का अधिरोपण नहीं किया जाता है, जो आय का अधिक उत्प्लावक (buoyant) स्रोत है।

- **उत्तरदायित्व भार:** विद्युत क्षेत्र पर राज्य सरकारों का व्यय, कृषि और घरेलू क्षेत्र के ग्राहकों के लिए सब्सिडी एवं ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में होता है।
    - राज्य वित्त पर ब्याज भुगतान के इतर UDAY योजना का प्रभाव जारी रहने की संभावना है, क्योंकि हाल के दिनों में DISCOM की बकाया देयताओं में तेजी से वृद्धि हुई है।
    - राज्य सरकारें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (SPSEs) को वित्तीय संस्थानों से उनकी उधारी पर गारंटी के माध्यम से बजटेत्तर सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन, यह कमजोर लागत वसूली तंत्र के कारण राज्यों के वित्त के लिए प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करता है।

कृषि ऋण माफी की तुलना में आय सहायता योजनाएं

- कृषि ऋण माफी उत्पादन की मात्रा, नियोजित उत्पादन कारकों और कीमतों से संबद्ध नहीं होती है। तदनुसार, इन्हें विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि पर समझौते (AoA) के अंतर्गत **ग्रीन बॉक्स भुगतानों** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- आय सहायता योजनाएं अधिक समावेशी होती हैं क्योंकि भूमिहीन किसानों और बैंक ऋण तक पहुंच न रखने वाले किसानों को भी इनके तहत कवर किया जा सकता है, जबकि कृषि ऋण माफी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है जिन्होंने बैंकों से ऋण प्राप्त किया होता है।
- आय सहायता योजनाओं की स्थिति में नैतिक खतरे की समस्या नहीं होती है।
- हालांकि, इसकी सफलता के लिए भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा समावेशन और बहिष्करण जैसी त्रुटियों को कम करते हुए किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इन्हें बैंक खातों और आधार विवरणों के साथ संबद्ध करना महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **कर राजस्व में वृद्धि करना:** सार्वजनिक व्यय में कमी करने के बजाय कर उत्प्लावकता को सुदृढ़ करते हुए राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देना चाहिए।
- **गैर-कर राजस्व में वृद्धि करना:** बेहतर लागत वसूली तंत्र के साथ विद्युत और सिंचाई जैसी आर्थिक सेवाओं पर उपयोगकर्ता शुल्क का समर्पित अनुप्रयोग करना ताकि राज्यों के राजस्व में वृद्धि की जा सके। इससे न केवल इन सेवाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायता मिल सकती है।
- **केंद्रीय हस्तांतरण को अधिक प्रभावी बनाना:** हस्तांतरण के लिए सुपरिभाषित कैलेंडर; सशर्त से शर्त रहित हस्तांतरणों की ओर संरचनागत स्थानांतरण तथा विभाज्य पूल के इतर उपकरों और अधिभारों के उद्ग्रहण में कमी करना आदि के माध्यम से राज्यों को बाजार उधारी पर अपनी निर्भरता कम करने और **उदय (Ujwal DISCOM Assurance Yojana: UDAY) योजना** आदि जैसी योजनाओं के कारण उत्पन्न वित्तीय आघातों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **व्यय का तार्किकीकरण:**
    - UDAY जैसी बजटेत्तर देयताएं ऋण संधारणीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। राज्य के बजट में देयताओं के प्रकटीकरण/रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, इन गारंटियों को मध्यम अवधि के राजकोषीय जोखिम के रूप में पहचानने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसके बाद इन्हें मितव्ययी स्तर पर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।
    - राजकोषीय आघात के रूप में कार्य करने वाले कृषि ऋण माफी जैसे कार्यक्रमों को किसानों को नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाली आय सहायता योजनाओं जैसे वैकल्पिक नीतिगत साधनों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

3.8. शहरी सहकारी बैंक

(Urban Cooperative Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों में से एक **पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक** से **धन निकासी पर प्रतिबंध** आरोपित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35A के अंतर्गत PMC बैंक पर फ़र्ज़ी ऋण, हाऊसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) आदि को अत्यधिक ऋण प्रदान करने जैसी अनियमितताओं के कारण छह माह की अवधि के लिए नियामकीय प्रतिबंध आरोपित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, RBI से पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना ऋण देने अथवा ऋण का नवीनीकरण करने, अग्रिम प्रदान करने तथा किसी भी प्रकार का निवेश करने और नए डिपॉजिट स्वीकार करने के संदर्भ में PMC बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने हेतु आरंभ में शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks: UCBs) के संपूर्ण भारत में विस्तार को प्रोत्साहित करने के पश्चात् वर्ष 2005 से RBI ने इनके अकुशल संचालन को संज्ञान में लेना आरंभ किया तथा UCB के लिए नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया।
    - वर्ष 2001 में अहमदाबाद का माधवपुरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक भी विफल हो गया। इससे अन्य 210 UCBs के समक्ष भी संकट उत्पन्न हो गया और अंततः उनमें से कुछ के परिचालन को बंद कर दिया गया।
- UCBs की वित्तीय सुदृढ़ता का आकलन CAMELS (पूंजी पर्याप्तता; संपत्ति की गुणवत्ता; प्रबंधन; अर्जन; सम्पत्ति; तथा प्रणाली एवं नियंत्रण) की रेटिंग के आधार पर किया जाता है।
- इनमें से कई बैंकों के विफल होने और RBI द्वारा कमजोर बैंकों के विलय को प्रोत्साहित किए जाने के साथ भारत में परिचालित UCBs की संख्या वर्ष 2005 के 1,926 से कम होकर वर्ष 2018 तक 1,551 रह गई।
- RBI, इन बैंकों की निगरानी करने हेतु प्रबंधन बोर्ड का गठन कर इनके संचालन में सुधार करने का प्रयास करता है। हाल के, PMC बैंक संकट ने भारत में UCBs के प्रबंधन और विनियमन की खराब स्थिति को उजागर किया है।

शहरी सहकारी बैंक (URBAN COOPERATIVE BANKS: UCB) के विषय में

- सहकारी बैंक (वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न) का विकास सहकारी ऋण समितियों की अवधारणा से हुआ है, जिसमें एक समुदाय के सदस्य सरल शर्तों के आधार पर एक-दूसरे को ऋण प्रदान करने के लिए एकजुट होते हैं।
- मुख्य रूप से, भारत में सहकारी बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है- **शहरी** और **ग्रामीण।**
    - **ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान** या तो अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक प्रकृति के हो सकते हैं।
        - अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थानों को राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) में उप-विभाजित किया गया है।
        - दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थानों का तात्पर्य या तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs) अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs) से है।
    - **UCBs** या तो अनुसूचित अथवा गैर-अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित UCBs भी दो प्रकार के होते हैं - बहुराज्यीय और एक ही राज्य में संचालित शहरी सहकारी बैंक।
- UCBs को संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
- ये बैंक नियमित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं तथा शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं।
- यदि कोई शहरी सहकारी बैंक विफल हो जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों के समान, उसके जमा राशि को 'इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' द्वारा प्रति जमाकर्ता एक लाख रुपये तक कवर किया जाता है।
- **विनियमन:** भारत में UCBs दोहरे विनियमन अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) द्वारा विनियमित होते हैं।
    - **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):** बैंकिंग परिचालन का विनियमन एवं पर्यवेक्षण RBI द्वारा किया जाता है, जो उनकी पूंजी पर्याप्तता, जोखिम नियंत्रण, ऋण प्रदान करने संबंधी मानदंड, लाइसेंस, नई शाखाओं को खोलना आदि निर्धारित करता है।
        - ये निम्नलिखित दो कानूनों के अंतर्गत शासित हैं, यथा- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1955;
        - RBI द्वारा विकास संबंधी कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना।
    - **सरकार:** पंजीकरण और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ एक ही राज्य में संचालन के मामले में RCS द्वारा तथा UCB के एक से अधिक राज्यों में संचालन के मामले में केंद्रीय RCS द्वारा संचालित की जाती हैं।
- **शहरी सहकारी बैंकों का महत्व**
    - **शहरी वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति:** UCB का गठन मध्यवर्ग/निम्न मध्यवर्ग के मध्य मितव्ययिता और स्वयं सहायता को बढ़ावा देने तथा शहरी/अर्द्ध-शहरी केंद्रों में छोटे साधनों से लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
    - **वित्तीय समावेशन:** अपने स्थानीय अनुभव एवं परिचितता के कारण UCB की स्थापना ऋण तक पहुंच को आसान बनाने तथा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
    - **आकर्षक ब्याज दरें:** UCBs खुदरा बचतकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के मध्य अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये बैंक जमाओं पर आकर्षक ब्याज दर प्रदान करते हैं, जो कि वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक होती हैं।

VISION IAS

- **स्थानीय प्रकृतिः** अपने स्थानीय स्वरूप के कारण UCBs के लिए अपने वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना व्यावसायिक अवसरों के साथ-साथ उधारकर्ताओं की गुणवत्ता आदि की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर के बैंकों के लिए कठिन कार्य है।

शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष विद्यमान मुद्दे

- **प्रबंधन संबंधी मुद्देः**
  - इस प्रकार के बैंक कभी-कभी निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इसका परिणाम अग्रलिखित रूप में परिलक्षित हो सकता है: नियुक्तियों में पक्षपात, फर्जी ऋणों की मंजूरी जिन्हें बाद में अपलिखित (written off) कर दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को सहकारी बैंकों में अपने वेतन खाते खोलने के लिए बाध्य करना आदि।
- **विनियामक मुद्देः**
  - सहकारी बैंकों पर RBI का पर्यवेक्षण वाणिज्यिक बैंकों के समान कठोर नहीं होता है। आमतौर पर, राज्य सरकारें, सहकारी बैंकों का ऑडिट करती हैं जबकि RBI वर्ष में एक बार उनके लेखा-जोखा का निरीक्षण करता है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों की उपेक्षा करने के मामले भी सामने आए हैं, जिसके कारण आँकड़ों में हेराफेरी करने संबंधी अनुचित प्रथाओं को बढ़ावा मिला है।
- **संरचनात्मक मुद्देः**
  - UCBs अधिकांश एकल-शाखा वाले बैंक होते हैं और इनमें सह-संबद्ध परिसंपत्ति जोखिम की समस्या विद्यमान रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसके कारण संपूर्ण बैंक विफल हो सकता है।
  - UCBs प्रायः एक-दूसरे को ऋण देने एवं उधार लेने में संलग्न होते हैं। इस स्थिति में, एक UCB की विफलता, वास्तव में अन्य बैंकों को भी अस्थिर बना सकती है।
  - इनका पूंजी आधार अत्यल्प होता है। उदाहरण के लिए, एक UCB को केवल 25 लाख रुपये के पूंजी आधार के साथ आरंभ किया जा सकता है, जबकि लघु वित्त बैंकों के लिए यह राशि 100 करोड़ रुपये है।
- **परिचालन संबंधी मुद्देः**
  - UCBs को एक अलग प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है (जो उनके सहकारी स्वरूप द्वारा प्रतिबंधित है), अर्थात् वे पूंजी प्राप्त करने हेतु नवीन इक्विटी जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उनके पास पूंजी वृद्धि का एकमात्र उपाय उनके ग्राहकों के व्यवसाय में बढ़ोतरी के साथ संबद्ध है।
  - UCBs लघु वित्त बैंकों, पेमेंट्स बैंक, NBFCs और इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, वे जमाकर्ताओं को अनुचित रूप से उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं। इन ब्याज दरों का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए UCBs द्वारा जोखिमपूर्ण एवं अस्थिर इकाइयों तक ऋणों का विस्तार किया जाता है। इससे UCBs के मध्य परस्पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) एवं लाभप्रदता संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
  - UCBs के संबंध में मुख्यधारा के बैंकों द्वारा सामान्य आक्षेप यह लगाया जाता है कि UCBs में व्यावसायिकता का अभाव है। प्रायः यह देखा जाता है कि स्थानीय लोगों को कार्य पर रखने से एक ओर जहां लागत को कम करने में सहायता मिलती है तथा संबंधित समुदायों एवं समूहों के साथ इन बैंकों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, वहीं साथ ही, कई बार व्यावसायिक नैतिकता की भी उपेक्षा की जाती है और यह कमजोर नियमन का भी कारण बनता है।
  - UCBs में ऋण की कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं हैं। यहां तक कि एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में भी ऋण संबंधी नीति में भिन्नता देखी जाती है।

संबंधित जानकारी: आर. गांधी समिति

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु आर. गांधी की अध्यक्षता वाले पैनल ने निम्नलिखित सुधारों की अनुसंशा की हैं:

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करना, ताकि सहकारी बैंकों के नियंत्रण हेतु अधिक अधिकार प्रदान किए जा सकें।
- सहकारी समिति कानूनों के अंतर्गत अन्य विनियामकों को सम्मिलित किए बिना विनियामक को बैंकों के समापन एवं परिसमापन हेतु समर्थ बनाना।
- RBI को UCB में धन जमा करने वाले निर्धन लोगों के मध्य वित्तीय जागरूकता में सुधार करना चाहिए और उन्हें सूचित निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना चाहिए।

VISION IAS

आगे की राह

- **निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया:** दक्षता में सुधार, पारदर्शिता व निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी के प्रशासन, ऋण देने और नई सदस्यता से संबंधित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
  - इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए UCBs को सुदृढ़ प्रक्रियाओं, पेशेवर प्रबंधन और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसका प्रोत्साहन व प्रेरणा पूर्णत: संदेह रहित हो।
- **प्रौद्योगिकी-समावेशन और स्मार्ट-बैंकिंग तकनीकों का परिनियोजन:** यह अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त प्राप्त करने तथा अपनी स्थिति को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है।
- **UCBs के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का गठन करना:** उन्हें वित्तीय रूप से अधिक लचीला बनाने और जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रबंधन बोर्ड का गठन करना।
  - **वाई. एच. मालेगाम समिति** द्वारा UCBs में प्रबंधन बोर्ड की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी तथा **दोहरे विनियमन** को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- **स्वतंत्र लेखा-परीक्षण:** माधव राव समिति के सुझावों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के समान ही स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा UCBs का लेखा-परीक्षण और निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना:** शहरी सहकारी बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, नियमों व विनियमों को लागू करना है तथा अपने बैंक के स्वस्थ विकास के साथ-साथ, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की स्वस्थ वृद्धि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना है।

3.9. दूरसंचार क्षेत्र में संकट की स्थिति

(Distress in Telecom Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR) के अर्थ के संबंध में दूरसंचार विभाग व दूरसंचार कंपनियों के मध्य उत्पन्न विवाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है, जिसके अनुसार टेलिकॉम ऑपरेटरों को 1.3 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त बकाया चुकाना होगा।
- सरकार ने रिवाइवल पैकेज के भाग के रूप में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के दो दूरसंचार उपक्रमों, यथा- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के विलय का भी निर्णय किया है।
- दबाव-ग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र की सहायता के लिए **राजीव गौबा** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

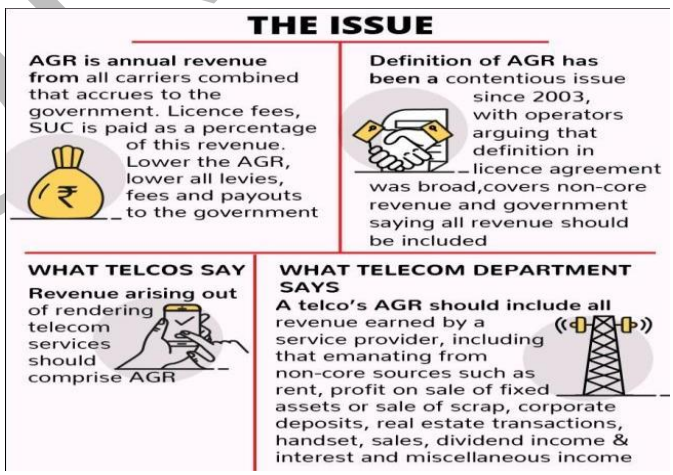

पृष्ठभूमि

- भारत वर्तमान में **1,189.28 मिलियन** (जिसमें से मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन 1168.32 मिलियन और लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन 20.96 मिलियन हैं) के ग्राहक आधार के साथ विश्व का **दूसरा** सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।
- देश में कुल टेलीडेंसिटी 90.23% है। वर्तमान में ग्रामीण टेलिडेंसिटी 57.01%, जबकि शहरी टेलिडेंसिटी 160.87% है।
- हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद, दूरसंचार क्षेत्र गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है तथा हाल ही के उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **टैरिफ वॉर:** इंटरनेट डेटा की कीमत औसतन 8 रुपये प्रति गीगाबाइट (GB) है, जो विश्व में सबसे कम कीमत वाले देशों में से एक है तथा कॉलिंग सर्विस को भी लगभग नि:शुल्क कर दिया गया है। इसलिए, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (Average Revenue Per User: ARPU), वित्त वर्ष 2015 के 174 रुपये से कम होकर वित्त वर्ष 2019 में 113 रुपये हो गया है।
- **पूंजीगत व्यय का निम्न स्तर:** इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण, लगभग 7 लाख करोड़ रूपये के निवेश की कमी है, जिसकी 4G प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तावित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता है।

VISION IAS

- **अत्यधिक ऋण:** दूरसंचार क्षेत्र पर विभिन्न निवेश संबंधी एवं अन्य गतिविधियों के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का ऋण भार बना हुआ है।
- **सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता:** सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की अत्यधिक कीमत पर नीलामी की जाती है। इसलिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम यूरोपीय देशों की तुलना में 40% एवं चीन की तुलना में 50% कम है।
- **आयात निर्भरता:** भारत द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक उपकरणों के लिए लगभग 40 बिलियन डॉलर के दूरसंचार उपकरणों का आयात किया जाता है, जिसमें 5G प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण भी सम्मिलित हैं।
- **ओवर द टॉप सर्विसेज:** ओवर द टॉप (OTT) एप्लिकेशन (जैसे- व्हाट्सएप), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व सृजन को बाधित करती हैं।
- **उच्च नियामकीय देय राशि:** स्पेक्ट्रम देनदारियां, अर्थदंड, ब्याज आदि इस भार में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं।
- **उच्च कर:** भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कर एवं लेवी (29% से 32% तक) की दरें, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक हैं।

दूरसंचार क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर:** भारतनेट- ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना।
- **टेलीकॉम स्पेक्ट्रम:** नीलामी प्रक्रिया को अपनाकर स्पेक्ट्रम आवंटन को पारदर्शी बनाया गया है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** सरकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर 5G नेटवर्क से संबंधित अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा दे रही है।
    - **IPv6 को अपनाना:** यह अगली पीढ़ी का इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसे IPv4 के अधिकतम उपयोग हो जाने के कारण उत्पन्न समस्या के कारण प्रोत्साहित किया जा रहा है। **"नेशनल IPv6 डिप्लॉइमन्ट रोडमैप वर्जन-II"** को वर्ष 2013 में जारी किया गया था, जिसमें IPv6 को अपनाने संबंधी दिशा-निर्देशों/समय-सीमा को निर्धारित किया गया था।
- **नागरिक एवं ग्राहक केंद्रित उपाय:** पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) - अखिल भारतीय स्तर पर MNP को हाल ही में अनुमति प्रदान की गई है।
- 'दूरसंचार आयोग' को **'डिजिटल संचार आयोग'** के रूप में नामित किया गया है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018,** जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
    - सभी के लिए ब्रॉडबैंड की व्यवस्था करना।
    - 4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना।
    - भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को वर्ष 2017 के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना।
    - अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union: ITU) के ICT विकास सूचकांक में भारत को शीर्ष 50 राष्ट्रों की सूची में स्थापित करना, जो कि वर्ष 2017 में 134वें स्थान पर था।
    - वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाना।
    - डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।

BSNL और MTNL का विलय

इनके नुकसान के कारण

- **उच्च कर्मचारी लागत:** अन्य उद्योगों के औसत कर्मचारी लागत (5-6 प्रतिशत) की तुलना में MTNL के सकल राजस्व की तुलना में औसत कर्मचारी लागत 90 प्रतिशत है।
- MTNL केवल दिल्ली और मुंबई में टेलीफ़ोन सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए इसे दिल्ली और मुंबई के अपने उपयोगकर्ताओं को पैन-इंडिया नेटवर्क प्राप्त करने हेतु (महंगे) **रोमिंग समझौतों** और अन्य व्यस्थाओं (जैसे- इंटर-कनेक्शन पॉइंट्स) के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय करना पड़ता है।
- नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए **सस्ते मोबाइल/इंटरनेट कनेक्शन** को उपलब्ध कराने के चलते भी इनके संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है।
- डेटा-केंद्रित दूरसंचार बाजार में **4G सेवाओं की अनुपस्थिति** (BSNL के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर) ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को उत्तरोत्तर नष्ट किया है। उनका संयुक्त ग्राहक हिस्सा केवल 10.3 प्रतिशत रह गया है।

विद्यमान चिंताएं

- प्रदर्शन के संबंध में प्रबंधन की जवाबदेही का अभाव।
- विलय से प्रौद्योगिकी, लागत अनुकूलन, बाजार हिस्सेदारी और उत्पाद विकास के संदर्भ में शायद ही प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त हो पाए।
- निजी अभिकर्ताओं की ओर से निरंतर प्रतिस्पर्धी टैरिफ की चुनौती।

VISION IAS

आगे की राह

- **कीमतों को कम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना:** सरकार को उद्योग को 'प्राइस वार' से बचाने के लिए 'फ्लोर टैरिफ' निर्धारित करना चाहिए।
- **स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य को कम करना:** सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से राजस्व प्राप्त करने के प्रयास से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है।
- **प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता:** भारत को उपकरणों के बजाय प्रौद्योगिकी के आयात पर निवेश करना चाहिए, जिससे 'मेक इन इंडिया' को भी बढ़ावा मिलेगा तथा दीर्घकालिक रूप से इस क्षेत्र पर इसके गुणक प्रभाव होंगे।
- **दूरसंचार कंपनियों के मध्य अवसंरचना की साझेदारी:** BSNL द्वारा निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए अपनी अवसंरचना को साझा किया जा सकता है, जो BSNL के लिए राजस्व का सृजन करने में सहायक होगा तथा साथ ही, निजी क्षेत्र पर निवेश भार को कम करेगा।
- **सेवाओं का मूल्यवर्धन:** इंटरनेट सेवाओं को मनोरंजन, ई-शिक्षा, टेलीमेडिसिन आदि सेवाओं के साथ संबद्ध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र के लिए अधिक राजस्व सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- **अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक राहत उपाय:** उपार्जित ब्याज पर छूट या पुनर्भुगतान की लंबी अवधि के रूप में अल्पकालिक व दीर्घकालिक राहत उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

3.10. रेलवे में निजी अभिकर्ताओं को सम्मिलित करना

(Involving Private Players in Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत की प्रथम निजी ट्रेन, **तेजस एक्सप्रेस** का लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ कॉरिडोर पर उद्घाटन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक पर्यटन एवं खानपान शाखा, IRCTC को एक निजी संस्था के तौर पर दो प्रीमियम ट्रेनों के संचालन का कार्य सौंपा गया है। दूसरी निजी ट्रेन शीघ्र ही मुंबई-अहमदाबाद-मुंबई मार्ग पर चलाई जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, सरकार 150 रेलगाड़ियों एवं 50 रेलवे स्टेशनों के संचालन को भी निजी अभिकर्ताओं को सौंपने हेतु एक मूल योजना तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की प्रक्रिया में है।

भारतीय रेलवे में FDI की वर्तमान स्थिति

- हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे विद्युतीकरण, पैसेंजर टर्मिनल, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे अवसंरचना आदि जैसे रेलवे के अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति प्राप्त है।
- हालाँकि, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण रेल परिचालनों में FDI की अनुमति प्राप्त नहीं है।

भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्रक को आकर्षित करने के विगत प्रयास

- **वैगन निवेश योजना/अपना वैगन योजना (Wagon Investment Scheme/Own Your Wagon Scheme) (1992)** के माध्यम से भारतीय रेलवे में वैगन की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्रक की भागीदारी का लाभ उठाया गया है। निजी अभिकर्ता, अनुमोदित बिल्डरों से वैगनों की खरीद कर व अपना स्वामित्व बनाए रखते हुए उन्हें भारतीय रेलवे को पट्टे पर दे सकते हैं।
- वर्ष 2006 की **कंटेनर पॉलिसी लिब्रलाइजेशन स्कीम** के तहत निजी अभिकर्ताओं को भारतीय रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है।
- विशेषीकृत वैगनों में निवेश करने हेतु लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को एक अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 में **स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (SFTO) स्कीम** आरंभ की गई थी।

निजी अभिकर्ताओं को सम्मिलित किए जाने के पक्ष में तर्क

- **बेहतर अवसंरचना:** निजीकरण से बेहतर अवसंरचना हेतु मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिससे यात्रियों को उन्नत सुविधाएं प्राप्त होंगी।
- **बेहतर निवेश:** इससे भारतीय रेलवे में निजी निवेश में वृद्धि होगी। ज्ञातव्य है कि यह निवेश रेलवे अवसंरचना में 100% FDI की अनुमति प्रदान किए जाने के बावजूद कम बना हुआ है।
- **अपेक्षाकृत कम दुर्घटनाएं :** चूंकि निजी स्वामित्व द्वारा बेहतर रखरखाव किया जाता है, अतः निजीकरण से दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित यात्रा व दीर्घकालिक रूप से उच्च मौद्रिक बचत को बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में जापान में निजी रेलगाड़ियों की सफलता एक बेहतर उदाहरण है।

VISION IAS

- **भारतीय रेलवे की मौजूदा परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग:** यह भारतीय रेलवे के परिचालन अनुपात में सुधार करेगा। भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात वर्ष 2018-19 में 96.2% था, जिसमें वर्ष 2017-18 में 98.4% के साथ अपेक्षाकृत कुछ ही सुधार हुआ है, जिसका अर्थ है कि वास्तव में पुनः निवेश करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

निजी अभिकर्ताओं को सम्मिलित करने से संबद्ध मुद्दे

- **अवसंरचना का स्वामित्व और साझाकरण:** रेलवे के संचालन के एक हिस्से का निजीकरण करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि रेलवे उर्ध्वाधर रूप से अत्यंत एकीकृत है।
- **हितों का टकराव:** नीति-निर्माण, नियामकीय कार्य और संचालन एक ही संगठन में निहित होने के कारण रेलवे में निजी भागीदारी सीमित ही रही है।
    - नीति-निर्माताओं एवं नियामकों के प्रतिस्पर्धी होने पर भी हितों का स्पष्ट टकराव हो सकता है।
    - एक स्वतंत्र नियामक की अनुपस्थिति में, निजी अभिकर्ताओं (विशेष रूप से जब सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियां इसकी प्रतियोगी हों) को समान अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है।
- **प्रशुल्क संबंधी मुद्दे:** रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत प्रशुल्क निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार है न कि निजी उद्यम (जैसे- IRCTC)। हालांकि, तेजस एक्सप्रेस के परिचालन से इस नियम का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि यात्रा की अवधि में परिवर्तन किए बिना किराया शताब्दी एक्सप्रेस की अपेक्षा अधिक रखा गया। रेलवे परिचालन में निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए इस नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।
    - राजनीतिक बाध्यताओं के कारण अतीत में यात्री किराये में वृद्धि करने में रेलवे की अक्षमता को देखते हुए, प्रशुल्क प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।
- **उच्च नियामकीय भार:** उच्च लागत एवं निम्न लाभ, नीतिगत अनिश्चितता, समान अवसर प्रदान करने हेतु नियामकों का अभाव, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन की कमी तथा प्रक्रियात्मक/परिचालनात्मक मुद्दे, जैसे- भूमि अधिग्रहण में विलंब आदि ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को अत्यंत सीमित कर दिया है।
    - जैसे, वर्ष 2006 में निजी अभिकर्ताओं को कंटेनर पॉलिसी लिब्रलाइजेशन स्कीम के तहत भारतीय रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दिए जाने के बावजूद, अत्यधिक लागत (पंजीकरण, भूमि अधिग्रहण एवं सुविधाओं को विकसित करने, भारतीय रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने हेतु वसूला जाने वाला दुलाई शुल्क आदि) एवं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) को विशेष महत्व दिए जाने के कारण निवेशकों द्वारा किया जाने वाला निवेश अत्यंत सीमित बना रहा है।

आगे की राह

- व्यापक पैमाने पर निजी क्षेत्र की भागीदारी केवल तभी संभव है, जब **नीति-निर्माण, विनियमन व संचालन के कार्यों** को पृथक कर दिया जाए। रेलवे क्षेत्र में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए एक सुदृढ़ विनियामक तंत्र व एक विश्वसनीय विवाद-निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए।
- निजी यात्री ट्रेन परिचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे- पार्टनरशिप से बाहर निकलने हेतु सरल उपबंध (easy exit) व प्रतिस्थापन, समापन की स्थिति में जोखिमों का समान रूप से साझाकरण करना आदि।
- सड़क क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुसरण किए जाने वाले टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के समान ही कुछ मार्गों को **लाभप्रदता** के आधार पर **एक साथ संयुक्त किया** जा सकता है तथा **निजी अभिकर्ताओं के समक्ष** प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.11. रणनीतिक विनिवेश की नई प्रक्रिया

(New Process of Strategic Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने कुछ चयनित PSUs (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के निजीकरण में तेजी लाने के लिए **रणनीतिक विनिवेश** की एक नई प्रक्रिया को मंजूरी दी है।

रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में नए परिवर्तन

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई रणनीतिक विनिवेश नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत **वित्त मंत्रालय के "निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)" को रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग** बनाया गया है।
- DIPAM और नीति-आयोग द्वारा अब रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त रूप से पहचान की जाएगी।
- DIPAM के सचिव द्वारा अब विनिवेश के संबंध में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव के साथ अंतर-मंत्री समूह (inter-minister group) की सह-अध्यक्षता की जाएगी।

रणनीतिक बिक्री

- विनिवेश आयोग द्वारा रणनीतिक बिक्री को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है - जब किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (CPSEs) की सरकारी शेयरधारिता का **50 प्रतिशत** तक की हिस्सेदारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित इससे अधिक अंश की बिक्री की जाती है तो उसे रणनीतिक बिक्री कहा जाता है। इसमें प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी शामिल होता है।
- साधारण विनिवेश के विपरीत, रणनीतिक बिक्री से आशय एक प्रकार का निजीकरण है।

कारण

- इसे **प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित एवं तीव्र** बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
- **प्रशासनिक मंत्रालयों की भूमिका को कम करना,** जिनके द्वारा प्रायः उच्च हिस्सेदारी की बिक्री के समक्ष बाधा उत्पन्न की जाती रही है।
- **ऐसी बिक्री के लिए समय-सीमा** (लगभग 4-5 महीने) निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

3.12. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी

(Vehicle Scrappage Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में इस उद्योग को वैध बनाने हेतु **ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (AVSF)** की स्थापना, अधिकृत करने एवं परिचालन संबंधी मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

स्क्रैपेज क्या है?

- स्क्रैपेज वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उन वाहनों का निपटान किया जाता है, जिनकी उपयोग-अवधि समाप्त हो चुकी है। आमतौर पर श्रेडर मशीनों का उपयोग कर अनुपयोगी वाहनों को छोटे-छोटे टुकड़ों (मेटल पार्ट्स) में परिवर्तित किया जाता है, तत्पश्चात इन टुकड़ों को पुनर्चक्रित किया जाता है। इन वाहनों के अन्य गैर-धातु भागों का भी पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल विधि से निपटान किया जाता है।
- वाहनों के उपयोग-अवधि की समाप्ति (End of life - Vehicles: ELV) का तात्पर्य उन वाहनों से है:
  - जिनका वैध पंजीकरण नहीं है,
  - मालिक, स्वेच्छा से अपने वाहनों के परिमार्जन हेतु तैयार हैं,
  - एक निश्चित समय के उपरांत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को स्क्रैप करना, या
  - किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्क्रैप करना।

ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी संबंधी मसौदा दिशा-निर्देश

- इन सुविधाओं को स्थापित करने वाली संस्थाओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
- वाहन स्क्रैपेज सुविधाओं को बड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए, जहां वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान हो तथा इन सुविधाओं पर प्रदूषकों के शून्य रिसाव को सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले प्रमाणित उपकरण, रेडियोधर्मिता का पता लगाने हेतु उपकरण एवं बेकार वाहनों की पर्यावरण-अनुकूल पार्किंग की सुविधा आदि की सुविधा होनी चाहिए।
- वाहन स्क्रैपेज सुविधा केन्द्रों के मालिकों को श्रम कानूनों के प्रावधानों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम व श्रमिक मुआवजा अधिनियम सहित अन्य नियमों का पालन करना चाहिए।

वाहन स्क्रैपेज के लाभ

- **ऑटो सेक्टर को प्रोत्साहनः** व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने एवं नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- **वायु प्रदूषण पर नियंत्रणः** यह पुराने व अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण का उत्सर्जन करने वाले वाहनों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करेगी।
- **पुनरुपयोग को प्रोत्साहनः** भारत 6 मिलियन टन स्क्रैप स्टील का आयात करता है, जिसकी पूर्ति ELV के उचित परिमार्जन के माध्यम से की जा सकती है।
- **रोजगार के अवसरः** इस नीति से नए व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है क्योंकि पूरे देश में नए स्क्रैपेज केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- **अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहनः** यह इस्पात व अन्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करेगी तथा इससे व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

वाहन के स्क्रैपेज से संबंधित चुनौतियां

- **स्क्रैपेज किए जाने वाले वाहनों की अत्यधिक संख्याः** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस वर्ष जुलाई में उल्लेख किया था कि ELV की संख्या वर्ष 2025 तक 21 मिलियन से अधिक हो जाएगी।

VISION IAS

- **ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर:** भारत में पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर का अभाव है। साथ ही, इस प्रकार के विद्यमान केन्द्रों में से अधिकांश अवैध हैं तथा इनके द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों की अवहेलना की जा रही है।
- **पर्यावरण संबंधी चुनौतियां:** भारी धातुओं, अपशिष्ट तेलों, शीतलकों, ओजोन क्षयकारी पदार्थों आदि की उपस्थिति के कारण ELV से प्राप्त होने वाली अपशिष्ट पदार्थों का लगभग 25% पर्यावरण के समक्ष संभावित खतरा उत्पन्न करता है।

- महिंद्रा एसेलो (पूर्ववर्ती नाम - महिंद्रा इंटरट्रेड) और MSTC लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) ने मिलकर सेरो (Cero) की स्थापना की है। यह भारत का प्रथम संगठित ऑटो श्रेडिंग वेंचर और वाहन पुनर्चक्रण इकाई है।

आगे की राह

- **पुनर्चक्रणीय सामग्री से संबंधित कठोर संहिता:** विश्व स्तर पर, 85-95 प्रतिशत पुनर्चक्रणीय सामग्री का होना अनिवार्य बनाया गया है। भारत को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।
- **पंजीकरण शुल्क से छूट:** सरकार को उन वाहन खरीददारों को पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करनी चाहिए, जिनके पास उसी श्रेणी के वाहन के परिमार्जन प्रमाण-पत्र मौजूद हो।
- **निजी अभिकर्ताओं को सम्मिलित करना:** इससे अवसंरचना में तीव्र गति से सुधार लाने में सहायता मिलेगी।
  - हाल ही में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है तथा यह कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एवं अन्य शहरों में लगभग आधा दर्जन ऐसी स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है।
  - TVS द्वारा भी चेन्नई में एक पायलट सेंटर का संचालन किया जा रहा है।

3.13. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री **अभिजीत बनर्जी,** मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) की **एस्थर डूफलो** और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के **माइकल क्रेमर** को **"वैश्विक निर्धनता को कम करने हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण"** के लिए संयुक्त रूप से **वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- पुरस्कार देने वाली समिति ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेताओं द्वारा किए गए शोध ने **वैश्विक निर्धनता को समाप्त करने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।**
- इनके नए प्रयोग-आधारित दृष्टिकोण, जिन्हें **रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल** (RCTs) कहा जाता है, ने विकास अर्थशास्त्र को रूपांतरित कर दिया है।

रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल (RCTs) क्या हैं?

- RCTs के अंतर्गत अध्ययन का परीक्षण करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित अपेक्षाकृत बड़ी समस्याओं को अपेक्षाकृत छोटी एवं आसान समस्याओं में विभाजित किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, 'निर्धनता' जैसी बड़ी समस्या को उनके विभिन्न आयामों में विभाजित किया जाता है, जैसे- निम्नस्तरीय स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा आदि।
- निम्नस्तरीय स्वास्थ्य के तहत वे पोषण, दवाओं के प्रावधान एवं टीकाकरण आदि को सम्मिलित करते हैं। टीकाकरण के तहत वे विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने का प्रयास करते हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर, निर्धारित करते हैं कि क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में नीति निर्धारण के मामलों में यह अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां राज्य की क्षमता अत्यंत सीमित है तथा कम प्रभावी नीतियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी नीतियों को प्राथमिकता देने में सक्षम होना विशेष रूप से आवश्यक है।

क्या RCTs का कोई दूसरा पहलू भी है?

- घरों या लोगों को यादृच्छिक रूप से निरूपित करने से यह तो संभावना होती ही है कि समूह समान हैं, परन्तु यह यादृच्छिक व्यवस्था **इसकी गारंटी नहीं दे सकती है।**
  - इसलिए एक समूह का प्रदर्शन दूसरे समूह से भिन्न हो सकता है, न केवल उनके साथ किए जाने वाले "उपचार (treatment)" के कारण बल्कि यह उस समूह में सम्मिलित अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं या अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित लोग के कारण भी भिन्न हो सकता है।
- साथ ही, RCTs इसकी भी गारंटी नहीं देता है कि जो केरल में प्रभावी है, वह बिहार में भी प्रभावी होगा या जो किसी छोटे समूह के लिए प्रभावी है, वह बड़े स्तर पर भी प्रभाव उत्पन्न करेगा।

VISION IAS

RCTs का उपयोग करते हुए कुछ अध्ययन

- **टीकाकरण पर:**
  - **समस्याः** निम्न सेवा गुणवत्ता एक ऐसा कारण है जिसके चलते निर्धन परिवारों द्वारा निवारक उपायों में अत्यंत कम निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी जो टीकाकरण के लिए जिम्मेदार हैं, वे प्रायः कार्य से अनुपस्थित रहते हैं।
  - **समाधानः** मोबाइल वैक्सीनेशन क्लीनिक (जहां देखभाल कर्मचारी सदैव साइट पर मौजूद रहते हैं) द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इन क्लीनिकों के दायरे में लाने के लिए जिन गांवों को यादृच्छिक तरीके से चुना गया था, उनमें टीकाकरण की दर तीन गुना (6 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी) हो गई।
  - वहीं, जिन परिवारों को अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने पर दाल की एक थैली बोनस के रूप में दी गई थी, उन स्थानों पर यह आंकड़ा बढ़ कर 39 प्रतिशत हो गया था।
  - चूंकि मोबाइल क्लिनिक की नियत लागतें कम होती हैं, इसलिए दाल के अतिरिक्त व्यय के बावजूद प्रति टीकाकरण की कुल लागत वास्तविक रूप में आधी हो गई थी।
- **शिक्षा पर:**
  - **समस्याः** कई निर्धन देशों के स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तथा शिक्षण संस्थान आमतौर पर कमजोर होते हैं।
  - **समाधानः** शिक्षकों की अनुपस्थिति के उच्च स्तर का कारण शिक्षकों के लिए स्पष्ट प्रोत्साहन व जवाबदेही का अभाव होना था। शिक्षकों को अभिप्रेरित करने का एक तरीका उन्हें अल्पकालिक अनुबंधों पर बहाल करना था। बेहतर परिणाम प्राप्त होने पर बहाली की अवधि को बढ़ाया जा सकता था।
  - प्रयोगों में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों के शिक्षक अल्पकालिक अनुबंधों पर थे, उनके परीक्षा परिणाम उल्लेखनीय ढंग से बेहतर थे, परन्तु स्थायी शिक्षकों के मामले में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुए।
  - अध्ययनों में सुझाया गया है कि अतिरिक्त संसाधनों के परिणाम सीमित रहे हैं, वहीं कमजोर विद्यार्थियों को लक्षित सहायता प्रदान करने के बेहतर सकारात्मक प्रभाव (यहां तक कि मध्यावधि में भी) हुए थे।
- **स्वास्थ्य सब्सिडी पर:**
  - **प्रश्नः** क्या दवा व स्वास्थ्य सेवा के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए और यदि हां, तो इसकी लागत क्या होनी चाहिए?
  - **प्रयोग:** एक क्षेत्र आधारित प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि कैसे परजीवी संक्रमण के प्रति कृमिहरण गोलियों (डी-वर्मिंग टैबलेट) की मांग, मूल्य के कारण प्रभावित हुई थी। यह पाया गया कि जब दवा निःशुल्क प्रदान की गई तब 75 प्रतिशत माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को ये गोलियां दी गईं, इसकी तुलना में जब दवा की कीमत अत्यधिक सब्सिडी के साथ एक डॉलर से भी कम थी तब केवल 18 प्रतिशत माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को ये गोलियां दी गईं।
  - **निष्कर्ष:** निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के संबंध में निर्धन लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

RCTs कैसे कार्य करते हैं?

- उदाहरण के लिए, यदि कोई यह समझना चाहता है कि क्या मोबाइल वैक्सीनेशन वैन एवं/या अनाज की एक थैली उपलब्ध कराना ग्रामीणों को अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगा या नहीं, तो इस हेतु एक RCT के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित चार समूहों A, B, C एवं D में विभाजित करना होगा:
  - समूह A को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन सुविधा प्रदान की जाएगी,
  - समूह B को अनाज की एक थैली दी जाएगी,
  - समूह C को दोनों प्रदान किए जायेंगे, तथा
  - समूह D को दोनों में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
- घरों का चयन यादृच्छिक अर्थात् अनियमित या आकस्मिक तरीके से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके चयन में कोई भेदभाव नहीं हो पाए। सभी समूह समान हैं तथा उनके मध्य टीकाकरण के स्तर में भिन्नता अनिवार्य रूप से अपनाए गए "हस्तक्षेपों" के कारण था।
- समूह D को "नियंत्रण" समूह कहा जाता है, जबकि अन्य सभी को "उपचार" समूह कहा जाता है।
- इस प्रकार के प्रयोग से न केवल यह ज्ञात होता है कि नीतिगत पहले प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं, बल्कि इसके द्वारा उत्पन्न परिणामों का भी आकलन किया जा सकता है।
- यह प्रयोग यह भी प्रदर्शित करेगा कि एक से अधिक पहलों के संयुक्त होने पर क्या परिणाम परिलक्षित होंगे। इससे नीति-निर्माताओं के पास नीति का चयन करने से पूर्व इससे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होंगे।

3.14. स्व-रोजगार

(Self Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS) रिपोर्ट के जारी आंकड़ों ने स्व-रोजगार के संबंध में एक नई चर्चा को उत्पन्न किया है।

भारत में स्व-रोजगार

- **परिभाषा:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, स्व-नियोजित कर्मी ऐसे कर्मी होते हैं जो एकल रूप से स्वयं अथवा एक या अधिक सहयोगियों के साथ या सहकारी रूप से कार्य करते हैं और "स्व-रोजगार की नौकरियों" के रूप में परिभाषित किसी एक नौकरी में संलग्न होते हैं तथा वे निरंतर उस नौकरी में संलग्न रहते हैं और एक या एक से अधिक व्यक्ति उनके कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं।
  - स्व-रोजगार की नौकरियां ऐसी नौकरियां हैं जिनमें पारिश्रमिक **उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त लाभ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है।**

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS)

- अप्रैल 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
- इसे NSSO के पूर्व के पंचवार्षिक (प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार) रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण की तुलना में एक **नवीन नियमित रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** के रूप में शुरू किया गया है जिसमें सर्वेक्षण पद्धति, डेटा संग्रह तंत्र और प्रतिदर्श डिजाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।
- इसे शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बाजार सांख्यिकीय संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों का मापन करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इन संकेतकों का वार्षिक आंकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसका उपयोग नीति-निर्माण के लिए किया जा सकता है।

- नवीनतम PLFS रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 के मध्य स्व-रोजगार की दर:
  - **ग्रामीण पुरुषों के मध्य स्व-रोजगार में (53.5% से 57.8%) वृद्धि हुई है।**
  - **ग्रामीण महिलाओं के मध्य स्व-रोजगार में (55.7% से 57.7%) वृद्धि हुई है।**
  - **शहरी पुरुषों के मध्य स्व-रोजगार में (41.1% से 39.2%) कमी हुई है।**
  - **शहरी महिलाओं के मध्य स्व-रोजगार में (41.1% से 34.7%) कमी हुई है।**
  - शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी या वेतन पर कार्यरत लोगों के प्रतिशत में वृद्धि के कारण स्व-नियोजित या आकस्मिक श्रम के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है।
- हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 'स्मॉल मैटर्स' नामक शीर्षक की नवीनतम रिपोर्ट** में विभिन्न देशों में स्व-रोजगार के योगदान पर भी चर्चा की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 85 प्रतिशत श्रमिक स्व-नियोजित हैं या अस्थायी कार्यों (casual work) में संलग्न हैं।
- **स्व-रोजगार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका:**
  - रोजगार सृजन के लिए गुणक प्रभाव।
  - नौकरियों में विविधता द्वारा अर्थव्यवस्था को लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाना।
  - निर्माण गतिविधियों के स्वदेशीकरण द्वारा 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन।
  - नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - महिला सशक्तीकरण।

भारत में स्व-रोजगार के विकास में योगदान करने वाले कारक

- **सरकारी योजनाएं और नीतियां:** सरकार ने भारत में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं आरंभ की हैं, जैसे- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास मिशन** आदि।
- **सेवा उद्योग आधारित संवृद्धि को बढ़ावा:** विगत दशक में, यद्यपि अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हुई है, किन्तु यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा उद्योग आधारित रही है। इस वृद्धि ने कई उच्च कुशलता वाली नौकरियों का सृजन किया है। इसके साथ-साथ कार्यबल के कौशल-स्तर में सुधार पर ध्यान न दिए जाने के कारण, निम्न कौशल वाले लोग भारत की आर्थिक प्रगति में पीछे छुट गए। ज्ञातव्य है कि इसी कारण कार्यबल के इस भाग द्वारा स्व-रोजगार को अपनाया गया है।
- **भारत में अविकसित सूक्ष्म वित्तीय प्रणाली:** बैंक में जमा राशि पर कम रिटर्न, शेयर बाजार और रियल एस्टेट आदि में निवेश से संबंधित जोखिम लोगों को अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु अपने धन का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं।

VISION IAS

भारत में स्व-रोजगार से संबंधित मुद्दे

- **कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व:** लगभग 60% स्व-रोजगार निम्न उत्पादक कृषि गतिविधियों से संबद्ध हैं तथा यह अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक है।
- **नौकरी सृजन करने वाले लोगों की कम संख्या:** आंकड़े दर्शाते हैं, कि वास्तव में केवल 4% स्व-नियोजकों द्वारा बाहर से कर्मियों को नियोजित किया जाता है।
- **औसत से कम आय अर्जन:** भारत में अधिकांश स्व-नियोजित कर्मी अत्यंत कम आय का अर्जन करते हैं। PLFS रिपोर्ट के अनुसार, सभी स्व-नियोजित कर्मियों के लिए औसत मासिक आय 8,000 रुपये प्रति माह थी, जोकि नियमित कर्मियों की औसत मासिक आय से बहुत कम है।
- स्व-रोजगार करने वालों की श्रेणी के मध्य **लैंगिक वेतन अंतराल (Gender Pay Gap)** सर्वाधिक है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुष कर्मी महिला कर्मियों की तुलना में 2.67 गुना अधिक आय अर्जन करते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पुरुष कर्मी महिला कर्मियों की तुलना में तीन गुना अधिक आय अर्जन करते हैं।
- **अधिकांश कर्मी अपंजीकृत:** स्व-नियोजित कर्मियों को केवल तब 'औपचारिक' रूप में चिन्हित किया जाता है, जब वे सरकार की किसी शाखा के साथ पंजीकृत होते हैं और/या करों का भुगतान करते हैं।
    - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation: NSSO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 63 मिलियन उद्यम पंजीकृत नहीं है, जिनमें से 96% उद्यमों को व्यक्तिगत आधार पर संचालित किया जाता है और साथ ही उनमें से अधिकांश द्वारा GST का भी भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि उनके व्यवसाय के टर्नओवर की कुल राशि 20 लाख रुपये से कम है।
- **योजनाओं की अक्षमता:** MUDRA जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने उन लोगों को पूंजी प्रदान करने की घोषणा की है जो अपना स्वयं का कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी, कई ऐसी योजनाएं अभी तक या तो अपने इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई हैं या महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने हेतु अक्षम बनी हुई हैं।
- **प्रणालीगत अक्षमताएं:** भारत में नौकरियों का बाजार अभी भी प्रणालीगत अक्षमताओं से ग्रस्त है और मुख्य रूप से पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। इसके कारण अधिकांश स्टार्ट-अप अथवा स्वामी द्वारा प्रबंधित उद्यम अंततः अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।

आगे की राह

सरकार के गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयासों को सफल करने हेतु स्व-रोजगार एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। यह उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने में तथा बढ़ती बेरोजगारी दर से निपटने में भी सहायता करता है।

देश में स्व-रोजगार से संबंधित परिवेश को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **पूंजी तक पहुँच:** चूंकि पूंजी एक ऐसे स्व-नियोजित व्यक्ति को उद्यमियों में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो स्वयं के हित के साथ-साथ आर्थिक उत्पादकता में प्रभावी योगदान करते हैं, अत: पूंजी तक पहुंच बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल बेहतर नकदी प्रवाह से कारोबार का विस्तार हो सकेगा, बल्कि अधिक रोजगारों का सृजन करने में भी सहायक होगी तथा साथ ही अधिक स्थानीय वस्तुओं के निर्माण और प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी।
- **उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल-प्रशिक्षण तक पहुँच:** यह स्व-नियोजित समुदाय को सुदृढ़ता प्रदान कर सकता है। ये कार्यक्रम उन्हें स्व-नियोजित होने से रोकने में सहायता कर सकते हैं जिससे वे नियमित और बेहतर-भुगतान वाली नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्व-रोजगार के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं।
- अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने के लिए अनौपचारिक स्व-रोजगार की इकाईयों का औपचारीकरण।
- स्टार्ट-अप्स के लिए कराधान नीति को सरल बनाना, जो कर अपवंचन को रोकने में सहायक होगी।
- नौकरशाही संबंधी बाधाओं और प्रणालीगत अक्षमताओं को समाप्त करना, ताकि व्यक्तिगत उपक्रम स्थापित करने हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
- मजदूरी का विनियमन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।

3.15. गिग इकॉनमी हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

(Social Security Scheme for gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

ड्राफ्ट कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी (सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे) में प्रस्तावित किया गया है कि केंद्र सरकार गिग कर्मियों (gig workers) हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रस्तावित कर सकती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर, **गिग कर्मियों और प्लेटफॉर्म कर्मियों (platform workers)** हेतु उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार और अधिसूचित किया जा सकता है।

- इस प्रकार की योजनाओं में **"जीवन और नि:शक्तता कवर", "स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ", "वृद्धावस्था सुरक्षा" तथा "केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लाभ" जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा।**
- पहली बार, 'गिग कर्मियों' और 'प्लैटफॉर्म कर्मियों' को मसौदा कानून में शामिल किया गया है।
- **मसौदा कानून द्वारा गिग कर्मी** को "ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी कार्य में नियोजित है अथवा कार्य निष्पादन में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों के एवज में परंपरागत "नियोक्ता-कर्मचारी संबंध" से इतर आय अर्जित करता है।" इसके उदाहरण हैं- फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, परियोजना-आधारित श्रमिक और अस्थायी अथवा अंशकालिक श्रमिक।
- **प्लेटफॉर्म कर्मी/श्रमिक,** ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी ऐसे संगठन का भाग होता है, जो "भुगतान के प्रतिफल में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने अथवा विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है", जैसे- उबर (Uber) कार चालक।

भारत में गिग कर्मी/श्रमिक

- ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के 'ऑनलाइन लेबर इंडेक्स' के अनुसार, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स व रचनात्मक और विपणन पेशेवरों की मांग के कारण, **ऑनलाइन श्रम बाजार के क्षेत्र में 24% की हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था का अग्रणी देश है।**
- वर्ष 2017 में EY के "फ्यूचर ऑफ़ जॉब्स इन इंडिया" अध्ययन में दर्शाया गया है कि भारत में विश्व के 24% संविदा कर्मी निवास करते हैं। इंटुइट (Intuit) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020 तक भारत में गिग इकॉनमी कर्मियों की संख्या कुल श्रमबल का 43% हो जाएगी।

गिग इकॉनमी के संदर्भ में वैश्विक प्रयास

- हाल ही में, **कैलिफोर्निया** में गिग कर्मियों को अनुबंध कर्मियों के बजाय कर्मचारियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु एक कानून पारित किया गया।
- **न्यूयॉर्क** में विगत वर्ष गिग कर्मियों हेतु एक न्यूनतम पारिश्रमिक कानून पारित किया लेकिन उन्हें कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।
- हाल ही में, **यूरोपीय संसद** ने उन नियमों को स्वीकृति प्रदान की है जिनमें नियोक्ताओं द्वारा सभी कर्मियों को उनके रोजगार शर्तों, जैसे- कार्यों का विवरण, कार्य के लिए किसी एक्सक्लूसिव क्लॉज़ का न होना आदि के बारे में सूचित करना शामिल है।

गिग इकॉनमी हेतु सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

- **गिग कर्मियों की बढ़ती संख्या:** हाल के वर्षों में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के गिग इकॉनमी के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है।
- **श्रम अधिकार सुनिश्चित करने हेतु:** गिग इकॉनमी में कार्यरत कर्मियों को नियोजित कर्मियों के समान अधिकार और सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है, जैसे- स्वास्थ्य लाभ, ओवरटाइम वेतन और सवेतन बीमारी अवकाश।
- **सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए खतरा:** गिग कर्मियों की बढ़ती संख्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के अंशदान आधार की समाप्ति के सम्मुख चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं क्योंकि संबंधित व्यापारिक कंपनियां, उन कर्मियों को कार्य स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं जिन्हें कम से कम सुरक्षा प्राप्त है।

गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **परिभाषा संबंधी मुद्दा:** गिग वर्कर्स "कर्मचारी" अथवा "कर्मी" की परिभाषा में उचित रूप से समायोजित नहीं होते हैं और इसलिए ये भारत के श्रम कानून के दायरे से बाहर हैं। हाल ही में, सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा में भी गिग कर्मियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
  - यह सुनिश्चित करने हेतु कि गिग कर्मी की परिभाषा यथासंभव व्यापक हो, सरकार ने मसौदा कानून में "प्लैटफॉर्म वर्कर" शब्द का पृथक रूप से उपयोग किया है।
- **जटिल परिवेश:** गिग अर्थव्यवस्था संबंधी परिवेश जटिल है, जहां यह निर्धारित करना कठिन होता है कि नियोक्ता के अंशदान के लिए किसे उत्तरदायी होना चाहिए अथवा गिग कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की लागत का वहन किसके द्वारा किया जाएगा।
  - उदाहरण के लिए, जोमैटो (Zomato) और स्विग्गी (Swiggy) जैसी कंपनियों के कर्मचरियों की नियुक्ति में OLX सहायता करती है। इससे वास्तविक नियोक्ता को निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- **कंपनियों पर लागत का भार:** अत्यधिक नियमन से कंपनियों पर अतिरिक्त लागत का भार उत्पन्न हो सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा।

VISION IAS

- **अंशकालिक श्रमिकों पर प्रभाव:** कंपनियों को सभी सेवाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करने से शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल के कई लाभ और क्षमताएँ निष्फल होती हैं (शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल अनेक व्यक्तियों को उनके समय और कार्यक्रम की व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त कार्य करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है)।
- **परिवर्तनशील वेतन:** गिग कर्मियों के वेतन में प्रायः परिवर्तन होता है क्योंकि उन्हें अनियमित अंतराल पर भुगतान किया जाता है। इसलिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक अंशदानों की गणना करना कठिन है।

वैकल्पिक उपाय

- **सामाजिक संरक्षण का वैयक्तिकरण:** यह दृष्टिकोण कर्मियों द्वारा स्वयं किए गए सभी सामाजिक सुरक्षा अंशदानों को रिकॉर्ड करके व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों से संबद्ध करता है, न कि रोजगार संबंधों को।
    - आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) के सदस्य देश वर्तमान में ऐसे "व्यक्तिगत गतिविधि खाते (individual activity accounts)" आरंभ करने की योजना बना रहे हैं, जो लाभार्थियों को उन कार्यों हेतु धन आहरण की सुविधा प्रदान करते हैं जो पहले से ही सामाजिक सुरक्षा से बीमाकृत नहीं हैं, जैसे कि- शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यवसाय आरंभ करना।
- **ग्रुप प्लान:** कंपनियों को ग्रुप प्लान में भागीदारी करने हेतु गिग कर्मियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि ग्रुप प्लान प्रायः व्यक्तिगत बाजार कवरेज की लागत से कम करते हैं।
- **गिग कर्मियों के लिए विशेष योजनाएं:** कुछ देशों में कलाकारों तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के लिए विशेष योजनाएं संचालित हैं, जिनका प्रायः अस्थिर रोजगार प्रतिरूप होता है और इस कारण इनके समक्ष सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने हेतु अंशदान अवधियों को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष

बढ़ती हुई गिग इकॉनमी के कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन इस हेतु किसी नीति को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व सरकार को सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा।

3.16. 20वीं पशुधन गणना

(20th Livestock Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के **पशुपालन एवं डेयरी विभाग** ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है।

पशुधन गणना के बारे में

- इसे वर्ष **1919-20** से आवधिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस गणना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी पालतू पशुधन को सम्मिलित किया जाता है।
- पशुओं की विभिन्न प्रजातियों (मवेशी, भैंस, याक, भेड़, बकरी, सुअर, गधा, ऊंट, कुत्ता, खरगोश, हाथी आदि)/कुक्कुट, जिन्हें परिवार, पारिवारिक उद्यमों/गैर-पारिवारिक उद्यमों और संस्थानों द्वारा पालतू बनाया जाता है, की उनके स्थान पर गणना की जाती है।
- **सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सहभागिता** से **20वीं पशुधन गणना** आयोजित की गई।
    - यह गणना एक अद्वितीय प्रयास है क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से पारिवारिक स्तर के आंकड़ों को डिजिटल बनाने की महत्वपूर्ण पहल की गई है।
    - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर विकसित किया गया है जिसका उपयोग आंकड़ा संग्रह के साथ-साथ NIC सर्वर पर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के ऑनलाइन प्रसारण हेतु किया गया।
    - यह गणना नस्ल-वार पशुओं और कुक्कुट की संख्या का ज्ञात करने के लिए की गई।

Livestock Survey, 2019 (in Millions)

Animals	2019 Survey	2012 Survey	% Difference
Cattle	192.49	190.90	0.83
Buffaloes	109.85	108.70	1.00
Goats	148.88	135.17	10.10
Sheep	74.26	65.06	14.10
Pigs	9.06	10.29	-12.03
Poultry	851.81	729.2	16.80
Total	**535.78**	**512.06**	**4.60**

- **पिछली पशुधन गणना वर्ष 2012** में आयोजित की गई थी।
- आकड़ों का संग्रह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है।

वर्ष 2012 की गणना की तुलना में इस गणना के प्रमुख निष्कर्ष

- **वर्ष 2019** के राज्य-वार गणना में **उत्तर प्रदेश** में **सर्वाधिक पशुधन संख्या** दर्ज की गई है; उसके पश्चात् क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात का स्थान है।
- **मवेशियों की संख्या** के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है, जिसके पश्चात् क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का स्थान है।

- वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मवेशियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि इस अवधि के दौरान झारखंड और बिहार में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- संपूर्ण गोवंशीय पशुधन की संख्या (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक) 302.79 मिलियन है। यह विगत गणना की तुलना में 1.0% की वृद्धि को दर्शाता है।
- मवेशियों की देशज नस्लों में गायों की संख्या में 10% की वृद्धि देखी गई है।
    - हालांकि, मवेशियों (नर और मादा) की देशज नस्लों की समग्र संख्या में 6% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि संकर नस्ल/विदेशज मवेशियों की संख्या में 27% की वृद्धि दर्ज की गई।
- गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं (in-milk and dry) की संख्या 125.34 मिलियन है; पिछली गणना की तुलना 6.0% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- घोड़ों, खच्चरों, गधों और ऊंटों की संख्या में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है जो छोटे शहरों में कम दूरी के परिवहन हेतु उनके कम होते महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- देश में बैकयार्ड पोल्ट्री में कुल पक्षियों की संख्या 46% की वृद्धि के साथ 317.07 मिलियन है।
    - वर्ष 2019 में देश में कुल वाणिज्यिक कुक्कुट पालन 534.74 मिलियन रहा है, जिसमें 4.5% की वृद्धि हुई है।

3.17. विद्युत खरीद समझौता

(Power Purchase Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न राज्य, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements: PPAs) पर पुनर्वार्ता (renegotiate) करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

PPAs क्या हैं?

- **PPA** वस्तुतः विद्युत उत्पादनकर्ता और विद्युत की खरीद करने वाले (दो) पक्षों के मध्य एक अनुबंध को संदर्भित करता है।
    - PPA दो पक्षों के मध्य विद्युत विक्रय की सभी वाणिज्यिक शर्तों को परिभाषित करता है। इसमें परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन का समय, विद्युत वितरण का कार्यक्रम, अल्प वितरण की स्थिति में अर्थदंड, भुगतान की शर्तें और समझौते की समाप्ति शामिल हैं।
- भारत में, राज्य सरकारों ने विद्युत संयंत्र स्थापित करने और सरकार को पुन: विद्युत विक्रय करने हेतु निजी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ ऐसे समझौते किए हैं।
    - PPA के होने से, देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को विद्युत खरीद के संबंध में नीतिगत निश्चितता प्रदान करके उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विद्युत खरीद समझौतों का महत्व

राज्य के लिए

- किसी प्रकार का परिचालन और अनुरक्षण संबंधी उत्तरदायित्व नहीं;
- जटिल प्रणाली को अभिकल्पित करने और अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं; और
- 15-25 वर्षों के लिए विद्युत की अनुमानित कीमत।

ऊर्जा कंपनियों के लिए

- **सुनिश्चित थोक खरीद:** क्योंकि इसमें राज्य शामिल होते हैं जिनके डिफ़ॉल्ट होने की संभावना न्यूनतम होती है।
- **बेहतर परियोजना संरचना:** PPA विद्युत की मांग के संबंध में अनिश्चितताओं को समाप्त करता है तथा परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए विद्युत खरीद की मात्रा और भुगतान की जाने वाली कीमत के संबंध में कुछ गारंटी प्रदान करता है।
- **प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा:** क्योंकि इससे सस्ती अथवा सब्सिडी प्राप्त घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं करना पड़ता है।

नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ PPAs के संबंध में वर्तमान स्थिति

- हाल के दिनों में, कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित समझौतों की समीक्षा की है अथवा उनसे बाहर हो गई है।
    - **उत्तर प्रदेश सरकार** ने यह निर्दिष्ट करते हुए पवन ऊर्जा संयंत्रों से **650** मेगावाट विद्युत खरीद को रोक दिया है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इन संयंत्रों के लिए प्रशुल्कों को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।
    - **आंध्र प्रदेश सरकार** ने **139** सौर एवं पवन ऊर्जा संबंधी अनुबंधों में अधोगामी संशोधन (downward revision) की मांग की है।

VISION IAS

- बढ़ते ऋणों और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा असामयिक भुगतानों के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अनुबंधों की शुचिता को बनाए रखने की सलाह दी है।

ये राज्य PPAs पर पुनर्वार्ता करना क्यों चाह रहे हैं?

- **प्रशुल्कों की गतिशील प्रकृति:** परिवर्तनशील प्रशुल्कों के कारण, कई राज्य विद्युत बोर्ड (SEB) अपने प्रशुल्क समझौतों पर पुनर्वार्ता करना चाह रहे हैं, जैसे- आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2015 में विभिन्न पवन ऊर्जा उत्पादकों के साथ लगभग 4.76 रुपये प्रति यूनिट की दर से PPA पर हस्ताक्षर किया था, जो तत्समय प्रतिस्पर्धी प्रतीत हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) 3.46 रुपये प्रति यूनिट की निम्नतम दर की निविदा प्राप्त करने में सफल रहा है।
- **PPA की दीर्घावधि:** PPA पर 15-25 वर्षों की दीर्घावधि के लिए हस्ताक्षर किया जाता है लेकिन अब राज्यों को PPA के तहत निर्धारित किए गए सहमत प्रशुल्क अधिक प्रतीत हो रहे हैं।
- **DISCOMs की वित्तीय स्थिति:** इन राज्यों में DISCOMs वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण पवन और सौर ऊर्जा संबंधी PPA के उच्च प्रशुल्कों का होना है।

PPA पर पुनर्वार्ता के संभावित प्रभाव

- **निवेशक की भावना प्रभावित:** अनुबंधों के निरसन और समझौतों से बाहर होने से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित होंगी और नए निवेश हतोत्साहित होंगें।
- **इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस:** इसका महत्वपूर्ण आधार अनुबंधों की प्रवर्तनीयता है, जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की संभावना:** चूंकि बैंकों ने इन विकासकर्ताओं को अत्यधिक ऋण प्रदान किया है, ऐसे में परियोजनाओं के बंद होने की स्थिति में ऋणों का पुनर्भगतान प्रभावित हो सकता है। इससे एक नया चक्र आरंभ हो सकता है जहां बैंकों द्वारा ऐसे उद्यमियों को और अधिक ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत का लक्ष्य:** इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की संस्थापना का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह

राज्यों को UDAY के अंतर्गत विद्यमान तंत्र और उपलब्ध अन्य सुधारों का उपयोग करके DISCOMs की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। DISCOMs की खराब वित्तीय स्थिति के लिए PPA को दोष देने के बजाय अन्य मुद्दों के साथ-साथ मीटरिंग, संग्रह, निम्न विद्युत प्रशुल्क से संबंधित निष्फलताओं की समीक्षा की जानी चाहिए।

3.18. प्रकाश पोर्टल

(Prakash Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **प्रकाश {आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता (PRAKASH- Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony)}** पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रकाश पोर्टल के बारे में

- इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
- यह तापविद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह पोर्टल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation: NTPC) द्वारा विकसित किया गया है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों से आकड़े प्राप्त किए जाते हैं।
- यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रण और निगरानी करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - आपूर्ति स्रोतों (खानों) पर कोयले का भंडार (स्टॉक);
    - नियोजित कोयले की मात्रा/रेक (rakes);
    - पारगमन में कोयले की मात्रा; और
    - विद्युत उत्पादक केन्द्रों पर कोयले की उपलब्धता।

यह पोर्टल नीचे वर्णित निम्नलिखित चार रिपोर्ट्स उपलब्ध कराएगा-

- **विद्युत संयंत्र की दैनिक स्थिति:** यह रिपोर्ट विद्युत उत्पादन, कोयला प्राप्ति, उपभोग और भंडार से संबंधित आंकड़े प्रदान करेगी।
- **विद्युत संयंत्र की आवधिक स्थिति:** यह रिपोर्ट निर्धारित अवधि के लिए विद्युत उत्पादन, कोयला प्राप्ति, उपभोग और भंडार से संबंधित आंकड़े प्रदान करेगी।
- **संयंत्र अपवाद रिपोर्ट (Plant Exception Report):** यह रिपोर्ट रेल के माध्यम से आने वाले पदार्थ (कोयला) और रेक के संबंध में आकड़े प्रदान करेगी।
- **कोयला प्रेषण रिपोर्ट (Coal Dispatch Report):** यह रिपोर्ट कोयला अनुषंगी कंपनी, संयंत्र, स्रोत और साइडिंग आधारित विवरण प्रदान करेगी।

हितधारकों को पोर्टल से होने वाले लाभ

- **कोयला कंपनी,** प्रभावी उत्पादन योजना के लिए विद्युत स्टेशनों पर स्टॉक और कोयले की आवश्यकता को ट्रैक करने में सक्षम होगी।
- **भारतीय रेलवे** विद्युत स्टेशनों पर वास्तविक कोयला उपलब्धता और उपलब्ध स्टॉक के अनुसार रेक स्थापित करने की योजना बनाएगी।
- **विद्युत स्टेशन**, आने वाली रेक और पहुंचने का प्रत्याशित समय ज्ञात करके भावी कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं।
- **विद्युत मंत्रालय**/कोयला मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में तापविद्युत संयंत्रों में कोयले की समग्र उपलब्धता की समीक्षा कर सकते हैं।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. नागा शांति वार्ता

(Naga Peace Talks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा नागा शांति वार्ता पर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए निर्धारित 31 अक्टूबर की समय सीमा कुछ बिंदुओं पर अस्पष्टता के साथ समाप्त हो गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एक पृथक नागा ध्वज** तथा **संविधान** के मुद्दे, सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक मुइवाह) (NSCN-IM) के मध्य अंतिम समझौते पर सहमति बनने में अवरोधक रहे।
    - अब, NSCN (IM), पृथक संविधान के बगैर एवं एक सशर्त ध्वज (जिसका उपयोग केवल गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है) के साथ समझौता करने के लिए सहमत हुआ है।
    - NSCN-IM को 'ग्रेटर नागालिम' के निर्माण हेतु मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्यों को नागा लोगों द्वारा अधिवासित अपने प्रदेशों के कुछ हिस्सों को छोड़ने के लिए सहमत करना होगा।
- लेकिन गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में दावा किया कि कोई अंतिम समझौता संपन्न नहीं हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि नागा समूहों के साथ किसी भी समझौते को संपन्न करने से पूर्व **असम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश सहित सभी हितधारकों** से विधिवत परामर्श किया जाएगा तथा उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा।
- वर्ष 2015 में नागा शांति समझौते के अस्तित्व में आने के चार वर्ष पश्चात् कुछ प्रगति हुई है, हालांकि, केंद्र एवं विद्रोही समूह अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सके हैं।

नागा संघर्ष और शांति वार्ता का कालानुक्रम

- **1881:** नागा हिल्स, ब्रिटिश भारत का भाग बना।
- **1918:** नागा क्लब के गठन के साथ **नागा प्रतिरोध का प्रथम संकेत। इन्होंने वर्ष 1929 में साइमन कमीशन से कहा था कि** "हमें स्वयं के मामलों को निर्धारित करने के लिए अकेला छोड़ दें।"
- **1946:** अंगामी झापू फिज़ो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल (NNC) का गठन, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया।
- **1951:** NNC ने "संप्रभु नागा राष्ट्र" स्थापित करने का संकल्प लिया तथा एक "जनमत संग्रह" कराया, जिसमें "99 प्रतिशत" लोगों ने एक "स्वतंत्र" नागालैंड का समर्थन किया।
- **1952:** फिज़ो ने भूमिगत नागा संघीय सरकार (NFG) तथा नागा संघीय सेना (NFA) का गठन किया।
- **1958:** भारत सरकार ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना को भेजा तथा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को अधिनियमित किया।
- **1975: NNC** नेताओं के एक समूह ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत **NNC** और **NFG** के इस समूह ने हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। थ्यूइंगालेंग मुइवा (जो उस समय चीन में थे) के नेतृत्व में लगभग 140 सदस्यों के एक समूह ने शिलांग समझौते को अस्वीकृत कर दिया तथा वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया।
- **1988:** NSCN, NSCN (इसाक-मुइवा)/(IM) तथा NSCN (खापलांग)/(K) में विभाजित हो गया।
- **1991:** फ़िज़ो की मृत्यु हो गई तथा NSCN (IM) को इस क्षेत्र में जारी "सभी विद्रोहियों के जनक" के रूप में देखा जाने लगा।
- **1995:** NSCN (IM) के साथ **शांति वार्ता शुरू हुई,** जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने पेरिस में मुइवा, स्वू तथा अन्य से मुलाकात की।
- **1997:** भारत सरकार ने 80 दौर की वार्ता के पश्चात् **NSCN (IM) के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए।**
- **2015: NSCN-IM, ने नागा संप्रभुता के विचार को त्याग दिया** तथा **"भारतीय संघ के भीतर एक समझौते के लिए सहमत" हो गया।**
    - **NSCN (IM) की मांग: एक "ग्रेटर नागालिम",** जिसमें नागालैंड के साथ-साथ "सभी समीपवर्ती नागा अधिवासित क्षेत्र" सम्मिलित होंगे। इसमें असम, अरुणाचल एवं मणिपुर के कई जिले भी शामिल हैं, साथ ही, म्यांमार का एक बड़ा भू-भाग भी इसमें सम्मिलित है।

VISION IAS

- **NSCN (K) इस वार्ता का विरोध करता है** तथा उसने हिंसक प्रतिरोध जारी रखे हैं, हालांकि, वर्ष 2017 में खापलांग की मृत्यु के पश्चात् यह कमजोर हुआ है।

नागा शांति वार्ता के मार्ग में अवरोध

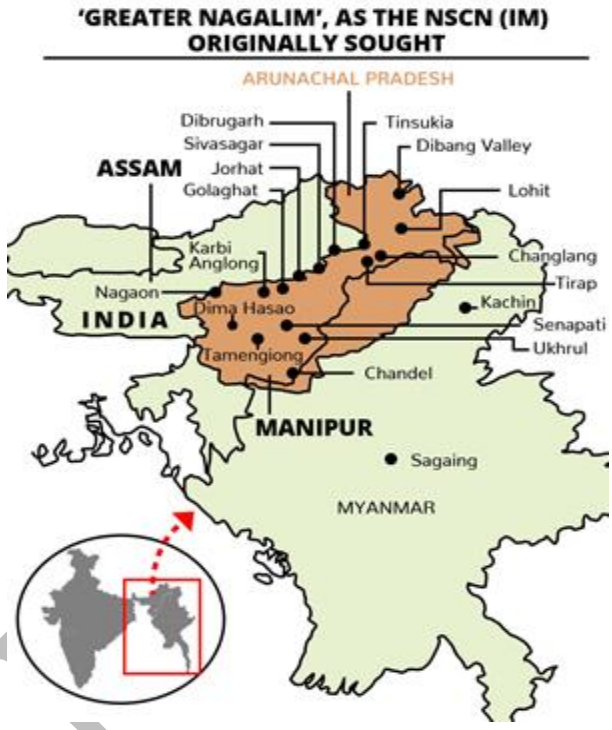

- **मांग की प्रकृति:** NSCN (IM), एक पृथक ध्वज एवं संविधान के मुद्दे को शांति वार्ता प्रक्रिया के अभिन्न भाग के रूप में मानता है। इसका कहना है कि, इन मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किए बिना समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।
  - इसके लिए देश की संघीय गतिशीलता में मूलभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **अनुच्छेद 371A का अस्तित्व:** अनुच्छेद 371A विनिर्दिष्ट करता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ; नागा रुढ़िजन्य विधि एवं प्रक्रिया; सिविल एवं दांडिक न्याय प्रशासन, जहाँ विनिश्चय नागा रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं; भूमि एवं उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व तथा अंतरण; के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है।
  - इस **अनुच्छेद में संशोधन चल रही नागा शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है** ताकि इस प्रश्न का समाधान किया सके कि नागा लोगों का भूमि एवं संसाधनों पर (धरातल के ऊपर एवं नीचे स्थित) अधिकार है अथवा नहीं?
  - नागा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में **अनुच्छेद 371 की सीमाएं** तब प्रकट हुईं, जब नागालैंड विधान सभा ने 26 जुलाई 2010 को अनुच्छेद 371A(1)(a) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अभिशासन हेतु संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम नागालैंड राज्य के लिए अप्रयोज्य (inapplicable) हैं।
  - हालाँकि, वर्ष 2013 में, सरकार ने **नागालैंड विधान सभा के संकल्प को "असंवैधानिक और अमान्य" घोषित कर दिया था।**
- **अन्य राज्यों की अखंडता:** यदि समझौते में अन्य राज्यों से भूमि लेने का कोई प्रावधान शामिल किया जाता है, तो भी शायद संबंधित तीन राज्यों अर्थात् मणिपुर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में से कोई भी राज्य अपनी भूमि का एक इंच भी 'ग्रेटर नागालिम' में जोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
  - मणिपुर में, **मेइती** (इंफाल घाटी में अधिकांश जनसंख्या), नागा एवं कुकी जनजातीय समूह पर्वतीय जनजातीय जिलों में बहुतायत में निवास करते हैं। दशकों से, इन समुदायों ने नृजातीय मातृभूमि (ethnic homelands) के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मांग की है।
    - मेइती समूहों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों ने एक लंबे समय तक चलने वाली इस आशंका को प्रतिध्वनित किया है कि : **"नागा समस्या का समाधान मणिपुर की अखंडता की कीमत पर किया जाएगा"।**
- **अन्य समूहों द्वारा की जाने वाली समान मांगें:** राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य में लोकतंत्र की भूमिका को कमजोर किया है तथा विभिन्न गुटों एवं संगठनों के अलग-अलग एजेंडे और मांगों के संबंध में आशंकाओं को प्रेरित किया है।
  - सरकार के साथ पहले से ही वार्तारत कूकी समूहों को आशंका है कि नागा समस्या का समाधान उन्हें उनकी कल्पित मातृभूमि से पृथक करेगा।
- **संघीय संरचना:** एक संघीय ढांचे के तहत, केंद्र सरकार किसी राज्य को इस हेतु निर्देशित करने की स्थिति में नहीं है कि वह अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों का त्याग कर पाए। अतः NCSN (IM) को लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इन राज्यों को सहमत कराने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे के कारण उत्पन्न समस्याएँ

- **पूर्वोत्तर में अशांति:** विभिन्न अफवाहों, जैसे कि नागा समझौते पर एकतरफा हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, के कारण उत्तर-पूर्व में शांति भंग हो रही हैं। निरंतर छुटपुट हिंसा का जारी रहना संघर्ष समाधान के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है।
- **अन्य राज्यों पर प्रभाव:** असम, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर ग्रेटर नागालिम के निर्माण की मांग को लेकर संशय में हैं क्योंकि इससे उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो सकता है।
  - समझौते का अंतिम परिणाम व्यापार एवं वाणिज्य के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं नृजातीय एकता के मामले में राज्यों को प्रभावित कर सकता है।

VISION

- **पूर्वोत्तर में उग्रवाद:** NSCN (IM) की मांगों के कारण, पूर्वोत्तर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है तथा यह पूर्वोत्तर में विशेषकर सरकार के विरुद्ध उग्रवाद का प्रसार कर रही है।
    - वर्ष 1958 में, सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) भी लागू किया था। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों को आंतरिक सुरक्षा के मामलों में न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त है।
- **लोगों के विश्वास में कमी:** संघर्ष के समग्र कुप्रबंधन के कारण लोगों का शासन, राजनीति तथा शांति प्रक्रिया में विश्वास कम हुआ है। लंबे समय तक चल रही शांति वार्ता ने वांछित प्रभाव खो दिया है।

आगे की राह

- सरकार को वर्ष 2015 के समझौते में निहित "विशेष व्यवस्था" की **कई व्याख्याओं के कारण उत्पन्न अव्यवस्था** को संबोधित करना चाहिए, विशेष रूप से इस पर कि 'सहभाजित संप्रभुता' (shared sovereignty) का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा।
- सरकार को समय सीमा घोषित करके समाधान निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें नागालैंड राज्य के **आतंरिक एवं बाह्य सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए** तथा सभी को संतुष्ट करने वाली शांतिपूर्ण वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
- **अन्य वर्गों की संवेदनशीलता** को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, उदाहरण के लिए- **कुकी जनजाति** (जो मणिपुर पहाड़ियों में नागाओं के साथ संघर्ष की स्थिति में हैं) द्वारा अपने क्षेत्रों पर नागा प्रभुत्व को स्वीकार करने की संभावना नहीं है।
- अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर भी NSCN-IM की ग्रेटर नागालिम की अवधारणा के प्रति सतर्क हैं, क्योंकि इसके कारण उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो सकता है। सरकार और NSCN (IM) को अपने दृष्टिकोण में पूर्णतया पारदर्शी होना चाहिए। साथ ही, किसी भी अंतिम समझौते पर पहुँचने से पूर्व **सभी वास्तविक राजनीतिक संरचनाओं, नागरिक समाज तथा जातीय समूहों को विश्वास में लेना चाहिए।**
- **लोगों के मध्य परस्पर संपर्क** स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों की वास्तविक समस्याओं को एक बड़े मंच पर पहुँचाया जा सके। न केवल भारत और पूर्वोत्तर के मध्य, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के मध्य भी अधिक पार-सांस्कृतिक खुलेपन (cross-cultural openness) की आवश्यकता है।

4.2. भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा

(Critical Information Infrastructure Security in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP) पर साइबर हमले हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र को अमेरिका स्थित एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी से खुफिया जानकारी प्राप्त हुई कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और इसरो पर वायरस अटैक हुआ तथा "डोमेन कंट्रोलर" को इंटरसेप्ट किया गया।
- इस स्पाईवेयर की पहचान **'डीट्रैक' (Dtrack)** के रूप में की गई है, जिसे डेटा चोरी करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसके द्वारा सभी प्रभावित उपकरणों पर हैकर या 'थ्रेट एक्टर' को क्रेडेंशियल और पासवर्ड की सूचना प्रदान करके पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया जाना था।
- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ढांचे की सुभेद्यता को उजागर करने वाले इन दो घटनाओं ने भारत के साइबरस्पेस में एक वैध शक्ति होने के दावों पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया है।

भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure: CII) सुरक्षा

- **महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्या है?**
    - इसे "उन सुविधाओं, प्रणालियों या कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी अक्षमता या विनाश राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं एक राष्ट्र के सामाजिक हितों को कमजोर करेगा।"
    - CII के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
        - ताप-विद्युत, जल-विद्युत, नाभिकीय उर्जा आदि जैसे विद्युत उर्जा क्षेत्रक।
        - बैंकिंग, बीमा क्षेत्रक एवं वित्तीय संस्थान, जैसे- RBI, स्टॉक एक्सचेंज, भुगतान गेटवे आदि।
        - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जैसे- उपग्रह संचार, प्रसारण आदि।
        - परिवहन, जैसे- नागर विमानन, रेलवे, शिपिंग आदि।
        - ई-प्रशासन और रणनीतिक सार्वजनिक उद्यम।
    - सरकार ने भारत में CIIs की सुरक्षा के लिए संबंधित अनुसंधान एवं विकास सहित सभी प्रकार के उपायों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (NCIIPC) को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 70A (1) के तहत नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

भारत में साइबर सुरक्षा के लिए स्थापित तंत्र

- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC):** यह सभी CIIs की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- **कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम - इंडिया (Computer Emergency Response Team - India: CERT-IN):** यह सभी गैर-महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए और सभी साइबर हमलों पर रिपोर्ट एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre: NCCC):** इसकी स्थापना देश में इंटरनेट ट्रैफ़िक को स्कैन करने तथा रियल टाइम स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने के लिए की गई है।

- **महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा का महत्व**
  - ये सूचना अवसंरचना साइबर हमलों और उल्लंघनों (breaches) के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य हैं, क्योंकि:
    - CIIs अपने डिजाइन में जटिल और गहन रूप से परस्पर अंतर-संबद्ध हैं। साथ ही, ये भौगोलिक रूप से भी अधिक विस्तृत हैं।
    - ये अवसंरचना, हमलों के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य हैं, क्योंकि इन प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए समर्पित हथियार प्रणाली या सेनाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
    - इन महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों के कार्यकरण में किसी प्रकार की विलंबता या व्यवधान संभावित रूप से अन्य CII में भी विस्तारित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
    - किसी एक बिंदु पर एक मामूली व्यवधान संपूर्ण अवसंरचना में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है।
  - CII पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बढ़ती उच्च निर्भरता तथा विभिन्न प्रकार के खतरों जिनके प्रति वे सुभेद्य हैं, के साथ युग्मित होने से यह CII की सुरक्षा हेतु प्रभावी नीति और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता को अवश्यंभावी बनाता है।

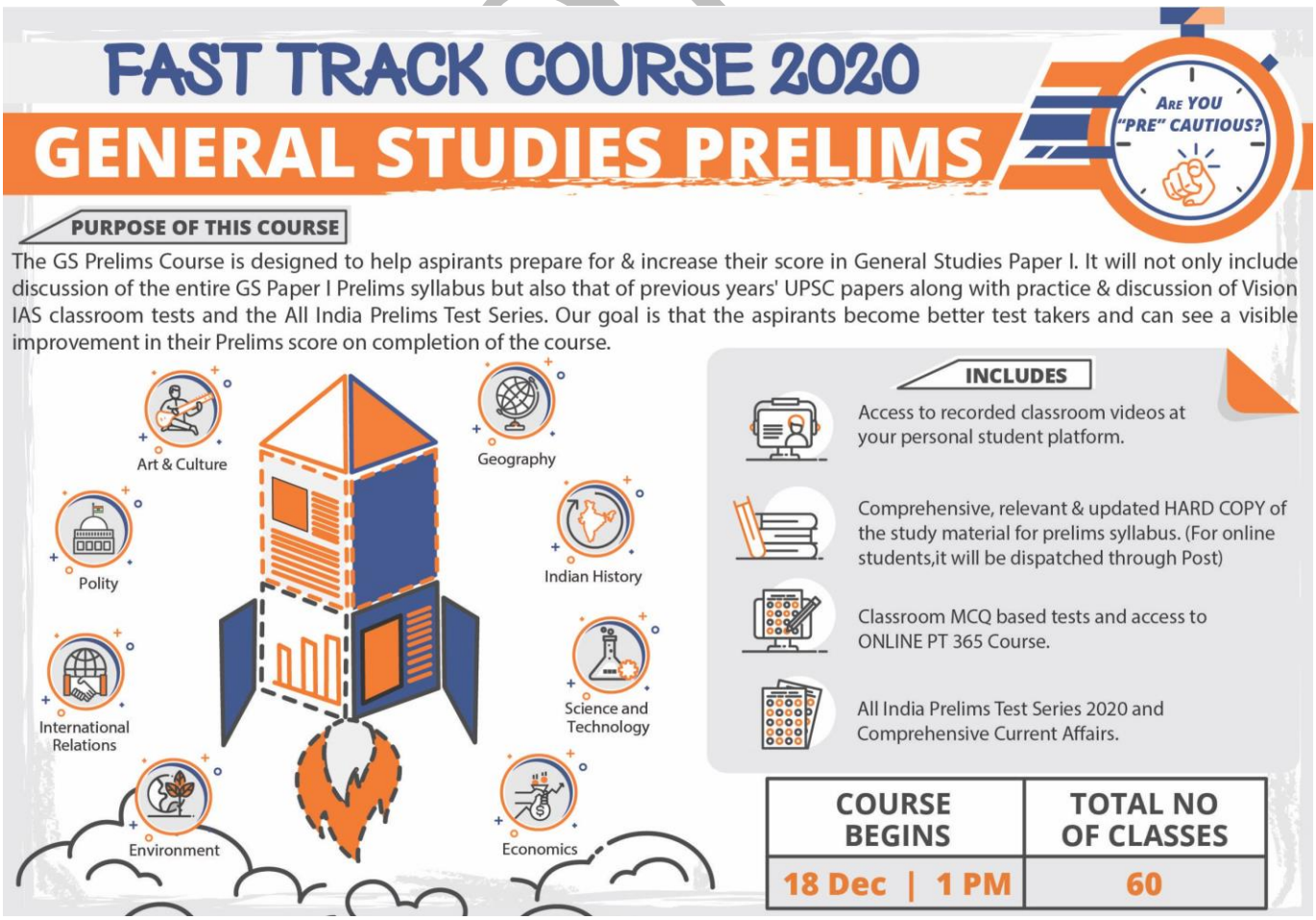

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. भारत में जल का मूल्य निर्धारण

(Pricing of Water in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को **जल जीवन मिशन** के तहत पाइप द्वारा की जाने वाली पेयजल की आपूर्ति के लिए जल प्रभार निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

भारत में जल के मूल्य निर्धारण की आवश्यकता

भारत में अभूतपूर्व जल संकट की स्थिति को देखते हुए जल के मूल्य को निर्धारित करने वाली एक मानकीकृत व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है।

- **भारत में लगभग 82% ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति की पृथक व्यवस्था नहीं है** और 163 मिलियन लोगों के घरों के निकट स्वच्छ जल के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। **भारत का 70% धरातलीय जल (surface water) संदूषित हो चुका है।**
- जहां **कम होती हुई प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता** भारत के जल संकट में वृद्धि कर रही है, वहीं अपने जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में विफलता भी इसका एक प्रमुख कारण है। भारत वर्चुअल वाटर ट्रेड (अत्यधिक जल गहन कृषि उत्पादों के माध्यम से) के माध्यम से **भौम जल (groundwater) का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है,** जबकि देश के **52%** कुओं में निरंतर जलस्तर घट रहा है।
- **कृषि:** लगभग **80%** जल संसाधनों का उपभोग करने वाली कृषि में **जल उपयोग दक्षता** विश्व में सर्वाधिक कम अर्थात् **25-35** प्रतिशत है। यह मलेशिया एवं मोरक्को के **40-45** प्रतिशत तथा इज़राइल, जापान, चीन और ताइवान के **50-60** प्रतिशत की तुलना में अत्यल्प है।
- **नगरपालिकाएं और शहरी केंद्र,** अपशिष्ट जल के उपचार की लागत वसूल करने तथा अपने निवासियों को पेयजल की सतत आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। यह पाइप लाइनों से संबंधित निम्नस्तरीय अवसंरचना, संदूषित जल और जल के अपव्यय के संदर्भ में भी परिलक्षित होता है।

संबंधित तथ्य

भारत में सार्वजनिक प्रणाली में जल के मूल्य निर्धारण के प्रति नीतिगत दृष्टिकोण

- वर्ष **1987** की **राष्ट्रीय जल नीति** में परिकल्पना की गई कि जल की दरों को इस संसाधन के दुर्लभता मूल्य को प्रदर्शित करना चाहिए और जल उपयोग में मितव्ययता को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- वर्ष **2002 की नीति** में यह परिकल्पना की गई कि आरंभ में विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभारों के तहत कम से कम परिचालन एवं अनुरक्षण शुल्क को शामिल किया जाना चाहिए और बाद में पूंजीगत लागत के कुछ अंश को शामिल किया जाना चाहिए।
- **वर्ष 2012 की नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति** में यह परिकल्पना की गई कि जल के मूल्य निर्धारण को इसके कुशल उपयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा इसके संरक्षण को पुरस्कृत करना चाहिए।

डबलिन सिद्धांत (Dublin Principles)

इसे वर्ष 1992 में डबलिन (आयरलैंड) में आयोजित जल एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था।

- **स्वच्छ जल एक सीमित और सुभेद्य संसाधन है,** जो जीवन, विकास एवं पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- जल का विकास और प्रबंधन, **सहभागी दृष्टिकोण** पर आधारित होना चाहिए जिसमें सभी स्तरों पर प्रयोक्ता, योजना निर्माता एवं नीति-निर्माता सम्मिलित होने चाहिए।
- **महिलाएं** जल की व्यवस्था, प्रबंधन और सुरक्षा में **केंद्रीय भूमिका निभाती** हैं।
- जल का इसके सभी प्रतिस्पर्धी उपयोगों में एक **आर्थिक मूल्य होता** है और इसे आर्थिक वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

जल प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका

- संविधान की **11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243G)** के तहत पंचायतों को लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड डेवलपमेंट गतिविधियां तथा पेयजल से संबंधित विषय सौंपे जा सकते हैं।
- संविधान की **12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W)** के तहत, शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति संबंधी विषय सौंपे जा सकते हैं।
- राज्य विधायिकाएं इन संसाधनों के उपयोग के लिए कर, शुल्क आदि आरोपित करने हेतु स्थानीय निकायों को ये शक्तियां और आवश्यक प्राधिकार प्रदान कर सकती हैं।

VISION IAS

जल के उचित मूल्य निर्धारण के लाभ

- प्रशुल्क वस्तुतः विशिष्ट लागतों {जैसे- परिचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance: O&M) लागत} को वसूल करने के लिए राजस्व का सृजन करते हैं।
- प्रशुल्क आवश्यक अवसंरचना के विकास और विस्तार के साथ-साथ अपशिष्ट जल उपचार के लिए वित्त का सृजन भी करते हैं, इस प्रकार ये जल गुणवत्ता संरक्षण का आश्वासन प्रदान करते हैं।
- प्रभारों के आरोपण से उपयोगकर्ताओं के बीच यह संदेश पहुँचता है कि जल उपयोग और जल की कमी के मध्य स्पष्ट संबंध विद्यमान है।
- जल के लिए भुगतान के माध्यम से लोगों को जल के अपव्यय में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- निम्न आय वाले समूहों के लिए सब्सिडीकृत प्रशुल्क यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्धन परिवारों हेतु भी पर्याप्त और वहनीय जल सेवाएं उपलब्ध हैं।
- इसलिए, उचित जल प्रशुल्क, संधारणीय जल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने तथा जल संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

वर्तमान में प्रचलित जल मूल्य निर्धारण प्रणाली से संबंधित समस्याएं

सिंचाई जल का मूल्य निर्धारण

- **कीमत निर्धारण:** कीमतें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जल की कीमतें निर्धारित करने का मुख्य मानदंड किसानों की भुगतान करने की क्षमता होती है, जिसे उत्पादन, प्रयुक्त जल की मात्रा के आधार पर सिंचित क्षेत्र, सिंचाई की गुणवत्ता और उपकरणों की वसूली लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- **जल दरों में संशोधन:** जल दरों (मूल्य) के संशोधन में अत्यधिक विलंब होता है। इसके प्रमुख कारण संग्रहीत शुल्कों और सिंचाई परियोजनाओं को आवंटित निधि के मध्य संबद्धता का अभाव, किसानों की सहभागिता की कमी, निम्नस्तरीय संचार, किसानों और सिंचाई विभागों के मध्य पारदर्शिता की कमी, उपयोगकर्ता पर अर्थदंड का प्रावधान न होना इत्यादि हैं।

घरेलू जल का मूल्य निर्धारण

- वर्तमान में जल शुल्क द्वारा, O&M लागत की तुलना में 22-25% कम शुल्क की पुनर्प्राप्ति होती है तथा ये पूंजीगत लागत अथवा भविष्य में विस्तार की लागत वसूल करने में असक्षम हैं।
- कई शहरों और राज्यों में उपभोग का वास्तविक स्तर ज्ञात नहीं है, क्योंकि मीटरिंग प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं की गई है और निश्चित दरें (flat rates) मौजूद हैं।
- वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं पर अधिक प्रभार और घरेलू उपभोग को सब्सिडी प्रदान करना भी वर्तमान प्रणालियों में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इन परिवर्तनशील दरों को निर्धारित करने हेतु कोई मानदंड उपलब्ध नहीं है।
- जल क्षेत्रक में अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त, अत्यधिक जल अव्यय (40% तक), निम्न गुणवत्ता आदि के कारण अत्यंत अकुशलताएं विद्यमान हैं।

औद्योगिक जल का मूल्य निर्धारण

- **जल की लागत के तीन घटक हैं, यथा-** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भुगतान किया जाने वाला **जल उपकर,** आपूर्तिकर्ताओं (नगरपालिकाओं) से **जल खरीद की लागत** तथा नदियों और भौम जल स्रोतों से **जल निष्कर्षण की लागत।** औद्योगिक जल की मांग, कीमत लोचशीलता तथा जल की मांग की संवेदनशीलता से लेकर आगत कीमत और उत्पादन स्तर जैसे अन्य कारकों के संबंध में **कोई सर्व-सहमति** नहीं बन पाई है।
- उद्योग न केवल जल का उपभोग कर रहे हैं बल्कि **जल संसाधनों को संदूषित भी कर रहे हैं।** हालांकि, **उपकर की दर अत्यंत कम है** और **उपकर का उद्देश्य** जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना नहीं हैं, बल्कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का वित्तपोषण करने के लिए संसाधन एकत्र करना है।

विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध अन्य मुद्दे

- **संघीय चुनौतियां:** संवैधानिक रूप से, **जल राज्य सूची का एक विषय है जबकि जल का विनियमन और विकास, संघ सूची का एक विषय है।** केंद्र सरकार के पास जल के मूल्य निर्धारण के लिए अनुमोदित ढांचा नहीं है। हालांकि, **राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक, 2016** का मसौदा जल के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत को नियत करता है।
- सिंचाई क्षेत्रक में, केरल वर्ष 1974 में सिंचाई जल पर शुल्क अधिरोपित करने वाला प्रथम राज्य था। इस प्रकार के शुल्क को अधिरोपित करने वाले संभावित सात राज्य/संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप हैं।
- **स्वतंत्र जल नियामक:** राज्यों में उद्योगों और घरेलू क्षेत्रक के लिए जल शुल्कों में व्यापक रूप से भिन्नता विद्यमान है। महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य में कोई स्वतंत्र सांविधिक जल नियामक प्राधिकरण विद्यमान नहीं है। हालांकि, यहां भी इसका अधिदेश केवल सिंचाई जल को समाविष्ट करता है, इस प्रकार घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल का मूल्य निर्धारण राज्य एजेंसियों के आदेश पर निर्भर करता है।

- **भौम जल:** केंद्र ने पहली बार **दिसंबर 2018** में एक निश्चित सीमा से अधिक उपभोग पर औद्योगिक और घरेलू उपयोगकर्ताओं पर **भौम जल संरक्षण शुल्क (GWCF)** अधिरोपित करने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, इसका कार्यान्वयन होना अभी शेष है।
  - **90%** भौम जल का उपयोग करने वाले सिंचाई क्षेत्रक को छूट प्रदान की गई है।
- अंतर्निहित अभिकल्पना संबंधी समस्याएं भी जल के मूल्य निर्धारण से संबद्ध हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार जल स्रोतों पर नियंत्रण की शक्ति का उपयोग नहीं करती है जैसा कि यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर करती है; उदाहरणार्थ- भौम जल।

जल का मूल्य निर्धारित करने हेतु फ्रेमवर्क: जल के मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय जल नीति, 2012 निम्नलिखित का समर्थन करती है:

- **सांविधिक जल नियामक प्राधिकरण (WRA):** जल के मूल्य निर्धारण द्वारा जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसके संरक्षण को पुरस्कृत करना चाहिए। यह सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रत्येक राज्य द्वारा स्थापित स्वतंत्र सांविधिक जल विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग (Volumetric Pricing):** समता, दक्षता और आर्थिक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए, जल शुल्क मुख्यतः/एक नियम के रूप में उपयोग की गई मात्रा (वॉल्यूमेट्रिक) आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसे शुल्कों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- **अपशिष्ट जल का मूल्य निर्धारण:** निर्दिष्ट मानकों तक उपचार के पश्चात् जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को भी उचित रूप से नियोजित प्रशुल्क प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विभेदित मूल्य निर्धारण:** पेयजल और स्वच्छता के लिए जल के उपयोग हेतु विभेदित मूल्य निर्धारण सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए; तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्धनों के लिए आजीविका का समर्थन करने हेतु उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका आवंटन किया जाना चाहिए।
  - उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध जल का आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर आवंटन तथा मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि जल का अनावश्यक कार्यों में अपव्यय न किया जाए और इसका अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सके।
- **जल उपयोगकर्ता संघों की भूमिका:** जल उपयोगकर्ता संघों (Water Users Associations: WUA) को जल शुल्क एकत्रित करने और उसका एक भाग अपने पास बनाए रखने, उन्हें आवंटित जल की वॉल्यूमेट्रिक मात्रा का प्रबंधन करने तथा अपने अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। WUAs को WRA द्वारा निर्धारित निम्नतम दरों के अधीन दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- **भौम जल:** इसके निष्कर्षण के लिए विद्युत के उपयोग को विनियमित करके भौम जल के अति-दोहन को न्यूनतम किया जाना चाहिए। कृषि उपयोग के लिए भौम जल के निष्कर्षण के लिए पृथक विद्युत फीडरों की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।

5.2. कार्बन मूल्य निर्धारण

(Carbon Pricing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कार्बन मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धात्मकता पर **"कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन (CPLC)"** की एक उच्च-स्तरीय आयोग द्वारा प्रस्तावित एक रिपोर्ट में कार्बन मूल्य निर्धारण के संबंध में अत्यधिक चर्चा की गई है।

कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है?

कार्बन मूल्य निर्धारण एक ऐसी व्यवस्था है जो **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जनों की बाह्य लागतों को वसूल करती है** तथा मूल्य निर्धारण {सामान्यतः उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) पर मूल्य निर्धारित करना} के माध्यम से इन्हें उनके स्रोतों से जोड़ती है। उल्लेखनीय है कि **बाह्य लागतों** को लोगों द्वारा फसलों के नुकसान, हीट वेव एवं सूखे के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य देखभाल की लागत और बाढ़ एवं समुद्री जल-स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली संपत्ति के नुकसान आदि की क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने वाले भुगतान के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन (CPLC) के बारे में

- यह 34 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों, विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रदेशों के 163 से अधिक व्यवसायियों तथा नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और शैक्षणिक संस्थानों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 82 से अधिक रणनीतिक भागीदारों की एक **स्वैच्छिक पहल** है।
- यह कार्बन मूल्य निर्धारण का समर्थन करने, अनुभवों को साझा करने तथा कार्बन मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन की वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय समझ में वृद्धि हेतु सरकार, व्यवसायियों व नागरिक समाज के प्रमुखों एवं शिक्षाविदों को एक साथ एक मंच पर लाता है।
- CPLC का सचिवालय, विश्व बैंक समूह द्वारा प्रशासित है।

- CPLC में सरकारी स्तर पर इसके भागीदार सदस्य के रूप में भारत से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारतीय रेलवे शामिल हैं।

कार्बन मूल्य निर्धारण के प्रकार

कार्बन मूल्य निर्धारण के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं:

- **इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS):** ETS को कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यह GHG उत्सर्जन के कुल स्तर की उच्चतम सीमा निर्धारित करता है तथा निम्न उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को अपने निर्धारित कोटे की शेष मात्रा को अपेक्षाकृत बड़े उत्सर्जकों को बेचने हेतु सक्षम बनाता है।
  - निर्धारित कोटे की शेष मात्रा के लिए मांग और आपूर्ति उत्पन्न करके, ETS द्वारा GHG उत्सर्जन के लिए बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। उच्चतम सीमा यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि आवश्यक उत्सर्जन कटौती, उत्सर्जकों को उनके पूर्व-आवंटित कार्बन बजट के तहत बनाए रखेगी।
- **कार्बन कर:** इसके द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से GHG उत्सर्जन या (सामान्य रूप में) जीवाश्म ईंधन के कार्बन तत्वों पर कर की दर को निर्धारित करके कार्बन पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह ETS से इस रूप में भिन्न है कि कार्बन कर के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्सर्जन न्यूनीकरण परिणाम पूर्व-निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि कार्बन का मूल्य पूर्व-निर्धारित होता है।

कार्बन उत्सर्जन के मूल्य निर्धारण हेतु अन्य तंत्र

- **ऑफसेट तंत्र,** परियोजना या कार्यक्रम-आधारित गतिविधियों से GHG उत्सर्जन में कटौतियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हे देश के भीतर या अन्य देशों में बेचा जा सकता है। ऑफसेट प्रोग्राम एक लेखांकन प्रोटोकॉल के अनुसार कार्बन क्रेडिट जारी करता है और उनकी स्वयं की रजिस्ट्री होती है। इन क्रेडिट का उपयोग GHG शमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते, घरेलू नीतियों या कॉर्पोरेट नागरिकता उद्देश्यों के तहत अनुपालन को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
- **परिणाम-आधारित जलवायु वित्त (Results-Based Climate Finance: RBCF)** एक वित्तीयन दृष्टिकोण है, जहां पूर्व-निर्धारित आउटपुट या जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन से संबंधित परिणाम, जैसे- उत्सर्जन में कमी संबंधी परिणामों की प्राप्ति और सत्यापन के आधार पर भुगतान किए जाते हैं।
  - कई RBCF कार्यक्रमों का लक्ष्य GHG उत्सर्जन में की गई सत्यापित कटौतियों के क्रय के साथ-साथ निर्धनता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार करना तथा स्वास्थ्य और सामुदायिक लाभ प्रदान करना है।
- **आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण** एक ऐसा उपकरण है जिसे एक संगठन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और अवसरों के संबंध में अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के दिशा-निर्देशन हेतु आंतरिक रूप से उपयोग करता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण का महत्व

- कार्बन मूल्य निर्धारण, GHG उत्सर्जन से होने वाले नुकसान के भार को पुनः इस नुकसान हेतु उत्तरदायी एवं इसे रोकने में सक्षम लोगों/संस्थाओं पर स्थानांतरित करने में सहायता करता है।
- यह निर्धारित करने के बजाय कि उत्सर्जन को किसके द्वारा कहां और कैसे कम किया जाना चाहिए, कार्बन मूल्य निर्धारण **उत्सर्जकों को एक आर्थिक संकेत प्रदान करता है** और उन्हें या तो अपनी गतिविधियों को परिवर्तित करने तथा अपने उत्सर्जन को कम करने का निर्णय लेने या उत्सर्जन जारी रखने एवं अपने द्वारा किए जाने वाले उत्सर्जन के एवज में भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार, समग्र पर्यावरणीय लक्ष्य को समाज के लिए **सर्वाधिक लचीले** और **न्यूनतम लागत वाले तरीके** से प्राप्त किया जाता है।
- GHG उत्सर्जन पर पर्याप्त मूल्य निर्धारित करना वस्तुतः आर्थिक निर्णय लेने की व्यापक संभव सीमा तथा स्वच्छ विकास के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने में जलवायु परिवर्तन की बाह्य लागत को संयुक्त करने हेतु अति आवश्यक है।
- यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बाजार नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक वित्तीय निवेश जुटाने तथा आर्थिक विकास के नवीन, निम्न-कार्बन चालकों को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकता है।
- सरकारों के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण, उत्सर्जन को कम करने हेतु आवश्यक जलवायु नीति पैकेज के उपकरणों में से एक है।
  - अधिकाँश मामलों में, यह राजस्व का एक स्रोत भी है, जो विशेष रूप से बजटीय बाधाओं के आर्थिक परिवेश में महत्वपूर्ण है।
- व्यवसायिक संस्थान, अपने परिचालनों पर अनिवार्य कार्बन मूल्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा संभावित जलवायु जोखिमों और राजस्व अवसरों की पहचान करने हेतु एक उपकरण के रूप में आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण का उपयोग करते हैं।
- दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा अपने निवेश पोर्टफोलियों के संबंध में जलवायु परिवर्तन नीतियों के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु कार्बन मूल्य निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जो उन्हें निवेश रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने तथा पूंजी को निम्न-कार्बन या जलवायु-प्रत्यास्थ गतिविधियों के लिए पुनः आवंटित करने में सक्षम बनाता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण की वर्तमान स्थिति

- अप्रैल 2019 तक, 57 कार्बन मूल्य निर्धारण पहलों को कार्यान्वित या अधिसूचित किया जा चुका है, जिनमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार वाले 28 ETSs तथा मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लागू 29 कार्बन कर सम्मिलित हैं।
- समग्र रूप से, इन कार्बन मूल्य निर्धारण पहलों के तहत कार्बन डाइऑक्साइड के 11 गीगाटन के समतुल्य (GtCO2e) या **वैश्विक GHG उत्सर्जन** के वर्ष 2017 के 15% की तुलना में **लगभग 20%** हिस्सा शामिल है।
- **उदाहरण:** चीन में वर्ष 2020 तक ETS के आरंभ होने की संभावना है।
- **भारत: स्वच्छ ऊर्जा उपकर (या कोयला उपकर);** कोयला, लिग्नाइट और पीट के साथ-साथ आयातित कोयले पर अधिरोपित किया जाता है। इसे 2010-11 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में इसे **"स्वच्छ पर्यावरण उपकर"** के नाम से जाना जाता है।
    - गुजरात के सूरत में भारत की प्रथम **उत्सर्जन व्यापार योजना (Emissions Trading Scheme: ETS)** आरम्भ की गई है।

कार्बन मूल्य निर्धारण पर पेरिस समझौता

- यह सीमा-पार, राष्ट्रों या क्षेत्राधिकारों के मध्य उत्सर्जन कटौती के क्रेडिट का व्यापार करने की क्षमता स्थापित करता है।
- उत्सर्जन कटौती के क्रेडिट के व्यापार के माध्यम से समायोजन को सक्षम बनाता है।
- उत्सर्जन कटौती की दोहरी गणना से बचने और पारदर्शिता में वृद्धि हेतु सुदृढ़ लेखांकन उपायों का क्रियान्वयन करता है। इस प्रकार, प्रस्तावित बाजार-आधारित दृष्टिकोणों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण से संबंधित चिंताएँ

- **कार्बन लीकेज:** कुछ योजनाओं से **व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा** बाधित हुई है। जब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्बन मूल्य निर्धारण नीतियों और नियमों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसके परिणामस्वरुप कार्बन लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। **कार्बन लीकेज से आशय उस परिघटना से है, जिसके तहत कार्बन-गहन उद्योग या फर्म, संचालन को अपेक्षाकृत निम्न-लागत वाले देशों या क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित कर देते हैं।**
- **नीतिगत अतिव्यापन या असंगतता:** कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण, महत्वपूर्ण रूप से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हो सकते हैं, यदि उन्हें पूरक नीतियों, जैसे- ऊर्जा दक्षता नीतियों, उत्सर्जन प्रदर्शन मानकों और **अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों आदि के साथ उचित ढंग से संरेखित किया जाए।** नीति निर्माताओं को नीति उपकरणों के मध्य संभावित अतिव्यापन और अंत:क्रिया से बचने के लिए सावधानीपूर्वक तथा विचारपूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र की प्रभावशीलता में कमी हो सकती है।
- **राजस्व का अप्रभावी उपयोग:** कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण, महत्वपूर्ण रूप से राजस्वों में वृद्धि कर सकते हैं, परन्तु विभिन्न कार्बन मूल्य निर्धारण पहलों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि इस राजस्व का व्यय किस प्रकार किया जाता है।

एक प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र का सृजन

सफल कार्बन मूल्य निर्धारण हेतु FASTER सिद्धांत के अंतर्गत सफल कार्बन मूल्य निर्धारण की छह प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह सिद्धांत विश्व बैंक तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दिशा-निर्देश है।

- **निष्पक्षता:** प्रभावी पहलों के अंतर्गत, **"पॉल्यूटर पे (polluter pays)" सिद्धांत** को सम्मिलित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लागत और लाभ दोनों को ही निष्पक्ष रूप से साझा किया जाएगा।
- **नीतियों और उद्देश्यों का संरेखण:** कार्बन मूल्य निर्धारण कोई एकल तंत्र (stand-alone mechanism) नहीं है। उल्लेखनीय है कि यह जलवायु और गैर-जलवायु दोनों से संबंधित व्यापक नीतिगत लक्ष्यों को सम्मिलित करने एवं प्रोत्साहित करने पर सर्वाधिक प्रभावी होता है।
- **स्थिरता और पूर्वानुमेयता (Stability and predictability):** प्रभावी पहलें, एक स्थिर नीतिगत फ्रेमवर्क के तहत विद्यमान होती हैं तथा निवेशकों को स्पष्ट, सुसंगत और समयबद्ध तरीके से सुदृढ़ सूचनाएं प्रदान करती हैं।
- **पारदर्शिता (Transparency):** प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण को तैयार करना एवं पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करना।
- **दक्षता और लागत प्रभावशीलता (Efficiency and cost-effectiveness):** प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण, लागत में कमी करता है और उत्सर्जन को कम करने की आर्थिक दक्षता में वृद्धि करता है।
- **विश्वसनीयता और पर्यावरणीय अखंडता (Reliability and environmental integrity):** प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रथाओं में पर्याप्त रूप से कमी करता है।

निष्कर्ष

कार्बन मूल्य निर्धारण में उपभोक्ताओं, व्यापार और निवेशकों के व्यवहार को परिवर्तित कर वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को आवश्यक रूप से गैर-कार्बनीकरण करने की क्षमता होती है। साथ ही, यह तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करता है और राजस्व का सृजन करता है जिसका

VISION IAS

उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। संक्षेप में, **उचित ढंग से निर्धारित कार्बन मूल्य, तिहरा लाभ प्रदान करता है** अर्थात् वे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और राजस्व सृजन में वृद्धि करते हैं। व्यवसायों के लिए, कार्बन मूल्य-निर्धारण उन्हें जोखिम प्रबंधन करने, निम्न-कार्बन निवेश की योजना बनाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाता है।

5.3. बीज विधेयक, 2019 का मसौदा

(Draft Seed Bill 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **बीज विधेयक, 2019** के **संशोधित मसौदे** को सार्वजनिक डोमेन में सुझाव और टिप्पणियों हेतु रखा गया।

भारत में बीज उद्योग

- **भारतीय बीज बाजार** वर्ष 2011-2018 के दौरान 15.7% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का प्रदर्शन करते हुए **वर्ष 2018 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर पहुंच गया।**
- बीज विकास नीति, 1988 और राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 ने अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्रों में भारतीय बीज उद्योग को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की है।
- इसके कारण, **भारत सम्पूर्ण विश्व में पांचवें सबसे बड़े बीज बाजार के रूप में उभरा है।**
- इसके अतिरिक्त, **सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी** ने भी उद्योग हेतु एक सुदृढ़ आधार का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन किया है।
    - इसमें उन किसानों के मध्य हाइब्रिड बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल आरम्भ करना शामिल है, जिन्होंने पूर्व में खुली परागण संकर किस्मों का प्रयोग किया था।
- कुछ **अन्य विकास-उत्प्रेरक कारकों,** जैसे- आय के स्तर में वृद्धि, कृषि के वाणिज्यीकरण, पेटेंट संरक्षण प्रणालियों और पौधों की किस्मों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों ने बीज बाजार को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है।
    - इन कारकों के कारण, भारतीय बीज बाजार के **वर्ष 2019-2024 के दौरान 13.6% के CAGR तक वृद्धि को प्रदर्शित करते हुए** वर्ष 2024 तक 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने **राष्ट्रीय बीज नीति निर्माण के लिए स्वैच्छिक संदर्शिका (Guide) प्रस्तुत की है,** जो **देशों को एक बीज नीति और बीज कानून दोनों के प्रवर्तन हेतु अनुशंसा करती है।**

बीजों से संबंधित चुनौतियां

- **परंपरागत बीजों पर निर्भरता,** क्योंकि अधिकांश भारतीय किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्राय: बीज की खरीद करना उनके लिए कठिन होता है।
    - **परंपरागत बीजों** की उत्पादकता कम होती है और ये कीटों व पादप रोगों के प्रति सुभेद्य होते हैं, जिसके कारण किसानों को कीटनाशकों तथा उर्वरकों में अत्यधिक निवेश करना पड़ता है।
- **हाइब्रिड बीजों की उच्च लागत और गैर-पुनरुत्पादक प्रकृति** के कारण किसान बड़ी बीज कंपनियों से प्रत्येक फसल मौसम हेतु बीजों को खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। इससे उनकी निवेश लागत में वृद्धि होती है।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM)** बीज पारिस्थितिकी-तंत्र के समक्ष जोखिम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आनुवंशिक अभियांत्रिकी से व्युत्पन्न लक्षणों के परिणामस्वरूप जीन की सामान्य स्थिति में व्यवधान हो सकता है।
- **प्रमाणन और गुणवत्ता युक्त बीजों का अभाव:** भारत में विक्रय होने वाले सभी बीजों में से लगभग आधे से अधिक किसी भी उचित परीक्षण अभिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं हैं और प्राय: निकृष्ट गुणवत्ता के होते हैं।
- **निम्न बीज प्रतिस्थापन दर:** बीज प्रतिस्थापन दर का तात्पर्य पूर्ववर्ती फसल से प्राप्त किए गए बीजों के अतिरिक्त प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत से है। वर्तमान में यह दर दलहन में 20% से कम और धान एवं गेहूं में 30% से कम है।
- **चारा बीजों की उपलब्धता में कमी** जो देश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है।

विधेयक की पृष्ठभूमि

- बीज क्षेत्र को विनियमित करने के लिए संसद ने **बीज अधिनियम, 1966** को अधिनियमित किया था। परन्तु यह बीज उद्योग में नवाचारों, निजी उद्योग के प्रवेश और विविध किस्म के बीजों के प्रवेश व भारत में इसके आयात के कारण बीज उद्योग की आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से समाधान करने में अक्षम रहा था।
- इसी कारण, बीज विधेयक को वर्ष 2004, 2010 और 2014 में पुरःस्थापित किया गया था, परंतु राज्यों, किसानों आदि की ओर से प्रस्तुत विभिन्न मुद्दों के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका।

VISION IAS

- संशोधित प्रारूप विधेयक को उद्योगों और किसानों के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए की गई अनुशंसाओं को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

भारत में बीज उत्पादन तथा संबंधित विधायी प्रावधान

- केंद्र सरर का **'भारतीय बीज कार्यक्रम'** बीज उत्पादन के तीन चरणों, यथा- प्रजनक (breeder), आधार (foundation) और प्रमाणित बीजों (certified seeds) को मान्यता प्रदान करता है।
  - **प्रजनक बीजों का उत्पादन** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किया जाता है।
  - **आधार बीज** राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (SFCI), राज्य बीज निगम (SSC) तथा निजी बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं।
  - **प्रमाणित बीज,** राज्य सरकार द्वारा उत्पादित एवं वितरित किए जाते हैं।
- प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता को **बीज अधिनियम, 1966** द्वारा विनियमित किया जाता है।
- बीजों के विक्रय की लाइसेंस प्रणाली को **बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983** द्वारा विनियमित किया जाता है।
- **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPVFR Act)** पादप प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करता है।
- **बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मदों की सूची में समाविष्ट किया गया है।** ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति, जमाखोरी अथवा काला बाजारी को नियंत्रित करता है।

बीज विधेयक, 2019 के मसौदे की प्रमुख विशेषताएं

- प्रारूप बीज विधेयक का **उद्देश्य** बिक्री, आयात व निर्यात हेतु बीजों की गुणवत्ता को **विनियमित करना** और **बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित करना** है।
- नया प्रारूप विधेयक बीज **बाजार को शासित करने वाले अन्य कानूनों को भी परिवर्तित करेगा,** जैसे- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPVFR Act) और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983
- **बिक्री के लिए सभी किस्म के बीजों को पंजीकृत कराना होगा** और कुछ निर्धारित न्यूनतम मानकों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
  - यदि पंजीकृत किस्म का बीज अपेक्षित मानकों को प्रदर्शित करने में विफल रहता है, तो **किसान, उत्पादक या विक्रेता से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।**
- बीजों की **ट्रांसजेनिक किस्मों** को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही पंजीकृत कराया जा सकता है।
- वर्ष 2004 के अधिनियम में व्यवस्था के तहत कंपनी द्वारा **स्व प्रमाणीकरण** के पूर्ववर्ती खंड की बजाय इस प्रारूप विधेयक के अंतर्गत सभी बीजों के लिए एक उचित प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से **अनिवार्य प्रमाणन** आवश्यक है।
- बीजों की कमी, कीमतों में असामान्य वृद्धि, किसी विशेष किस्म के संबंध में एकाधिकार मूल्य निर्धारण या मुनाफाखोरी जैसी **उभरती स्थितियों के दौरान बिक्री मूल्य का विनियमन करना।**
- यह विधेयक **किसानों को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता से छूट** प्रदान करता है। किसानों को अंकुरण, भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता (जैसा कि पंजीकृत बीजों हेतु आवश्यक है) की निर्धारित न्यूनतम सीमा के अनुरूप अपने खेत के बीज और रोपण सामग्री को उपजाने, विनिमय करने या विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि, **किसान किसी ब्रांड नाम के तहत कोई बीज विक्रय नहीं कर सकते हैं।**
- गुणवत्ताहीन या अवमानक बीज विक्रय करने वालों के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने हेतु **दंड** का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के विपक्ष में प्रमुख तर्क

- **क्षतिपूर्ति खंड (Compensation clause):** वर्ष 2010 के विधेयक के एक खंड में यह प्रावधान था कि, यदि कंपनियों और उनके एजेंटों द्वारा विक्रय किए गए बीज निर्धारित मानकों के तहत प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं, तो उस स्थिति में प्रभावित किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय करने के लिए एक **समिति का गठन** किया जाएगा। नए प्रारूप विधेयक में इस खंड को शामिल नहीं किया गया है।
- अब, किसान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्माता, वितरक या विक्रेता से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बीज प्राप्त न होने की स्थिति में उपभोक्ता मंच से संपर्क करने के लिए निर्देशित करना, किसानों के समक्ष और अधिक कठिनाईयां उत्पन्न कर सकता है।

VISION IAS

- **दंड संबंधी साधारण प्रावधान:** नए प्रारूप विधेयक के अंतर्गत **अपराध और दंड संबंधी कमजोर खंडों** का समावेश किया गया है। "मिसब्रांडेड" या "पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना" किसी भी प्रकार के बीजों की बिक्री, संग्रहण या आयात हेतु प्रस्तावित दंड की सीमा 25,000 रुपये से 5,00,000 रुपये या एक वर्ष के कारावास या दोनों का प्रावधान है, जो कि वर्ष 2010 के विधेयक में निर्धारित दंड से कम है तथा यह गुणवत्ताविहीन बीजों की बिक्री पर नियंत्रण स्थापित करने में अक्षम सिद्ध हो सकता है।
- **आकस्मिक स्थिति में उच्च मूल्य निर्धारण, बीज-तकनीक फर्मों को हतोत्साहित करेगा** जैसे कि मोनसेंटो (Monsanto) जिसने उन उत्पादों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में अत्यधिक निवेश किया है, जिनसे न केवल कृषि लाभ में वृद्धि हो सकती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु भी आवश्यक है।
- **बीजों की निगरानी:** पिछले विधेयक की भांति ही नए विधेयक में भी **बीज पैकेटों के मूल विनिर्माताओं का पता लगाने संबंधी** कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि पता लगा भी लिया जाता है तो भी फसल विफलता की स्थिति में गुणवत्ताविहीन बीजों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना आसान नहीं होगा।

आगे की राह

प्रस्तावित विधेयक से कृषि विकास में व्यापक वृद्धि होने की अपेक्षा की गई है और यह किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आवश्यक भी है। यह अभिकर्ताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा और स्वस्थ फसलों को बढ़ावा देगा।

इस प्रकार, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीज उत्पादक और विक्रेता किसानों से मनमाना मूल्य नहीं वसूल कर पाएं, विधेयक में एक मूल्य नियामक तंत्र का समावेश किए जाने की आवश्यकता है।
- क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों से निपटने वाले तंत्र के संबंध में भी विधेयक में ही प्रावधान किया जाना चाहिए।
- जिन किसानों को बीजों द्वारा वांछित फसल का उत्पादन नहीं हुआ है, उन किसानों हेतु क्षतिपूर्ति का प्रावधान करने के लिए **बीज फसल बीमा** का उपबंध करना चाहिए।
- वर्ष 2017 में, भारतीय बीजों के निर्यात का मूल्य 101 मिलियन डॉलर था, जो 11,924 मिलियन डॉलर के वैश्विक बीज निर्यात बाजार की तुलना में अत्यल्प है। भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति के एक भाग के रूप में **स्वदेशी अनुसंधान और विकास तथा बीज निर्यात को बढ़ावा देने** की आवश्यकता है। मक्का, धान, चारा फसलों, मोटे अनाजों, सब्जियों और कपास से संबंधित हमारी हाइब्रिड्स किस्में अपनी उत्पादकता और प्रतिरोधकता के कारण कई देशों में लोकप्रिय हैं।
- बीज के पैकटों पर **भ्रामक चित्रों के चित्रण को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधानों** का समावेश किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उक्त बीजों की खरीद करने से सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- **किसान और ग्राम समूहों** को विभिन्न कंपनियों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की साझेदारी के साथ बीजों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **बीजों की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता** है जिसके लिए सरकार बारकोडिंग हेतु एक सॉफ्टवेयर प्रस्तुत करने की योजना बना रही है।

5.4. हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के लिए प्रोटोकॉल

(Protocol To Assess Snow Leopard Population)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम** की संचालन समिति की चौथी बैठक में **भारत में हिम तेंदुओं की आबादी की गणना (Snow Leopard Population Assessment in India: SLPAI)** हेतु प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- SLPAI को भारतीय वन्यजीव संस्थान, नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन, GSLEP की तकनीकी समिति, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व बैंक, ग्लोबल टाइगर फ़ोरम तथा वाइल्ड लाइफ़ कंज़र्वेशन ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर बाघों, गैंडों व हाथियों की गणना की जाती है। इसी प्रोटोकॉल के साथ अब हिम तेंदुओं की भी गणना की जा सकती है।
- SLPAI दस्तावेज़ के अनुसार, दुर्गम क्षेत्रों तथा हिम क्षेत्र में उनके दिखाई न देने की प्रकृति के कारण उनकी आबादी की गणना के लिए हिम तेंदुओं के कुल पर्यावास के केवल 2 प्रतिशत का ही सैंपल प्राप्त किया गया है।

ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम

- यह हिम तेंदुओं के रेंज वाले सभी 12 राष्ट्रों का एक अंतर-सरकारी गठबंधन है।

VISION IAS

- GSLEP एक रेंज-वाइड (क्षेत्र व्यापी) प्रयास है, जो सरकारों, गैर-सरकारी व अंतर-सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों एवं निजी क्षेत्रक को हिम तेंदुए तथा उनके महत्वपूर्ण हाई-माउंटेन पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु एक साक्षा दृष्टिकोण के लिए एकजुट करता है।
- हिम तेंदुओं की आबादी वाले राष्ट्र हैं: भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गीस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान।

हिम तेंदुए के बारे में

- इसे IUCN द्वारा **वल्नरबल (सुभेद्य)** के तौर पर वर्गीकृत किया गया है तथा यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल है।
- यह कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीशीज (CITES) तथा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज (CMS) के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं।
- भारत में हिम तेंदुए हिमालय व ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में 3,000 मीटर तथा 5,400 मीटर की ऊँचाई के मध्य पाए जाते हैं, जो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।

जोखिम

- प्राकृतिक पर्यावासों का विखंडन।
- फर, हड्डियों, पंजों आदि के लिए हत्या व अवैध शिकार।
- स्थानीय लोगों द्वारा जवाबी हमला करना।
- जलवायु परिवर्तन।

भारत द्वारा आरंभ किए गए संरक्षण प्रयास निम्नलिखित हैं-

- **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड:** यह हिम तेंदुओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- **सिक्योर हिमालय:** इसे स्थानीय समुदायों के जीवन व आजीविका को ध्यान में रखते हुए स्थानीय व विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण जैव-विविधता, उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में भूमि व वन संसाधन आदि के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु आरंभ गया था। यह GEF और UNDP द्वारा वित्त पोषित है।

5.5. भारी धातु विषाक्तता

(Heavy Metal Toxicity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नागपुर स्थित CSIR-NEERI (नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में यमुना नदी के फ्लड-प्लेन (बाढ़ के मैदान) में उगाई जाने वाली सब्जियों में आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम, पारा जैसी विषाक्त धातुएं उपस्थित होती हैं।

मृदा-फसल प्रणाली में भारी धातुओं के स्रोत

यद्यपि भारी धातुएं प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में भी मौजूद होती हैं, लेकिन हाल के दिनों में अत्यधिक मानवजनित गतिविधियों के कारण इनके जैव-रासायनिक एवं भू-रासायनिक संतुलन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

- **औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट:** विगत कुछ दशकों में बढ़ती खनन व औद्योगिक गतिविधियों के कारण धातु संदूषित औद्योगिक अपशिष्ट मृदा व जल के संदूषण का मुख्य कारण रहा है।
- **कृषि एवं पशुधन गतिविधियां:** आधुनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ये रसायन प्रकृति के अनुकूल नहीं होते हैं तथा इन्हें आसानी से विघटित भी नहीं किया जा सकता; ये जल के साथ भूमि के अंदर निक्षेपित हो जाते हैं तथा अंततः भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
- **परिवहन उत्सर्जन:** परिवहन के दौरान वाहनों से उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ, वायुमंडलीय निक्षेपण प्रक्रिया और पेट्रोल स्पिल्स के माध्यम से मृदा में पहुँच जाते हैं।

खाद्य श्रृंखला पर भारी धातुओं का प्रभाव

पौधों द्वारा अत्यधिक संदूषित मृदा के माध्यम से भारी धातुओं का उद्ग्रहण किया जाता है जिसके खाद्य-श्रृंखला के निहितार्थों को देखते हुए स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। कुछ भारी धातुओं को उनके प्रभाव के आधार पर नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- **सीसा:** सीसा-युक्त ईंधन और खनन गतिविधियाँ, शीर्ष मृदा संस्तर में सीसे की अत्यधिक सांद्रता के सामान्य कारण हैं।
    - सीसे की इस बढ़ी हुई मात्रा के अल्पावधि के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को मस्तिष्क की क्षति, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षण आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं तथा इसके दीर्घकालिक संपर्क से किडनी, प्रतिरक्षा एवं प्रजनन प्रणाली आदि को नुकसान पहुंच सकता है।

- **आर्सेनिक:** इसका मुख्य रूप से शरीर में अंतर्ग्रहण संदूषित भौम जल के उपभोग (जिसमें प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक आर्सेनिक का उच्च स्तर विद्यमान होता है), संदूषित जल द्वारा भोजन तैयार करने या उच्च आर्सेनिक सांद्रता वाले जल से सिंचित खाद्य फसलों आदि के माध्यम से होता है।
  - लंबे समय तक आर्सेनिक के अंतर्ग्रहण से चिरकालिक आर्सेनिक-विषाक्तता (arsenicosis) जठरांत्र पथ (gastrointestinal tract), त्वचा, हृदय, यकृत और न्यूरोलॉजिकल क्षति, मधुमेह, अस्थि मज्जा एवं रक्त संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
- **पारा:** अधिकांश लोगों के लिए पारे का मुख्य स्रोत संदूषित समुद्री भोजन होता है। वहीं बच्चों में इसका कारण मृदा का सीधे अंतर्ग्रहण करना है।
  - यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) एवं गैस्ट्रिक सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप IQ स्तर में कमी हो जाती है और समन्वय, दृष्टि व स्पर्श संवेदना को प्रभावित करता है तथा साथ ही किडनी एवं लिवर को हानि पहुंचाता है।
- **डाइऑक्सिन:** लोगों में डाइऑक्सिन या डाइऑक्सिन जैसे पदार्थों का अंतर्ग्रहण मुख्य रूप से दूषित भोजन के उपभोग के माध्यम से होता है। ज्ञातव्य है कि डाइऑक्सिन पदार्थों का 90% से अधिक अंतर्ग्रहण भोजन (मुख्य रूप से मांस व डेयरी उत्पाद तथा मछली व शेलफिश के उपभोग के माध्यम से) के माध्यम से होता है।
  - डाइऑक्सिन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो प्रजनन व विकासात्मक समस्याओं का कारण बन सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचा सकते हैं, हार्मोनों में परिवर्तन कर सकते हैं तथा कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।
- **कैडमियम:** मृदा या सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल में विद्यमान कैडमियम का पौधों में संचयन हो सकता है जिसके माध्यम से यह मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। कैडमियम का संचयन जानवरों में उस स्तर तक हो सकता है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। परंतु, इन पशु उत्पादों का उपभोग करने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं।
  - कैडमियम संदूषण के परिणामस्वरूप चिरकारी अवरोधी फुप्फुस रोग (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज), रीनल ट्यूबलर डिजीज आदि दीर्घकालीन प्रभाव परिलक्षित हो सकते हैं। इसके संचयन से रीनल डिस्फंक्शन, फेफड़े के रोग, अस्थि दोष, अतिसार व पेट में जलन हो सकती है।
- **फ्लुराइड:** आमतौर पर पेयजल में फ्लुराइड की उच्च मात्रा मौजूद होती है।
  - यह स्केलेटल फ्लूरोसिस नामक रोग का प्रमुख कारण है। जोड़ों में अकड़न एवं दर्द, इस रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान में बढ़ते औद्योगीकरण, आधुनिक जीवन-शैली एवं शहरीकरण के कारण भारी धातु संदूषण चिंता का एक प्रमुख विषय बन चुका है। मृदा-जल-फसल प्रणाली की निराशाजनक स्थिति को देखते हुए भारी धातु विषाक्तता को नियंत्रित करने हेतु नियमित निगरानी, मूल्यांकन, दिशा-निर्देश, रणनीतियों व नीतियों के साथ प्रभावी कानूनों की आवश्यकता है। अन्यथा निकट भविष्य में भारी धातु संदूषण से गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होंगी।

5.6. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना

(Charging Infrastructure For Electric Vehicles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित दिशा-निर्देश एवं विनिर्देश** जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

- पूर्व के दिशा-निर्देश और मानक दिसंबर 2018 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। नए दिशा-निर्देशों द्वारा इन्हें प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- चार्जिंग अवसंरचना की कमी भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (विद्युत गतिशीलता) के अल्प अंगीकरण के लिए उत्तरदायी एक मुख्य कारण है।
- मई 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार, **उपयुक्त अवसंरचना विद्यमान होने पर, भारत में 90% कार स्वामी EV को अपनाने** के इच्छुक हैं।
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP), 2020 के अंतर्गत, **वर्ष 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री** प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
- वर्तमान में, **भारत में EV बाजार की पहुँच कुल वाहन बिक्री का केवल 1% है** और इसमें से भी 95% बिक्री इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की होती है।

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (National Electric Mobility Mission Plan: NEMMP) 2020

- यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। यह देश में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके विनिर्माण हेतु विजन एवं रोडमैप प्रदान करता है।
- NEMMP, 2020 के भाग के रूप में, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इनका संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015 में FAME-इंडिया नामक एक योजना आरंभ की गई थी।
  - भारत में (हाइब्रिड) एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण तथा विनिर्माण {Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME India)}
- इस योजना के चरण-I (FAME-I) को आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था और इसे निम्नलिखित **चार फोकस क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित** किया गया था:
  - मांग का सृजन;
  - प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म;
  - पायलट परियोजना; और
  - चार्जिंग अवसंरचना।
- **FAME-II**
- इसे **मार्च 2019 में 3 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ** किया गया था।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान कर और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना कर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है।

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम हैं:

- नई GST व्यवस्था के अंतर्गत, **इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दरों** को पारंपरिक वाहनों के लिए 22% तक के उपकर सहित 28% GST दर के मुकाबले **12% (किसी उपकर के बिना) के निम्न स्लैब** में रखा गया है।
- विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में विद्युत की बिक्री की अनुमति प्रदान की है। यह चार्जिंग अवसंरचना में निवेश आकर्षित करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों की स्थिति में **परमिट से छूट** के संबंध में अधिसूचना जारी की है।
- राज्य परिवहन विभागों/उपक्रमों आदि द्वारा 5,000 इलेक्ट्रिक बसों के परिनियोजन के लिए **रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest: EOI)** प्रस्तुत की गई है।
- लिथियम आयन बैटरियों के लिए पुनर्चक्रण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त बैटरियों को एकत्र करना अनिवार्य बनाने के लिए एक नीति को प्रस्तावित किया गया है।

भारत में प्रभावी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **महत्वपूर्ण संसाधनों का अभाव:** भारत में लिथियम का बहुत कम ज्ञात भंडार है; निकल, कोबाल्ट और बैटरी-ग्रेड ग्रेफाइट जैसे अन्य महत्वपूर्ण अवयवों का आयात किया जाता है।
- **कौशल का अभाव:** हमारे पास अभी भी लिथियम बैटरी विनिर्माण के लिए पर्याप्त तकनीकी जानकारी का अभाव है।
- **समयसाध्य (Time consuming):** पंप पर पारंपरिक कार में ईंधन भरने की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनो की चार्जिंग में अधिक समय लगता है।
- **क्षेत्रक की उपयुक्तता:** बैटरी प्रौद्योगिकी में बिना किसी उल्लेखनीय उन्नति के हैवी ड्यूटी ट्रक परिवहन और विमानन का विद्युतीकरण करना कठिन बना रहेगा।
- **लिथियम आयन बैटरियों का निपटान:** यह नीति वर्ष 2030 तक सभी वाहनों के 30% तक EVs को अनिवार्य बनाती है। अत: बैटरियों की मांग में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसका अर्थ यह है कि अप्रयुक्त बैटरियों के भंडार में भी तेजी से वृद्धि होगी। अत: इन बैटरियों का सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनर्चक्रण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
- **विद्युत आपूर्ति:** भारत को चार्जिंग स्टेशनों की आपूर्ति हेतु विश्वसनीय अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होगी। यह देश के कई भागों में, विशेषकर ग्रीष्मकाल के दौरान बार-बार बिजली कटौती की समस्या के आलोक में एक बड़ी चुनौती है।

दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त विवरण

- **सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (PCS) की अवस्थिति:**
  - शहरों में 3 कि.मी. X 3 कि.मी. के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होना चाहिए।

VISION IAS

- **चरण वार संस्थापना:**
  - **चरण I (1-3 वर्ष):** 2011 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले सभी मेगा शहर, इन मेगा शहरों से जुड़े सभी वर्तमान एक्सप्रेस-वे और प्रत्येक मेगा शहर से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को कवर किया जाएगा।
  - **चरण II (3-5 वर्ष):** राज्य की राजधानियों, केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्यालयों जैसे बड़े शहरों को वितरित और प्रदर्शनकारी प्रभाव के लिए कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इनमें से प्रत्येक मेगा शहर से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को भी कवर किया जाएगा।
- **हैवी ड्यूटी वाहनों की आवश्यकता की पूर्ति:** राजमार्गों/सड़कों के दोनों ओर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी और/या बस/ट्रक आदि जैसे हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो सामान्यतया PCS के भीतर/के साथ स्थिति होंगे।
- **निजी भागीदारी को प्रोत्साहन:** निवासों/कार्यालयों में निजी चार्जिंग स्टेशन की अनुमति प्रदान जाएगी और DISCOMs (विद्युत वितरण कंपनियां) भी इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- **स्थापित करने में सुगमता:** PCS की स्थापना एक बिना लाइसेंस वाली गतिविधि होगी और कोई भी व्यक्ति/संस्था सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।
- **प्रशुल्क:**
  - PCS को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिए प्रशुल्क को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत जारी प्रशुल्क नीति के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  - घरेलू स्तर पर चार्जिंग, विद्युत की घरेलू खपत के समान होगी और इसी प्रकार प्रभारित की जाएगी।
- **सेवा शुल्क:** राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों द्वारा वसूले जाने वाले सेवा प्रभार की सीमा निर्धारित की जाएगी।
- **नोडल एजेंसी:** विद्युत मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में संबंधित राज्यों के लिए राज्य नोडल एजेंसी का प्रावधान भी किया गया है।
- **अन्य कानूनों में आवश्यक संशोधन:** भवन परिसरों और शहर के मुख्य शहरी क्षेत्रों में "चार्जिंग अवसंरचना" स्थापित करने हेतु सक्षमकारी प्रावधानों के लिए, मॉडल भवन उप-नियम, 2016 के संबंधित खंडों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

मॉडल भवन उप-नियम (Model Building Bye-laws: MBBL), 2016

- MBBL, किसी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने हेतु आच्छादन, ऊंचाई, बिल्डिंग बल्क और वास्तुशिल्प डिजाइन तथा भवनों के निर्माण पहलुओं को विनियमित करने के लिए प्रयुक्त एक विधिक साधन है।
- MBBL की प्रकृति बाध्यकारी है और ये अग्नि, भूकंप, ध्वनि, संरचनात्मक विफलताओं तथा अन्य खतरों के विरूद्ध भवनों की सुरक्षा का कार्य करते हैं।

निष्कर्ष

EVs के अंगीकरण की समग्र सफलता विनिर्माताओं, सरकार की नीतियों और सबसे बढ़कर इस नए युग की हरित क्रांति में प्रतिभागी बनने की उपभोक्ताओं की क्षमता के मध्य समन्वय पर आधारित होगी।

5.7. अक्षमता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश

(National Disaster Management Guidelines on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा **अक्षमता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DiDRR)** पर **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश** जारी की गयी।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- **आपदा के दौरान सुभेद्यता:** विभिन्न लोगों को पर्यावरण और मानव-जनित आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों के समान जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी वास्तविक सुभेद्यता उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, नागरिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण तथा न्यूनीकरण एवं राहत संसाधनों तक पहुंच पर निर्भर करती है।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) दिव्यांग-जनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि **तापमान में 1.5° सेल्सियस से 2.0° सेल्सियस तक वृद्धि होने से वैश्विक तापन से बढ़ने वाली प्राकृतिक आपदा** के परिणामस्वरूप मौसम प्रणाली अत्यधिक अस्थिर हो जाएगी, जिससे निर्धनता और क्षति में वृद्धि होने की संभावना है।
- **विविध प्रकार से प्रभावित जनसंख्या:** दिव्यांग-जन आपदा, आपात-काल और संघर्ष जैसी परिस्थितियों में विविध प्रकार से प्रभावित होते हैं।
- **दिव्यांग-जनों में उच्च मृत्यु दर:** गंभीर आपदाओं के दौरान इनकी मृत्यु दर सामान्य लोगों की मृत्यु दर की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक होती है। ज्ञातव्य है कि यह दर विशेष रूप से महिलाओं में और भी अधिक होती है।

- **तैयारियों का अभाव:** उनकी सुभेद्यता आपदा प्रबंधन के दौरान दिव्यांग जनों की आवश्यकताओं के संबंध में समझ की कमी से संबद्ध है। साथ ही, उनकी आवश्यकताओं और उनकी सामान्य सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने के संबंध में आपदा प्रबंधन कर्मियों में तैयारियों का अभाव होता है।
- **सामाजिक भेदभाव:** विकट परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता को उनके प्रति अपनाए जाने वाले भेदभावपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण द्वारा कमजोर किया गया है।
- भारत में, 2.68 करोड़ **(कुल जनसंख्या का लगभग 2.21%) दिव्यांग जन** निवास करते हैं, जिनमें से दिव्यांग पुरुष 56% और दिव्यांग महिलाएं 44% हैं। **मौजूदा आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों को DiDRR रणनीतियों में परिवर्तित करने की आवश्यकता** है।
- DiDRR जोखिम के शमन और न्यूनीकरण के माध्यम से प्रभावित समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु प्रयासरत है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

- **जोखिम (Risk)**: जोखिम को "जीवन हानि, चोट या विनष्ट अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी विशेष समय में एक प्रणाली, समाज या समुदाय में घटित हो सकता है, इसे संभावित रूप से संकट (hazard), अनावृत्ति (exposure) और क्षमता (capacity) के प्रकार्य के रूप में निर्धारित किया गया है"। तकनीकी अर्थ में, इसे तीन शब्दों के संयोजन के माध्यम से परिभाषित किया गया है: संकट, अनावृत्ति और सुभेद्यता।
- **सुभेद्यता (Vulnerability)**: सुभेद्यता को "भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित शर्तों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जोखिमों के प्रभावों के प्रति किसी व्यक्ति, समुदाय, संपत्ति या प्रणालियों की प्रवणता में वृद्धि करते हैं"।

दिव्यांग जनों के लिए अन्य फ्रेमवर्क

- **दिव्यांग जनों के अधिकारों पर संयुक्त संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United convention on the rights of person with disabilities: UNCRPD):** यह दिव्यांग जनों पर आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव की पहचान करता है तथा इसके अनुच्छेद 11 के तहत आपदा की स्थिति में होने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Right of Person with Disability Act: RPWDA), 2016:** यह आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में दिव्यांग जनों की भागीदारी को अनिवार्य बनाता है।
    - अधिनियम में, आपदा जोखिम प्रबंधन को स्पष्ट किया गया है जिसमें दिव्यांग जनों को सशस्त्र संघर्ष वाले मानवीय आपात जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** यह प्रावधान करता है कि आपदा अथवा सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान चिकित्सा आपातकाल की अवधि को जो 72 घंटे तक ही सीमित है अथवा जब तक मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिष्ठानों में उपचार किया जा रहा है (जो भी पहले हो) को सात दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- **इंचियोन रणनीति और सेंडाई फ्रेमवर्क:** ये गैर-भेदभावपूर्ण और समावेशी जोखिम न्यूनीकरण, विकास एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पहल और नीतियों की प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं।

दिशा-निर्देशों के बारे में

- ये दिशा-निर्देश स्थापित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों एवं पद्धतियों के आधार पर **DiDRR के कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक निर्देश** प्रदान करते हैं ताकि सभी हितधारक इस प्रक्रिया को कार्यान्वित कर सकें और प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।
- **दिव्यांगता समावेशन का सिद्धांत**
    - आपदाओं की अनुक्रिया के समय दिव्यांग-जनों को उचित सहायता प्रदान करने संबंधी **कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।**
    - DiDRR के सभी पहलुओं में योगदान करने हेतु **दिव्यांग-जनों और उनके प्रतिनिधि संगठन** को सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें निष्क्रिय अभिकर्ता के रूप में नहीं बल्कि निर्णय-निर्माताओं के रूप में शामिल किया जा सके।
- ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से **राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर DRR के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों/प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों, दिव्यांग-जनों, दिव्यांग-जनों के संगठनों के संबंध में हैं।**
- **इनमें से कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:**
    - केंद्र को डेटा और संसाधन मानचित्रण हेतु दिव्यांग-जनों की जनगणना एवं सर्वेक्षण आयोजित करना चाहिए।
    - आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में दिव्यांग-जनों के मुद्दों और उनके प्रतिनिधि संगठनों को शामिल करना, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWDA), 2016 में परिकल्पित है।
    - दिव्यांग-जनों के मध्य DRR योजना और सेवाओं के बारे में जागरूकता को सार्वभौमिक बनाना।

VISION IAS

- सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांत को अपनाना, सहायक तकनीक तक पहुंच और अभिगम्यता को सुविधाजनक बनाना।
- उनकी दिव्यांगता को बढ़ाने की संभावना को कम करने के लिए टिकाऊ चिकित्सा उपकरण, जीवन रक्षक उपकरणों आदि के राष्ट्रीय भंडारण (national stockpiling) जैसी तैयारियों और शमन रणनीतियों को अपनाना।
- ऑडियो और साइन भाषाओं जैसे पुनरावृत और वैकल्पिक प्रारूपों के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को सूचित करने के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली तंत्र की स्थापना करना।
- केंद्र को DiDRR और राज्य के लिए विशिष्ट बजटीय आवंटन को निर्धारित करना चाहिए तथा समावेशी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड और जिला खनिज निधि का उपयोग करना चाहिए।

5.8. शहर और जलवायु परिवर्तन

(Cities And Climate Change)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, C40 वर्ल्ड मेयर समिट का आयोजन कोपेनहेगन (डेनमार्क) में किया गया।

C40 शिखर सम्मेलन के बारे में

- C40, **विश्व की मेगासिटीज का एक नेटवर्क** है, जिसे वर्ष 2005 में आरंभ किया गया था। यह 700 मिलियन से अधिक नागरिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक-चौथाई भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
- C40, शहरों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने, ज्ञान साझा करने और जलवायु परिवर्तन पर सार्थक, मापन-योग्य और संधारणीय कार्रवाई करने के लिए समर्थन प्रदान करता है।
- वर्तमान में छह भारतीय शहर, यथा: **बेंगलुरु, चेन्नई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई** C40 के सदस्य हैं।

शहरों को जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार संबद्ध किया जाता है?

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (UN हैबिटेट) के अनुसार शहर विश्व भर में ऊर्जा उत्पादन के 78% भाग का उपभोग करते हैं और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 60% भाग का योगदान करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और नगरीकरण:** बढ़ते नगरीकरण का वायु की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, भूमि उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन पर उल्लेखनीय प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं।
- **शहरों की सुभेद्यता:** जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण होने के साथ-साथ शहर स्वयं भी इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अधिकांश शहर तटीय क्षेत्र के निकट अवस्थित हैं, जिससे उनके समक्ष समुद्र के बढ़ते जल स्तर और तूफानों का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

C40 शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान आरंभ की गई प्रमुख पहलें

- **C40 गुड फ़ूड सिटीज डिक्लेरेशन:** इसका उद्देश्य **संतुलित और पौष्टिक भोजन के साथ**, अपने नागरिकों की संस्कृति, भूगोल और जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करने हेतु **वर्ष 2030 तक 'प्लैनेटरी हेल्थ डाइट'** का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नागरिकों के साथ कार्य करना है।
- **C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन:** इसका उद्देश्य दो वर्ष के भीतर प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी का लक्ष्य निर्धारित करना है जो राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से अधिक है; वर्ष 2025 तक स्वच्छ वायु नीतियों को कार्यान्वित करना जो शहरों आदि में प्रदूषण की समस्या का समाधान करते हैं।
- **C40 सिटीज नॉलेज हब:** यह एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो शहरों को तीव्र गति से जलवायु कार्रवाई करने हेतु सूचना उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान के साझाकरण और सहयोग के लिए शहरों के व्यावहारिक अनुभवों और सफल दृष्टिकोणों को एकीकृत करता है।
- **सिटी-बिज़नेस क्लाइमेट अलायन्स:** यह गठबंधन, मेयर्स और CEOs को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक स्तर पर (शहरी क्षेत्र में) कार्यान्वित करने के लिए सहयोग स्थापित करने में सक्षम बनाएगा।

शहर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं?

- **परिवहन को संधारणीय बनाना:** परिवहन क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 15% भाग के लिए उत्तरदायी है। C40 शोधकर्ताओं ने कहा कि शहरों को पैदल चलने व साइकिल चलाने योग्य नीति बनानी चाहिए और बड़े पैमाने पर पारगमन नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहिए तथा साथ ही कठोर उत्सर्जन संबंधी मानकों को प्रस्तुत करना चाहिए, शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए और शून्य उत्सर्जन वाले क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए।
- **हरित भवन:** शहरों को नए भवनों के लिए कठोर नियम अपनाने चाहिए और पुराने भवनों को गर्म रखने, हवादार (वेंटिलेशन) बनाने, एयर कंडीशनिंग, जल को गर्म करने और प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने के लिए पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।

- चीन, भवन निर्माण दक्षता में अग्रणी है, जिसने वर्ष 2030 तक अपने सभी भवनों के 50% को हरित प्रमाण-पत्र जारी करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है।

- **हरित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना:** जैसे-जैसे शहरों का विस्तार होता है, प्राकृतिक हरित क्षेत्रों को कंक्रीट की संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सामुदायिक उद्यानों, पार्कों आदि के निर्माण से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना किसी भी सार्थक जलवायु कार्य योजना के लिए आवश्यक है। विश्व भर के कई शहर इस मोर्चे पर अग्रसित हैं।
  - उदाहरण के लिए, ओस्लो (नॉर्वे) ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 95% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यह विश्व का प्रथम शहर है जिसने जलवायु बजट प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर करारोपण तथा औद्योगिक और व्यक्तिगत गतिविधियों पर उत्सर्जन सीमा निर्धारित की जाती है।
- **प्लास्टिक पर प्रतिबंध:** प्लास्टिक के अधिकांश भाग को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है। इसे भूमि-भराव क्षेत्रों, महासागरों, हरित क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर डंप कर दिया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रदूषित करते हैं, जानवरों को हानि पहुँचाते हैं तथा पेयजल को संदूषित करते हैं।
  - प्लास्टिक उत्पादन महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। पर्यावरण कानून पर एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2050 तक वैश्विक कार्बन बजट के 17% भाग के लिए प्लास्टिक उत्पादन उत्तरदायी हो सकता है।
  - वर्तमान में 18 शहरों ने एकल उपयोग वाले व गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक पर प्रतिबंध आरोपित किया है।

5.9. अरब सागर में एक साथ दो चक्रवात

(Simultaneous Cyclones In Arabian Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'क्यार' (Kyarr)** और **'महा' (Maha)** नामक दो चक्रवाती तूफान अरब सागर में एक साथ उत्पन्न हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- अरब सागर में एक-साथ चक्रवात उत्पन्न होने की घटना वर्ष 1965 के पश्चात् पहली बार घटित हुई है।
- 'क्यार' चक्रवात को सुपर चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया और वर्ष 2007 में 'गोनू' चक्रवात के पश्चात् निर्मित यह दूसरा सुपर चक्रवात है।
- 'क्यार' चक्रवात के अवशेष भवरों (remenants) से 'महा' नामक एक और चक्रवात विकसित हुआ, जिसे 'अत्यधिक गंभीर चक्रवात' के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- इसने वर्ष 2019 को संचित चक्रवात ऊर्जा (Accumulated Cyclone Energy: ACE) के आधार पर रिकॉर्ड किए गए सबसे सक्रिय नार्थ इंडियन चक्रवात अवधि के रूप में स्थापित किया है।
  - ACE, चक्रवात अवधि की कुल विनाशकारी शक्ति की एक माप है, जिसका मापन तीव्र पवनों वाले दिनों की अवधि के आधार पर किया जाता है।

अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियों में वृद्धि

- **अरब सागर को बंगाल की खाड़ी की तुलना में चक्रवाती तूफानों के प्रति कम प्रवण माना जाता है**, क्योंकि समुद्री सतह के निम्न तापमान के कारण चक्रवाती तूफानों के विकास और वर्धन के लिए अरब सागर अनुकूल नहीं है।
- सामान्यतः, अरब सागर में प्रत्येक चार-पांच वर्षों की अवधि के दौरान एक अत्यंत गंभीर चक्रवात उत्पन्न होने की घटना घटित होती थी। लेकिन, हाल के दिनों में समुद्र में अल्प समय के अंतराल में **उच्च तीव्रता के उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होना आरंभ** हो गया है। उदाहरण के लिए, 15 वर्षों (वर्ष 1998 से 2013) की अवधि के दौरान, इस सागर में कुल पांच अत्यधिक गंभीर चक्रवात उत्पन्न हुए, जबकि वर्ष 2019 में, अरब सागर में चार चक्रवात निर्मित हुए।
- अरब सागर के निकटवर्ती तटीय क्षेत्र जोखिम के प्रति विशिष्ट रूप से प्रवण हैं क्योंकि इनकी भौगोलिक अवस्थिति चक्रवात को स्थल की ओर प्रवाहित करती है।

अरब सागर में चक्रवात निर्माण की घटनाओं में वृद्धि और तीव्र चक्रवातों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण

- **अरब सागर की भौगोलिक अवस्थिति और वैश्विक तापन:** कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण अरब सागर के जल के तापमान में वृद्धि हुई है।
  - बंगाल की खाड़ी के विपरीत, अरब सागर में नदियों से न्यूनतम अलवणीय जल प्राप्त होता है जिसके कारण अरब सागर में शीतलन प्रभाव बाधित होता है।

- इसके अतिरिक्त, अरब सागर का स्थलीय भाग से अधिक घिरे होने के कारण वाष्पीकरण एवं मेघ निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जिससे और अधिक चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं।

- 1930 के दशक के पश्चात् से **मानवजनित एयरोसोल के उत्सर्जन** में छह गुना वृद्धि हुई है, जिसके कारण दक्षिण-पश्चिमी निम्न स्तरीय वायु प्रवाह (south-westerly low-level wind) और पूर्वी उच्च स्तरीय वायु प्रवाह (easterly upper-level winds) कमजोर हो जाता है। उल्लेखनीय है कि ये पवनें अरब सागर में मानसूनी परिसंचरण को निर्धारित करती हैं। इससे पूर्व, अरब सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुजरात तक ही सीमित थे। हालांकि, विगत एक दशक में केरल और कर्नाटक भी चक्रवातों के प्रति अधिक प्रवण बन गए हैं।
- **इंडियन ओशन डाईपोल (IOD):** यह समुद्री सतह के तापमान (SST) की एक अनियमित प्राकृतिक दोलन की स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर, समुद्र के पूर्वी भाग की तुलना में एकांतर रूप से उष्ण और फिर शीतल हो जाता है। सकारात्मक IOD, अरब सागर में औसत SSTs की अपेक्षा अधिक उष्ण और इंडोनेशिया के निकट औसत SSTs की अपेक्षा अधिक शीतल स्थिति उत्पन्न करता है। वर्तमान सकारात्मक IOD की परिघटना विगत 60 वर्षों के दौरान सबसे अधिक सशक्त है और इसने SST में वृद्धि की है।
- **वायु कर्तन (windshear)** या वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर पवन प्रवाह की दिशा और गति में परिवर्तन होना। सामान्यत:, यह वायु कर्तन बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अपेक्षाकृत सशक्त होता है तथा यह चक्रवातों को ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होने से बाधित करता है। लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण यह वायु कर्तन अरब सागर में कमजोर हो रहा है, जो चक्रवातों के निर्माण में सहायता कर रहा है।
- हाल के वर्षों में परिलक्षित **अल-नीनो मोडोकी (El-Nino modoki)** की परिस्थितियां उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण को परिवर्तित करती हैं और अरब सागर में चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं।

अल नीनो मोडोकी, मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में तापन तथा पूर्वी और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में शीतलन के मध्य सशक्त विसंगति से संबद्ध है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात: निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ और वर्गीकरण

- वृहत समुद्री सतह, जिसका तापमान **27 डिग्री सेल्सियस** से अधिक हो;
- चक्रवाती भंवर के निर्माण हेतु सहायक **कोरिओलिस बल की पर्याप्त उपस्थिति;**
- **ऊर्ध्वाधर पवन प्रवाह की गति में न्यून परिवर्तन;**
- **पूर्व-विद्यमान कमजोर निम्न दाब क्षेत्र** अथवा निम्न स्तरीय-चक्रवातीय परिसंचरण;
- समुद्र सतह तंत्र पर **ऊपरी वायुमंडल में डायवर्जेंस।**

Category	Sustained winds (3-min average)
Super Cyclonic Storm	≥ 120 kt ≥ 221 km/h
Extremely Severe Cyclonic Storm	90-119 kt 166-220 km/h
Very Severe Cyclonic Storm	64-89 kt 118-165 km/h
Severe Cyclonic Storm	48-63 kt 89-117 km/h
Cyclonic Storm	34-47 kt 63-88 km/h
Deep Depression	28-33 kt 51-62 km/h
Depression	17-27 kt 31-50 km/h

5.10. आकस्मिक समतापमंडलीय तापन

(Sudden Stratospheric Warming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंटार्कटिका** के ऊपर **आकस्मिक समतापमंडलीय तापन** नामक एक असामान्य तापन परिघटना का अवलोकन किया गया। ज्ञातव्य है इस परिघटना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर **ओज़ोन छिद्र** के आकार में **कमी** हो रही है।

आकस्मिक समतापमंडलीय तापन

- यह दुर्लभ तापन की परिघटना तब घटित होती है जब समतापमंडल में तीव्र तापन की घटना आरंभ होती है।

- आकस्मिक समतापमंडलीय तापन एक **सामान्य परिघटना है जो ठंडे मौसम के दौरान उत्तरी गोलार्ध में औसतन प्रत्येक दूसरे वर्ष घटित होती है। उल्लेखनीय है कि यह परिघटना दक्षिणी गोलार्ध में दुर्लभ है।**
- इसके कारण दक्षिणी ध्रुव के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया है तथा यह अगले तीन महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उष्ण एवं शुष्क वायु प्रवाह को प्रेरित कर सकता है, जिससे वर्षण प्रतिरूप प्रभावित हो सकता है और इस महाद्वीप में सूखे की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।
- प्रत्येक शीतकाल में, पछुआ पवनें {जिनकी गति प्राय: 200 किलोमीटर प्रति घंटे (120 मील प्रति घंटे) तक होती है} दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडल में विकसित होती हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में परिसंचरण करती हैं।
- ध्रुव (जहाँ सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है) और दक्षिणी महासागर (जहाँ सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है) के तापमान में अंतर के परिणामस्वरूप इन पवनों का निर्माण होता है।
- दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु के दौरान जैसे ही सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, वैसे ही ध्रुवीय क्षेत्र उष्ण होने लगते हैं। यह तापन समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) और संबंधित पछुआ पवनों को धीरे-धीरे कुछ महीनों की अवधि में कमजोर करने का कारण बनता है। (समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर ऊपरी वायुमंडल का निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी के एक ध्रुव के निकट स्थित हो सकता है)
- निचले वायुमंडल से वायु की लहरें (वृहद मौसम तंत्र अथवा पर्वतों के ऊपर प्रवाहित) दक्षिणी ध्रुव के ऊपर स्थित समताप मंडल को उष्ण कर देती हैं तथा उच्च गति वाली पछुआ पवनों को मिश्रित अथवा कमजोर कर देती हैं।
- कदाचित ही, इन लहरों के पर्याप्त रूप से सशक्त होने पर इनके द्वारा ध्रुवीय भंवर को तीव्रता से समाप्त किया जा सकता है। वास्तव में इन लहरों के द्वारा पवनों की दिशा को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है और ये पूर्वी पवनों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी परिघटना को "आकस्मिक समताप मंडलीय तापन" कहा जाता है।
- अंटार्कटिक क्षेत्र को उष्ण करने के अतिरिक्त, इसका सबसे उल्लेखनीय प्रभाव दक्षिणी महासागर की पछुआ पवनों का भूमध्य रेखा की ओर परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है और इस प्रकार यह अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।

ओजोन छिद्र के आकार में कमी के लिए समतापमंडलीय तापन किस प्रकार से उत्तरदायी है?

- नासा और अमेरिका की "राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA)" की रिपोर्ट के अनुसार, **विगत दो महीनों में अंटार्कटिक पर ओजोन छिद्र का आकार वर्ष 1982 के पश्चात् सबसे कम आकार हो गया है।**
- अंटार्कटिक पर ओजोन छिद्र का निर्माण **दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरवर्ती शीतकाल के दौरान** होता है क्योंकि लौटते सूर्य के प्रकाश के कारण ओजोन-क्षरण की अभिक्रिया आरंभ हो जाती है।
- इन अभिक्रियाओं में मानव निर्मित यौगिकों से प्राप्त क्लोरीन और ब्रोमीन के रासायनिक रूप से सक्रिय अवस्थाएं शामिल होती हैं तथा यह अभिक्रिया शीत समताप मंडल की परतों पर निर्मित **मेघ कणों की सतह** पर घटित होती है।
- **तापमान के उष्ण होने की स्थिति में ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघों का निर्माण कम होता है** और वे दीर्घ-स्थायी नहीं बने रहते हैं। इस प्रकार, यह ओजोन-क्षरण प्रक्रिया को सीमित करता है।
- यह वास्तव में एक **सकारात्मक विकास** है क्योंकि यह ओजोन परत को संरक्षित करेगा जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि, **यह परिघटना मुख्य रूप से उष्ण समतापमंडलीय तापमान के कारण घटित हुई है और वैश्विक नियमों के कारण इसे ओजोन रिकवरी के संकेत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।**
    - एक अनुमान के अनुसार, अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में **वर्ष 2070 तक पुनरुद्धार होने की संभावना व्यक्त की गई** है क्योंकि शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिकों {जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) कहा जाता है} के उपयोग में कमी हो रही है।

5.11. भारत की प्रथम ई-अपशिष्ट क्लिनिक

(India's First E-Waste Clinic)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भोपाल (मध्य प्रदेश) में देश के प्रथम ई-अपशिष्ट क्लीनिक को स्थापित करने हेतु** भोपाल नगर निगम (BMC) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- इसके अतिरिक्त, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत इसे शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ई-अपशिष्ट क्लिनिक के बारे में

- इसके द्वारा घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से प्राप्त **अपशिष्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान किया जाएगा।**
- इस क्लिनिक को तीन माह के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है। यदि इसका प्रयोग सफल रहता है, तो संपूर्ण देश में ऐसे ही क्लिनिकों की स्थापना की जाएगी।
- ई-अपशिष्ट को डोर-टू-डोर एकत्र किया जाएगा या शुल्क के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से क्लिनिक में ही संग्रहित किया जाएगा।
- CPCB द्वारा इस क्लिनिक को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- खतरनाक अपशिष्टों को पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) हेतु बेंगलुरु भेजा जाएगा।
- इस क्लिनिक की परिकल्पना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के क्रम में गई है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019

(Global Hunger Index 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2019 जारी किया गया।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्र स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने एवं ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है। उच्च आय वाले देशों को GHI में शामिल नहीं किया जाता है।
- GHI को वर्ष 2000 के बाद से **वेल्थंगरहिल्फे (Welthungerhilfe)** (हाल ही में कंसर्न वर्ल्डवाइड के साथ साझेदारी में) द्वारा जारी किया जाता है।
- GHI के तहत विभिन्न राष्ट्रों को 100 अंकों के पैमाने पर रैंक प्रदान किया जाता है, जिसमें "0" स्कोर को सबसे अच्छा (हंगर की अनुपस्थिति) है और "100" स्कोर को सबसे खराब माना जाता है। हालांकि, कोई भी राष्ट्र इन चरम वास्तविकताओं की श्रेणी में शामिल नहीं है।

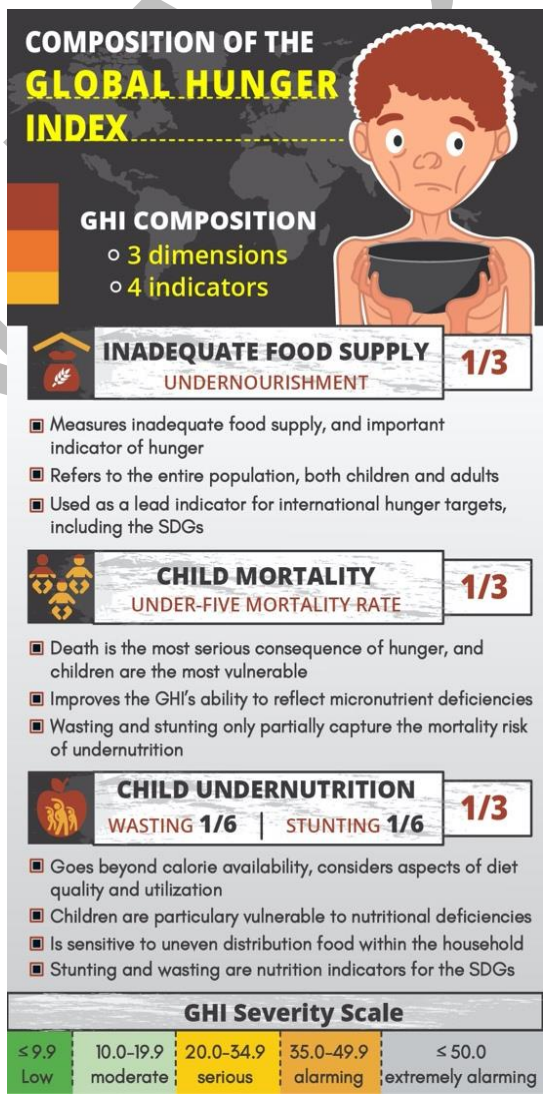

मुख्य निष्कर्ष

- **ग्लोबल हंगर गंभीर (Serious) से मध्यम (Moderate) स्तर की ओर बढ़ रहा है:** वर्ष 2019 के लिए वैश्विक GHI स्कोर 20.0 है। यह स्थिति विश्व भर में भूख और कुपोषण के संदर्भ में मध्यम एवं गंभीर श्रेणियों के संक्रमण बिंदु का सूचक है। यह स्कोर वर्ष 2000 के बाद से 31 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2000 में वैश्विक GHI स्कोर 29.0 था और यह गंभीर श्रेणी में सम्मिलित था।
- **दक्षिण एशिया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित राष्ट्रों (अफ्रीका साउथ ऑफ़ द सहारा) में उच्चतम:** दक्षिण एशिया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित राष्ट्रों का GHI स्कोर (उच्चतम) क्रमशः 29.3 और 28.4 है, जो भूख के गंभीर स्तरों का संकेत देते हैं।
- **राष्ट्रों के भीतर असमानता:** राष्ट्र की सीमाओं के भीतर असमानताओं के कारण भूख और कुपोषण उन देशों में भी बना हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन जनित खतरा:** उच्च GHI स्कोर वाले राष्ट्र प्रायः जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के प्रति इनकी अनुकूलन क्षमता सबसे कम होती है; जबकि निम्न GHI स्कोर वाले कई राष्ट्र सबसे कम सुभेद्य और सर्वाधिक तैयार हैं।

GHI और भारत

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) पर भारत वर्ष 2010 के 95वें स्थान से वर्ष 2019 में 102वें स्थान पर आ गया है।
- भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार हुआ है।
- भारत में बच्चों में दुबलापन की दर (child wasting rate) विश्व में किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में अत्यधिक उच्च (20.8 प्रतिशत) है। भारत में बच्चों में ठिगनेपन की दर (child stunting rate) 37.9 प्रतिशत है और इसे अत्यंत उच्च श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- भारत में, 6 से 23 माह के सभी बच्चों में से केवल 9.6 प्रतिशत बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त होता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "स्वच्छ भारत" अभियान के बावजूद खुले में शौच की प्रथा अभी भी जारी है। यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और फलस्वरूप बच्चों की वृद्धि एवं विकास के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे पोषक तत्वों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

VISION IAS

हंगर (भूख) की समस्या से निपटने हेतु नीतिगत अनुसंशाएँ

- **सर्वाधिक सुभेद्य समूहों और क्षेत्रों के मध्य लचीलेपन एवं अनुकूलन को प्राथमिकता प्रदान करना:** संदर्भ-विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने हेतु सरकारों को वैश्विक-दक्षिण में सुभेद्य समुदायों (जैसे- लघु एवं सीमांत कृषकों) के लिए विशेष निवेश करना चाहिए। ये रणनीतियां खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और खाद्य आत्म-निर्भरता को सुदृढ़ बनाएंगी।
- **आपदाओं के प्रति बेहतर तैयारी और अनुक्रिया:** सरकारों को विशेष रूप से चरम मौसमी घटनाओं के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों में आपदा की रोकथाम और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। इसमें प्रारंभिक चेतावनी और अनुक्रिया प्रणाली में निवेश, पूर्वानुमान-आधारित वित्तपोषण तंत्र तथा अनुकूलित अवसंरचना शामिल हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु कार्रवाई करना:** सभी राष्ट्रों, विशेष रूप से उच्च आय वाले राष्ट्रों, को तत्काल प्रभाव से एजेंडा 2030 और पेरिस समझौते के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। उन्हें अपेक्षाकृत अधिक महत्वाकांक्षी उपायों को लागू करना चाहिए, जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र का गैर-कार्बनीकरण करना, हरित अवसंरचना का निर्माण करना और कार्बन प्रच्छादन में वृद्धि करना।
- **खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करना:** सरकारों को संधारणीय उत्पादन प्रणाली व पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा और खाद्य पदार्थों के नुकसान व बर्बादी में कमी करनी चाहिए।
    - FAO (कृषि एवं खाद्य संगठन) द्वारा प्रकाशित *स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट* में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर, विश्व का लगभग 14 प्रतिशत भोजन फसल कटाई के पश्चात् नष्ट हो जाता है। फसल कटाई के पश्चात्, विभिन्न स्तरों पर फलों, सब्जियों, और पशु-आधारित उत्पादों की बर्बादी के कारण कुल सूक्ष्म पोषक तत्वों का लगभग 60 प्रतिशत अंश नष्ट हो जाता है।
- **असमानता को दूर करना:** निर्धनता और मौजूदा असमानताओं को कम करने के उपाय, सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के मध्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, सरकारों को ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए।

6.2. चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रिशन: स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट

(Children, Food and Nutrition: The State of World Children Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/UNICEF) ने अपनी 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन' रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक “बच्चे, भूख और पोषण- एक परिवर्तित विश्व में बेहतर विकास” (Children Food and Nutrition- Growing Well in a Changing World) है।

मुख्य निष्कर्ष: यूनिसेफ की यह प्रमुख रिपोर्ट 20 वर्षों में पहली बार, तेजी से विकसित होती चुनौती पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हुए बच्चों, भोजन और पोषण से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करती है।

- यह रिपोर्ट कुपोषण के तिहरे बोझ (triple burden), यथा- **अल्प पोषण (under nutrition), प्रच्छन्न भूख (hidden hunger)** और **अधिक वजन (overweight) का विवरण प्रदान करती है।**
- अधिक वजन और मोटापे में वृद्धि जारी है। वर्ष 2000 से वर्ष 2016 के मध्य, अधिक वजन वाले बच्चों (5 से 19 वर्ष) का अनुपात 10:1 से बढ़कर लगभग 5:1 हो गया है।
- अफ्रीका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में ठिगनेपन से ग्रसित बच्चों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि अफ्रीका सहित सभी महाद्वीपों में अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है।

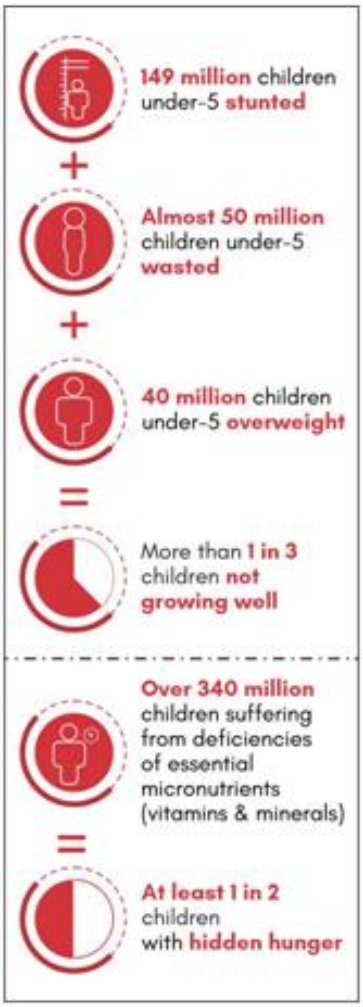

कुपोषण का तिहरा बोझ क्या है?

- **अल्प-पोषण**
    - **ठिगनापन (Stunting):** यदि बच्चों की आयु के आधार पर उनकी लंबाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बाल विकास मानक “मध्यम” से कम है, तो उन्हें स्टंटेड (ठिगनेपन से ग्रसित) के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि किसी देश में बच्चों का विकास उचित रीति से नहीं हो रहा है। साथ ही, यह अतीत में व्याप्त वंचना और भावी गरीबी दोनों का सूचक है।
    - **दुबलापन (Wasting):** लंबाई के अनुपात में अल्प वजन, अधिकाँश मामलों में अत्यधिक भुखमरी और/या गंभीर बीमारी को इंगित करता है। सामान्य धारणा के विपरीत, वास्तविकता यह है कि दुबलेपन से ग्रसित बच्चों की सर्वाधिक संख्या एशिया में है, न कि आपात स्थितियों का सामना कर रहे देशों में।

- **हिडन हंगर** वस्तुतः विटामिनों और खनिजों की कमी को इंगित करता है, जिससे महिलाओं तथा बच्चों को क्षति पहुँचती हैं। आयरन के अभाव से बच्चों की सीखने की क्षमता कम हो जाती है और आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता (एनीमिया) से महिलाओं में प्रसव के दौरान या उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- **बच्चों में अधिक वजन** से उनमें टाइप-2 मधुमेह, हीन भावना (stigmatization) और अवसाद आरंभिक अवस्था में ही प्रकट हो सकते हैं तथा यह गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक परिणामों के साथ वयस्क अवस्था में मोटापे का एक दृढ़ सूचक है।

कुपोषण के तिहरे बोझ के चालक

- इस चुनौती के केंद्र में एक खंडित खाद्य प्रणाली विद्यमान है, जो बच्चों के स्वास्थ्यपूर्ण विकास हेतु आवश्यक आहार प्रदान करने में विफल रहती है। खाद्य प्रणाली- "भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, तैयारी और उपभोग" में समाविष्ट सभी तत्व और गतिविधियाँ अधिक जटिल होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण बच्चों के खान-पान एवं उनके खाने के तौर-तरीके, साथ ही, भोजन से जुड़े सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य पूर्णतया परिवर्तित होते जा रहे हैं।
    - **वैश्वीकरण खाद्य विकल्पों और पसंद को परिवर्तित कर रहा है:** विश्व भर में प्रसंस्कृत खाद्य बिक्री का 77% केवल 100 विशाल कंपनियों द्वारा नियंत्रित है।
    - शहरों में, अधिकांश निर्धन बच्चे **'फूड डेजर्ट'** (food deserts) (शहर का वह हिस्सा, जहाँ वहनीय या उच्च गुणवत्ता वाले ताजे खाद्य पदार्थों को खरीदना कठिन है) में रहते हैं तथा वे स्वस्थ भोजन विकल्पों की अनुपस्थिति का सामना करते हैं या **"फूड स्वॉम्प"** (food swamps) (फ़ास्ट फूड व जंक फूड की बहुलता वाले क्षेत्र) में रहते हैं, जहाँ उच्च कैलोरी व निम्न पोषक तत्वों वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बहुतायत होती है।
    - **निर्धन परिवार निम्न गुणवत्ता युक्त भोजन का चयन करते हैं,** जिनकी लागत कम होती है। निर्धनता और अपवर्जन के कारण सर्वाधिक वंचित बच्चे कुपोषण के सभी रूपों के सबसे बड़े जोखिम का सामना करते हैं।
    - **जलवायुवीय आघात,** जैव विविधता का ह्रास तथा जल, वायु और मृदा प्रदूषण, लाखों बच्चों एवं युवाओं, विशेष रूप से निर्धनों के मध्य पोषण की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने भारत में जागरूकता बढ़ाने तथा भूख और कुपोषण के विरुद्ध कदम उठाने हेतु एक सिनेमा विज्ञापन अभियान 'फीड आवर फ्यूचर' आरंभ किया है।
- **विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) के बारे में**
    - यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी संस्था है, जो भूख से संबद्ध समस्याओं को संबोधित करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है।
    - इसका मुख्यालय रोम, इटली में अवस्थित है।
    - यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का एक हिस्सा है।
    - WFP के परिचालन, सरकारों, निगमों और निजी दाताओं से प्राप्त स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित हैं।

तिहरे बोझ से निपटने के लिए नीतिगत अनुशंसाएं: बच्चों हेतु भोजन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए हमें तेजी से विकसित होने वाले उन संदर्भों को समझने की आवश्यकता है, जो बच्चों के आहार को निरंतर परिवर्तित कर रहे हैं। यह रिपोर्ट बच्चों के पोषण संबंधी अधिकारों को सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित एजेंडा प्रस्तावित करती है:

- **पौष्टिक भोजन की मांग करने हेतु परिवारों, बच्चों और युवाओं को सशक्त करना:** पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मांग को प्रोत्साहित करने से आशय न केवल उपभोक्ताओं को संतुलित आहार के लाभों के विषय में शिक्षित करना है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आकांक्षाओं का लाभ भी उठाना है।
- **बच्चों के लिए उचित उपाय करने हेतु खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को प्रेरित करना:** केवल मांग पर्याप्त नहीं है; स्वस्थ भोजन सरलता से उपलब्ध, वहनीय, सुरक्षित और सुगम होना चाहिए। सरकारों को सभी उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक निष्पक्ष परिवेश का सृजन करना चाहिए तथा उनके कार्यों का बच्चों के सर्वोत्तम हितों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने हेतु सहायता करनी चाहिए।
- **सभी बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन परिवेशों का निर्माण करना:** व्यक्तिगत और बाह्य खाद्य परिवेश ऐसे स्थान हैं जहाँ बच्चे तथा उनके देखभालकर्ता भोजन प्रणाली के साथ अंतर्संबंधित होते हैं। यद्यपि आपूर्ति और मांग, खाद्य परिवेशों को आकार प्रदान करते हैं, तथापि संदर्भ के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही, जैसे- अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग, शोषणकारी विपणन प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा आदि बच्चों के पौष्टिक आहार के अनुकूल खाद्य परिवेशों के सृजन में सहायक हो सकते हैं।

VISION IAS

- **प्रत्येक बच्चे के लिए पोषण परिणामों में वृद्धि करने हेतु सहायक प्रणालियों को संघटित करना:** साथ ही, पोषण सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने, पोषण प्रथाओं को बेहतर बनाने और निश्चित पोषण परिणामों को प्राप्त करने के लिए भोजन प्रणालियों एवं निम्नलिखित **चार अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों** को भी संघटित करना चाहिए:
  - **स्वास्थ्य; जल एवं सैनिटेशन (स्वच्छता); शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों** को समन्वित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए।
  - **बच्चों के पोषण के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण,** बच्चों और परिवारों की संतुलित एवं स्वस्थ आहारों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है तथा बच्चों को उन पोषण सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है, जिनकी उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता तक विकसित होने हेतु आवश्यकता होती है।
- **कार्यवाही को निर्देशित करने और प्रगति की निगरानी हेतु बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा का नियमित रूप से एकत्रण, विश्लेषण और उपयोग करना:** जीवन के प्रत्येक चरण में बच्चों, किशोरों और महिलाओं के आहार एवं पोषण के बारे में हमारी जानकारी को विस्तृत करने हेतु डेटा संग्रह विधियों तथा बारंबारता को अवश्य रूपांतरित करना चाहिए। डेटा प्रणालियों को उत्तरदायी होना चाहिए और डेटा साझाकरण की संस्कृति तथा पारदर्शिता विकसित होनी चाहिए।

6.3. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

(Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत प्राप्त लगभग 7,901 करोड़ रूपए की राशि के माध्यम से निःशुल्क द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार उपलब्ध कराकर **गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल तथा आंध्र प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों** के रूप में उभरे हैं।

PM-JAY के बारे में

- आयुष्मान भारत वस्तुतः भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की संकल्पना को साकार करने हेतु **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इसका शुभारम्भ किया गया था।
- **PM-JAY वस्तुतः आयुष्मान भारत का दूसरा घटक है,** जिसका उद्देश्य 10.74 करोड़ से अधिक निर्धन और सुभेद्य परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल चिकित्सा व्यय हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत **परिवार के आकार हेतु कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।
- PM-JAY नाम से लागू किए जाने से पूर्व इस योजना को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (National Health Protection Scheme: NHPS)** के रूप में जाना जाता था।
- सम्मिलित किए गए परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए **सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना- 2011 (SECC 2011)** के वंचन तथा व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित हैं।
- इसमें तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं, यथा- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** और **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को समाविष्ट किया गया।**
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा कार्यान्वयन की लागत **केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है।**
- PM-JAY सम्पूर्ण भारत में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक और निजी दोनों) में **लाभार्थी के लिए कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती** है।
- राज्य, **कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के चयन हेतु स्वतंत्र हैं।** वे बीमा कंपनी या प्रत्यक्षत: किसी ट्रस्ट/सोसायटी या मिश्रित मॉडल के माध्यम से योजना को लागू कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, **इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority: NHA) का गठन किया गया है।**

महत्व

- भारत में आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय (स्वास्थ्य देखभाल पर क्षमता से अधिक व्यय) 60% से अधिक है, जिसके कारण लगभग 6 मिलियन परिवार विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य व्यय के कारण निर्धनता से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में AB-PMJAY से आउट ऑफ पॉकेट व्यय में महत्वपूर्ण रूप से कमी आएगी।
- इससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा तक पहुंच में वृद्धि होगी तथा यह स्वास्थ्य प्रणाली में वहनीयता एवं जवाबदेही को सक्षम बनाएगी।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण जनसंख्या की अपूरित रहने वाली आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जा सकेगा।
- यह समय पर उपचार, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, रोगी की संतुष्टि, उत्पादकता और दक्षता में सुधार व रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा तथा इस प्रकार जीवन स्तर में सुधार होगा।
- दीर्घावधि में, इस योजना में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में निजी क्षेत्र के विकास को सक्षम करने की क्षमता विद्यमान है, जिससे ग्रामीण भारतीय को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प प्राप्त होंगे।

PMJAY का प्रदर्शन

- **सकारात्मक**
  - **हॉस्पिटलाईज़ेशन:** AB-PMJAY के तहत देश भर में लगभग 44 लाख लोगों का अस्पताल में इलाज किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 8,583 सार्वजनिक अस्पताल, 683 निजी गैर-लाभकारी अस्पताल तथा 8,921 निजी लाभकारी अस्पताल वर्तमान में इस योजना का हिस्सा हैं।
  - **स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का समेकन:** पूर्व की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के भाग के रूप में प्रदत्त जोखिम कवर की तुलना में व्यापक जोखिम कवर के साथ, भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के स्तर पर पहले से ही समेकन हो रहा है।
    - कथित तौर पर, AB-PMJAY अवसर का उपयोग करते हुए, कर्नाटक ने सात मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का एक ही योजना में विलय कर दिया है, जबकि केरल ने तीन भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को संयुक्त किया है।
  - **विस्तारित लाभार्थी आधार:** 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने सार्वभौमिक या सार्वभौमिक कवरेज के लगभग निकटतम बिंदु तक AB-PMJAY या इसके राज्य संस्करण का विस्तार किया है।
  - **सुदृढ़ निगरानी:** बीमा धोखाधड़ी की शिथिल निगरानी से ग्रस्त RSBY के विपरीत, AB-PMJAY में लेनदेन की निगरानी करने और देश भर में संदिग्ध बीमा लाभ का पता लगाने हेतु एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना की गई है।
    - कई अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। निरंतर विकसित हो रही धोखाधड़ी-नियंत्रण प्रणाली में जैसे-जैसे सुधार होता जाएगा, यह इस योजना को सुव्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
    - आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान 16 भारतीय राज्यों के 341 अस्पतालों में धोखाधड़ी के मामलों का पता चला था।
- **नकारात्मक**
  - **मुनाफाखोरी:** धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के अनेक प्रयासों के बावजूद, नियमों का उल्लंघन कर लाभ आर्जित करने वाले निजी संस्थानों पर अभी भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका है।
  - **असमान प्रदर्शन:** सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध भिन्न-भिन्न आंकड़ों (18 जून 2019 से) का विश्लेषण यह इंगित करता है कि AB-PMJAY के मामले में छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, अधिकांश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य हैं।
    - सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल स्तर के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा वितरण अत्यंत असमान है।
  - **मुख्य आंकड़ों की अनुपलब्धता:** हालाँकि, कौन-सी सर्जरी सबसे अधिक की गई थी, इस संबंध में NHA वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में किसी भी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। आंकड़ों के इस संग्रह की अनुपलब्धता इस योजना की प्रमुख आलोचनाओं में से एक बनी हुई है।
  - **गुणवत्ता नियंत्रण:** प्राय: यह देखा गया कि वर्तमान में PM-JAY के तहत प्रमाणित अस्पताल अल्प संख्या में सूचीबद्ध हैं। 18,019 सूचीबद्ध अस्पतालों में से केवल 603 गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों के रूप में अधिकृत या प्रमाणित थे।

योजना में विद्यमान चिंतनीय विषय

- **असमानता में वृद्धि:** चिंता का एक विषय यह है कि दीर्घावधि में, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा वे निकृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों से संसाधनों का उपयोग करेंगे, इस प्रकार राज्यों के मध्य असमानता में वृद्धि होगी। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अवसंरचना के विकास और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की सीमित क्षमता मौजूद होगी।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौती:** सभी राज्यों में एक समान रूप से योजना का समकालिक कार्यान्वयन एक अन्य चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। विभिन्न राज्यों में सीमित समग्र शासन और कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता के कारण, योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है।
- **अपेक्षाकृत कम नियंत्रण:** नियमन की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति में निजी क्षेत्र के साथ संबद्धता और "अहस्तक्षेपकारी" स्वास्थ्य देखभाल बाजार एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है।
  - स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को पंजीकृत व विनियमित करने हेतु अधिदेशित नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 (The Clinical Establishment Act, 2010), दस राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों (जहां इसे लागू किया गया था) में निजी क्षेत्र को विनियमित करने में पूर्णतया विफल रहा है।

VISION IAS

- मानक उपचार दिशा-निर्देशों (STGs) और प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति तथा अतार्किक प्रथाओं के साक्ष्य, अन्य महत्वपूर्ण अवरोध हो सकते हैं। सुदृढ़ विनियमन और STGs की अनुपस्थिति में, देखभाल की लागत तथा इस योजना के लिए समग्र बजट में समय के साथ-साथ वृद्धि हो सकती है।

- **बजटीय आबंटन:** अनुवर्ती दो वार्षिक बजटों (2018–2019 और 2019-2020) में PMJAY के लिए आबंटित राशि भी देश की जनसंख्या के लक्षित 40% हिस्से को योजना में शामिल करने के लिए आनुपातिक रूप से अत्यल्प है।
- **अन्य चुनौतियों** में फर्जी लाभार्थियों का नामांकन, कार्डधारकों और अस्पतालों के मध्य गुप्त सहयोग से योजना का लाभ उठाना, OPD (बहिरंग रोगी विभाग) रोगी को IPD (अंतरंग रोगी विभाग) रोगी के रूप में प्रस्तुत करना, उन रोगों का उपचार करना जिनसे संबंधित सुविधाएं अस्पताल में मौजूद नहीं हैं, चिकित्सकों द्वारा अनावश्यक प्रक्रियाएँ सम्पादित करना, कैशलेस योजना होने के बावजूद अस्पतालों द्वारा शुल्क उद्ग्रहण आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- **रियल टाइम डेटा:** यह शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वे इनका विश्लेषण कर सकें तथा इस योजना में मौजूद अंतरालों को समाप्त करने में सहायता कर सकें। इसी प्रकार, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थिति पर राज्य-स्तरीय आंकड़े भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने चाहिए।
- **समवर्ती सूची में समाविष्ट करना:** वर्तमान में, केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रक पर कुल सरकारी व्यय का एक तिहाई से कम भाग व्यय कर रही है। यदि मौजूदा पिछड़े राज्यों में सुधार करना है, तो केंद्र को उनका उचित तरीके से वित्तपोषण करना होगा तथा अन्य कार्यक्रम आरम्भ करने होंगे। चूँकि स्वास्थ्य अभी भी राज्य सूची का विषय है, अतः केंद्र की भूमिका में वृद्धि होना संभव नहीं है।
  - चूँकि AB-PMJAY का विस्तार हो रहा है, अत: स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की वित्त आयोग की अनुशंसा को भी क्रियान्वयित किया जाना चाहिए ताकि निजी क्षेत्र को कुशलतापूर्वक अपेक्षाकृत अधिक धन संवितरित किए जाने के साथ-साथ केंद्र के पास कुछ नियामक शक्तियां भी रहें।
- **सरकारी अस्पतालों को बाहर रखना:** इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अनुसार सरकारी अस्पतालों को केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये सेवाएँ पहले से ही निःशुल्क हैं।
- **न्यायसंगत वितरण:** सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुष्मान भारत के लाभों का समृद्ध और अपेक्षाकृत निर्धन राज्यों (जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता हो सकती है) के मध्य न्यायसंगत वितरण किया जाए।
- **प्रत्यायन:** नियमों के अनुपालन में विफल रहने वाले अस्पतालों को राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदात्ता प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers: NABH) द्वारा अप्रत्यायित किए जाने की भी आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि, NABH यह प्रमाणित करता है कि अस्पताल इसके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक निश्चित गुणवत्ता प्रदान कर रहे हैं।

6.4. WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति

(WHO India Country Cooperation Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **"WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति 2019-2023: परिवर्तन का समय"** {The WHO India Country Cooperation Strategy (CCS) 2019-2023: A Time of Transition} का सार्वजनिक डोमेन में शुभारंभ किया।

पृष्ठभूमि

- यह रणनीति {अर्थात् WHO इंडिया CCS 2019-2023}, WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।
  - यह WHO को भारत सरकार के साथ अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने हेतु एक रोडमैप प्रदान करता है।
  - CCS में उल्लिखित प्राथमिकताओं और गतिविधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है।
- **इंडिया CCS** प्रथम पहल है, जो पूर्णत: हाल ही में अंगीकृत WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क और इसके 'ट्रिपल बिलियन' टारगेट के अनुरूप है।

WHO इंडिया CCS के प्रमुख बिंदु

यह CCS वर्ष 2019-2023 की पांच वर्ष की अवधि को कवर करता है तथा यह व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं और इसी के अनुरूप फोकस कार्यक्रम क्षेत्रों को निर्धारित करता है।

- यह कार्रवाई के लिए **चार रणनीतिक प्राथमिकताओं** और इसी के अनुरूप **कार्यवाही के फोकस क्षेत्रों** को रेखांकित करता है।
- उल्लिखित प्राथमिकताओं/फोकस क्षेत्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति का मापन करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क को भी इसमें शामिल किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO)

- इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है।
- WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश सम्मिलित हैं, जिनमें से सभी {कुक आइलैंड्स और निउए (Niue) के अतिरिक्त} संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं।
- WHO को इसके सदस्य राष्ट्रों और बाहरी दानदाताओं से वित्तपोषण प्राप्त होता है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA), WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है और यह WHO के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करता है। इसके द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में महानिदेशक की नियुक्ति भी की जाती है।
- **WHO द्वारा निम्नलिखित का प्रकाशन किया जाता है:** विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट (World Health Report), विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी (World Health Statistics), विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन (Bulletin of the World Health Organization)।
- भारत 12 जनवरी 1948 को WHO के संविधान का पक्षकार बना।
- **WHO का 13वाँ जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क (GPW-13):** इसे वर्ष 2018 में सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। इसमें WHO ने **"ट्रिपल बिलियन" टारगेट** को प्रस्तुत किया।
  - एक अरब और अधिक लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) से लाभान्वित होंगे;
  - एक अरब और अधिक लोग स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बेहतर रूप से संरक्षित होंगे; तथा
  - एक अरब और अधिक लोग बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण से लाभान्वित होंगे।

रणनीतिक प्राथमिकताएं (Strategic Priorities)	फोकस क्षेत्र (Focus Areas)
UHC के क्षेत्र में प्रगति को तीव्र करना	• आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र तथा स्वास्थ्य बीमा योजना • स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन, सूचना प्रणाली और सेवाओं की गुणवत्ता • प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे- टीकाकरण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, क्षय रोग, हेपेटाइटिस आदि में सुधार • डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम • उपेक्षित उष्ण-कटिबंधीय रोगों (Neglected tropical diseases: NTDs) का उन्मूलन तथा वैक्सीन के माध्यम से रोके जा सकने वाले और वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण
स्वास्थ्य के निर्धारकों को संबोधित करके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा प्रदान करना	• NCD (गैर-संचारी रोग) एक्शन प्लान का अनावरण • पर्यावरणीय स्वास्थ्य • मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश • पोषण और खाद्य सुरक्षा • सड़क सुरक्षा • तंबाकू नियंत्रण • डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म पर NCD और पर्यावरण जोखिम कारकों का एकीकरण
स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति लोगों की बेहतर सुरक्षा	• रोग निगरानी कार्यक्रम, विभिन्न रोगों के प्रकोप का पता लगाना तथा विभिन्न रोगों व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन के प्रति उपयुक्त अनुक्रिया • रियल टाइम आधारित एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का शुभारंभ

VISION IAS

	• सभी प्रकार की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति तैयारी और अनुक्रिया • एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) पर नियंत्रण
स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना	• भारत में विनिर्मित निश्चित गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच में सुधार • स्वास्थ्य पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नवाचारों का विकास तथा सूचना साझाकरण • डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना

WHO और भारत

- **पारंपरिक संबंध:** WHO ने भारत में निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है-
  - **विश्वसनीय उच्च गुणवत्ता वाले डेटा उपलब्ध कराता है:** इसके कारण सरकार और अन्य विकास भागीदारों द्वारा बेहतर नीति-निर्माण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन संभव हो पाता है।
  - **आम सहमति की स्थापना के लिए एक मंच प्रदान करता है:** WHO, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है। ऐसे में यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं, विकास भागीदारों और अन्य हितधारकों के मध्य संयोजक के रूप में कार्य करता है।
  - **तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है:** इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का विकास, रोग निगरानी, स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट रोगों का उपचार शामिल हैं।
  - **ऑन-ग्राउंड सहायता उपलब्ध कराता है:** WHO अपने क्षेत्र-आधारित कार्यबल, जैसे- निगरानी चिकित्सा अधिकारियों, सलाहकारों आदि के माध्यम से ऑन-ग्राउंड सहायता उपलब्ध कराता है। इसके कारण WHO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की परिवर्तित आवश्यकताओं की अनुक्रिया में शीघ्रता से कार्यबल तैनात करने में सक्षम हो पाता है, जैसे- TB तकनीकी सहायता नेटवर्क में 60 चिकित्सा अधिकारी।
- **संबंधों में हालिया प्रगति:** उपर्युक्त वर्णित सहभागिता के माध्यम से, WHO ने कुछ उल्लेखनीय प्रगति को प्राप्त करने में भारत की सहायता की है, जैसे-
  - **विभिन्न रोगों का उन्मूलन:** जैसे कि पोलियो, याज (yaws) तथा मातृ एवं नवजात टेटनस। साथ ही, यह अन्य प्रमुख रोगों के उन्मूलन की ओर अग्रसर है।
  - **विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों हेतु नवीन दृष्टिकोण:** WHO के सतत समर्थन और इसके विभिन्न रिपोर्ट्स के परिणामस्वरूप विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों, जैसे- TB नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम आदि हेतु एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिली है।
- **WHO की भूमिका में परिवर्तन:**
  - WHO अब ऑन-द-ग्राउंड सहायता कार्यक्रम की अपेक्षा नीतिगत मार्गदर्शन और पक्ष-समर्थन पर अधिक बल देने में संलग्न है।
  - यह दीर्घकालिक रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य के सामाजिक-व्यवहारगत और पर्यावरणीय निर्धारकों पर ध्यान केंद्रित करने में संलग्न है।
  - **अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करना:** इसने हाल ही में, स्वास्थ्य क्षेत्रक से संबद्ध सरकारी विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त (अर्थात् स्वास्थ्य विभाग/मंत्रालय/संस्था से परे) अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता का विस्तार किया है, जैसे-
    - **श्रम और रोजगार मंत्रालय:** बीड़ी निर्माण कार्य में संलग्न लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने हेतु सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) का एक नेटवर्क सृजित करने के लिए इसने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ सहयोग स्थापित किया है।
    - **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय:** ट्रैकफिन (TrackFin) पहल हेतु इसने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत) के साथ सहयोग स्थापित किया था। ट्रैकफिन वस्तुतः एक व्यापक वित्तीय डेटा ट्रैकिंग प्रणाली है। यह पेयजल, साफ-सफाई एवं स्वच्छता (WASH) कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है।
    - **अन्य सिविल सोसाइटी संगठन (CSOs):** हेल्थी इंडिया अलायन्स {NCDs (गैर-संचारी रोग) के क्षेत्र में कार्य करने वाले CSOs का एक संघ} के साथ साझेदारी के माध्यम से NCDs की रोकथाम और नियंत्रण।

VISION IAS

6.5. स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

(School Education Quality Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI) का दूसरा संस्करण जारी किया गया।

SEQI के बारे में

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, विश्व बैंक तथा क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से नीति आयोग द्वारा SEQI को विकसित किया गया है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण** के सिद्धांत पर आधारित इस मूल्यांकन के माध्यम से, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उनके संबंधित सामर्थ्य तथा कमजोरियों का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त, यह सूचकांक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण को सक्षम बनाता है तथा इस प्रकार, प्रतिस्पर्धी व सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना को बढ़ावा प्रदान करता है।

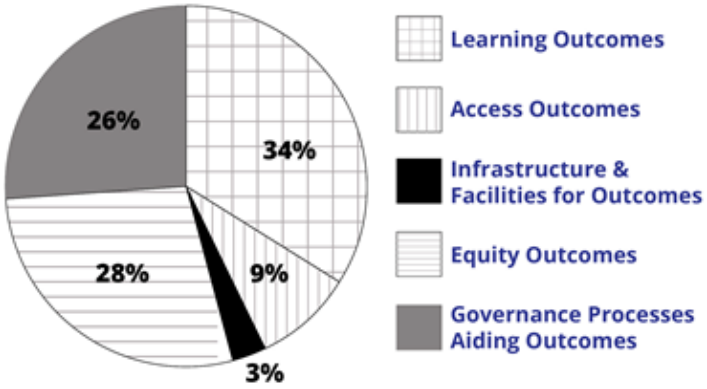

NITI AAYOG EDUCATION QUALITY INDEX

CATEGORIES	TOP 3	BOTTOM 3
Large states	Kerala, TN and Haryana	Telangana, Bihar, Jharkhand, UP
Small states	Tripura, Goa, Manipur	Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh
Union Territories	Chandigarh, Delhi, Puducherry	Dadra & Nagar Haveli, Andaman Islands, Lakshwadeep

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान

- स्कूल शिक्षा का विषय भारतीय संविधान की **अनुसूची 7** की **समवर्ती सूची** के अंतर्गत समाविष्ट है। इसे **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।

- **संकेतक:** इसमें 30 संकेतक शामिल हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  - **परिणाम (आउटकम)-** जिसमें अधिगम, पहुंच (जैसे- शुद्ध नामांकन अनुपात, अवसंरचना एवं सुविधाएं) और समता परिणाम शामिल हैं;
  - **शासन प्रक्रिया सहायता परिणाम,** जैसे- छात्र और शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, शासन की जवाबदेही तथा पारदर्शिता।
- एक समान तुलना की सुविधा के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के रूप में **तीन समूहों** में वर्गीकृत किया गया है।
- **रैंकिंग:** यह दो प्रकार की रैंकिंग प्रदान करता है अर्थात् समग्र प्रदर्शन रैंकिंग (Overall performance ranking) और वृद्धिशील प्रदर्शन रैंकिंग (incremental performance ranking)।
- **निष्कर्ष:**
  - **बड़े राज्यों** में समग्र प्रदर्शन के अंकों की परास केरल के लिए **76.6 प्रतिशत से लेकर उत्तर प्रदेश के लिए 36.4 प्रतिशत** तक है। हरियाणा, ओडिशा और असम वे बड़े राज्य हैं, जिन्होंने सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित किया है जबकि कर्नाटक तथा उत्तराखंड में सर्वाधिक गिरावट परिलक्षित हुई है।
  - **छोटे राज्यों** में मेघालय, नागालैंड और गोवा में पर्याप्त सुधार हुआ है जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में गिरावट देखी गई है।
  - **संघ शासित प्रदेशों** के मध्य चंडीगढ़ के साथ-साथ दिल्ली ने भी अपने समग्र प्रदर्शन को बनाए रखा है।

VISION IAS

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Physiology or Medicine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अमेरिका के **विलियम जी. कैलिन जूनियर**, ब्रिटेन के **सर पीटर जे. रैटक्लिफ** और अमेरिका के **ग्रेग एल. सेमेंजा** को संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा यह खोज की गई कि मानव कोशिकाएं ऑक्सीजन के स्तर में परिवर्तन के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अनुसंधान के माध्यम से यह वर्णित करने का प्रयत्न किया गया है कि कोशिकाएं वायुमंडल में ऑक्सीजन की उच्च या निम्न मात्रा के अनुसार किस प्रकार अनुकूलित होती हैं।
- शरीर में ऑक्सीजन की कम उपलब्धता का आभास होने पर किडनी से **एरिथ्रोपोइटिन या EPO** नामक एक हार्मोन स्रावित होता है, जो शरीर को ऑक्सीजन का अधिक परिवहन करने के लिए अधिक लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन हेतु निर्देशित करता है।
- इन्होंने ज्ञात किया कि जब निकटवर्ती परिवेश में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो **हाइपॉक्सिया-इंड्यूसबल फैक्टर (HIF)** नामक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है।
    - HIF तब EPO का उत्पादन करने वाले जीन के DNA खंड के साथ संयोजित हो जाता है।
    - EPO जीन के निकट अतिरिक्त HIF प्रोटीन, हार्मोन के उत्पादन के लिए टर्बो चार्ज की भांति कार्य करता है, जो आवश्यकता पड़ने पर शरीर को अधिक लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित करता है।
    - जब पुनः पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है, तो HIF के स्तर में कमी हो जाती है, साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाती है।

महत्व

- **शरीर की कार्यप्रणाली को समझना:** यह शोध नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन, कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों तथा यहां तक कि भ्रूण एवं गर्भनाल के विकास से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में सहायता कर सकता है।
- **रोग नियंत्रण:** इस प्रणाली से उत्पन्न होने वाले रोगों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि कैंसर जो ट्यूमर को विकसित करने के लिए ऑक्सीजन-संवेदी प्रणाली का उपयोग करता हैं।
    - यह शोध कैंसर और एनीमिया जैसे घातक रोगों के उपचार करने में सहायता करेगा।
- **औषधि का फार्मूलेशन:** पहले से ही, इस ऑक्सीजन-संवेदी पथ की समझ के आधार पर कई औषधियों का विकास किया जा चुका है। रक्त वाहिका की अवरोधकता पर अधिक प्रयोगात्मक औषधियों का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर में ट्यूमर के विकास को रोकने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

7.2. रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Chemistry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी वैज्ञानिक **जॉन गुडइनफ़,** ब्रिटेन के वैज्ञानिक **स्टेनली व्हिटिंगम** तथा जापान की **अकीरा योशिनो** को संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इन्हें यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास में योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।

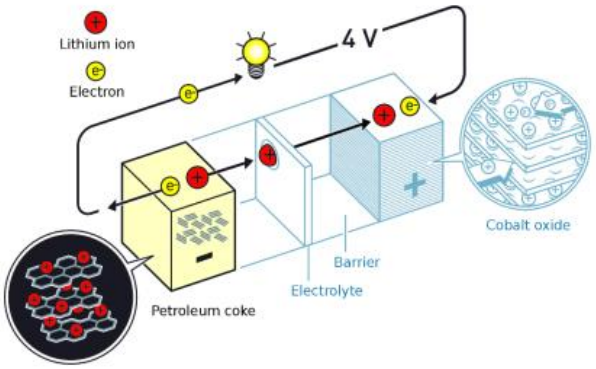

अन्य संबंधित तथ्य

- **एम. स्टेनली व्हिटिंगम:** इनके द्वारा 1970 के दशक में लिथियम (Li) आयन बैटरियों के विकास की शुरुआत की गई, जब इन्होंने टाइटेनियम डाई सल्फ़ाइड को कैथोड और अत्यधिक अभिक्रियाशील लिथियम धातु को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया।
- **जॉन बी. गुडइनफ़:** 1980 के दशक में, इन्होंने बैटरी की क्षमता को दोगुना करने के लिए कैथोड पर टाइटेनियम डाई सल्फाइड को कोबाल्ट ऑक्साइड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। हालांकि, अभिक्रियाशील लिथियम का उपयोग चिंता का विषय बना रहा।

VISION IAS

- **अकीरा योशिनो:** वर्ष 1991 में इनके द्वारा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रथम लिथियम आयन बैटरी विकसित की गई। इन्होंने लिथियम एनोड को पेट्रोलियम कोक एनोड से प्रतिस्थापित कर दिया, जिसने Li-आयनों को लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कैथोड से एनोड की ओर आकर्षित किया।

लिथियम आयन बैटरी से संबंधित तथ्य

- लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है।
- लिथियम आयन बैटरी का उपयोग सामान्यतः पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स (स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि), इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सैन्य और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
- **लाभ:**
  - ये हल्के वजन और **उर्जा उच्च घनत्व** (अर्थात अन्य प्रकार की बैटरियों की तुलना में यह प्रति यूनिट अधिक ऊर्जा का भंडारण करती हैं) वाली होता हैं। ये बैटरी के प्रति किलोग्राम 150 वाट-घंटे विद्युत भंडारित करने में सक्षम होती हैं।
  - लिथियम आयन बैटरी सेल, निकेल कैडमियम बैटरी जैसी तकनीकों की तुलना में 3 गुना अधिक अर्थात् 3.6 वोल्ट तक उर्जा प्रदान कर सकती हैं।
  - लेड एसिड बैटरी को उसके संपूर्ण उपयोग अवधि में केवल 400-500 बार चार्ज किया जा सकता है, जबकि रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी को 5,000 या इससे अधिक बार चार्ज किया जा सकता है।
  - लिथियम आयन बैटरी के लिए तुलनात्मक रूप से कम रखरखाव की आवश्यकता होती है तथा उपयोग अवधि (battery life) को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से चक्रण (scheduled cycling) की आवश्यकता भी नहीं होती है।
  - लिथियम आयन बैटरी में **मेमोरी इफ़ेक्ट (memory effect)** नहीं होता है अर्थात् यह एक क्षतिकारी प्रक्रिया होती है जहां बार-बार आंशिक डिस्चार्ज/चार्ज चक्र एक बैटरी की भंडारण क्षमता को कम कर सकता है।
  - लिथियम आयन बैटरी में **स्वतः डिस्चार्ज की दर (self-discharge rate)** प्रति माह लगभग अति-न्यून 1.5-2 प्रतिशत होती है।
  - इनमें विषाक्त पदार्थ कैडमियम का उपयोग नहीं किया जाता है, इस कारण कैडमियम बैटरी की तुलना में इनका निस्तारण (dispose) आसान होता हैं।
- **लिथियम आयन बैटरी की सीमाएं:**
  - इनमें अधिक गर्म होने की प्रवृत्ति होती है तथा ये उच्च वोल्टेज पर क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कुछ मामलों में प्रज्वलित भी हो सकती हैं। यह गुणधर्म अधिक मात्रा में लिथियम बैटरियों के अन्यत्र परिवहन को प्रतिबंधित करता है।
  - लिथियम आयन बैटरी को वोल्टेज और आंतरिक दबाव को सीमित करने के लिए सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है, जो कुछ मामलों में इनके वजन में वृद्धि और कार्य-निष्पादन को सीमित कर सकता है।
  - इनकी उच्च कीमतें (निकल-कैडमियम बैटरी की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक) व्यापक स्तर पर इनके अंगीकरण के समक्ष बाधक बनी हुई हैं।

7.3. भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Physics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड के **मिशेल मेयर** एवं **डिडिएर क्वेलोज़** और कनाडाई-अमेरिकी भौतिकविद **जेम्स पीबल्स** को संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार "ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसमें पृथ्वी के स्थान पर हमारी समझ में योगदान" के लिए प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **जेम्स पीबल्स** को "ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक खोजों के लिए" सम्मानित किया गया।
- जेम्स पीबल्स के सैद्धांतिक उपकरण, **बिग बैंग से लेकर वर्तमान समय तक** ब्रह्मांड के इतिहास पर हमारी आधुनिक समझ की आधारशिला हैं। उनके सैद्धांतिक उपकरण और गणनाएं ब्रह्मांड की आरंभिक अवस्था के चिन्हों की व्याख्या करने में अत्यधिक सहायक रहे हैं।
- **मिशेल मेयर एवं डिडिएर क्वेलोज़** को "सौर मंडल के समान तारे के परिक्रमा करते बहिर्ग्रह (एक्जोप्लैनेट) की खोज" के लिए सम्मानित किया गया है।
- इनके द्वारा वर्ष 1995 में हमारे सौर मंडल के बाहर प्रथम ग्रह की खोज की गई। इस बहिर्ग्रह को 51 पेगासी B (51 Pegasi B) नाम दिया गया, जो कि हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) में एक सूर्य के समान तारे की परिक्रमा कर रहा है।

- इसने खगोल विज्ञान में एक क्रांति की शुरुआत की है क्योंकि तब से लेकर वर्तमान समय तक मिल्की वे में 4,000 से अधिक बहिर्ग्रहों की खोज की जा चुकी हैं।
- इन खोजों ने ग्रह प्रणालियों (planetary systems) के संबंध में विश्व के वैज्ञानिकों के मौजूदा विचारों के समक्ष चुनौती उत्पन्न की हैं। इसके आधार पर विकसित विचारों से, पृथ्वी और सौरमंडल के बाहर जीवन का अस्तित्व है अथवा नहीं, इस संबंध में यह मानवता को शाश्वत ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

7.4. नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट

(National Digital Health Blueprint)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जे. सत्यनारायण समिति** द्वारा **नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (NDHB)** नामक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई।

NDHB के बारे में

- नीति आयोग द्वारा पिछले वर्ष नेशनल हेल्थ स्टैक (NHS) का विचार प्रस्तुत किया गया था। NDHB, NHS के कार्यान्वयन हेतु **एक संरचनात्मक दस्तावेज** है।
- **विजन:**
  - **नेशनल डिजिटल हेल्थ इको-सिस्टम का सृजन करना** जो कुशल, सुलभ, समावेशी, वहनीय, समयोचित और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) का समर्थन करता है।
  - स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, पारस्परिकता, गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करना।
- **संस्थागत ढांचा:** इसके तहत इस ब्लूप्रिंट को कार्यान्वित करने और एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इको-सिस्टम के विकास को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने हेतु **'नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM)'** नामक एक विशिष्ट संगठन की परिकल्पना की गई है।
- **मानक और विनियम:** अन्तरसंक्रियता केवल तभी संभव है जब सभी आधारभूत संरचनाओं (Building Blocks) और डिजिटल सिस्टम को परिभाषित मानकों का उपयोग करके निर्मित किया गया हो। इसलिए, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी डेटा के आदान-प्रदान, डेटा निजता और रोगी सुरक्षा से संबंधित मानकों को स्थापित किया गया है।
- **कार्य योजना:** इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तक पहुंच, सतत देखभाल आदि जैसे अपेक्षित परिणामों की रूपरेखा तैयार की गई है। ब्लूप्रिंट के व्यवस्थित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - संरचना से संबंधित सिद्धांत;
  - यूनिक हेल्थ आईडी (UHID);
  - डेटा एनालिटिक्स;
  - इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR);
  - कॉल सेंटर, डिजिटल हेल्थ इंडिया पोर्टल और माय हेल्थ (MyHealth) ऐप जैसे विभिन्न एक्सेस चैनल;
  - निजता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु डेटा प्रबंधन के लिए कानून और विनियम; एवं
  - प्रदाताओं, पेशेवरों और पैरा-चिकित्सकों हेतु निर्देशिकाएँ।

डिजिटल हेल्थ केयर इको-सिस्टम के लाभ

- **नागरिकों के स्तर पर-**
  - नागरिकों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को शीघ्रता से एक्सेस करने या सुविधाजनक ढंग से भंडारित करने में सक्षम बनाएगा।
  - **देखभाल की निरंतरता:** क्योंकि यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सूचना प्रवाह में सहयोग प्रदान करता है।
  - स्वास्थ्य सुरक्षा की भावी लागत को कम करने हेतु **अस्वस्थता से स्वास्थ्य** पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक।
  - निर्धनों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु **नकदरहित देखभाल** प्रदान करेगा।
- **सेवा प्रदाताओं के स्तर पर-**
  - किसी व्यक्ति की **स्वास्थ्य संबंधी पृष्ठभूमि की जानकारी,** एक चिकित्सक को आवश्यक उपचार को बेहतर रूप से निर्धारित करने में सहायता कर सकती है।
  - विश्वसनीयता और **जवाबदेही को बढ़ावा।**
  - सेवा प्रदाताओं को **समय पर भुगतान किया जा सकेगा,** जोकि सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

- **प्रशासन के स्तर पर-**
  - **नीतिगत विश्लेषण** और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास **विश्वसनीय और पूर्ण डेटा उपलब्ध होना चाहिए।**
  - फंड के अपव्यय को रोकने हेतु धोखाधड़ी का पता लगाने की सुदृढ़ व्यवस्था की स्थापना।
  - **योजनाओं का अभिसरण:** आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अतिरिक्त, राज्यों में कई द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं संचालित हैं, जैसे- पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी, तेलंगाना में आरोग्यश्री इत्यादि। इसलिए, संसाधनों के अपव्यय (drain) और दोहराव (duplication) को रोकने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर-संचालनीयता की आवश्यकता है।

नेशनल हेल्थ स्टैक (National Health Stack: NHS) के बारे में

- NHS एक डिजिटल अवसंरचना है जिसे आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य सेवा उपायों के सुचारू संचालन हेतु स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है।
- **NHS के घटक**
  - राष्ट्र के स्वास्थ्य डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करने हेतु **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्ट्री (E- National Health Registry)।**
  - आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और इनके क्रियान्वयन में धोखाधड़ी का पता लगाने में एक सुदृढ़ भूमिका निभाने हेतु **कवरेज व दावा प्लेटफॉर्म (coverage and claims platform)।**
  - **एक एकीकृत व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (Federated Personal Health Record) फ्रेमवर्क।**
  - साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु स्वास्थ्य सूचना का उपयोग करने के लिए एक **राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्लेषण प्लेटफॉर्म (National Health Analytics Platform)।**
  - **अन्य क्षैतिज घटक:** यूनिक हेल्थ आईडी (Unique Health ID: UHID), हेल्थ डेटा डिक्शनरी (Health Data Dictionary) तथा औषधियों के लिए आपूर्ति शृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management), पेमेंट गेटवे (payment gateways) आदि।
- यह भारत का प्रथम अत्याधुनिक राष्ट्रीय रूप से साझाकृत डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा जिसका केंद्र एवं राज्यों दोनों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

NDHB से संबंधित चिंताएं

- **डेटा संरक्षण** और निजता के संबंध में वर्तमान में **कोई प्रत्यक्ष कानून नहीं है** जो जवाबदेही एवं निवारक गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता हो।
- यह स्पष्ट नहीं है कि **रोगी के डेटा में से किस सीमा तक सूचना** को व्यवस्था से **संबंधित निजी अभिकर्ताओं** जैसे कि बीमाकर्ता, फ़ार्मेसीज़ और अस्पतालों **के साथ साझा किया जाएगा।**
- दस्तावेज़ में यह प्रावधान किया गया है कि डेटा प्रकटीकरण हेतु **रोगी की स्पष्ट सहमति** की आवश्यकता होगी। हालांकि, बड़ी संख्या में रोगी निरक्षर, बेहोश व्यक्ति अथवा बच्चे हो सकते हैं जिसके कारण इनके डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है।

7.5. एज कंप्यूटिंग

(Edge Computing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक शोध के अनुसार, वर्ष 2025 तक कंपनियों द्वारा 75% से अधिक डेटा को परंपरागत केंद्रीकृत डेटा केंद्रों के बाहर (अर्थात् "क्लाउड" के "एज" पर) सृजित और संसाधित किया जाएगा।

एज कंप्यूटिंग क्या है?

- एज कंप्यूटिंग डेटा का विश्लेषण करने, संसाधित करने और किसी नेटवर्क के एज पर उसे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। इसमें स्थानीय रूप से संग्रहीत डेटा का बिना किसी लेटेंसी (विलंबता) के वास्तविक समय में विश्लेषण किया जाता है।
- **यह क्लाउड कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है?**
  - एज कंप्यूटिंग (Edge Computing) और क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) के मध्य डेटा प्रोसेसिंग को लेकर मूलभूत अंतर विद्यमान होता है।
  - स्पष्ट शब्दों में, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर स्टोर एवं एक्सेस करना।
  - वर्तमान में, प्रचलित इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) प्रणाली के तहत डेटा केंद्रों का उपयोग करके अपनी सभी संगणनाओं (computations) को क्लाउड पर संपन्न किया जाता है।

VISION IAS

- दूसरी ओर एज कंप्यूटिंग IoT उपकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा की अत्यधिक मात्रा को स्थानीय रूप से भंडारित और संसाधित करके प्रबंधन करता है।

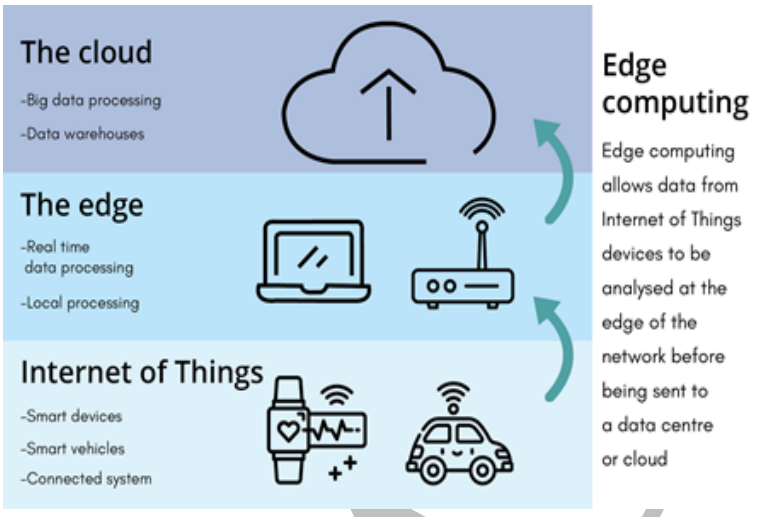

एज कंप्यूटिंग के लाभ

- **गति (Speed):** एज कंप्यूटिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लेटेंसी (न्यूनतम विलंब के साथ अत्यधिक मात्रा में डेटा संसाधित करने की क्षमता) को कम करके नेटवर्क निष्पादन की क्षमता में वृद्धि करता है। यह त्वरित डेटा प्रसंस्करण (Quicker Data Processing) और डेटा वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
- **सुरक्षा (Security):**
  - केंद्रीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग सरंचना डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ़ सर्विसेज (DDoS) पर हमले और विद्युत आपूर्ति में बाधा के प्रति सुभेद्य होती है।
  - एज कंप्यूटिंग के अंतर्गत उपकरणों और डेटा केंद्रों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रसंस्करण, भंडारण एवं अनुप्रयोगों को वितरित किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होने से नेटवर्क में अवरोध उत्पन्न होना कठिन हो जाता है।
  - केंद्रीय डेटा केंद्र में डेटा को पुन: संप्रेषित किए जाने की बजाय स्थानीय उपकरणों पर अधिक डेटा संसाधित किया जाता है। इसलिए एज कंप्यूटिंग द्वारा किसी भी समय पर जोखिमपूर्ण डेटा की मात्रा को कम कर दिया जाता है।
- **स्केलेबिलिटी (Scalability):**
  - अब कंपनियों को विस्तृत होते डेटा के भंडारण और विश्लेषण हेतु केन्द्रीकृत व निजी डेटा केन्द्रों को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसे केंद्रों को स्थापित करने, उनके रखरखाव तथा प्रतिस्थापन की प्रक्रिया महंगी सिद्ध हो सकती है।
  - एज कंप्यूटिंग, स्केलेबिलिटी के लिए कम व्यय की सुविधा प्रदान करता है जिससे कंपनियों को IoT डिवाइस और एज डेटा सेंटर के संयोजन के माध्यम से अपनी कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **अनुकूलनीय (Versatility):** एज कंप्यूटिंग की स्केलेबिलिटी भी इसे आश्चर्यजनक ढंग से कई भिन्न-भिन्न कार्यों या गतिविधियों हेतु अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि स्थानीय एज डेटा केंद्रों के साथ साझेदारी करके कंपनियां महँगी अवसंरचना के विस्तार में व्यय किए बिना सरलता से वांछनीय बाजारों तक पहुंच स्थापित कर सकती हैं।
- **विश्वसनीयता (Reliability):** IoT के साथ अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए एज कंप्यूटिंग उपकरणों और एज डेटा केंद्रों की उपलब्धता स्थानीय ग्राहकों को प्रभावित करने वाले दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या की संभावना कम करती है। इससे विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।

7.6. जियोटेल

(Geotail)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चंद्रयान-2 द्वारा "जियोटेल" से होकर ऑर्बिटर के गुजरने के दौरान चंद्रमा की मृदा में आवेशित कणों का पता लगाया गया।

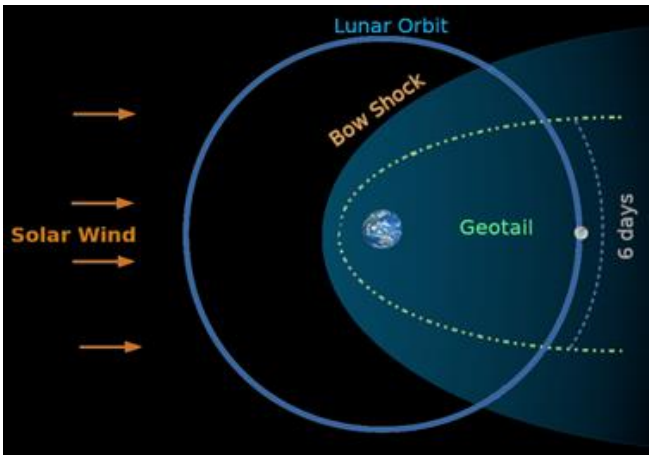

अन्य संबंधित तथ्य

- **चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (CLASS),** चंद्रयान-2 का एक उपकरण है, जिसे **चंद्रमा की मृदा में तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।**
- चंद्रमा की मृदा का बेहतर तरीके से अवलोकन तब किया जा सकता है जब चंद्रमा की सतह को प्रकाशित करने के लिए सौर ज्वाला (solar flare) में एक्स-रे का समृद्ध स्रोत होता है। यह तब घटित होता है, जब चंद्रमा जियोटेल से होकर गुजरता है।
  - प्रत्येक 29 दिनों में एक बार, चंद्रमा लगभग छह दिनों के लिए जियोटेल में विद्यमान रहता है।

जियोटेल क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है?

- सूर्य द्वारा **सौर पवनों (solar wind)** का उत्सर्जन किया जाता है, जो **आवेशित कणों** (जैसे- इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि) **की एक सतत धारा होती है।** ये कण सूर्य के ऊपरी वायुमंडल (जिसे **कोरोना** कहा जाता है) में उपस्थित होते हैं।

- चूंकि पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए यह इस सौर पवन प्लाज्मा को **बाधित करता है।**
- इस पारस्परिक क्रिया के परिणामस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर एक **चुंबकीय आवरण** का निर्माण होता है जिसे **मैग्नेटोस्फीयर** कहा जाता है (चित्र देखिए)।
- पृथ्वी के सूर्य के सम्मुख-स्थित होने पर इसका चुंबकीय आवरण (मैग्नेटोस्फीयर) संकुचित हो जाता है। जिसका आकार पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग तीन से चार गुना अधिक होता है।
- इसके विपरीत दिशा में, यह आवरण एक दीर्घ पुच्छल (long tail) के रूप में चंद्रमा की कक्षा से आगे तक विस्तृत हो जाता है। इसी पुच्छल वाले आवरण को **जियोटेल** कहा जाता है।

चंद्रयान -2 के बारे में अधिक जानकारी हेतु जुलाई 2019 की समसामयिकी देखें।

7.7. जैमिनी

(Gemini)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत सरकार ने गहन सागरीय मत्स्यन गतिविधि में संलग्न मछुआरों के लिए उपग्रह-आधारित परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु **जैमिनी अर्थात् "गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण (Gagan Enabled Mariner Instrument for Navigation and Information: GEMINI)"** का शुभारंभ किया है।

गगन

- यह GPS आधारित भू-संवर्धित नौवहन प्रणाली (GPS Aided GEO Augmented Navigation: GAGAN) है।
- गगन प्रणाली को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह संदर्भ संकेतों (reference signals) को उपलब्ध कराकर, ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (GNSS) रिसीवर की सटीकता में सुधार करने हेतु एक प्रणाली है।
- भूमध्यरेखीय आयनोस्फेरिक क्षेत्र (equatorial ionospheric region) में लम्बवत निर्देश संचालन (vertical guidance operating) के लिए, इसे विश्व की प्रथम प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- इसमें तीन भू-तुल्यकाली (जियोसिंक्रोनस) उपग्रह (GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15) शामिल हैं तथा इसके द्वारा संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की 24 X 7 निगरानी रखी जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है।

संबंधित तथ्य

- भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services: INCOIS) द्वारा विकसित किए गए **संभावित मत्स्यन क्षेत्र (Potential Fishing Zones: PFZ) पूर्वानुमान** (अर्थात् PFZ forecasts) प्रणाली की शुरुआत की है, जो मछुआरों को 3 दिन पूर्व ही संभावित मत्स्यन क्षेत्र के बारे में परामर्श जारी करेगा।
- संभावित मत्स्यन क्षेत्र के बारे में वर्तमान समय में, INCOIS द्वारा मछुआरों के लिए दैनिक आधार पर उपग्रह-आधारित परामर्श प्रदान किया जाता है।
- PFZ परामर्शी मत्स्यन में वृद्धि (2-5 गुना) और सर्चिंग टाइम को कम करने (लगभग 30-70%) में सहायता करती है, जिससे ईंधन लागत की बचत होती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नीली क्रांति (ब्लू रिवोल्यूशन) के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में, देश के समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग को बढ़ाने के लिए, **मीना कुमारी समिति** द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ- समुद्र तट से 22 और 370 किमी के मध्य) के इष्टतम उपयोग की अनुशंसा की गई थी।
- इस क्षेत्र में बड़े ट्रॉलरों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने संबंधी समिति की अनुसंशाओं का कई मछुआरों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि यह छोटे मछुआरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
    - हालांकि, मछुआरों के लिए गहन सागरीय मत्स्यन के समक्ष दो मुख्य मुद्दे विद्यमान हैं, प्रथम, संभावित मत्स्यन क्षेत्र की अवस्थिति; और द्वितीय, आपदाओं का पूर्वानुमान।

VISION IAS

- अभी तक, मछुआरों के साथ संचार **मोबाइल नेटवर्क और अति उच्च आवृत्ति** वाले रेडियो तक सीमित रहा है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होती है, जबकि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में मत्स्यन क्षेत्र तट से 150 किलोमीटर तक विस्तृत है।
    - इतनी दूरी पर मत्स्यन करने वाले मछुआरों को समुद्री तूफानों और चक्रवातों की समय पर चेतावनी प्रदान करना असंभव हो जाता है। इस कमी को वर्ष 2017 में ओखी चक्रवात के दौरान गंभीर रूप से अनुभव किया गया, जब मछुआरे चक्रवात आने से पूर्व ही गहन सागरीय मत्स्यन के लिए चले गए तथा जिसके कारण बढ़ते चक्रवात के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया जा सका था।
- इसके परिणामस्वरूप जान-माल की अत्यधिक हानि हुई, बचाए गए लोगों को गंभीर चोटें आईं तथा मत्स्यन नौकाओं और मत्स्यन यंत्रों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा।
- इस कठिनाई को दूर करने के लिए, सरकार द्वारा मछुआरों को आपदा चेतावनी, संभावित मत्स्यन क्षेत्र (PFZ) और महासागर स्थिति पूर्वानुमान (OSF) पर निर्बाध एवं प्रभावी आपातकालीन जानकारी और संचार का प्रसार करने के लिए **GEMINI** डिवाइस को विकसित किया गया।
    - इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त निकाय **"भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)"** द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह डिवाइस मोबाइल में ब्लूटूथ संचार के माध्यम से GAGAN उपग्रहों से प्राप्त डेटा को रिसीव और ट्रांसफर करता है।
- **महासागर स्थिति पूर्वानुमान (Ocean State Forecasts: OSF):** मछुवारों के पास समुद्र से संबंधित अनेक परामर्श उपलब्ध होंगे, जो समुद्र की सटीक स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगी। इसके द्वारा आगामी पांच दिनों के लिए दैनिक आधार पर प्रत्येक छह घंटे में पवनों, लहरों, समुद्री धाराओं, जल और तापमान के संबंध में पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा।

7.8. माइक्रोबियल फ्यूल सेल

(Microbial Fuel Cells)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL) के वैज्ञानिकों ने वनीय क्षेत्रों में माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को स्थापित कर सेंसर (एवं कैमरा) को ऊर्जा प्रदान करने हेतु पौधों का प्रयोग किया।

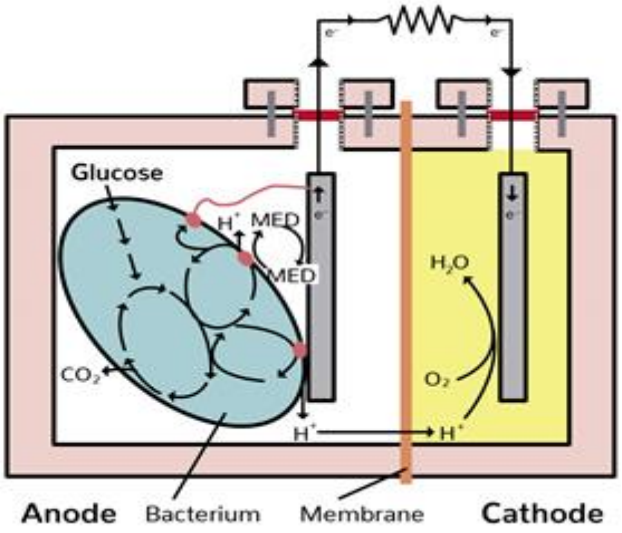

माइक्रोबियल फ्यूल सेल के बारे में

- एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल (MFC) एक **बायो-इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस** होती है जो कार्बनिक पदार्थों को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्मजीवों (microbes) की श्वसन अभिक्रिया की ऊर्जा का उपयोग करता है।
- यह ऑक्सीकरण-अपचयन अभिक्रिया का उपयोग करके **रासायनिक ऊर्जा को विद्युत** में परिवर्तित करता है।
- यह ईंधन के एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की पारंपरिक रासायनिक उत्प्रेरक अभिक्रिया के बजाय अपनी प्रणाली में इलेक्ट्रॉनों के संचरण को सुविधाजनक बनाने के लिए **जीवित जैव-उत्प्रेरक** पर निर्भर रहता है।
- इसके **विभिन्न अनुप्रयोग** हैं, विशेष रूप से जहां कम विद्युत की आवश्यकता होती है और जहां बैटरियों को बदलना अव्यावहारिक हो सकता है, जैसे कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क, बायोसेंसर आदि।

माइक्रोबियल फ्यूल सेल (MFC) किस प्रकार कार्य करता है?

- माइक्रोबियल फ्यूल सेल बैक्टीरिया के ऑक्सीकरण और कार्बनिक अणुओं के अपचयन के माध्यम से कार्य करता है।
- बैक्टीरियल श्वसन अभिक्रिया मूल रूप से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चारों ओर संचरण होता है।
    - ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स) अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो प्रणालियों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है।
- जब भी गतिशील इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, तो उपयोगी कार्य करने के लिए एक विद्युत वाहक बल का उपयोग करने की क्षमता विद्यमान होती है।
- MFC, एक एनोड और एक कैथोड से मिलकर बना होता है तथा एनोड एवं कैथोड दोनों परस्पर एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं।
- एनोड पर सूक्ष्मजीव कार्बनिक ईंधन उत्पन्न करने वाले **प्रोटॉन** का ऑक्सीकरण करते हैं जो झिल्ली के माध्यम से कैथोड तक प्रवाहित होता है। **इलेक्ट्रॉन** बाह्य सर्किट के माध्यम से एनोड तक प्रवाहित होता है और विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है।
- अत: इसमें प्रयुक्त मुख्य प्रक्रिया यह है कि इसमें **बैक्टीरिया के श्वसन के दौरान मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन को संग्रहित** किया जाता है।

7.9. पोलियो

(Polio)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) उन्मूलन के प्रमाणन हेतु वैश्विक आयोग ने आधिकारिक रूप से **वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-3 (WPV-3)** के उन्मूलन की घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2015 में **WPV-2** के उन्मूलन के पश्चात्, यह दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस है, जिसके उन्मूलन की घोषणा की गई है।
- तीन में से दो वाइल्ड पोलियो वायरस के उन्मूलन के साथ, अब केवल **वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-1 (WPV-1)** ही प्रसारित है तथा जिसका प्रभाव केवल दो देशों, यथा- **अफ़ग़ानिस्तान** एवं **पाकिस्तान** तक ही सीमित है।
- यह वर्तमान में प्रयुक्त टाइप-1 एवं टाइप-3 को समाविष्ट करने वाली **बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन** से केवल **टाइप 1** को समाविष्ट करने वाली **मोनोवेलेंट वैक्सीन** के अंगीकरण की संभावना को प्रोत्साहित करता है।

संबंधित तथ्य

एक्यूट फ्लेसीसिड मायेलिटिस (Acute flaccid myelitis: AFM)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार 'पोलियो जैसी स्थिति' के रूप में संदर्भित **AFM का परीक्षण पोलियो वायरस के लिए नकारात्मक** सिद्ध हुआ है।
- AFM एक **न्यूरोलॉजिकल विकार** है, जिसके कारण अंगों में कमजोरी, पक्षाघात और रीढ़ की हड्डी में सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- AFM एक दुर्लभ परंतु **गंभीर** स्थिति है। AFM के लक्षण, विशेष रूप से अंगों में कमजोरी वस्तुतः पोलियो के समान है।
- वर्ष 2010 में भारत में AFM से प्रभावित होने वालों की दर 120 लोग प्रति मिलियन जनसंख्या थी।

पोलियो के बारे में

- यह एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो **तंत्रिका तंत्र** पर हमला करता है तथा कुछ ही समय में अपरिवर्तनीय पक्षाघात का कारण बन सकता है।
- पोलियो उन क्षेत्रों की सुभेद्य जनसंख्या में प्रसारित होता है, जहां प्रतिरक्षा और स्वच्छता की खराब स्थिति मौजूद होती है।
- वाइल्ड पोलियो वायरस के व्यक्तिगत और प्रतिरक्षात्मक रूप से भिन्न-भिन्न **3 उपभेद (स्ट्रेन्स)** हैं: **वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 (WPV-1), वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 (WPV-2) एवं वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 (WPV-3)।**
  - लाक्षणिक रूप से, ये सभी तीनों स्ट्रेन्स समान हैं लेकिन **आनुवंशिक और विषाणु संबंधी भिन्नता** इन तीनों स्ट्रेन्स को तीन भिन्न-भिन्न वायरस बनाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का पृथक रूप से उन्मूलन किया जाना है।
- पोलियो रोग से बचाव हेतु **ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV)** और **निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन (IPV)** नामक **दो प्रकार के टीके** दिए जाते हैं।
  - **ओरल पोलियो वैक्सीन (Oral Polio Vaccine: OPV):** इसमें तीन (वर्तमान में केवल दो OPV-1 एवं OPV-3) विभिन्न प्रकार के **दुर्बल जीवित विषाणुओं** के मिश्रण को सीरम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
    - प्रसारित होने और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की कम क्षमता के साथ, ये दुर्बल विषाणु वास्तविक पोलियो वायरस की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का अनुकरण करते हैं।
    - दुर्लभ मामलों में, OPV वायरस समय के साथ परिवर्तित हो सकता है तथा यह वाइल्ड पोलियो वायरस (WPV) के समान नए व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इस तरह के नए वायरस को वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस कहा जाता है तथा इनसे भी पोलियो रोग हो सकता है।
    - OPV टीके भी आँत की **श्लेष्म झिल्ली (विकासशील आँत प्रतिरक्षा)** की लाइनिंग पर एक स्थानीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जो कि पोलियो वायरस के गुणन के लिए प्राथमिक स्थान है।
  - **निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन (Inactivated Poliovirus Vaccine: IPV):** प्रत्येक सीरम रूप हेतु यह वाइल्ड पोलियो वायरस के स्ट्रेन्स से निर्मित होता है जिन्हें औपचारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    - यह टीका एक **इंजेक्शन के रूप** में उपलब्ध है तथा इसे अन्य टीकों के साथ भी दिया जा सकता है।
    - IPV लोगों का **तीनों प्रकार के पोलियो वायरस** से बचाव करता है।
    - IPV में **जीवित वायरस नहीं होता है**, इसलिए जिन लोगों को यह टीका लगाया जाता है, **उनमें वायरस का गुणन नहीं होता है** और यह दूसरों को संक्रमित नहीं करता है तथा यह टीका रोग का वाहक भी नहीं होता है।

VISION IAS

- भारत द्वारा वर्ष 1995 में देश भर में आरंभ किए गए महत्वाकांक्षी **पल्स पोलियो ओरल टीकाकरण अभियान** के कारण पोलियो के मामलों की संख्या **1980** के दशक के 50,000-1,00,000 प्रति वर्ष से **वर्ष 2012 में शून्य** हो गई।
- हालांकि, भारत वर्तमान में **वाइल्ड पोलियो वायरस रोग से मुक्त देश घोषित** है। परंतु वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस (VDPV) रोग के मामले देखे जा सकते हैं।

7.10. वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट

(Global Tuberculosis Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वार्षिक वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2019 जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **विश्व, क्षय रोग (TB) उन्मूलन रणनीति (End TB Strategy) में निर्धारित वर्ष 2020 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर नहीं है।** उदाहरण के लिए:
  - WHO की TB उन्मूलन रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2015-18 के लिए TB के मामलों की संख्या में 20 प्रतिशत तक की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इनमें वर्ष 2015 और 2018 के मध्य केवल 6.3 प्रतिशत TB मामलों में संचयी गिरावट देखी गई।
  - TB उन्मूलन रणनीति के तहत TB से होने वाली मृत्युओं की संख्या में वर्ष 2020 तक 35% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **वितपोषण संबंधी चुनौतियाँ:**
  - वर्ष 2019 में, निम्न और मध्यम आय वाले देशों (जहां 97% TB के मामलें दर्ज किए गए हैं) को 6.8 बिलियन डॉलर का वैश्विक वित्त पोषण प्राप्त हुआ। हालाँकि, यह राशि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के ग्लोबल प्लान टू एंड टीबी के तहत वर्ष 2018-2022 के लिए निर्धारित 10.1 बिलियन डॉलर से 3.3 बिलियन डॉलर कम है।
  - इसके अतिरिक्त, यह वर्ष 2022 तक प्रति वर्ष कम से कम 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य (जिस पर TB पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में सहमति व्यक्त की गई) का केवल आधे से अधिक है।
  - वर्ष 2017 में TB अनुसंधान के क्षेत्र में वित्त पोषण का अंतराल 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **मामलों की अल्प रिपोर्टिंग:** विश्वव्यापी 10 मिलियन नए मामलों में से 3 मिलियन मामलों की प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की गई। भारत में 2.69 मिलियन मामलों में से 1.99 मिलियन मामलों की रिपर्टिंग की गई।
- वैश्विक स्तर पर, TB से वर्ष 2018 में 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें HIV के 2.51 लाख मामले शामिल हैं। इन 15 लाख लोगों में से केवल भारत में 4.49 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि वर्ष 2000 में यह संख्या 6 लाख से अधिक थी।
- TB का 66 प्रतिशत भार (बर्डन) निम्नलिखित आठ देशों में देखा जा सकता है:
  भारत (27%), चीन (9%), इंडोनेशिया (8%), फिलीपींस (6%), पाकिस्तान (6%), नाइजीरिया (4%), बांग्लादेश (4%) और दक्षिण अफ्रीका (3%)।
- 14 देशों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, टीबी के सभी रूपों के लिए विपत्ति-पूर्ण कुल लागत 27% से लेकर 83% तक तथा दवा प्रतिरोधी TB के लिए 67% से 100% तक है।
- टीबी के नए मामलों के लिए महत्वपूर्ण पांच जोखिम कारक: अल्पपोषण, धूम्रपान (विशेष रूप से पुरुषों में), शराब का सेवन, HIV संक्रमण और मधुमेह हैं।

भारत के संबंध में अन्य तथ्य

- **वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर TB के कुल नए संक्रमण के मामलों में 26.9 प्रतिशत भारत से थे।** वहीं वर्ष 2017 में यह आंकड़ा 27 प्रतिशत था।
- **कुल TB के मामलों की दर में कमी:** भारत में विगत वर्ष TB के रोगियों की संख्या में 50,000 की कमी आई है। वर्ष 2017 में भारत में TB रोगियों की संख्या 27.4 लाख थी जो वर्ष 2018 में कम होकर 26.9 लाख हो गई।
- **भारत में TB के मामलों की दर:** वर्ष 2000 में प्रति एक लाख लोगों पर TB के रोगियों की संख्या 204 थी जो कि वर्ष 2018 में कम होकर 199 हो गई, जबकि वैश्विक दर 170 प्रति लाख से कम होकर 132 प्रति लाख हो गई।
- **रोग निदान में वृद्धि: रिफैम्पिसिन** (rifampicin) (फ्रंटलाइन TB दवाओं में से एक) के प्रति चिन्हित प्रतिरोधक रोगियों की संख्या वर्ष 2017 के 32% से बढ़कर वर्ष 2018 में 46% हो गई।

VISION IAS

- वर्ष 2017 में **दवा प्रतिरोधी मामलों की संख्या** 38,000 से बढ़कर वर्ष 2018 में 58,000 हो गई है। हालांकि, विशेषज्ञ इसे अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि यदि ये मामले सामान्य रूप से अनिदानित रह जाते, तो इससे **दवा प्रतिरोधी TB के प्रसार की निरंतर संभावना बनी रहती।**
- वर्ष 2017 में नए और पुनरावर्तन के मामलों (ड्रग के प्रति संवेदनशील) के लिए **उपचार की सफलता दर** वर्ष 2016 के 69 प्रतिशत बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई।
- 14 वर्ष से कम आयु के 6 प्रतिशत बच्चे और 34 प्रतिशत महिलाएं TB के रोगी थे।

TB के बारे में

- TB **एक संचारी संक्रामक रोग** है जो बेसिलस **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस** बैक्टीरिया के कारण प्रसारित होता है।
- TB **विश्व भर में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है तथा एकल संक्रामक एजेंट से होने वाली मृत्यु का सर्वप्रमुख कारण (HIV/AIDS से ऊपर स्थान)** है।
- यह रोग आम तौर पर फेफड़ों (पल्मोनरी TB) को प्रभावित करता है, साथ ही अन्य अंगों (एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB) को भी प्रभावित कर सकता है।
- **दवा प्रतिरोधी TB (Drug Resistant TB):**
  - **मल्टीड्रग रेजिस्टेंट TB (MDR-TB):** यह एक प्रकार की TB है जिसमें कम से कम आइसोनियाज़िड (Isoniazid) और रिफैम्पिसिन (Rifampicin) (2 सर्वाधिक प्रभावी फर्स्ट-लाइन ड्रग) प्रभावी नहीं होती है।
  - **एक्सटेंसीवेली ड्रग रेजिस्टेंट TB (XDR-TB):** यह कम से कम चार मुख्य एंटी-TB दवाओं के प्रति प्रतिरोध की स्थिति है। इसमें मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट TB (MDR-TB) भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसमें किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन (जैसे- लेवोफ्लॉक्सासिन या मोक्सीफ्लोक्सासिन) के प्रति प्रतिरोध तथा कम से कम तीन इंजेक्टेबल सेकेंड-लाइन ड्रग्स (एमिकासिन, कैप्रोमाइसिन या केनामाइसिन) में से एक के प्रति प्रतिरोधकता होती है।
  - **टोटली ड्रग रेजिस्टेंट TB (TDR-TB):** TB के वैसे मामले जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की सभी TB दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।

TB उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयास

- **SDG लक्ष्य 3.3** में वर्ष 2030 तक TB की महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **TB को समाप्त करने के लिए मास्को घोषणा-पत्र:** यह वर्ष 2017 में आयोजित TB को समाप्त करने हेतु प्रथम वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का परिणाम है।
- सितंबर, 2018 में TB पर **संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम उच्च स्तरीय बैठक** न्यूयॉर्क में आयोजित की गई, जिसका शीर्षक **यूनाइटेड टु एंड टीबी: एन अर्जेंट ग्लोबल रिस्पॉन्स टू ग्लोबल एपिडेमिक** था। इस बैठक के परिणामस्वरुप निम्नलिखित वैश्विक लक्ष्यों को घोषित किया गया:
  - 5 वर्ष की अवधि (वर्ष 2018-22) में TB के 40 मिलियन रोगियों का उपचार करना;
  - 5 वर्ष की अवधि (वर्ष 2018-22) में लेटेंट TB संक्रमण के लिए TB निवारक उपचार के साथ कम से कम 30 मिलियन लोगों तक पहुंच स्थापित करना;
  - वर्ष 2022 तक TB निदान, उपचार और देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच हेतु कम से कम 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक धनराशि का उपयोग किया जाना; तथा
  - TB अनुसंधान के लिए वार्षिक रूप से कम से कम 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना।
- **WHO-TB उन्मूलन रणनीति (WHO- End TB Strategy)**
  - **विजन:** TB के कारण शून्य मृत्यु, शून्य रोग और शून्य पीड़ा के साथ TB मुक्त विश्व।
  - इसके तीन उच्च-स्तरीय, अति महत्वपूर्ण संकेतक और संबंधित लक्ष्य हैं:
    - वर्ष 2015 की तुलना में TB से होने वाली मृत्युओं की संख्या में वर्ष 2035 तक 95 प्रतिशत की कमी करना;
    - वर्ष 2015 की तुलना में TB के मामलों की दर में वर्ष 2035 तक 90% की कमी करना; तथा
    - वर्ष 2035 तक TB प्रभावित परिवारों के लिए निपटने की लागत का स्तर शून्य करना।

VISION IAS

7.11. लिम्फेटिक फाइलेरिया

(Lymphatic Filariasis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने **'यूनाइटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस'** विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया तथा **'कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय 2021'** पर हस्ताक्षर किए।

लिम्फेटिक फाइलेरिया (Lymphatic Filariasis: LF) के बारे में

- इसे लसीका फाइलेरिया या **सामान्यतः हाथीपांव (elephantiasis) के रूप में भी जाना जाता है**, जिसको वैश्विक स्तर पर एक **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease: NTD)** माना जाता है।
- यह एक **परजीवी जनित रोग** है जो सूक्ष्म, धागे रूपी संरचना जैसे फाइलेरिया कृमि के कारण होता है।
- यह रोग 3 प्रकार के फाइलेरिया कृमि के कारण होता है, जिनमें से 90% मामलों के लिए वुचेरेरिया बैन्क्रॉफ्टी उत्तरदायी है।
- क्यूलेक्स, एनोफिलीज और एडीज जैसे मच्छरों के माध्यम से फाइलेरिया परजीवी के मनुष्यों में संचारित होने से संक्रमण उत्पन्न होता है।
- यह संक्रमण प्रायः बाल्यावस्था में होता है, जिसके कारण लसीका ग्रंथि को अप्रत्यक्ष क्षति पहुंचती है।
- यह लसीका ग्रंथि के कार्य को अवरोधित करता है और शरीर के अंगों में असामान्य परिवर्धन का कारण बन सकता है, जो दर्द, गंभीर विकलांगता और सामाजिक कलंक का कारण बनता है।
- कई महीनों से वर्षों तक बार-बार मच्छर के काटने पर लिम्फैटिक फाइलेरिया उत्पन्न हो जाता हैं, इसलिए लंबे समय तक उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में इस रोग का संक्रमण अति सामान्य है। इन क्षेत्रों में अल्पकालिक पर्यटकों के लिए अत्यंत कम जोखिम होता है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected tropical diseases: NTD)

- यह **विविध संचारी रोगों का एक समूह** है, जो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण-कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित 149 देशों में प्रसारित है।
- ऐसे रोगों के सीमित भौगोलिक घटनाओं और दवाओं के लिए बाजार के लघु आकार के कारण अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में दवा उद्योग द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है।
- यह **एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित** करता है तथा प्रत्येक वर्ष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अरबों डॉलर का भार उत्पन्न करता है।
- निर्धनता, पर्याप्त स्वच्छता का अभाव, संक्रामक रोगवाहक और पालतू पशुओं के साथ निकट संपर्क में निवास करने वाली जनसंख्या अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- भारत सरकार ने हाथीपांव (लिम्फैटिक फाइलेरियासिस) और काला अजार (विसेरल लीशमैनियासिस) जैसे रोगों का उन्मूलन करने का संकल्प लिया है।
- **सतत विकास लक्ष्य NTD के सफल उन्मूलन हेतु एक प्रभावी फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अनुशंसाएं

- WHO द्वारा लसीका फाइलेरिया को मानसिक रोग के बाद **दीर्घकालिक विकलांगता का दूसरा सबसे सामान्य कारण** घोषित किया गया है।
- WHO द्वारा वर्ष 2000 में **ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (GPELF)** आरंभ किया गया था।
- वर्ष 2012 में, WHO ने वर्ष 2020 तक उन्मूलन के उद्देश्य से **NTD रोडमैप** के लिए लक्ष्य की तिथि की पुनः पुष्टि की।
- GPELF का लक्ष्य उन सभी क्षेत्रों में जहां रोग विद्यमान है, लिम्फेटिक फाइलेरिया की दीर्घकालिक अभिव्यक्तियों से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल हेतु न्यूनतम पैकेज तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि इस रोग में कमी की जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत में लिम्फेटिक फाइलेरिया

- लिम्फेटिक फाइलेरिया, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। भारत में, 21 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में 650 मिलियन भारतीयों को लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग से ग्रसित होने का खतरा है।
- लगभग 37 प्रतिशत जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया के और अधिक संचरण को रोकने हेतु, संक्रमण स्तर को उच्चतम सीमा स्तर (threshold level) से नीचे कर दिया गया है। हालांकि, 160 जिलों में संचरण की सक्रियता विद्यमान है।

VISION IAS

- **उठाए गए कदम:**
- भारत, लिम्फेटिक फाइलेरिया को रोकने के लिए दवा प्रणाली को अपनाने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रथम देश है।
- वर्ष 2004 के पश्चात् से, भारत ने एक दोहरी रणनीति को अपनाया है - जन औषधि प्रशासन (MDA) के माध्यम से **2 एंटी-फिलेरियल ड्रग्स (DEC एवं एल्बेंडाजोल) के संयोजन** का उपयोग; तथा इस रोग से प्रभावित लोगों के लिए **रोकथाम और रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांगता निवारण (MMDP) सेवाएं** प्रदान करना।
- वर्ष 2018 में, सरकार द्वारा **लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन हेतु त्वरित योजना (APELF)** आरंभ की गई तथा बाद में उन्मूलन की दिशा में प्रयासों को तीव्र करने के लिए चरणबद्ध तरीके से IDA (ट्रिपल ड्रग थेरेपी) उपचार को भी आरंभ किया गया।
- ट्रिपल ड्रग थेरेपी, **तीन एंटी-फाइलेरियल दवाओं** (Ivermectin, Diethylcarbamazine एवं Albendazole: IDA) की एक खुराक को निर्धारित करती है। यह लिम्फेटिक फाइलेरिया के रोकथाम के प्रयासों को तीव्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- नवंबर 2019 से, भारत में ट्रिपल ड्रग थेरेपी (IDA) के चरणबद्ध तरीके से उपयोग को निर्धारित किया गया है तथा राज्य सरकारों और अन्य साझेदारों के साथ कार्य करते हुए इस रोग के प्रकोप वाले जिलों में निवास करने वाले समुदायों द्वारा इन दवाओं के उच्च स्तरीय अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है।

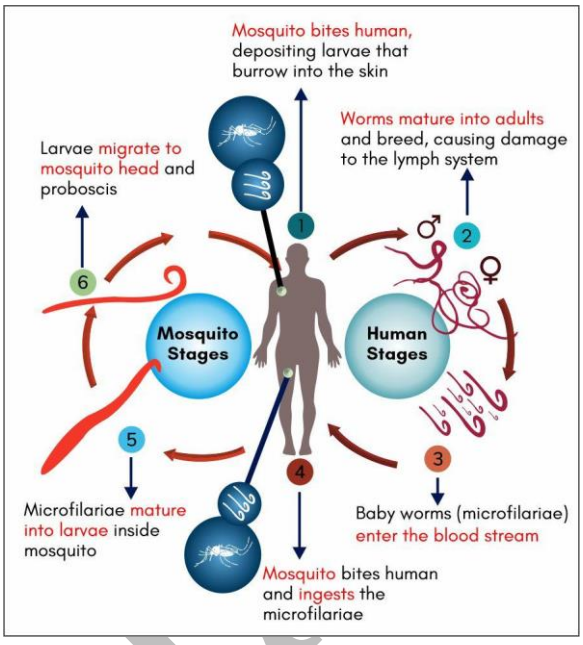

8. संस्कृति (Culture)

8.1. मामल्लपुरम

(Mamallapuram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन के साथ ऐतिहासिक संपर्क के कारण तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भारत और चीन के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मामल्लपुरम का ऐतिहासिक महत्व

- यह सातवीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासकों के अधीन एक **प्रमुख बंदरगाह नगर** था। इस नगर का नाम पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम (630-668 ई.) के नाम पर रखा गया है, जिसे "मामल्ल" के नाम से भी जाना जाता था।
- **मामल्लपुरम की स्थापत्य कला संबधी विरासत**
  - **तट मंदिर:** यह एक संरचनात्मक मंदिर है, जिसका निर्माण 700-728 ई. के मध्य ग्रेनाइट शिलाखंडों से किया गया था। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा द्रविड़ स्थापत्य शैली में कराया गया था।
    - इसे **यूनेस्को (UNESCO) विश्व विरासत स्थल** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - **पंचरथ (पांच रथ):** ये एकाश्म शैलोत्कीर्ण संरचनाएं हैं। पांच पांडव भ्राताओं और द्रौपदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये शैलोत्कीर्ण संरचनाएं न तो रथ सदृश्य हैं और न ही संभवतः ये पांडवों को निरुपित करते हैं। ये संभवतया विशुद्ध रूप से स्थानीय चरित्र को प्रदर्शित करते हैं।
  - **अर्जुन तप (Arjunan Penance):** यह एक चट्टान पर उत्कीर्णित (27 x 9 मी.) विश्व की सर्वाधिक बड़ी नक्काशी कला (bas-relief) है। इसमें 100 से अधिक देवताओं, पक्षियों, पशुओं और ऋषियों की नक्काशियां (मूर्तियां) उत्कीर्ण हैं। इसे लोकप्रिय रूप से अर्जुन तप कहा जाता है।
    - ऐसा मानना है कि इसमें महाभारत के एक दृष्टांत की सचित्र व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत अर्जुन, कौरवों का विनाश करने हेतु एक शक्तिशाली और दैवीय धनुष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करने के दौरान कठोर तप कर रहे हैं।
    - यह **"गंगा अवतरण"** के नाम से भी विख्यात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष हेतु गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण के लिए एकल पद मुद्रा में खड़े होकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी।
  - **वराह गुफा:** इसे आदिवराह गुफा मंदिर भी कहा जाता है। यह सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित एक **शैलोत्कीर्णित गुफा** मंदिर है।
    - गुफा की प्रमुख प्रतिमा, सागर से भूदेवी (माता पृथ्वी) की रक्षा करते हुए वराह (शूकर) स्वामी के रूप को प्रदर्शित करती हुई भगवान विष्णु की प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों एवं स्तम्भों पर अनेक पौराणिक चरित्रों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं।

चीन के साथ सम्पर्क

- पल्लव शासकों के चीन के साथ **व्यापारिक एवं रक्षा संबंध** थे, जिसके अंतर्गत ये शासक तिब्बत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित होने से रोकने हेतु चीन की सहायता करने के लिए सहमत हुए थे।
- पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययन दर्शाते हैं कि मामल्लपुरम के चीन, श्रीलंका और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंध थे। मामल्लपुरम में चीन, फारस और रोम के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि ये देश पल्लवों हेतु व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे।
- चीनी यात्री **ह्वेन त्सांग** ने नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान इस प्रदेश की यात्रा की थी।
- यह भी कहा जाता है कि **बोधिधर्म** ने 527 ई. में तमिलनाडु तट से गुआंगझु (Guangzhou) तक की यात्रा की थी। बोधिधर्म को चीन में ज़ेन बौद्धधर्म (Zen Buddhism) को ले जाने का श्रेय प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, वर्तमान चीनी राष्ट्रपति पूर्व में फ़ुज़ियान प्रांत के गवर्नर थे। यह प्रांत चीन के दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित है तथा इस क्षेत्र का तमिलनाडु के साथ गहन सांस्कृतिक संबंध रहा था।

8.2. टीपू सुल्तान

(Tipu Sultan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने राज्य में इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों से टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने की घोषणा की है तथा इसके साथ ही टीपू जयंती का सार्वजनिक समारोह भी अब नहीं मनाया जाएगा।

VISION IAS

टीपू सुल्तान के बारे में

- वर्ष 1782 में द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना।
- टीपू सुल्तान को उसकी निर्भीकता के कारण **"टाइगर ऑफ़ मैसूर"** के रूप में संदर्भित किया जाता है तथा वह एक प्रतिभाशाली **सैन्य रणनीतिकार** भी था। अपने 17 वर्षीय अल्प शासनकाल में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती उत्पन्न की थी।
- हालांकि, चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान हैदराबाद के निजाम और मराठों द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त सहायता के कारण टीपू सुल्तान **4 मई 1799** को श्रीरंगपट्टनम के अपने किले की रक्षा करते हुए **पराजित हो गया तथा मार दिया गया।**
- टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड वेलेजली ने पुन: सिंहासनारूढ़ हुए वडियार राजा पर **सहायक संधि** आरोपित कर दी तथा मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधीन राज्य बन गया।

एक निरंकुश शासक के रूप में टीपू सुल्तान की छवि हेतु उत्तरदायी कारण

- **ब्रिटिश विवरण:** जेम्स किर्कपैट्रिक और मार्क विल्क्स जैसे ब्रिटिश लेखकों ने अपने विवरण में टीपू सुल्तान को एक निरंकुश शासक के रूप में वर्णित किया है, यथा-
  - हालांकि, इरफ़ान हबीब और मोहिब्बुल हसन जैसे विभिन्न इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि इन दोनों लेखकों द्वारा टीपू को एक निरंकुश शासक के रूप में चित्रित करने के पीछे स्पष्ट साम्राज्यिक हित निहित थे, क्योंकि इन दोनों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध हुए युद्धों में भाग लिया था तथा ये लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली के प्रशासन से घनिष्ट रूप से संबंधित थे।
- **क्षेत्रीय महत्वकांक्षाएं और धार्मिक नीति:** टीपू ने कोडागू, मंगलुरु और कोच्ची पर आक्रमण किए थे। इन सभी स्थानों पर, उसे एक निरंकुश शासक के रूप में देखा जाता है, जिसने संपूर्ण कस्बे एवं ग्रामों में आग लगवा दी, सैकड़ों मंदिरों और गिरिजाघरों को नष्ट करवा दिया तथा हिन्दुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया।

टीपू सुल्तान की उपलब्धियां

- **व्यापार:** उसने व्यापार को बढ़ाने हेतु नौसेना का गठन किया तथा कारखानों के निर्माण हेतु एक "राज्य वाणिज्यिक निगम" की भी स्थापना की।
- **कृषि:** उसने कृषि का आधुनिकीकरण किया, बंजर भूमि के विकास हेतु कर छूट प्रदान की, सिंचाई अवसंरचनाओं का निर्माण करवाया व पुराने बांधों का जीर्णोद्धार करवाया तथा कृषिगत विनिर्माण एवं रेशम कीट पालन को प्रोत्साहित किया।
- **कूटनीति:** उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अपनी सहायतार्थ फ्रांस, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का विश्वास अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, वह 'मैसूर के जैकोबिन क्लब' (Jacobin Club of Mysore) का संस्थापक-सदस्य भी था। इस क्लब द्वारा फ्रांस के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया था।
- **प्रशासन:** उसने **श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष (लिबर्टी ट्री)** भी लगाया तथा स्वयं को नागरिक टीपू के रूप में घोषित किया। जिस प्रकार यह साक्ष्य विद्यमान है कि टीपू सुल्तान ने हिन्दुओं एवं ईसाइयों पर अत्याचार किए, उसी प्रकार ये साक्ष्य भी मौजूद हैं कि उसने अनेक हिन्दू मंदिरों एवं पुजारियों को संरक्षण प्रदान किया तथा उन्हें अनुदान व उपहार भी प्रदान किए।

8.3. मुहम्मद इक़बाल

(Muhammad Iqbal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को उनके विद्यार्थियों द्वारा मुहम्मद इक़बाल द्वारा रचित एक कविता के वाचन के कारण निलंबित कर दिया गया।

मुहम्मद इक़बाल के बारे में

- सर मुहम्मद इक़बाल को अल्लामा इक़बाल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने **"सारे जहां से अच्छा" (वैकल्पिक रूप से 'तराना-ए-हिन्द' के रूप में भी प्रसिद्ध)** कविता की रचना की थी।
  - यह कविता 16 अगस्त 1904 को एक साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित की गई थी।
- उनका जन्म 9 नवम्बर 1877 को **पंजाब के सियालकोट** (वर्तमान में पाकिस्तान) में कश्मीरी ब्राह्मण वंशावली वाले एक परिवार में हुआ था।
- इक़बाल एक कवि व दार्शनिक थे, जिनकी कृतियों ने **आत्मत्व के दर्शन** को प्रोत्साहित किया। वे **मुस्लिम जगत के बौद्धिक व सांस्कृतिक पुनर्निर्माण** से संबद्ध थे।
- उन्होंने अधिकांश रचनाएँ **उर्दू एवं फ़ारसी** भाषाओं में लिखी।

VISION IAS

- इक़बाल की कविताओं के संग्रह का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1923 में **"बंग-ए-दर्रा" (कॉल ऑफ़ मार्चिंग बेल)** के नाम से किया गया था।
- उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में सम्मिलित हैं:
  - ज़बूर-ए-आजम, बाल-ए-जिब्रील (द गैब्रिएल्स विंग्स);
  - मुसाफिर (यात्री);
  - मिस्ट्रीज ऑफ़ सेल्फलेसनेस;
  - सीक्रेट ऑफ़ द सेल्फ: असरार-ए-खुदी; तथा
  - द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम।
- वर्ष 1930 में, इक़बाल ने इलाहाबाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण (प्रचलित रूप से **'इलाहाबाद संबोधन'** के रूप में संदर्भित) दिया। इसमें उन्होंने **इस्लाम और राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्र की एकता एवं रक्षा** की समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे।
- वर्ष 1931-1932 में उन्होंने **लंदन में आयोजित द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।**
- कालांतर में वह यह विश्वास करने लगे थे कि स्वतंत्र मुस्लिम देश अथवा देशों के बिना देश में शरीयत का प्रवर्तन एवं विकास असंभव है।
- यह माना जाता है कि **पाकिस्तान के निर्माण के विचार और दो राष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता** मुहम्मद इक़बाल ही हैं तथा उन्हें "पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता" भी कहा जाता है, जबकि जिन्ना वह व्यक्ति हैं जिसने इस परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया।

8.4. असमी भाओना

(Assamese Bhaona)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भाओना कलाकारों के एक समूह ने आबूधाबी** में परंपरागत ब्रजावली भाषा के विपरीत **अंग्रेजी भाषा** में अपनी कला का प्रदर्शन किया।

भाओना के विषय में

- भाओना, **शंकरदेव द्वारा** सृजित पौराणिक कथाओं पर आधारित एक **नाट्य शैली** है।
  - भाओना नाट्य शैली को लोकप्रिय रूप में **अंकिया नाट** के नाम से भी जाना जाता है।
  - भाओना, असम के अंकिआ नाट की प्रस्तुति है।
  - भाओना में सामान्यतया 40-50 लोग भाग लेते हैं तथा वेशभूषा एवं आभूषण धारण किए हुए कलाकारों द्वारा संवाद, संगीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है।
  - भाओना में ऑर्केस्ट्रा का परिधान पूर्णतया श्वेत होता है तथा अभिनेताओं द्वारा विभिन्न राजाओं, रानियों, दैत्यों एवं पशुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चमकीले परिधान धारण किए जाते हैं।
  - कलाकार, प्रकाश के एक मेहराबदार पथ से गुजरते हैं, जिसे "अग्नि गढ़" कहा जाता है। वे प्राय: काव्यात्मक रूप में ब्रजावली भाषा में संवाद करते हैं।
  - मुख्य नाट्य सामान्यतया गायन-बायन के निष्पादन द्वारा आगे संचालित होता है।
    - यह एक संगीतमय प्रस्तुति है तथा इसे पारम्परिक वाद्य यंत्रों **(खोल, ताल, डोबा और नगाड़ा; इन सभी वाद्य यंत्रों का सृजन भी शंकरदेव द्वारा किया गया था)** द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका निष्पादन विभिन्न कठोर और तीव्र अनुक्रमों तथा विधियों के साथ किया जाता है, जिनके नाम भी भिन्न-भिन्न हैं।

शंकरदेव

- श्रीमंत शंकरदेव (1449-1568) **एक महान असमी संत, विद्वान, कवि, नाटककार, समाज सुधारक और असम में वैष्णववाद के प्रणेता थे।**
  - उन्होंने **असम में भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात किया** तथा अपने नव-वैष्णववादी आन्दोलन - **एक शरण नाम धर्म** - के माध्यम से लोगों को एकजुट किया।
- शंकरदेव ने अपनी कविताओं, नाटकों (अंकिया नाट) और गीतों (बरगीत व भटिमा) के माध्यम से असमी भाषा तथा साहित्य को समृद्ध किया।
- वे असमी शास्त्रीय नृत्य - सत्रिया - के भी सृजनकर्ता थे।

ब्रजावली भाषा के विषय में

- ब्रजावली, भाओना में प्रयुक्त होने वाली एक विशिष्ट भाषा है, जिसका सृजन शंकरदेव द्वारा किया गया था।

- **ब्रजावली का सृजन** इसलिए किया गया था, क्योंकि हिन्दू धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाली मूल भाषा **संस्कृत**, **सामान्य-जन हेतु समझने में कठिन थी।**
- इसके अतिरिक्त, शंकरदेव चाहते थे कि असमी जन-सामान्य के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु नाटक में किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाए, **जिन्होंने उनके नाटको में सामान्य-जन की भाषा बोलने वाले दैवीय पात्रों की अपेक्षा नहीं की थी।**

8.5. नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prizes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई।

साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार: स्वीडिश अकादमी ने वर्ष 2019 और वर्ष 2018 हेतु दो विजेताओं की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि अकादमी ने वर्ष 2018 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी।

- ऑस्ट्रियन लेखक **पीटर हैंडके** को **वर्ष 2019** के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीटर हैंडके को यह पुरस्कार उनके "एक प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है, जिसमें भाषाई प्रवीणता के साथ मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता का अन्वेषण किया गया है"।
- **वर्ष 2018** का नोबेल साहित्य पुरस्कार पोलैंड की लेखिका **ओल्गा टोकरजुक** को प्रदान किया गया है। "सीमाओं के पार जीवन के रूप को चित्रित करने की उनकी काल्पनिकता" के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
    - ओल्गा टोकरजुक को **वर्ष 2018 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था।

शांति का नोबेल पुरस्कार: वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री **अबी अहमद अली** को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार शांति स्थापित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष के समाधान के लिए उनकी निर्णायक पहलों हेतु दिया गया है।

- **संघर्ष समाधान**
    - दीर्घकाल से एक-दूसरे के शत्रु देश रहे इथियोपिया और इरिट्रिया ने जुलाई 2018 में परस्पर संबंधों की पुनर्स्थापना की थी।
    - अबी अहमद अली ने इरिट्रिया के राष्ट्रपति इसाइस अफवेरकी के साथ "शांति और मित्रता के संयुक्त घोषणा-पत्र (जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ़ पीस एंड फ्रेंडशिप)" पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने दोनों देशों के मध्य व्यापार, कूटनीतिक और यात्रा विषयक संबंधों को पुन: आरंभ करने तथा रक्त रंजित युद्ध से पीड़ित हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में "शांति व मित्रता के एक नए युग" की स्थापना की घोषणा की।
    - इन दो देशों के मध्य एक द्वितीय समझौता सितम्बर 2018 में सऊदी अरब के जेद्दाह में संपन्न हुआ था।

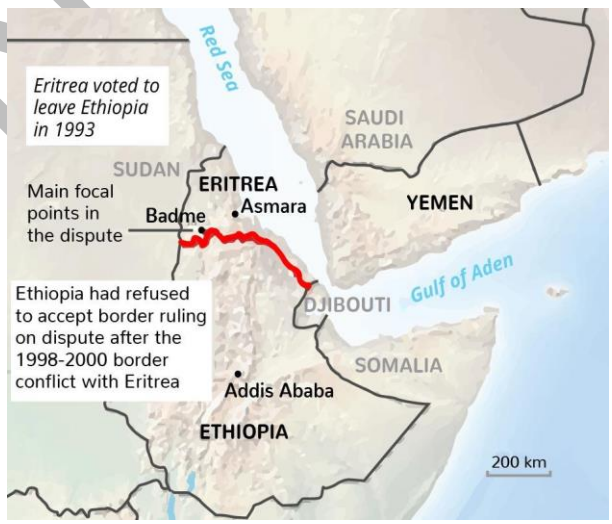

8.6. उर्दू

(Urdu)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंजाब विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ़ फॉरेन लैंग्वेजेज के साथ उर्दू भाषा विभाग का विलय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की इस आधार पर आलोचना की गई कि उर्दू एक भारतीय भाषा है।

उर्दू के विषय में

- **उर्दू, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है।**
- **यह भारतीय करेंसी नोटों पर लिखित 15 भारतीय भाषाओं में से एक है।**
- यह तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर एवं दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- उर्दू, हिंदी से घनिष्ट रूप से संबंधित है। ये दोनों भाषाएँ स्वर विज्ञान और व्याकरण में अत्यंत समरूप हैं।

- विशेषज्ञों के अनुसार **उर्दू भाषा का उद्भव और विकास भारत में छठी से तेहरवीं शताब्दी ई. के मध्य हुआ था।**
- सभी ऐतिहासिक संदर्भों से यह संकेत मिलता है कि उर्दू का उद्भव भारत के पंजाब राज्य में हुआ था।
- उर्दू की मुख्य बोलियाँ, देहलवी, रेख्ता आदि हैं।
- अपनी फ़ारसी लिपि के बावजूद, उर्दू एक भारतीय भाषा है, क्योंकि ऐसी कई भारतीय भाषाएँ जो देश के बाहर व्युत्पन्न लिपियों में लिखी जाती हैं (उदाहरणार्थ- पंजाबी शाहमुखी भाषा को भी दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है)।
- पंजाब में अपने उद्भव के पश्चात्, यह हरियाणा के कुछ हिस्सों और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ-साथ दिल्ली में विकसित और पल्लवित हुई तथा दक्षिण में इसका **दक्खनी (दक्कन) भाषा** के रूप में विकास हुआ।

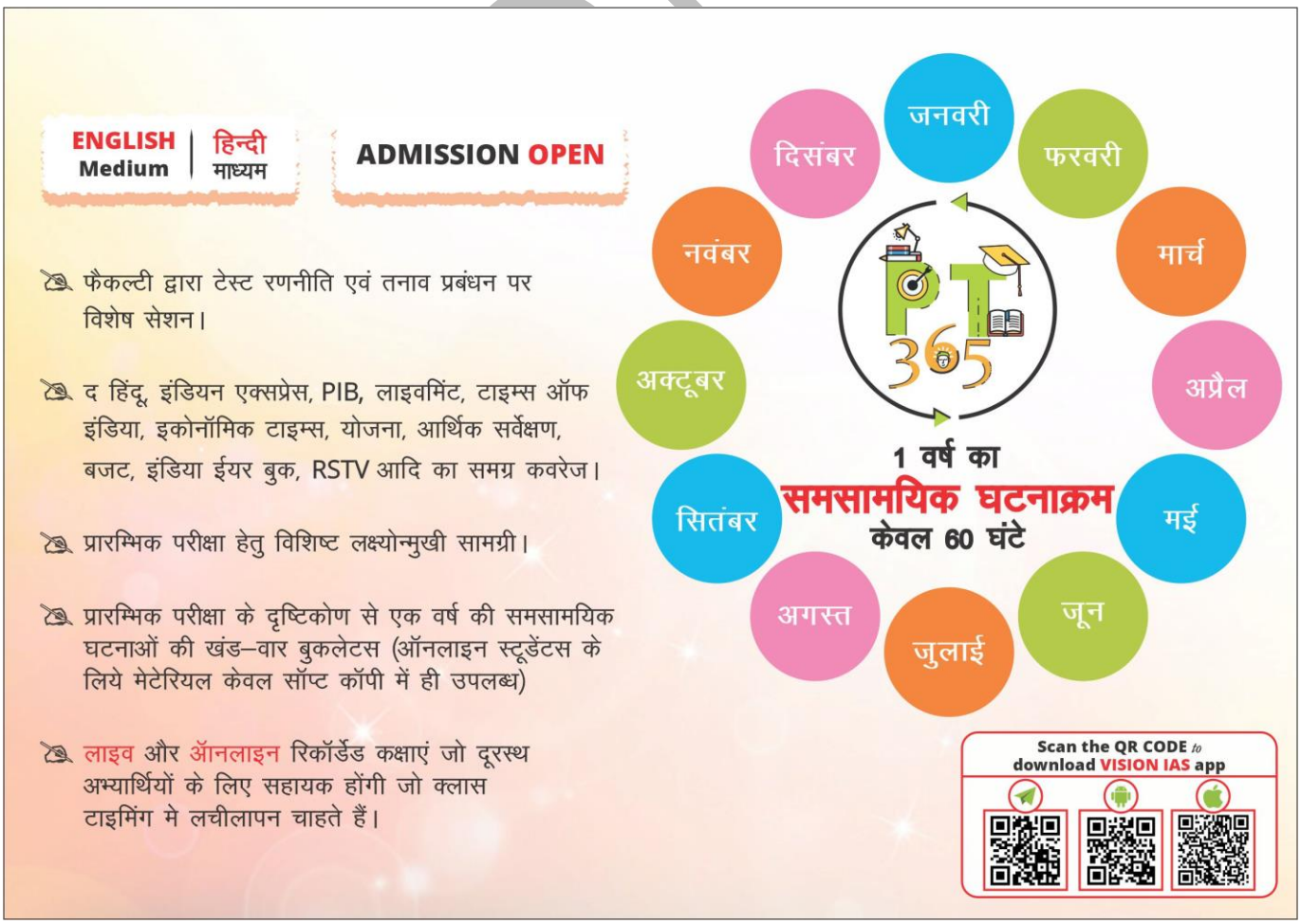

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. नैतिक आचरण के स्रोत के रूप में विधि

(Legislation as a Source of Ethical Behaviour)

संदर्भ

हाल ही में, मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) को यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को कठोर दंड देने हेतु संशोधित किया गया है। सरकार के इस कदम ने एक वाद-विवाद को उत्पन्न किया है कि क्या विधि द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं के मध्य दीर्घकालिक व्यावहारिक परिवर्तन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

विधियों की प्रासंगिकता

- विधियों को किसी राष्ट्र के भीतर या राष्ट्रों के मध्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर समाज में प्रचलित परम्पराओं, मानदंडों, नैतिकता तथा औपचारिक अधिनियमों से उत्पन्न नियमों के लिखित या अलिखित समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- विधियां व्यक्तियों को निर्णय लेने तथा उचित एवं अनुचित मानकों को स्थापित करने में सहायता करती हैं। विधियां समानता एवं न्याय संबंधी संवैधानिक अधिदेश को पूर्ण करती हैं। विधि के माध्यम से ही लोगों एवं सरकार के मध्य भरोसे और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है।

व्यवहार परिवर्तन में विधियों की भूमिका

- विधियां न केवल कुछ व्यवहारों को निर्धारित एवं निषिद्ध करती हैं, बल्कि नैतिक अभिवृत्तियों के निर्माण का भी प्रयास करती हैं। जैसे- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा नेक व्यक्तियों (Good Samaritans) को प्रोत्साहित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने में असफल रहना न केवल अविवेकपूर्ण या अव्यावहारिक कृत्य है, अपितु यह नैतिक रूप से भी अनुचित है।
- विधि का अनुपालन करने वाले व्यक्तियों का दीर्घकालिक प्रभाव विधि का अनुपालन करने वाले समाज के सृजन के रूप में परिलक्षित होगा तथा इसके अन्य क्षेत्रों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगत होंगे, जैसे कि वृहत नागरिक नीतिशास्त्र।
- विधियों को लागू करने से लोगों के लिए इनका अनुपालन करने संबंधी अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त होता है क्योंकि नागरिकों द्वारा नियमों को आत्मसात किया जाता है, जो उन्हें किसी भी प्रकार का अपराध करने से निषिद्ध करते हैं।

विधियां सदैव प्रभावी क्यों नहीं होती हैं?

- **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह (Cognitive Biases):** संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति में गहन रूप से विद्यमान और अंतर्निहित होते हैं तथा इन्हें चेतन मन से समझना कठिन होता है। ये पूर्वाग्रह हमारे विश्वासों के एक भाग का निर्माण करते हैं तथा इन्हें परिवर्तित करना कठिन होता है।
  - उदाहरण के लिए - तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम को पारित करने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार समाप्त नहीं हुए हैं।
- **विवेकहीन व्यवहार (Irrational Behaviour):** स्व-हित से ऊपर उठकर व्यवहार करने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा कभी भी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, भले ही उनका कितना भी नुकसान क्यों न हो। हालाँकि, मानव का व्यवहार पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण नहीं होता है। उदाहरणार्थ - हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि पटाखों के उपयोग से वायु की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है तथा साथ ही, सरकार द्वारा इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी आदेशों के बावजूद, देश के कई भागों में पटाखों का निरंतर उपयोग किया जा रहा है।
- **सामाजिक मानदंड (Social Norms):** किसी भी कानून की सफलता सामाजिक मानदंडों एवं इन कानूनों के प्रवर्तन के मध्य पारस्परिक अंतक्रिया पर निर्भर करती है। प्रवर्तन की सफलता, समाज द्वारा एक सचेतक के रूप से कार्य पर निर्भर करती है। जब कानून एवं सामाजिक मानदंडों के मध्य टकराव उत्पन्न होता है, तो कुछ लोगों द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस संबंध में स्वयं के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यह भी कानून का उल्लंघन करने के समान ही है।
  - जल्लीकट्टू (बुल फाइटिंग) के विरुद्ध न्यायालय के निर्णय अप्रभावी रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के मन में गहराई से अंतर्निहित मानदंडों (धार्मिक आधार पर स्वीकृति प्राप्त) के विरुद्ध थे।
- **कार्यान्वयन का अभाव (Implementation Lacunae):** यदि विधियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो ये व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने में सक्षम नहीं होंगी। कार्यान्वयन न केवल प्रवर्तन संस्थानों के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह विधि, नागरिकों के न्याय के संबंध में उनके अंतर्ज्ञान के साथ कितने बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करती है।

VISION IAS

विधियों से इतर हस्तक्षेप

- **नज थ्योरी (Nudge Theory):** 'नज' का आशय किसी व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण से है जो धीरे-धीरे लोगों को वांछित व्यवहार की ओर प्रेरित करता है तथा साथ ही, इस क्रम में उनकी चयन की स्वतंत्रता को भी संरक्षित रखा जाता है।
    - स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने स्वच्छता को सामुदायिक स्तर की चिंता का विषय बना दिया है। सामाजिक बहिष्करण के भय से कई लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को त्याग दिया है। इसके अतिरिक्त, यह इस संदेश को लोगों की भावनाओं के साथ जोड़कर लोगों द्वारा इसके आत्मसातीकरण करने में सफल रहा है। उदाहरण के लिए- शौचालय निर्माण को घरेलू सम्मान के साथ संबद्ध किया गया।
- **लोगों को सूचित करना, उनसे परामर्श करना, उन्हें शामिल करना, उनका सहयोग करना, उन्हें सशक्त करना (Inform, Consult, Involve, Collaborate, Empower):** यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में लोगों को भी समान सहभागी बनाने हेतु पारंपरिक सूचना, संचार एवं शिक्षा (ICE) दृष्टिकोण से एक पृथक दृष्टिकोण है।
- अनुनय एवं प्रभाव उत्पन्न करने जैसे साधनों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन करने हेतु रोल मॉडलों एवं ऐम्बैसडरों को संलग्न करना।
    - शौचालयों के उपयोग हेतु व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, SBM के अंतर्गत 5 लाख से अधिक स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति की गई है।
    - खुले में शौच करने की प्रथा को रोकने के लिए इस कार्य हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संलग्न किया गया है, जैसे- अमिताभ बच्चन का "दरवाज़ा बंद अभियान"।
    - पौराणिक रोल मॉडल के माध्यम से BADLAV (बेटी आपकी धन लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी) के संदेश को पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि लोक व्यवहार को प्रबंधित करने के प्रयास के संदर्भ में विधियां एक बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। व्यक्ति किसी व्यवहार की अपेक्षित लागत के आधार पर ही किसी निषिद्ध गतिविधि में संलग्न होने अथवा न होने का निर्णय करता है। यदि दण्ड की गंभीरता एवं संभावना निषिद्ध गतिविधि के अपेक्षित लाभ या सुख से अधिक है, तो व्यक्ति उस व्यवहार का अनुसरण करने से बचेगा। कई बार, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई, अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन हेतु, हमें विधि से इतर अन्य हस्तक्षेपों की भी आवश्यकता है।

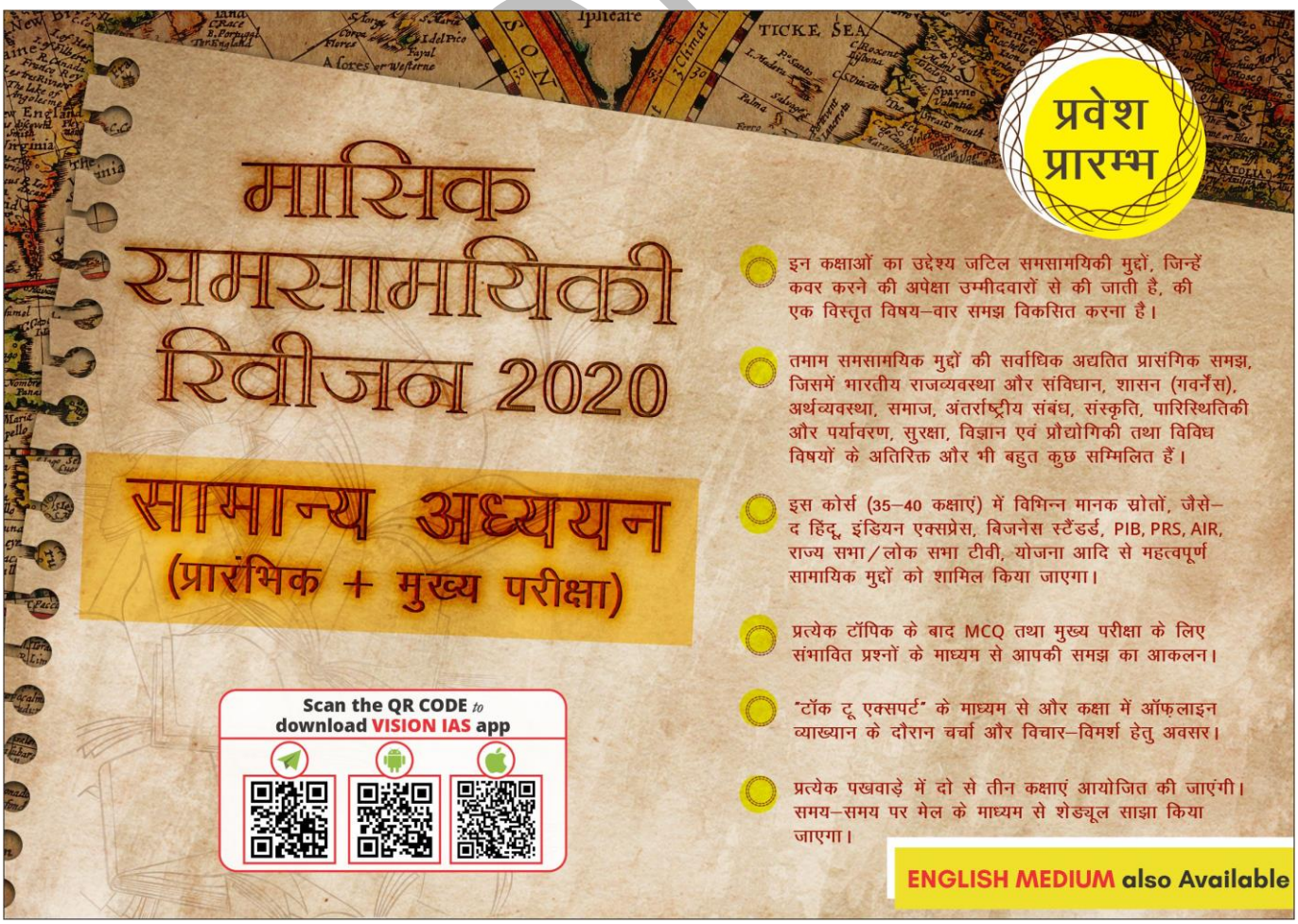

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Short)

10.1. निर्वाचन आयोग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री की निरर्हता अवधि पांच वर्ष घटाई

(EC Cuts Disqualification Period of Sikkim's CM By 5 Years)

- निर्वाचन आयोग ने **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की निरर्हता अवधि को लगभग पांच वर्ष कम कर दिया।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 8(1)** के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 आदि के कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से निरर्ह घोषित किया जाता है।
- **कारावास की सजा** होने पर निरर्हता अवधि, दोषसिद्धि की तिथि से प्रभावी हो जाती है तथा यह निरर्हता अवधि जेल से रिहाई के उपरांत अगले छह वर्ष तक प्रभावी रहती है।
- श्री तमांग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था तथा 10 अगस्त 2018 को उनकी एक वर्ष की जेल की सजा की अवधि समाप्त हो गई थी।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 11,** निर्वाचन आयोग को निरर्हता को हटाने या निरर्हता की अवधि घटाने का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग ने निर्हरता की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर एक वर्ष एवं एक महीना कर दिया है।
- निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा कि श्री तमांग के अपराध के समय प्रचलित कानून के तहत किसी व्यक्ति को तब निरर्हित घोषित किया जाता जब उसे दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई गयी हो। परन्तु, श्री तमांग को केवल एक वर्ष की ही जेल की सजा सुनाई गई थी।

10.2. जन सूचना पोर्टल

(Jan Soochna Portal)

- हाल ही में, **राजस्थान सरकार** द्वारा अपनी तरह के पहले **जन सूचना पोर्टल** का लोकार्पण किया गया।
- इस पोर्टल को नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C)** द्वारा विकसित किया गया है।
- यह देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है तथा इसमें एक ही मंच पर **13 विभागों की 23 सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी** प्राप्त होगी।
- यह पोर्टल **योजनाओं के बारे में विवरण** तथा लाभार्थियों, प्राधिकार प्रभारी, प्रगति आदि पर **रियल टाइम सूचना** प्रदान करता है। इस तक नागरिक अपने कंप्यूटर, मोबाइल या गाँव में स्थापित कियोस्क द्वारा पहुँच सकते हैं।
- यह पहल **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) की भावना** से प्रेरित है, अर्थात सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण है।

10.3. तुर्की का सीरियाई कुर्द लड़ाकों पर हमला

(Turkish Attack on Syrian Kurds)

- हाल ही में, सीरिया के उत्तरी हिस्सों में कुर्द लड़ाकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में तुर्की द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई।
- तुर्की सरकार को आशंका है कि सीरिया में कुर्द-प्रभुत्व वाली ताकतें तुर्की में उपस्थित कुर्द विद्रोहियों के साथ संगठित हो सकती हैं, जो कि दशकों से एक पृथक राज्य के निर्माण हेतु संघर्षरत हैं।
- **कुर्द के बारे में:** कुर्द विश्व का सबसे बड़ा राज्यविहीन नृजातीय समूह है।
  - वे दक्षिणी एवं पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, उत्तर-पूर्वी सीरिया, उत्तर-पश्चिमी ईरान तथा दक्षिण आर्मेनिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक देश में यह समुदाय अल्पसंख्यक है। ये जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लेबनान एवं पूर्वी ईरान में भी अल्प संख्या में रहते हैं।
- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् एवं ऑटोमन साम्राज्य की पराजय के बाद, विजयी पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने **वर्ष 1920** की **सेव्रे की संधि** (Treaty of Sevres) में कुर्द राज्य का प्रावधान किया था।
- लेकिन वर्ष 1923 में हुई **लुसाने की संधि** (The Treaty of Lausanne) के तहत आधुनिक तुर्की की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया गया, जिसमें कुर्द राज्य के लिए कोई प्रावधान नहीं था तथा कुर्द जनसंख्या को अपने संबंधित देशों में मात्र अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया।

VISION IAS

10.4. भाषण चार द्वीप

(Bhashan char island)

- **बांग्लादेश सरकार** ने लगभग 6,000-7,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को **भाषण चार द्वीप (बांग्लादेश)** पर नव-निर्मित शिविर में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है।
  - भाषण चार, जिसे थेंगार चार के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
  - **मेघना नदी के मुहाने** पर वर्ष 2006 में हिमालय गाद से इस द्वीप का निर्माण हुआ था।
- **रोहिंग्या** नृजातीय समूह हैं। इस समूह के अधिकांश सदस्य मुस्लिम हैं, जिनका मूल निवास स्थान म्यांमार का रखाइन प्रांत है।
- **वर्ष 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून** के तहत रोहिंग्या मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया था।
- अगस्त 2017 से **रोहिंग्याओं पर म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के बाद**, लगभग 7,40,000 रोहिंग्या म्यांमार से निर्वासित हो गए एवं उन्होंने बांग्लादेश में प्रवेश किया।

10.5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव

(UN Human RIghts Council Election)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **14 देशों का मानवाधिकार परिषद हेतु** चयन किया है।
- सदस्यों का चयन महासभा द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है।
- ये सभी 14 सदस्य **1 जनवरी 2020 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष के कार्यकाल तक सेवारत** रहेंगे।
- वेनेजुएला के निकोलस मादुरो की सरकार एवं इसके द्वारा बार-बार किए गए कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 50 से अधिक संगठनों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों द्वारा किए गए विरोध के बावजूद इसने (वेनेजुएला) यह चुनाव जीत लिया।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के बारे में**
  - **मार्च 2006** में **सयुंक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था के तौर पर इसका गठन किया गया।
  - मानवाधिकार परिषद में **47 निर्वाचित सदस्य राष्ट्र शामिल** हैं।
  - समान भौगोलिक वितरण के आधार पर, **परिषद की सीटें पांच क्षेत्रीय समूहों में निम्नलिखित प्रकार से आवंटित की गयी हैं-** अफ्रीकी देशों की 13 सीटें, एशिया-प्रशांत देशों की 13 सीटें; पूर्वी यूरोपीय देशों की 6 सीटें; लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियन देशों की 8 सीटें; तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों की 7 सीटें।

10.6. अल बगदादी

(Al-Baghdadi)

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों के नेतृत्व में हमले के दौरान इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी की मौत की घोषणा की।
- इस ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन कायला मुलर (Operation Kayla Mueller) नाम दिया गया था।
- बगदादी ने वर्ष 2013 में स्वयं को इस्लामिक स्टेट का खलीफा घोषित किया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे आठ वर्ष पहले एक आतंकवादी घोषित किया था तथा उसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर (70 करोड़ रुपये से अधिक) का इनाम घोषित किया था।

10.7. वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑउटलुक, 2019

(World Economic Outlook, 2019)

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी छमाही रिपोर्ट, **वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक** का नवीनतम संस्करण जारी किया है।
- IMF ने इस वर्ष भारत की संवृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 6.1 प्रतिशत (जुलाई में अनुमानित 7% की संवृद्धि दर के विपरीत) कर दिया है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रीय दुर्बलता (cyclical weakness) को दूर करने एवं अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु मौद्रिक नीति का उपयोग करने तथा व्यापक संरचनात्मक सुधारों पर बल देने के संकेत दिए हैं।
- वर्ष 2019 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के 3.0 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जो वर्ष 2008-09 के पश्चात् न्यूनतम वृद्धि दर है।

10.8. भारत-22 ETF

(Bharat-22 ETF)

- हाल ही में, भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की चौथी श्रृंखला फर्दर फंड ऑफर-2 (Further Fund Offer-2) को जारी किया गया।
- ETF एक प्रतिभूति (security) है, जो एक सूचकांक, एक जिंस या एक इंडेक्स फंड के समान परिसंपत्तियों की बास्केट को ट्रैक करती है, लेकिन इसकी एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ट्रेडिंग की जाती है।
- भारत-22 ETF, "स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ़ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI)" की रणनीतिक हिस्सेदारी वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी कंपनियों के 22 शेयरों में निवेश करता है।
- CPSE ETF के बाद यह **भारत सरकार का दूसरा ETF** है जिसमें केवल राज्य द्वारा संचालित कंपनियां शामिल होती हैं।
- ETF से प्राप्त राशि से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

न्यू फंड ऑफर (NFO) और फर्दर फंड ऑफर (FFO)

- NFO, निवेशकों को एक निवेश कंपनी द्वारा जारी किए गए फंड शेयरों की प्रारंभिक बिक्री को संदर्भित करता है।
- शेयर बाजार में IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफर) के समान, NFO का उद्देश्य इस फंड के लिए पूंजी जुटाना एवं निवेशकों को आकर्षित करना है।
- FFO, फंड के आरंभिक सब्सक्रिप्शन के पश्चात् अत्यधिक निवेश की अनुमति प्रदान करता है।

10.9. CBDT ने 300वें अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए

(CBDT inks 300th advance pricing agreement)

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में भारत सरकार की ओर से 300वें अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- CBDT द्वारा वर्ष 2012 में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की शुरुआत की गयी थी।
- अग्रिम मूल्य को करदाता एवं कर प्राधिकरण के मध्य एक समझौते के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें करदाता के भावी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य निर्धारण का फैसला करने हेतु अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति को तय किया जाता है।
- अग्रिम मूल्य निर्धारण योजना, बहु-राष्ट्रीय उद्यमों को कर आश्वासन प्रदान करती है तथा यह एक गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

10.10. 'फेसलेस' ई-निर्धारण योजना एवं राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र

(Faceless e-Assessment scheme & National e-Assessment Centre)

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने कर अधिकारियों एवं करदाताओं के मध्य पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से आयकर रिटर्न के फेसलेस मूल्यांकन की सुविधा के लिए फेसलेस ई-निर्धारण योजना एवं राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र (NeAC) की शुरुआत की।
- राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बनाया गया एक स्वतंत्र कार्यालय है। यह दिल्ली में स्थित होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु एवं हैदराबाद में 8 क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र (ReAC) स्थापित किए जाएंगे।

10.11. एल2प्रो इंडिया

(L2PRO India)

- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)** द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के संबंध में **L2Pro इंडिया** (Learn to Protect, Secure and Maximize Your Innovation) (अपने नवाचारों को संरक्षित, सुरक्षित और अधिकतम करने के संबंध में समझ विकसित करना) नामक एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की गई है।
- क्वालकॉम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (दिल्ली) के सहयोग से, **IPR संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion and Management: CIPAM)**-DPIIT द्वारा इस वेबसाइट एवं ऐप को विकसित किया गया है।
- इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल IPR के स्वामित्व एवं उसके संरक्षण को समझने में सहायता करेगा, बौद्धिक संपदा को व्यवसाय मॉडल से संबद्ध करेगा तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों हेतु उपयोगिता प्रदान करेगा।
- ई-लर्निंग मॉडयूल के सफल समापन पर CIPAM-DPIIT और NLU, दिल्ली तथा क्वालकॉम द्वारा शिक्षार्थियों को ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

10.12. उपभोक्ता एप

(Consumer App)

- हाल ही में, सरकार ने उपभोक्ता ऐप लॉन्च की है, जो उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता करेगी तथा साथ ही, उपभोक्ता से संबंधित मुद्दों पर सुझाव भी प्रदान करेगी।
- शिकायतों की स्थिति की मंत्रालय द्वारा दैनिक आधार पर तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाएगी।
- इससे उपभोक्ताओं को 42 क्षेत्रकों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, जिसमें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, बीमा इत्यादि शामिल हैं।

10.13. स्वीकृति विकास निधि

(Acceptance Development Fund)

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण भारत में अंतिम व्यक्ति तक (लास्ट माइल) डिजिटल रूप से लेन-देन करने हेतु भुगतान नेटवर्क में सुधार करने हेतु **स्वीकृति विकास निधि** की स्थापना करने की घोषणा की।
- इसे एक बैंक-प्रायोजित विकास निधि के रूप में भुगतान अवसंरचना में सुधार हेतु प्रचालित किया जाएगा, जो कि केवल छोटे शहरों एवं गांवों, विशेष रूप से टियर-III से टियर-VI केंद्रों, जहां अधिकांश दैनिक लेन-देन नकद में होते हैं, को शामिल करेगा।
- प्रस्तावित निधि में सभी प्रमुख बैंक और भुगतान कंपनियां शामिल होंगी, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से प्राप्त शुल्क राशि में से अपनी आय का एक हिस्सा हस्तांतरित करेंगी।
- इसे RBI के **भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण प्रपत्र-2021** में इंगित किया गया था। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भी इसका सुझाव दिया गया था।

10.14. टेक्सागर

(Techsagar)

- हाल ही में, **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक** कार्यालय एवं **डेटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI)** द्वारा **टेक्सागर** नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। यह (टेक्सागर) भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है।
- यह पोर्टल IT उद्योग, स्टार्ट-अप्स, शिक्षाविदों और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से संबंधित व्यापार एवं अनुसंधान संस्थाओं को सूचीबद्ध करेगा।
- टेकसागर, 25 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के भारतीय उद्योगों, अकादमिक संस्थाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं से संबंधित भारत की साइबर प्रौद्योगिकी क्षमताओं की एक समेकित और व्यापक भंडार (रिपॉजिटरी) है:
  - इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (Internet of things: IoT);
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता Artificial Intelligence: (AI);
  - मशीन लर्निंग (Machine Learning: ML);
  - ब्लॉक चेन, क्लाउड एवं वर्चुअलाइजेशन;
  - रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, वायरलेस एवं नेटवर्किंग इत्यादि।

डेटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI)

- यह भारत में डेटा संरक्षण के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी औद्योगिक निकाय है।
- इसकी स्थापना NASSCOM द्वारा की गयी है तथा यह साइबर सुरक्षा एवं निजता के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, मानकों तथा पहलों को स्थापित कर साइबर स्पेस को सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

10.15. सैन्य अभ्यास

(Military Exercises)

- **नोमैडिक एलिफेंट:** हाल ही में, अक्टूबर महीने में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में **एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट-XIV** का आयोजन किया गया। यह भारत एवं मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **ऑपरेशन हिम विजय:** इसे चीन के विरुद्ध आक्रामक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। दुश्मन की सैन्य प्रगति को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नव-गठित एकीकृत युद्धक समूहों (IBG) के लिए यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।

- **अभ्यास शक्ति:** यह भारत एवं फ्रांस की सेनाओं के मध्य एक द्विवार्षिक अभ्यास है। यह वर्ष 2011 में आरंभ हुआ तथा इसे भारत और फ्रांस में एकांतर क्रम में आयोजित किया जाता है। इसका वर्ष 2019 का संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जाएगा।

10.16. केप टाउन समझौता

(Cape Town Agreement)

- हाल ही में, भारत ने मत्स्यन संबंधी जलयानों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा अपनाए गए **केप टाउन समझौते (CTA) की पुष्टि (ratify) करने में रुचि प्रदर्शित की है।**
- CTA की पुष्टि और कार्यान्वयन देश के तटीय जल क्षेत्रों में परिचालनरत मत्स्यन संबंधी जलयानों के लिए उच्च सुरक्षा मानक प्रदान करेगा।
- **अवैध, अनियमित और असूचित मत्स्यन को नियंत्रित करने में सहायता करने हेतु** वर्ष 2012 में IMO द्वारा केपटाउन समझौते को अंगीकृत किया गया था।
- इस समझौते में मत्स्यन संबंधी जलयानों हेतु न्यूनतम सुरक्षा संबंधी उपायों को सम्मिलित किया गया है, जो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी संधि - **इंटरनेशनल कन्वेशन फ़ॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (SOLAS)** को प्रतिबिंबित करता है। ज्ञातव्य है कि यह संधि वर्ष 1980 में प्रभावी हुई थी।

10.17. सारस विमान

(Saras Aircraft)

- पहली बार स्वदेशी हल्के यात्री व मालवाहक विमान **सारस** को वर्ष 2024 में भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया जाएगा।
- *सारस MK2* परियोजना को CSIR-NAL {वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) - राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (National Aerospace Laboratories: NAL)} द्वारा अभिकल्पित और विकसित किया जा रहा है। इस बहु-भूमिका से युक्त परिवहन विमान को अभिकल्पित और विकसित करने का प्रथम प्रयास वर्ष 1999 में आरम्भ हुआ था।
- यह सैन्य आवागमन, VIP परिवहन और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आपूर्ति भूमिकाओं के संपादन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों से सुसज्जित होगा।
- यह किसी भी समकालीन विमान की तुलना में अल्प अधिग्रहण एवं परिचालन लागत, उच्च विमान प्रदर्शन क्षमता और नवीनतम पीढ़ी की तकनीकों से परिपूर्ण है।
- *सारस* परियोजना, क्षेत्रीय यात्री कनेक्टिविटी के लिए 70-90 सीटों वाले विमान के निर्माण, अभिकल्पन और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- इसकी प्रथम उड़ान का सफल परीक्षण वर्ष 2004 में किया गया था। इस प्रकार भारत हल्के यात्री व परिवहन विमानों का निर्माण करने वाले पांच देशों के इलीट क्लब में शामिल होने में सक्षम हो गया है।

10.18. ग्रीन पटाखे

(Green Crackers)

- वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के प्रयासों के तहत सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों की शुरुआत की गयी है।
- ये पटाखे नागपुर स्थित **राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI)** के नेतृत्व में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अधीन कार्यरत आठ प्रयोगशालाओं के एक अस्थायी संघ द्वारा विकसित सूत्रीकरण (formulations) पर आधारित हैं।
- ग्रीन पटाखों को **सेफ वॉटर रिलीजर (SWAS), सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR)** और **सेफ मिनिमल एल्यूमीनियम (SAFAL)** नाम दिया गया है, क्योंकि इससे ऑक्सीडेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट (KNO_3) के औसतन उपयोग पर पार्टिकुलेट मैटर में 30% तक की कमी होती है।
- इन पटाखों में जल वाष्प को निर्मुक्त करने, धूल शमन (suppressant) के रूप में वायु और गैसीय उत्सर्जन के लिए तनुकारक जैसी विशिष्ट विशेषताओं का समावेश है। उल्लेखनीय है कि ग्रीन पटाखे ध्वनि के संदर्भ में पारंपरिक पटाखों के समतुल्य हैं।
- कुछ ग्रीन पटाखों में दहन हेतु ऑक्सीडाइज़र के रूप में उपयोगी **बेरियम नाइट्रेट** को भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बेरियम नाइट्रेट श्वसन क्रिया के दौरान स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, जिससे नाक, गले और फेफड़ों में जलन उत्पन्न होती है।
- ग्रीन पटाखे को पारंपरिक पटाखे से विभेदीकृत करने हेतु एक **हरे रंग के प्रतीक चिन्ह (Green logo)** के साथ-साथ एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोडिंग प्रणाली भी विकसित की गई है। इनकी कीमत पारंपरिक पटाखों के समान ही होगी अथवा इनमें से कुछ सस्ते भी होंगे।
- सभी प्रकार के पटाखों को **पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (Petroleum and Explosives Safety Organisation: PESO)** द्वारा ही विनियमित किया जाता है।
    - यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** के तहत स्वायत्तता प्राप्त एक विनियामक प्राधिकरण है।

10.19. मोजेक अभियान

(MOSAIC Expedition)

- भारत के विष्णु नंदन, **मल्टीडिसीप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट (MOSAiC)** अभियान में शामिल होने वाले 300 शोधकर्ताओं में से एक हैं।
- मोजेक अभियान मध्य आर्कटिक में संपन्न होने वाला एक वर्ष की अवधि का अभियान है, जिसे वर्ष 2019 से 2020 तक संपन्न किया जाएगा।
- यह अब तक का **सबसे बड़ा आर्कटिक अभियान** है, जिसमें **जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के नेतृत्व** में 19 देशों के वैज्ञानिकों शामिल हैं।
- यह अभियान जर्मन शोध जलयान **पोलरस्टर्न** से संपन्न किया जाएगा, जो मध्य आर्कटिक में सागरीय हिम की एक विशाल परत पर ठहरा हुआ है।
- इस अभियान के तहत, प्रथम बार एक आधुनिक अनुसंधान पोत वर्ष भर उत्तरी ध्रुव के प्रत्यक्ष निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य करेगा।
- इस अभियान का उद्देश्य आर्कटिक में वायुमंडलीय, भू-भौतिकीय, समुद्रविज्ञानीय और अन्य सभी संभावित परिवर्ती कारकों का अध्ययन करना है तथा इन अध्ययनों का आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमीय प्रणालियों में हो रहे परिवर्तनों के सटीक पूर्वानुमान हेतु प्रयोग करना है।

10.20. एंथ्रोपोजेनिक खनिज

(Anthropogenic Mineral)

- ये वे खनिज हैं, जिनका पृथ्वी पर निर्माण **खनन और खनिज प्रसंस्करण जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप निर्मित पदार्थों से हुआ है।**
- **मानव निर्मित लगभग 208 खनिज हैं,** जिन्हें इंटरनेशनल मिनरलॉजीकल एसोसिएशन (International Mineralogical Association) द्वारा खनिजों के रूप में अनुमोदित किया गया है।
- एंथ्रोपोजेनिक (मानवजनित) खनिजों के उदाहरण:
  - **हाइड्रोटेलसाइट** का उत्पादन तब होता है जब एस्बेस्टस अवशेषों द्वारा **वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड** को निष्क्रिय अवस्था में **अवशोषित** किया जाता है।
  - अन्य प्रकारों में **ट्रू खनिज** हैं, जो **प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं** तथा **पृथ्वी पर या बाह्य अंतरिक्ष में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं।** ट्रू मिनरल में लगभग 5,200 ज्ञात खनिज सम्मिलित हैं।
- हाल ही में सुर्ख़ियों में रहे **एड्स्कोटायट (Edscottite)** को वर्ष 1951 में मध्य विक्टोरिया में पायी गई एक धात्विक चट्टान 'वेडरबर्न उल्कापिंड' के परीक्षण के उपरांत खोजा गया था। यह **लौह एवं कार्बन** से निर्मित है तथा इसका निर्माण संभवतः किसी अन्य ग्रह के कोर में हुआ था।

10.21. भारत में एशिया का सबसे प्राचीन बांस प्राप्त हुआ

(Asia's Oldest Bamboo Found in India)

- हाल ही में, बांस के एक नए जीवाश्म रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ है कि **भारत, एशियाई बांस का मूल स्थान है।**
- ये जीवाश्म **असम** के **माकुम कोयला क्षेत्र (Makum Coalfield)** की **तिरप खदान** (Tirap mine) में प्राप्त हुए हैं।
- यह खोज इस सिद्धांत को और सुदृढ़ करती है कि एशिया में बाँस भारत से आया था न कि यूरोप से।
- बाँस 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊँचाई वाली शीतल जलवायविक परिस्थितियों के विस्तृत परास में वृद्धि करता है।
- वे वर्षा की अनियमितता की स्थिति में भी वृद्धि कर सकते हैं।
- भारत में, बांस कश्मीर को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।

10.22. भारत का स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग

(India's Starry Dwarf Frog)

- अंगूठे के नख जितने आकार वाली ये प्रजातियां **भारत के पश्चिमी घाट** में पाई गई हैं।
- वैज्ञानिकों ने इस मेंढक का नाम **ऐस्ट्रोबैट्राकस कुरिचिआना (Astrobatrachus kurichiyana)** रखा है। यह नाम इसके शरीर पर पाए गए तारों के सदृश्य धब्बों और कुरिचियारमाला पर्वत श्रृंखला (यहां इसकी खोज हुई है) के स्थानीय लोगों के नाम पर रखा गया है।
- शोधकर्ताओं ने इसे **स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग** उपनाम दिया है, क्योंकि इनका आकार एक वयस्क व्यक्ति के अंगूठे के नख के बराबर (2 से 3 सें.मी.) है। इनके उदर का रंग नारंगी है तथा पृष्ठभाग भूरा है, जो श्वेत धब्बों से आवृत्त है।

- यह नई प्रजाति उस प्राचीन वंशावली की एकमात्र सदस्य है जो करोड़ों वर्षों पूर्व अपने पूर्वजों से विलग हो गई थी तथा यह एक नई उप-प्रजाति की खोज का भी प्रतिनिधित्व करती है।

10.23. तस्मानियाई बाघ

(Tasmanian Tiger)

- हाल ही में, तस्मानियाई बाघ को कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। ज्ञातव्य है कि यह बाघ विशुद्ध रूप से मांसाहारी मार्सूपियल जीव है, जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
- **तस्मानियाई बाघ के बारे में:** इस बाघ की विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं में शामिल हैं- **इसके शरीर के पृष्ठ भाग से शुरू होने वाली गहरी धारियाँ,** जो इसकी सख्त पूँछ तक विस्तारित थी तथा मादा तस्मानियाई बाघ के उदर में एक थैलेनुमा संरचना होती थी।
- तस्मानियाई बाघ धीमी गति से चलता था और बिल्लियों के समान ही रात्रि में शिकार करता था।
- इसका निवास स्थान **ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया** में था, किन्तु जब इसे विलुप्त घोषित किया गया तब यह केवल तस्मानिया तक ही सीमित था।

10.24. विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली चींटी

(World's Fastest Ant)

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली **सहारा सिल्वर चींटी** की खोज की है। इसकी चाल 360 mph की गति से दौड़ सकने वाले मनुष्य के समतुल्य आंकी गई है।
- सहारा सिल्वर चींटी **उत्तरी सहारा** के **बालू के टिब्बों** में पाई जाती है।
- ये प्रति सेकंड अपने शरीर की लंबाई के 108 गुना के बराबर दूरी तय करती हैं।
- ये चींटियाँ दिन की सबसे गर्म अवधि के दौरान अन्य प्राणियों के शवों का भक्षण करती हैं।
- गर्मी से बचने के लिए, इन चीटियों के शरीर पर चमकीले (चांदी सदृश्य) बाल होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं।

10.25. हाई माउंटेन समिट

(High Mountain Summit)

- हाल ही में, **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization: WMO)** द्वारा **हाई माउंटेन समिट** का आयोजन किया गया।
- WMO ने HMS का आयोजन विज्ञान-आधारित, उपयोगकर्ता-संचालित ज्ञान और सूचना प्रणालियों हेतु एक रोडमैप विकसित करने के लिए **उच्च-स्तरीय संवाद को बढ़ावा देने तथा निर्णय-निर्माताओं व स्थानीय अभिकर्ताओं को शामिल** करने हेतु किया है।

WMO के बारे में

- यह **193 सदस्य देशों** की सदस्यता वाला एक **अंतर-सरकारी संगठन है।**
- यह **मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान तथा संबंधित भू-भौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है।**
- **इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है** और यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का एक सदस्य है।

10.26. डीम्ड वन

(Deemed Forest)

- हाल ही में, वन सलाहकार समिति (FAC) ने राज्यों को **डीम्ड वनों की पहचान करने एवं इसके लिए मानदंडों को तैयार करने के लिए अनुशंसा** की है।
- ये ऐसे वन हैं जिन्हें या तो वन विभाग या राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे क्षेत्र भी हैं जो वनों की भांति तो हैं, किन्तु उन्हें न तो कहीं दर्ज किया गया है और न ही वे अधिसूचित हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि राज्य इन क्षेत्रों की पहचान करने के साथ-साथ इन्हें डीम्ड वनों के रूप में भी वर्गीकृत करें।
- इन मानदंडों के तहत परिभाषित वन, **देश के कुल वनों का लगभग 1%** हैं।
- हालांकि, कुछ राज्यों में डीम्ड वन पहले से ही वनों की एक विधिक श्रेणी में शामिल हैं, लेकिन उन्हें शब्दकोषीय परिभाषा के अनुसार परिभाषित नहीं किया गया है।
    - ओडिशा राज्य वन अधिनियम और भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत ये वनों की एक श्रेणी हैं। हालांकि, कई राज्यों में अभी भी इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हैं।

10.27. पर्यटन पर्व 2019

(Paryatan Parv 2019)

- हाल ही में, श्री धर्मेन्द्र प्रधान (केन्द्रीय मंत्री - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ; इस्पात मंत्रालय) ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी **'पर्यटन पर्व 2019'** का शुभारंभ किया।
- **पर्यटन मंत्रालय** द्वारा 'पर्यटन पर्व 2019' का आयोजन अक्टूबर माह में देश भर में किया गया था।
- इस पर्यटन पर्व का प्रयोजन भारतवासियों को देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों की यात्रा करने हेतु प्रोत्साहित करने के एक उद्देश्य के साथ 'देखो अपना देश' संदेश का प्रचार करना है।
- पर्यटन पर्व 2019 महात्मा गांधी की 150वी जयंती को समर्पित है।
- इस पर्व का आयोजन पर्यटन के लाभों पर ध्यान केंद्रित करने, देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने और "सभी के लिए पर्यटन" के सिद्धांत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- **पर्यटन पर्व के निम्नलिखित तीन प्रमुख घटक हैं:**
  - **देखो अपना देश:** इसका उद्देश्य भारतीयों को देश का भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
  - **सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटन संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं।
  - **पर्यटन एवं शासन:** पर्यटन पर्व से संबद्ध गतिविधियों के तहत देश भर में विभिन्न विषयों (थीम) पर हितधारकों के साथ परस्पर संवाद-सत्र एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

10.28. मोबाइल ऐप एम-हरियाली

(Mobile App M-Hariyali)

- हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **लोगों को वृक्षारोपण करने और अन्य हरित उपाय करने में लोक संलग्नता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम-हरियाली ऐप लॉन्च किया गया है।**
- एम-हरियाली ऐप **स्वत: पौधों की जियो-टैगिंग करता** है। अतः यह नोडल अधिकारियों को वृक्षारोपण की आवधिक निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।
- लोग अब अपने द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के **वृक्षारोपण की सूचना /तस्वीर अपलोड कर सकते** हैं, जो ऐप से संबद्ध होगी और यह वेबसाइट (www.epgc.gov.in) पर प्रदर्शित होंगी।
- यह ऐप **उपयोगकर्ता के अनुकूल है** और किसी भी **एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर कार्य कर सकता है।**

10.29. कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु

(Col. Chewang Rinchen Setu)

- हाल ही में, **पूर्वी लद्दाख** में भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित व **सभी प्रकार के मौसम हेतु उपयुक्त एक स्थायी पुल** का उद्घाटन किया गया, जिसे **कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु** नाम दिया गया है।
- यह **श्योक नदी** पर निर्मित 1,400 फीट लंबा सेतु है, जो 14,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
- इसे सामरिक रूप से, चीन से संलग्न भारतीय सीमा से 45 किलोमीटर की दूरी पर लेह और काराकोरम दर्रों के मध्य 255 किलोमीटर लम्बी दुरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क पर निर्मित किया गया है।
- पुल की जटिल संरचना को **'एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज'** कहा गया है।
- इसका निर्माण **सीमा सड़क संगठन (BRO)** द्वारा 15 महीनों (वर्ष 2017 में निर्माण कार्य शुरू किया गया था) में किया गया है। इससे यात्रा में लगने वाला समय लगभग आधा हो जाएगा।
- इसके निर्माण हेतु भारत में प्रथम बार **माइक्रो पाइलिंग तकनीक** का उपयोग किया गया है।
- कर्नल चेवांग रिनचेन सशस्त्र बलों के उन छह जवानों में से एक थे, जिन्हें दूसरा सर्वोच्च भारतीय वीरता पुरस्कार, **महावीर चक्र** दो बार प्रदान किया गया है।
- **चेनाब सेतु** (1178 फीट), जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है, जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे-आर्क (मेहराबदार) ब्रिज होगा।

10.30. यूथ को:लैब

(Youth Co:Lab)

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग (NITI Aayog) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-भारत (UNDP-India) द्वारा संयुक्त रूप से **यूथ को:लैब** का शुभारंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य **भारतीय युवाओं में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है।**

VISION IAS

- **सामाजिक उद्यमिता,** एक परंपरागत गैर-सरकारी संगठन (NGO) की तुलना में **एक विशाल और अधिक प्रभावी पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है।**
- ये गैर-सरकारी संगठनों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये लघु-पैमाने और सीमित समय में परिवर्तनों की बजाय विस्तृत व व्यापक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखते हैं।
- सामाजिक उद्यमी, प्रभावित लोगों को समाधान के एक भाग के रूप में स्वीकार करते हैं न कि निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में। भारत में सामाजिक उद्यमिता के उदाहरण अमूल, सेल्फ-एम्पलॉयड विमेंस एसोसिएशन (SEWA) आदि हैं।
- सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना **उद्यमिता विकास योजना** के मुख्य उद्देश्यों में से एक है **जिसे वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है।**

10.31. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव

(Pradhan Mantri Innovative Learning Programme-DHRUV)

- हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने **प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव** का शुभारंभ किया।
- यह कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ एवं मेधावी छात्रों की प्रतिभा का अन्वेषण करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा तथा उन्हें उनकी रूचि के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- यह **14-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का नाम 'ध्रुव' तारे के नाम पर 'ध्रुव' रखा गया है तथा प्रत्येक चयनित छात्र 'ध्रुव तारा' कहलाएगा।
- इस कार्यक्रम में दो क्षेत्र, यथा- **विज्ञान** एवं **निष्पादन कलाएं** शामिल हैं। इसके प्रथम बैच में कुल 60 छात्र होंगे (प्रत्येक से 30)।
- छात्रों का चयन मुख्यतः सभी विद्यालयों (सरकारी एवं निजी दोनों) की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में से किया जाएगा।
- बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार उत्तरोत्तर रचनात्मक लेखन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

10.32. क्यू. एस. भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग

(QS India University Rankings)

- हाल ही में, **क्यू. एस. भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग** का द्वितीय संस्करण जारी किया गया।
- इस रैंकिंग में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा से संबद्ध संस्थानों अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) शीर्ष दस में से सात स्थान प्राप्त करके सूची में वर्चस्व बनाए हुए हैं।
- लगातार दूसरे वर्ष **IIT-बॉम्बे** इस सूची में शीर्ष स्थान पर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर हैं।
- **संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए आठ संकेतकों से युक्त एक कार्यप्रणाली** का उपयोग किया गया है।
- ये संकेतक हैं: शैक्षणिक प्रतिष्ठा (30% भारिता), नियोक्ता की प्रतिष्ठा (20%), संकाय-छात्र अनुपात (20%), पीएचडी धारक शिक्षकों का अनुपात (10%), स्कोपस डेटाबेस के अंतर्गत प्रति संकाय के शोध-पत्रों की संख्या (10%), स्कोपस डेटाबेस में प्रति शोध-पत्र अनुलेखन की संख्या (5%), अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात (2.5%) तथा अंतर्राष्ट्रीय संकाय का अनुपात (2.5%)।

10.33. वयोश्रेष्ठ सम्मान

(Vayoshreshtha Samman)

- हाल ही में, **1 अक्टूबर** को मनाए गए **'अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'** के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा **वयोश्रेष्ठ सम्मान-2019** प्रदान किए गए।
- वयोश्रेष्ठ सम्मान **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा स्थापित पुरस्कारों की एक योजना है।
- इनकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी तथा वर्ष 2013 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों का दर्जा प्रदान किया गया था।
- यह सम्मान प्रत्येक वर्ष देश में **वृद्ध जनों की नि:स्वार्थ उल्लेखनीय सेवा करने वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को उनकी श्रेष्ठ सेवाओं तथा उपलब्धियों के अभिज्ञान** में प्रदान किया जाता है।
- संस्थागत श्रेणी के विजेताओं में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान के लिए पुरस्कार), गांधी भवन इंटरनेशनल ट्रस्ट (वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था) आदि शामिल हैं।
- व्यक्तिगत श्रेणी के विजेताओं में ईश्वरचंद्र चिन्तामणि (शतवर्षीय पुरस्कार), छाजूराम शर्मा (लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड) आदि शामिल हैं।

10.34. द गांधियन चैलेंज

(The Gandhian Challenge)

- हाल ही में, **अटल नवाचार मिशन** (Atal Innovation Mission), नीति आयोग की **अटल टिंकरिंग लैब्स** (ATL), **यूनिसेफ इंडिया** (UNICEF India) एवं **जेनरेशन अनलिमिटेड** ने संयुक्त रूप से **'द गांधियन चैलेंज'** का शुभारंभ किया।
- यह नवाचार चैलेंज भारत के प्रत्येक बच्चे को गांधी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उनके सपनों के भारत के लिए नवाचारी समाधानों की संकल्पना हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- इसे निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, यथा: कला एवं नवाचार (पत्र, कविताएं, चित्रकारी आदि) तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार {रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), सेंसर्स आदि}।
- **अटल टिंकरिंग लैब** सम्पूर्ण देश के विद्यालयों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु देश भर के युवा छात्रों में जिज्ञासा तथा नवोन्मेषी मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए नीति अयोग द्वारा संचालित **अटल इनोवेशन मिशन** के अंतर्गत एक कार्यक्रम है।
- **जनरेशन अनलिमिटेड,** यूनिसेफ द्वारा संचालित एक नवीन वैश्विक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य 10-24 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक युवा की वर्ष 2030 तक विद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वरोजगार या आयु-उपयुक्त रोज़गार के किसी-न-किसी रूप से संबद्धता सुनिश्चित करना है।
- **यूनिसेफ,** संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है, जो बच्चों के अधिकारों में वृद्धि करने हेतु वैश्विक स्तर पर सरकारों, समुदायों, नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र एवं अन्य भागीदारों के साथ कार्य करता है। यह बाल अधिकारों पर अभिसमय द्वारा निर्देशित होता है।

10.35. गैर-उपनगरीय एवं उपनगरीय स्टेशनों का स्वच्छता आकलन-2019

(Cleanliness Assessment of Non-Suburban and Suburban Stations 2019)

- हाल ही में, रेल मंत्री द्वारा **'स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट' (गैर-उपनगरीय एवं उपनगरीय स्टेशनों का स्वच्छता आकलन-2019)** जारी की गई।
- रेलवे द्वारा **वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष** 407 प्रमुख स्टेशनों का तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) तथा स्वच्छता रैंकिंग का संचालन किया जा रहा है।
- इस वर्ष सर्वेक्षण का **विस्तार करते हुए इसमें 720 स्टेशनों** तथा **पहली बार उपनगरीय स्टेशनों को भी शामिल किया गया था।**
- 1000 में से कुल अंक प्रदान किए जाते हैं तथा प्रत्येक घटक **(प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नागरिक प्रतिपुष्टि)** की भरिता कुल अंक की 33.33% है।
- **शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन** राजस्थान **(जयपुर, जोधपुर एवं दुर्गापुरा)** से हैं।
- **शीर्ष तीन रेलवे जोन** हैं- उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे एवं पूर्व मध्य रेलवे।

10.36. ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-2019

(Global Wealth Report 2019)

- हाल ही में, स्विट्जरलैंड स्थित बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक, **क्रेडिट सुइस ग्रुप** ने अपनी वार्षिक **ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट** के 10वें संस्करण को जारी किया है।
- यह रिपोर्ट विशिष्ट रूप से **संपत्ति में वृद्धि तथा वितरण, दोनों को रेखांकित करती है-**
  - **करोड़पतियों तथा अरबपतियों की संख्या;**
  - **उनके पास विद्यमान संपत्ति का अनुपात;** तथा
  - संपूर्ण विश्व में **असमानता की स्थिति।**
- इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि **वैश्विक संपत्ति वितरण के शीर्ष 10 प्रतिशत में अधिकांश लोगों के साथ चीन इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया है।**
- इसके अतिरिक्त, केवल 47 मिलियन लोगों (जो विश्व की वयस्क जनसंख्या का मात्र 0.9 प्रतिशत भाग हैं) के पास विश्व की कुल संपत्ति का लगभग 44 प्रतिशत भाग है।
- वर्ष 2019 के मध्य तक, सम्पत्ति धारकों के निचले स्तर पर आधे से अधिक लोगों के पास कुल वैश्विक संपत्ति का 1 प्रतिशत से भी कम भाग है, जबकि सर्वाधिक समृद्ध 10 प्रतिशत लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का 82 प्रतिशत तथा केवल शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास 45 प्रतिशत भाग है।

10.37. शनि के नए उपग्रहों (चंद्रमाओं) की खोज

(New Moons of Saturn Discovered)

- हाल ही में, शनि के चारों ओर बीस नए उपग्रहों (चंद्रमाओं) की खोज की गई है तथा अब इसके कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है।

- इन उपग्रहों की खोज हवाई द्वीप के मौना किआ नामक स्थान पर स्थित **सुबारू टेलीस्कोप (Subaru telescope)** का उपयोग करके की गई थी।
- इस खोज से पूर्व, 79 उपग्रहों के साथ बृहस्पति सौर मंडल में सर्वाधिक संख्या में उपग्रहों वाला ग्रह था। अब, **शनि ने बृहस्पति को प्रतिस्थापित** कर दिया है।
- शनि के नए उपग्रहों में से सत्रह उपग्रह, शनि ग्रह की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, जिसे **रेट्रोग्रेड डायरेक्शन** कहा जाता है। जबकि अन्य तीन उपग्रह शनि ग्रह की दिशा में ही शनि की परिक्रमा करते हैं, जिसे **प्रोग्रेड डायरेक्शन** कहा जाता है।

10.38. थर्टी मीटर टेलीस्कोप

(Thirty Meter Telescope)

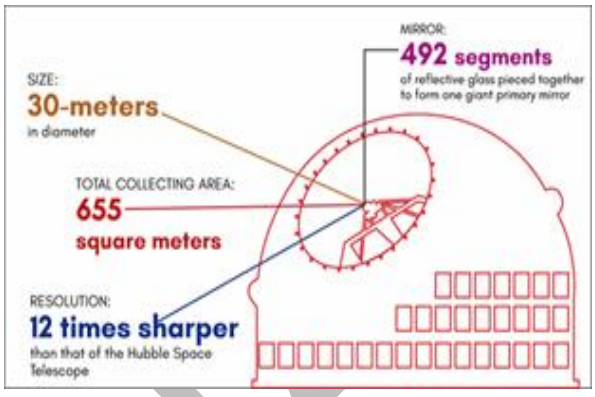

- पुणे स्थित थॉट वर्क्स टेक्नोलॉजीज ने **थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT)** के लिए टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित किया है तथा यह इसी टेलीस्कोप के लिए एक अन्य सॉफ्टवेयर घटक भी विकसित कर रहा है।
- TMT एक प्रस्तावित **खगोलीय वेधशाला है जिसमें एक अत्यधिक विशाल टेलीस्कोप (30 मीटर व्यास वाले प्रमुख दर्पण के साथ)** है। यह विश्व का सबसे विशाल भू-आधारित टेलीस्कोप होगा।
- यह **कनाडा, चीन, भारत, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका** के वैज्ञानिक संगठनों द्वारा वित्त पोषित एक **अंतर्राष्ट्रीय परियोजना** है।
- **नियोजित स्थान:** अमेरिकी राज्य हवाई में हवाई द्वीप पर **मौना किआ।**

10.39. स्पेक्ट्रोस्कोपी

(Spectroscopy)

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-2 से प्राप्त एक छवि (image) जारी की, जिसमें चंद्रमा के माप को दिखाया गया है। इस छवि को **इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (IIRS)** उपकरण द्वारा लिया गया है।
- **स्पेक्ट्रोस्कोपी,** प्रकाश (या अधिक विशुद्ध रूप से विद्युत चुम्बकीय विकिरण) को उसके घटक तरंगदैर्ध्य (एक वर्णक्रम) में विभाजित करने की तकनीक है। उदाहरण के लिए, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का इसके घटक रंगों में विभाजन।
- **स्पेक्ट्रोमीटर,** किसी भौतिक परिघटना के वर्णक्रमीय घटकों को पृथक करने एवं मापन हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण है।
- ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिक, परावर्तित सौर वर्णक्रम से खनिजों सहित संकेतों का अवलोकन करेंगे। यह चन्द्रमा की सतह के घटकों का मानचित्र तैयार करने में सहायता करेगा, जिसके प्रतिफल में हमें **भूगर्भिक संदर्भ में चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास** को समझने में सहायता प्राप्त होगी।

10.40. इलास्टोकलोरिक प्रभाव

(Elastocaloric Effect)

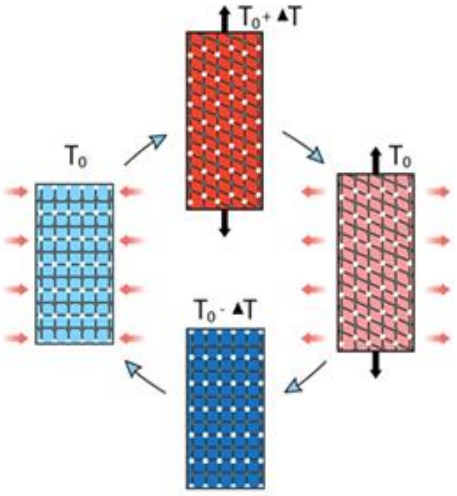

- हाल ही में, कुछ शोधकर्ताओं ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि यदि इलास्टोकलोरिक प्रभाव का उपयोग प्रभावी ढंग से किया गया, तो यह फ्रिज एवं एयर-कंडीशनरों में प्रयुक्त होने वाले **द्रव प्रशीतकों** (fluid refrigerants) का विकल्प प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
  - ऐसा इसलिए है, क्योंकि इलास्टोकलोरिक प्रभाव में, उष्मा का अंतरण अधिकांशतः उसी रीति से कार्य करता है जिस रीति में द्रव प्रशीतक संपीड़ित एवं विस्तारित होते हैं।
- इलास्टोकलोरिक पदार्थ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, जो **दबाव-प्रेरित उत्क्रमणीय चरण रूपांतरणों** (stress-induced reversible phase transformations) के लिए सक्षम होते हैं, जिसके दौरान गुप्त उष्मा निर्मुक्त या अवशोषित होती है।
- इलास्टोकलोरिक प्रभाव तब उत्पन्न होता है, जब दबाव का प्रयोग किया जाता है या इसे हटा लिया जाता है तथा रूपांतरण का एक चरण उत्प्रेरित होता है।
  - दो सह-अस्तित्व वाले चरणों के मध्य एंट्रॉपी (उत्क्रम-माप) में अंतर के परिणामस्वरूप पदार्थ अत्यधिक गर्म या ठंडा होगा।

- उदाहरण के लिए, जब रबर बैंड मोड़े जाते हैं या सीधे होते हैं, तो इससे एक शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जब रबर बैंड का प्रसार किया जाता है, तो यह अपने वातावरण से उष्मा को अवशोषित कर लेता है तथा जब इसे यथास्थिति में लाया जाता है तो यह धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है।

10.41. 'डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति'

('Digital Bharat Digital Sanskriti')

- हाल ही में, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत को एक नए डिजिटल चरमोत्कर्ष तक ले जाने एवं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Centre for Cultural Resources and Training: CCRT) के ई-पोर्टल 'डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति' तथा 'CCRT यूट्यूब चैनल'** का शुभारम्भ किया।
- इस पहल के लिए, सभी CCRT क्षेत्रीय केंद्रों को निर्बाध रूप से संयोजित करने हेतु CCRT ने **रूट्स 2 रूट्स (एक गैर-सरकारी संगठन)** के साथ समझौता किया है।

10.42. खोन रामलीला

(Khon Ramlila)

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने थाईलैंड सरकार के सहयोग से देश के प्रथम **खोन रामलीला प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम** का आयोजन किया।
- **खोन मुखौटा नृत्य नाट्य (Khon Masked Dance Drama)** थाईलैंड की एक प्रदर्शन कला है, जिसमें आकर्षक नृत्य संचलन, वाद्ययंत्र एवं मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा शानदार परिधान शामिल हैं। इसमें राम की महिमा का चित्रण किया जाता है।
- इसमें कोई **संवाद नहीं** होता तथा पृष्ठभूमि में उच्चारित स्वरों द्वारा **रामायण के पूर्ण कथानक का वाचन** किया जाता है।
- थाईलैंड की खोन रामलीला, **यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची** में सम्मिलित है।

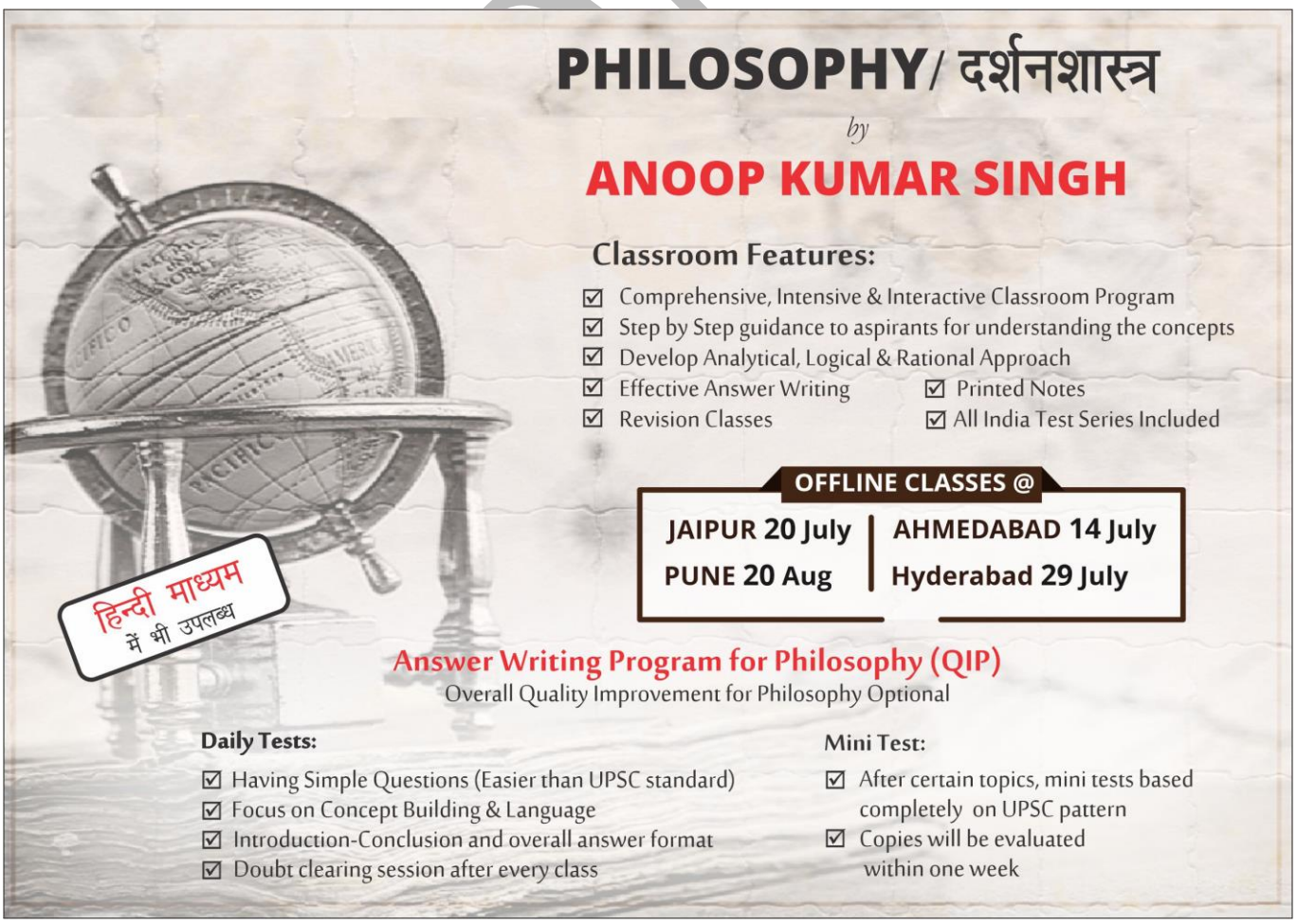

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. राष्ट्रीय पेंशन योजना

(National Pension Scheme)

हाल ही में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, निवासी भारतीयों के समान प्रवासी भारतीय नागरिकों (Overseas Citizens of India: OCI) को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में पंजीकरण करवाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सभी नागरिकों को **सेवानिवृत्ति के पश्चात् आय** प्रदान करना। • पेंशन सुधारों को क्रियान्वित करना एवं **नागरिकों में सेवानिवृत्ति पश्चात् अवधि के लिए बचत** की आदत को बढ़ावा देना।	• **65 वर्ष की आयु तक के भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी भारतीय तथा OCIs;** NPS में शामिल होने हेतु पात्र हैं। • **सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान:** ○ 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले **केंद्र सरकार की सेवाओं** (सशस्त्र बलों को छोड़कर) एवं केंद्रीय स्वायत्त निकायों के **सभी नए कर्मचारी।** ○ **संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि के पश्चात्** सेवाओं में शामिल होने वाले **राज्य सरकारों एवं** राज्य स्वायत्त निकायों के **सभी कर्मचारी।** ○ **कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है,** वह भी NPS का अभिदाता बन सकता है। • **निजी कर्मचारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।**	• इस योजना को प्रथम बार 1 जनवरी 2004 से **सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया था** एवं बाद में मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों तक विस्तारित किया गया था। • इस योजना को **PFRDA** द्वारा विनियमित किया जाता है। • **व्यक्ति** अपने सेवानिवृत्ति खाते में **अंशदान** देता है तथा उसका **नियोक्ता** भी उस खाते में **सह-अंशदान** दे सकता है। • इसे **निश्चित अंशदान के आधार पर अभिकल्पित** किया गया है, जिसमें अभिदाता अपने खाते में योगदान करता है और इसमें यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इस प्रणाली से बाहर होने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। साथ ही, संचित धन की राशि किए गए अंशदान और इस धन के निवेश से सृजित आय पर निर्भर करती है। • **आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं NPS के अंतर्गत कर लाभ प्रदान करती हैं:** ○ **कर्मचारी अंशदान पर:** कर्मचारी का स्वयं का अंशदान वेतन का 10 प्रतिशत (मूल+मंहगाई भत्ता) तक आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (1) के तहत आय छूट के लिए पात्र है। यह आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत 1.50 लाख रूपए की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत है। ○ **नियोक्ता अंशदान पर:** धारा 80 CCD(2) के अंतर्गत मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के 10 प्रतिशत (कोई मौद्रिक सीमा नहीं) तक। यह छूट 1.50 लाख रूपये की 80 CCE सीमा के अतिरिक्त है। ○ **स्वैच्छिक अंशदान पर:** कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से NPS टीयर-I खाते में 50,000 रू (या अधिक) की राशि का अतिरिक्त निवेश कर सकता है और अधिकतम 50,000 रूपए के अध्यधीन इस पर आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD1(B) के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है। • सरकार ने **NPS से आहरण पर आयकर छूट सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है,** अर्थात् NPS से

VISION IAS

		निकाली गई 60% राशि पर कर आरोपित नहीं किया जाएगा, जो प्रभावी रूप से पेंशन योजना से आहरण को 100% तक कर-मुक्त बनाएगा। • नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) NPS के लिए केन्द्रीय अभिलेखागार के रूप में कार्य करती है। • अभिदाता को एक **विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक (Permanent Retirement Account Number: PRAN)** प्रदान किया जाता है, जिसे भारत में किसी भी स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। • PRAN द्वारा निम्नलिखित दो व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान की जाएग: ○ **टियर-I खाता:** यह सेवानिवृत्ति की बचत हेतु एक खाता है, जिससे आहरण नहीं किया जा सकता है। ○ **टियर-II खाता:** यह केवल एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। अभिदाता अपनी इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत आहरित करने के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं है। • **NPS रिटर्न बाजार से संबद्ध हैं।** यह अभिदाताओं को 3 फंड प्रदान करता है यथा: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियां। • अभिदाता **खाता खोलने के 10 वर्ष पश्चात् या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर (जो भी पहले हो), NPS से बाहर निकल सकता है।** • NPS के लिए **EEE (Exempt Exempt Exempt) कर स्थिति** (प्रवेश, निवेश और परिपक्वता पर कर छूट) प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि NPS को पूर्व में EET (Exempt Exempt Taxable) दर्जा प्राप्त था। • स्वास्थ्य, विवाह, घर एवं शिक्षा जैसी अनिवार्यताओं के लिए आंशिक रूप से धन निकासी के अतिरिक्त, **अभिदाता कौशल विकास गतिविधियों जैसे- स्टार्ट-अप, नए उपक्रम आदि हेतु NPS में शामिल होने के तीन वर्ष पश्चात्, अपने अंशदान का 25 प्रतिशत धन निकाल सकते हैं।** • हाल के परिवर्तनों से, **OCIs** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति **PFRDA अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने के लिए पात्र हो** तथा वार्षिकी/संचित बचत FEMA दिशा-निर्देशों के अधीन स्वदेश प्रेषित करने योग्य हों।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS